रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

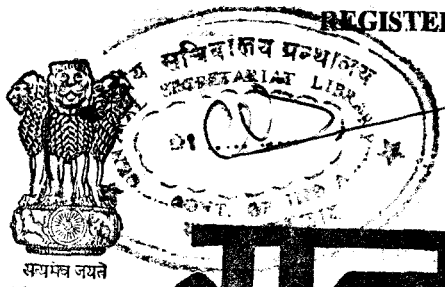

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1993 (आश्विन 3, 1915)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1993 (ASVINA 3, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

बम्बई-400005, दिनांक 25 अगस्त 1993

सं॰ 163/08-21-001/93—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 23) की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आर॰ जानकीरामन के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस॰ एस॰ तारापोर को 25 अगस्त 1993 से भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत किया है।

डी॰ आर॰ मेहता
उप गवर्नर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अ॰से॰वि॰ एवं औ॰ सं॰ विभाग

कार्मिक प्रभाग

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा-390005, दिनांक 21 जुलाई 1993

सं॰ प्रका॰ : अ॰से॰ वि॰ : एवं औ॰सं॰ ए॰ 10/16 : 1029—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवम् अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मंडल भारत सरकार की पूर्वानुमति से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से बैंक ऑफ़ बड़ौदा, अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

02. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1990 कहा जायेगा।

(2) ये दिनांक 22-11-1990 से प्रभावी होंगे।

जिन अधिकारियों को ये विनियम लागू होंगे— 2 (1) ये विनियम बैंक के सभी अधिकारियों तथा बैंक के उन कर्मचारियों पर, जिन पर इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाये, उक्त प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित सीमा तथा शर्तों के अधीन लागू होंगे।

(2) ये भारत से बाहर पदस्थापित/स्थानान्तरित/प्रतिनियुक्त अधिकारियों को भी लागू होंगे। पर उस सीमा तक जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से या सामान्य रूप से निर्धारित किया गया होगा।

(3) तथापि, यह विनियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो भारत के बाहर किसी देश में नियुक्त हैं और वहां स्थायी रूप से सेवा कर रहे हैं।

ह० अपठनीय
महाप्रबंधक
(मा० सं० प्र० एवं सा० प्र०)

सं० प्र० का० अ० से० वि० एवं औ० सं० ए० 10/14 1030—बैंक ऑफ़ बड़ौदा का निदेशक मंडल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व-मंजूरी से इसके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:

02. संक्षिप्त नाम व प्रारंभ

(1) ये विनियम बैंक ऑफ़ बड़ौदा अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम 1990 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम नीचे दर्शाई गई तारीखों से लागू होंगे।

		प्रभावी तारीख
विनियम 21	मंहगाई भत्ता	01-11-87
विनियम 22 (2)	मकान किराया भत्ता	01-01-90
विनियम 22(3)	मकान किराया भत्ता	01-04-90
विनियम 24(1)ए	चिकित्सा सहायता (आवास पर इलाज)	01-01-90
विनियम 24(1) बी	चिकित्सा सहायता (अस्पतालीय योजना)	01-04-89
विनियम 33 (4)	विशेषाधिकृत अवकाश	01-01-90

03. महंगाई भत्ता : 21

01-11-1987 को एवं तब से महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :

(I) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कर्मकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या कमी पर देय होगा।

(II) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(i) रु० 2500/- तक के "वेतन" का 0.67% और

(ii) रु० 2500/- अधिक से रु० 4000/- तक "वेतन" का 0.55 %

(iii) रु० 4000/- अधिक से रु० 4260/- तक "वेतन" का 0.33 %

(vi) रु० 4260/- से अधिक "वेतन" का 0.17%

मकान किराया भत्ता : 22(2)

01-01-1990 को एवं तब से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई भी आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा।

कॉलम-I	कॉलम-II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
1	2
I. सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय समय पर विनिर्दिष्ट "ए" वर्ग के प्रमुख शहर और समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 14 % अधिकतम रु० 450/- प्रतिमाह के अध्यधीन
II. क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12 % परन्तु अधिकतम रु० 375/- प्रतिमाह
III. क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (I) तथा (II) के अन्तर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10% परन्तु अधिकतम रु० 325/- प्रतिमाह
IV. क्षेत्र III	वेतन का 8 % परन्तु अधिकतम रु० 300/- प्रतिमाह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है

1	2
	तो उसे देय मकान किराया भत्ता जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के वेतन के 6% से ऊपर उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा अथवा वह ऊपर कालम II में दर्शाई गई दर से अन्यथा देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 175% इनमें से जो भी कम हो, अधिकतम सीमा तक प्रमाण-पत्र के आधार पर भी मकान किराया भत्ता ले सकता है ।
स्पष्टीकरण—22(3) 1 (ख)	दिनांक 01-04-1990 से यदि निवास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है तो बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त (क) में दर्शाई गई पद्धति से गिना गया किराया, इनमें से जो भी कम हो ।
2	इस विनियम और विनियम 23 में क्षेत्र I और II और क्षेत्र–III का अभिप्राय होगा ।
	क्षेत्र–I : 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान
	क्षेत्र– II : क्षेत्र I में शामिल शहरों के अलावा ऐसे अन्य सभी शहर जिनकी जनसंख्या 1लाख या उससे अधिक हो,
	क्षेत्र–III : क्षेत्र I एवं क्षेत्र II में शामिल स्थानों के अलावा अन्य सभी ।
चिकित्सा सहायता :	
24 (1)	अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रति–पूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :
(क)	चिकित्सा व्यय :
	दिनांक 01–01–90 को और उससे आगे अधिकारी द्वारा अपने स्वयं और परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट वेतन – सीमा तक स्तंभ 2 में प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी । इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु० 2100/– से रु० 3060/– प्र०मा०	रु० 750/–
रु० 3061/ प्र०मा० और उससे अधिक	रु० 1000/–

टिप्पणी : उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लेखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी

स्पष्टीकरण :

"इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अधिकारी के 'परिवार' में उसका पति/उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता–पिता ही शामिल होंगे ।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(I) दिनांक 01-4-1989 को और उसके बाद से अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी । किए गए खर्चों के बिलों और वाउचरों इत्यादि के आधार पर प्रतिपूर्ति समय-समय पर इस संबंध में सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित सीमा के अध्यधीन होगी ।

(II) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी

1	2
	अस्पताल (अर्थात किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किंतु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति-योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।
	(III) दिनांक 01-4-1989 को और इसके बाद, मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्चा माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक की जायेगी :
कैंसर	चेचक
तपेदिक	प्लूरिसी
पक्षाघात	डिप्थीरिया
हृदयरोग	कुष्ठरोग
ट्यूमर	गुर्दे की खराबी
विशेषाधिकार छुट्टी :	
	33 (4) दिनांक 01-01-1990 से जब तक कि आवेदित छुट्टी मंजूर न कर दी गई हो, विशेषाधिकार छुट्टी अधिक से अधिक 240 दिन तक संचित की जा सकेगी ।

जे० एन० टंडन
महा प्रबंधक
(मा० सं० प्र० एवं सा० प्र०)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कार्मिक विभाग

बम्बई-400021, दिनांक 26 अगस्त 1993

शुद्धि-पत्र

भारत का राजपत्र दिनांक 12-12-1992

क्र० ओएस आर/9—भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड-4) दिनांक 12-12-1992 के पृष्ठ संख्या 3864 से 3868 तक पर प्रकाशित हमारी अधिसूचना क्र० ओ०एस० आर०/7, दिनांक 30 अक्तूबर, 1992 में निम्नानुसार संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं :—

क्र० सं०	पृष्ठ सं०	विनियम क्रमांक	संशोधन
1.	3864	लघु शीर्षक एवं प्रारंभ	इन विनियमों को यूनियन बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1992 कहा जाये ।

आर० रामदुरै,
महा प्रबंधक (कार्मिक)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली 110002, दिनांक 06 अगस्त 1993

सं० 3-एन० सी० ए० (5)/1/93-94—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-एन० सी० ए० (4)/3/91-92, दिनांक 14-2-92, 3-एन० सी० ए० (4)/19/83-84, दिनांक 31-3-83, 3-एन० सी० ए० (4)/7/82-83, दिनांक 15-3-83, 3-एन० सी० ए० (4)/2/90-91, दिनांक 12-11-90, 3-एन० सी० ए० (4)/11/92-93, दिनांक 3-5-93, 3-एन० सी० ए० (1)/19/79-80, दिनांक 15-3-80, 3-एन० सी० ए० (4)/2/90-91, दिनांक 12-11-90, 3-एन० सी० ए० (4)/4/92-93, दिनांक 11-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/2/88-89, दिनांक 8-2-89, 3-एन० सी० ए० (4)/3/89-90, दिनांक 9-11-89, 3-एन० सी० ए० (4)/8/92-93, दिनांक 23-3-93, 3-एन० सी० ए० 4/5/92-93, दिनांक 29-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/6/92-93, दिनांक 11-2-93, 3-एन० सी० ए० (4)/7/92-93, दिनांक 26-2-93, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	9201	श्री कमल जीत सिंह भाटिया, एफ० सी० ए० 54, डी०डी०ए० (एम०आई०जी०) फलैट्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027	16–04–93
2.	13645	श्री शक्ति कुमार, ए०सी०ए०, बी–47, विवेक विहार फेज–2, दिल्ली–110095	31–05–93
3.	14341	श्री माधो प्रकाश सोमानी, ए०सी०ए०, ई–297, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1, नई दिल्ली–110048	07–05–93
4.	17956	श्री सुरेश सेट्टी, ए०सी०ए०, 35, एशियन गेम्स विलेज, रणजीत सिंह ब्लोक, नई दिल्ली–110049	23–04–93
5.	24104	श्री विपिन सी० सिंह, एफ०सी०ए०, 22, देशबंधु अपार्टमेंट्स, कालकाजी, नई दिल्ली–110019	15–04–93
6.	35395	श्री वेंकट रामन गोलुबुरी, ए०सी०ए०, 17–ए, ऊना एन्क्लेव, मयूर विहार–1, दिल्ली–110091	07–05–93
7.	51169	श्री अमलेन्दु पार्कषि, ए०सी०ए०, फ्लैट सं० 6241, सैक्टर–बी–9, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	06–04–93
8.	73428	श्री आदर्श कुमार, ए०सी०ए०, सैक्टर–15 ए, हाउस सं०–371, फरीदाबाद–121001	05–05–93
9.	0454	श्री नन्द किशोर गर्ग, ए०सी०ए०, एफ०डी–37, विशाखा एन्क्लेव, पितम पुरा, दिल्ली–110034	28–06–93
10.	80472	श्री विजय कुमार, ए०सी०ए०, ई–96, बी०के० दत्त कालोनी, अपोजिट सफदरजंग एयर–पोर्ट, नई दिल्ली–110003	01–04–93
11.	81107	श्री अजय कुमार, ए०सी०ए०, 3, सेठ सोहनलाल लेन, अपोजिट पी०डब्ल्यू०डी०, रैस्ट हाउस, सिविल लाईंस, लुधियाना	12–4–93
12.	81156	श्री अश्वनी कुमार, ए०सी०ए० 126–डी० पोकेट–4, मयूर विहार, दिल्ली	22–04–93
13.	81406	श्री अविनाश सिंह, ए०सी०ए०, 2682/2, गली सं० 2, बीडनपूरा, करोल बाग, नई दिल्ली	30–06–93
14.	81690	श्री जितेन्द्र गधिया, ए०सी०ए० 21, दरिया गंज, दयानन्द मार्ग, नई दिल्ली–2	01–04–93
15.	82971	श्री प्रदीप कुमार सूद एफ०सी०ए० 102 शिवलोक हाउस–1 करमपुरा कमर्शियल कम्पलैक्स नई दिल्ली–15	01–04–93
16.	83245	श्री उमा कांत भारगवा ए०सी०ए० केयर आफ मैसर्स संजीव सक्सेना एण्ड कं०, फ्लैट सं० 7, 3 फ्लोर. 3830. लालकोठी पटौदी–हाउस दरिया गंज, नई दिल्ली	30–04–93

1	2	3	4
17.	83440	श्री संजीव स्याल एफ०सी०ए० डब्ल्यू–20, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली–16	22–04–93
18.	84106	श्री अश्वनी कुमार एफ०सी०ए० मल्होत्रा गर्ग एण्ड कं० टिक्का बिल्डिंग प्लाई रोड कुरुक्षेत्र	01–04–93
19.	84516	श्री दीपक कंधारी ए०सी०ए० ए–15/3 एस०एफ०एस० साकेत नई दिल्ली-110017	01–04–93
20.	84921	श्री इंदरपाल सिंह ए०सी०ए० 105, बी, पोकेट-ए, मयूर विहार फेज–2, नई दिल्ली–91	12–05–93
21.	84975	श्री रोहित आनन्द ए०सी०ए० 21/16, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–60	20–04–93
22.	85283	मिस गीता सभरवाल, ए०सी०ए०, 335, एस०एफ०एस० फ्लैट्स, अशोक विहार–4, दिल्ली–52	14–05–93
23.	85611	मिसिज अनुराधा तुली, ए०सी०ए०, केयर आफ के०एम०जी० पीट मार्विक, पीट लेवल सिटी टावर–1, पी०ओ० बाक्स 3800, दुबई, यू०ए०ई०	19–04–93
24.	86032	श्री सुनिल कुमार जैन, ए०सी०ए०, केयर आफ यूनिलीवर अरेबिया, पी०बा० 3148, दुबई (यू०ए०ई०)	15–04–93
25.	86775	मिस मोना मेहरा, ए०सी०ए०, 7/22, रूप नगर, दिल्ली–7	15–04–93
26.	87230	श्री अनूप कुमार सपारा, ए०सी०ए०, 5, पृथ्वी राज रोड, जे० एण्ड के० हाउस, नई दिल्ली–110001	26–05–93
27.	87993	मिसिज लवलीना जैन, ए०सी०ए०, 136, दयानन्द विहार, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली–92	15–04–93
28.	88036	श्री मुकेश कुमार गर्ग ए०सी०ए० केयर आफ विनोद बंसल कागला स्ट्रीट महेम डिस्क० रोहतक	27–05–93
29.	88117	श्री जतिन्दर सिंह ग्रोवर ए०सी०ए० मैसर्स सी०बी० भारगवा एण्ड कं०, सत्संग भवन 7/24, दरिया गंज नई दिल्ली–2	09–06–93
30.	88251	श्री सतीश चन्द ए०सी०ए० 208 एम० जी० हाउस कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–110052	27–04–93
31.	89098	श्री नरेश कुमार मनोचा ए०सी०ए० सी–67, इंदर पुरी नई दिल्ली–12	31–05–93
32.	90270	श्री प्रवीण कुमार ए०सी०ए० सी–1/75 अशोक विहार, फेज–2 नई दिल्ली–52	07–05–93

ए० के० मजुमदार,
सचिव

मद्रास–600034, दिनांक 23 जुलाई 1993

सं० 3 एस० बी० ए० (5)/3/93–94—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3–एस० सी० ए० (4)/8/90–91 दिनांक 1–12–90, 3–एस० सी० ए० (4)/10/86–87 दिनांक 27–2–87, 3–एस० सी० ए० (4)/12/89–90, दिनांक 25–10–89, 3–एस० सी० ए० (4)/3/92–93 दिनांक 27–11–92 और 3–ई० सी० ए० (4)/10/91–92 दिनांक 23–10–92, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम में 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	18480	श्री पार्थासारथी बी० बी०, ए० सी० ए०, जनरल मैनेजर, दि फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आफ ए० एफ० आर० पोस्ट बाक्स नं० 20613, नेरोबी	22–6–93
2.	19033	श्री सुब्बा राव जी० एस० बी० के०, ए० सी० ए०, 304, प्रदीप अपार्टमेंट्स, गांधी नगर, न्यू बकाराम हैदराबाद–500380	18–6–93
3.	20643	श्री रामासुन्दर आर० एस०, ए० सी० ए०, दि वैश्या बैंक लि०, इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिपार्टमेंट, 9/2 वीन्दुसा काम्पलेक्स रिचमंड बंगलौर–560025	7–6–93
4.	22251	श्री लक्ष्मी नारायणन बी०, ए० सी० ए०, ग्लोबल एन्टरप्राइजिस, पोस्ट बाक्स नं० 2925, सीब, सल्तनत आफ ओमान	10–6–93
5.	24596	श्री गिरिधर एस०, एफ० सी० ए०, 1–2–234/15, "गुरु कृपा" डोमालगुड़ा, हैदराबाद–5000 29	21–6–93
6.	25695	श्री कुमार एस० बी०, ए० सी० ए०, केयर आफ बहरेन आटोमोजर्स आई एन टी एल पोस्ट बाक्स नं० 5328, मनामा, बहरेन	15–6–93
7.	25757	श्री मनोज जोशी, ए० सी० ए०, मैनेजर एकाउन्ट्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गल्फ केनक्राफ्टर्स, पोस्ट बाक्स नं० 5005, शारजाह, यू० ए० ई०	9–6–93
8.	28294	श्री राजागोपाल पी० बी०, ए० सी० ए०, 2, 2 क्रॉस स्ट्रीट, वैस्ट सी० आई० टी० नगर, मद्रास–600035	20–5–93
9.	41834	श्री राव के० एस०, उमेशा, ए० सी० ए०, ग्रुप फाइनेंनशियल कन्ट्रोलर, अमाका होल्डिंग्स लि०, पो० आ० बाक्स नं० 80851, काबवे, जाम्बिया	18–6–93
10.	200258	श्री श्रीनिवास चिन्तलापती सुब्रामन्या, ए० सी० ए०, जूनियर मैनेजर (एफ एण्ड ए) फाइनेन्स डिपार्टमेंट, विशाखापटनम स्टील प्लांट विशाखापतनम–530031	1–6–93
11.	200391	श्री भगवतुला सोमेश्वर सुधाकर, ए० सी० ए० नं० 4/3 फ्लोर, लेनेन इस्टेट बिसाइड्स एस बी एच, गन फाउन्ड्री, हैदराबाद–50000	14–6–93
12.	201123	श्री सुमित्रा नन्दन श्रीवास्सा के०, ए० सी० ए०, एच० नं० 3–6–190/ए/2, हैदरगुडा, हैदराबाद-500029	29–4–93

ए० के० मजुमदार
सचिव

सं० 3-एस० सी० ए० 8/2/93-94—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खण्ड तीन में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	2522	श्री लुकोज एरिकट्टु जोसफ, एफ० सी० ए०, 15, थर्ड स्ट्रीट, सुब्बा राव एवेन्यु, मद्रास-600006	31-3-93
2.	10321	श्री रामास्वामी आर०, ए० सी० ए०, ओल्ड नं० 71(2) न्यू नं 18 ग्राउन्ड फ्लोर, 4 क्रोस, स्विमिंग पूल एक्सटेंशन, मालेश्वरा, बंगलौर-560003	31-3-93
3.	23802	श्री सुन्धरम के०, एफ० सी० ए० नं० 64, म्यानिअप्पा मेस्त्री स्ट्रीट, पार्क टावन, मद्रास-600003	20-5-93
4.	51198	श्री पटोदिया सुनिल कुमार, एफ० सी० ए०, 147, ग्रीम्स रोड, मद्रास-600006	31-3-93
5.	200933	श्री श्रीनिवास जी०, ए० सी० ए०, आफिस नं० 204 सन्तोषीमां कमर्शियल काम्पलैक्स आर० टी० सी० एस० रोड मुसीराबाद हैदराबाद-500020	31-3-93
6.	201541	श्री सुकुमार पी०, ए० सी० ए०, एकाउन्ट्स आफिसर, हरीता रबड़ प्रोडक्ट्स प्रा० लि० हरीता, होसुर-635109	31-3-93
7.	201724	श्री सुरेश पी० आर०, ए० सी० ए०, 11 लोकानाथान कालोनी, माइलापुर, मद्रास-600004	31-3-93

ए० के० मजुमदार
सचिव

दिनांक 6 अगस्त 1993

सं० 3-एस० सी० ए० (8)/3/93-94—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	7657	श्री कल्याण रमन वी०, ए० सी० ए०, नं० 49, ए० वी० एम० एवेन्यु, मेन रोड, विरुगम्बक्कम मद्रास-600092	31-3-93
2.	20842	श्री अनन्थारमन एस०, एफ० सी० ए०, 56, सुब्रामणियन रोड, आर० एस० पुरम, कोयम्बटूर-641002	31-3-93
3.	21766	श्री राजेन्द्रन के० एम०, एफ० सी० ए०, रेम्या पट्टोम पेलेस पी०ओ० त्रिवेन्द्रम-695004	31-3-93
4.	22178	श्री सुदर्शन एम० के०, एफ० सी० ए०, नं० 57, 1 फ्लोर, सुब्रामणियम स्ट्रीट, अभिरामापुरम मद्रास-600018	17-5-93
5.	23826	श्री नागाराजन आर०, एफ० सी० ए०, देव अपार्टमेंट्स, 42/21, 1 मेन रोड, गांधी नगर, अड्यार, मद्रास-600020	13-6-93
6.	27789	मिस रुकमणि वी०, ए० सी० ए०, प्लाट नं० 9, एम० जी० नगर, उल्लागरम, मद्रास-600091	31-3-93
7.	27893	श्री विजयकुमार एस० थावले, ए० सी० ए०, स्टर्लिन्ग केटरिंग सर्विसिज, पी० ओ० बाक्स नं० 4746, दोहा, कतार	31-3-93

1	2	3	4
8.	28241	श्री राम प्रसाद डी०, ए० सी० ए०, 48 5 स्ट्रीट, सोमासुन्दरम एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, मद्रास—600116	25—1—93
9.	29923	श्री इंडिरेश वी०, ए० सी० ए०, 32/2, 1 फ्लोर 5 मेन कामा-राजपेट, बंगलौर—560018	15—5—93
10.	80977	श्री भानोजी राव टी०, ए० सी० ए०, ब्रांच मैनेजर कोटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, 4/1, अरुणडेलपेट, गुन्टुर—522002	31—3—93
11.	86417	श्री गणेश के० बी०, ए० सी० ए०, डी—3, द्वारका, 22, सेकिंड मेन रोड, ट्रस्टपुरम, मद्रास—600024	31—3—93
12.	200635	श्री गिरिधरन सेषाद्री, ए० सी० ए०, 11, अलवाई नगर, थाथेनेरी पोस्ट, मदुराई—625018	1—3—93
13.	20114	श्री बालाजी ओ०, ए० सी० ए०, आफिसर ट्रेनी एकाउन्टस, सेषासायी पेपर एण्ड बोर्ड लि० कावेरी आर एस पी ओ इरोड—638007	17—6—92
14.	201907	श्री देवासिया थमाक, ए० सी० ए०, कुमारमपरम्बिल, अरीकमला पी० ओ० नाडुवी, कन्नानोर—670582	31—3—93
15.	202343	श्री रवि दयाल माथुर, ए० सी० ए०, "रामानियम" नं० 30, फलेट नं० 5, बालाकृष्णा रो, ब्राल्मिकि नगर, थिरुवनामियूर मद्रास—600041	31—3—93

ए० के० मजुमदार
सचिव

इंडियन एयरलाइन्स

दिनांक 2 सितम्बर 1993

सं० विनि/नियम/5/—इंडियन एयरलाइन्स वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45 (2) (ओ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल और विमान इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों से भिन्न) कर्मचारियों के सेवा विनियम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

(1) यह विनियम इंडियन एयरलाइन्स (उड़ान कर्मीदल और विमान इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों से भिन्न) कर्मचारियों के सेवा (संशोधन) विनियम, 1993 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) इंडियन एयरलाइन्स '(उड़ान कर्मीदल और विमान इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों से भिन्न) कर्मचारियों के सेवा विनियम 12 के पैरा (2) जो कि नीचे दिया गया है, को रद्द समझा जाए।

"(2) प्रमुख अनुदेशिका/अनुदेशिका तथा महिला स्वागती 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होगी। किन्तु निगम के हित में प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से वह 45 वर्ष की आयु तक सेवा में बनी रह सकती हैं।"

दया नारायण
निदेशक, निगमित कार्य

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1993

सं. यू-16/53/1/90-चि.-2 (महाराष्ट्र) संग्रह-1—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम-1950 के विनियम-105, के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या—1024 (जी) दिनांक 23 मई, 1983 के द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा नासिक क्षेत्र की डा. (श्रीमती) आर. पी. सोर को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 1-10-93 से 30-9-94 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हो नासिक केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा. (श्रीमती) ए. ए. अम्बेकर
चिकित्सा आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 2 सितम्बर 1993

यूटी/डीबीडीएम/आर. 40ए./एसपीडी 64/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 19 (1) (8) (सी) के अन्तर्गत बनाए गए चिल्ड्रेन कालेज और कॅरियर फंड यूनिट प्लान-1993 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये गये तथा 3 जून 1993 को आयोजित बैठक में कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित चिल्ड्रेन कालेज और कॅरियर फंड यूनिट योजना के उपबंध इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

चिल्ड्रेन कालेज और कॅरियर फंड यूनिट योजना-1993

(सीसीसीएफ-93)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनिय 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट का बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ

(क) यह योजना चिल्ड्रेन कालेज और कॅरियर फंड यूनिट योजना 1993 (सीसीसीएफ-93) कही जाएगी ।

योजना का उद्देश्य

बच्चों की उच्चतर शिक्षा के लिये प्रावधान करना और उन्हें अपना प्रैक्टिस/व्यवसाय स्थापित करने में उनकी सहायता करना ।

(ख) यह 12 जुलाई 1993 को लागू होगी ।

(ग) लेखा बन्दी को छोड़कर यूनिटों की बिक्री साल भर चलती रहेगी ।

लेकिन, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी यथानिर्णीत समाचार पत्रों या अन्य माध्यम से एक सप्ताह की अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय योजना के अंतर्गत यूनिट की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो—

(क) "अधिनियम" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 है ।

(ख) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिये उसकी ओर से सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके वसूली एजेंट को आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के संदर्भ में उस दिन से है, जिस दिन यथास्थिति, ट्रस्ट या उसका प्राधिकृत वसूली एजेंट इस बात से संतुष्ट होकर कि आवेदन सही है, उसे स्वीकार करता है;

(ग) "वैकल्पिक बच्चे" का अर्थ ऐसे बच्चे से, भिन्न बच्चे से है, जिसके पक्ष में यूनिट जारी किये गये थे और जैसा कि इस योजना के खंड 6 में विनिर्दिष्ट है;

(घ) "आवेदक" का अर्थ उस व्यक्ति (और नाबालिग निवासी या अनिवासी) कम्पनी, निगमित निकाय, पात्र संस्था (सहकारी समितियों को छोड़कर) या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक से है, जो इस योजना के खण्ड 4 के अंतर्गत आवेदन करता है;

(ङ) "आवेदन" का अर्थ योजना के खंड 4 में संदर्भित आवेदन से है;

(च) "बच्चा" का अर्थ ऐसा बच्चा (पुरुष या स्त्री) से है जो 15 वर्ष से अधिक उम्र (अर्थात् उसके 15वें जन्मदिन तक) का नहीं हो;

(छ) "पात्र संस्था" का अर्थ ऐसे पात्र न्यास से है जैसा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट साधारण विनियम 1964 में परिभाषित है और उसमें लिखित रूप में किसी लिखत द्वारा गठित निजी न्यास शामिल है तथा अपरिवर्तनीय या धर्मार्थ या धार्मिक न्यास या धर्मादा या या पंजीकृत समिति (सहकारी समितियों को छोड़कर) होने के बावजूद तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय या राज्य अधिनियम की उपबंधों द्वारा या उसके अधीन शासित, नियंत्रित या पर्यवेक्षित होते हैं ।

(ज) "मान्यता प्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ ऐसे शेयर-बाजार से है, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमावली) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के तहत उस समय मान्यताप्राप्त हो ।

(झ) "विनियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के तहत बनाये गये भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण विनियम 1964 से है ।

(ञ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य के अविभक्त शेयर से है ।

(ट) अन्य सभी अभिव्यक्तियां जिनकी परिभाषाएं इसमें नहीं दी गई हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई हैं; के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम द्वारा दिये गये हैं ।

(ठ) पुरुष-बच्चे के सभी संदर्भों में स्त्री-बच्चे भी शामिल हैं ।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा । न्यूनतम निवेश 200 यूनिट के लिए (अर्थात् 2000/- रु.) और इसके बाद 50 यूनिटों के गुणजों में, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

4. यूनिटों के लिये आवेदन

इस योजना के अंतर्गत यूनिट के लिये आवेदन भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन की तिथि को, 15 वर्ष की उम्र तक के किसी संतान के लाभ के लिए किसी वयस्क अर्थात् मां-बाप, संबंधी या मित्र (किसी निवासी संतान के पक्ष में निवासी/अनिवासी), कम्पनी निगमित निकाय, पात्र संस्था (सहकारी समितियों को छोड़कर) या न्यायालय द्वारा नियुक्त इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अभिभावक द्वारा किया जा सकता है ।

4. अ. प्रोत्साहन

1. प्रोत्साहन ऐसे 1000 सदस्यों को दिए जाएंगे, जो 12 जुलाई 1993 से 30 सितम्बर 1993 के बीच इस योजना में शामिल होंगे ।

2. प्रत्येक अंचल में 250 हिताधिकारियों की पहचान की जाएगी चाहे निवेश की राशि जो भी हो ।

3. प्रत्येक अंचल का पुनर्विभाजन राज्यों/क्षेत्रों में किया जाएगा । प्रत्येक राज्य/क्षेत्र में छात्रवृत्ति के पात्र सदस्यों की संख्या उस राज्य/क्षेत्र से संचालक व्यवसाय को प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुपात में होगी ।

4. परिचालन सुविधा के लिये प्रत्येक अंचल को निम्नलिखित राज्यों/क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा :—

(क) पश्चिमी अंचल (1) महाराष्ट्र (2) गुजरात (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघशासित क्षेत्र सहित) (3) मध्य प्रदेश और (4) गोवा ।

(ख) दक्षिणी अंचल (1) तमिलनाडु (संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, लक्षद्वीप और मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप सहित) (2) कर्नाटक (3) केरल और (4) आंध्र प्रदेश ।

(ग) पूर्वी अंचल (1) पश्चिम बंगाल (संघशासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) (2) सभी उत्तर-पूर्वी राज्य (मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर) (3) बिहार और (4) उड़ीसा ।

(घ) उत्तरी अंचल (1) पंजाब (2) हरियाणा (3) उत्तर प्रदेश (4) हिमाचल प्रदेश (5) दिल्ली (6) संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ तथा जम्मू और कश्मीर राज्य ।

5. हिताधिकारियों का चयन कंप्यूटरीय ढंग से लकी ड्रा के द्वारा किया जाएगा ।

6. 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वालों को प्रतिवर्ष 2000/- रु. की छात्रवृत्ति तीन वर्षों के लिये दी जाएगी ।

7. प्रोत्साहन के भुगतान पर व्यय 20 लाख रु. वार्षिक दर से 60 लाख रु. (साठ लाख रुपये मात्र) होगा अर्थात् 1000 हिताधिकारी × 2000 रु. × 3 वर्ष=60,00,000/-

5. भुगतान विधि

(1) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट में किया जाएगा । जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, चेकों या ड्राफ्टों का आहरण उसी शहर में बैंकों की शाखाओं पर किया जाना चाहिये ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि वह होगी, जिस तिथि को ट्रस्ट द्वारा चेक, बशर्ते कि उस चेक की वसूली हो, प्राप्त किया जाएगा । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति-तिथि उस ड्राफ्ट की निर्गत-तिथि होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट की वसूली हो और ट्रस्ट को आवेदन उस समय तक प्राप्त हो जाए, जो ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझा जाए । यदि आवेदित यूनिट के लिये किये गये भुगतान की राशि आवेदित यूनिटों के लिये देय राशि से कम हो तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी की जाएगी, जितनी इस योजना में जारी की जा सकती है । शेष राशि उसको उसके ही खर्च पर ऐसी रीति से लौटा दी जाएगी, जिसे ट्रस्ट उचित समझे ।

6. वैकल्पिक बच्चे को शामिल करना

योजना में शामिल होने के इच्छुक आवेदक आवेदन करते समय या योजना में बच्चे के भाग लेने की अवधि में किसी भी समय आवेदन में यह उल्लेख कर सकता है कि 18 वर्ष की उम्र पूरी करने (15-10-1980 को जन्मे सन्तान की 18 वर्ष की उम्र 15-10-1998 को पूरी होगी) के पूर्व संतान की मृत्यु हो जाने की दशा में आवेदन में उसके बदले में उल्लिखित अन्य संतान इसके बावजूद कि आवेदन करते समय वह 15 वर्ष की उम्र का नहीं था, प्रथमोल्लिखित बच्चे के सभी अधिकारों का हकदार होगा । 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पहले प्रथमोल्लिखित बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी योजना के उपबन्ध लागू रहेंगे, मानो जीवित दूसरे उल्लिखित बच्चे ही आवेदन में उल्लिखित एकमात्र संतान रही हो ।

7. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार

ट्रस्ट को इस योजना के तहत यूनिट के लिये आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

इस योजना के तहत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा संबंधी ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकरण का दायी होगा

यदि कोई आवेदन अपूर्ण पाया जाएगा तो वह अस्वीकरण का दायी होगा और ऐसे आवेदन राशि की ब्याज रहित वापसी ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र की जाएगी ।

8. यूनिटों की बिक्री

ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति-तिथि को समाप्त समझी जाएगी । बिक्री की संविदा के ऐसे समापन के बाद यथास्थिति ट्रस्ट या उसका प्राधिकृत वसूली एजेन्ट आवेदक को यथाशीघ्र उसके लिये पावती भेजेगा ।

9. ट्रस्ट द्वारा केवल सदस्य को मान्यता दी जाएगी

योजना और उसके अंतर्गत बनाये गये प्लान के तहत जारी यूनीट के लिए उसकी सदस्यता के संबंध में किसी सदस्य को यूनिट प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । फिर भी, उन्हें एक सदस्यता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनकी पोलियो संख्या, सदस्य का नाम और योजना तथा उसके अंतर्गत बनाये गये प्लान के तहत जारी यूनिटों की संख्या ही रहेगी । ट्रस्ट ऐसे प्रेषित सदस्यता प्रमाणपत्र के खो जाने, टूट-फूट जाने, गलत रापुर्दगी या सुपुर्दगी नहीं होने का कोई दायित्व वहन नहीं करेगा । योजना के तहत जारी यूनिटों का अधिकार केवल उस बच्चे में निहित होगा, जिसके नाम से ट्रस्ट द्वारा सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया गया है और इस योजना की शर्तों के अनुसार वह बच्चे ही उसका धारक होगा । जिस आवेदक के कहने पर बच्चे के पक्ष में यूनिट जारी की गयी हो, उसे इन यूनिटों से संबंधित कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

10. सदस्यता प्रमाणपत्र के संबंध में ट्रस्ट द्वारा मान्यता जिस बच्चे के नाम से सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, केवल उसी व्यक्ति को ट्रस्ट के द्वारा सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी और जो सदस्यता प्रमाणपत्र तथा यूनिट उसके नाम से है, उनमें उसका अधिकार, हक और हित होगा, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और किसी भी ट्रस्ट द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा या उस बात को छोड़कर, जैसा इसमें व्यक्त रूप में कहा गया हो या सक्षम अधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि किसी सदस्य प्रमाणपत्र या उसकी यूनिटों में निहित हक को प्रभावित करने वाले किसी ट्रस्ट या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए ।

11. सदस्यता प्रमाणपत्र का विनिमय और उसके फटे-पटे, विरूपित होने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया ।

उक्त प्रयोजना के लिये योजना और उसके अंतर्गत प्लान के तहत सदस्य को ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करना होगा जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

12. निधि का पूंजीकरण

सदस्य को निधि की वृद्धि के आधार पर समय-समय पर बोनस यूनिट (तीसरे दशमलव भाग तक) आबंटित की जाएगी और ये यूनिटें उसके यूनिट खाते में जमा कर दी जाएंगी । शामिल होने के प्रथम लेखा वर्ष (जुलाई-जून) में बोनस यूनिट शामिल होने की तिथि के आधार पर समानुपात जारी किये जाएंगे अर्थात, यदि शामिल होने की तिथि 5 मार्च है तो सदस्य को चार महीने (मार्च, अप्रैल, मई और जून) के लिये बोनस का आबंटन मिलेगा । नीचे दी गई विस्तृत सारणी में 25 वर्ष तक की अवधि के लिये यह जानकर कि (क) बोनस यूनिट का आबंटन हरेक वर्ष किया जाएगा, (ख) 14 : 100 की दर पर पूंजीकरण होगा और (ग) कोई आहरण नहीं किया जाएगा, यूनिट के कुल संचय का उल्लेख किया गया है ।

सारणी I

(हरेक 100 यूनिटों के निवेश के लिए)
(निकटतम 10 यूनिट के पूर्णांक में)

निवेश की अवधि	यूनिटों की कुल सं०	निवेश की अवधि	यूनिटों की कुल सं०
3 वर्ष	150		
4 वर्ष	170	15 वर्ष	720
5 वर्ष	190	16 वर्ष	820
6 वर्ष	220	17 वर्ष	930
7 वर्ष	250	18 वर्ष	1070
8 वर्ष	290	19 वर्ष	1210
9 वर्ष	330	20 वर्ष	1380
10 वर्ष	370	21 वर्ष	1570
11 वर्ष	430	22 वर्ष	1790
12 वर्ष	490	23 वर्ष	2070
13 वर्ष	550	24 वर्ष	2320
14 वर्ष	630	25 वर्ष	2650

15-10-1980 को जन्मे बच्चे की 18 वर्ष की उम्र 15-10-1998 को पूरी होगी ।

13. बोनस यूनिट का संचयन

बोनस यूनिट के आवधिक संचयन का आधार निधि के मूल्य में वृद्धि तथा आवेदन की तिथि/बोनस यूनिट के पूर्ववर्ती आवंटन की तिथि होगा। अंतिम आहरण के समय पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के 30 जून बाद आंशिक अवधि के लिये भी अतिरिक्त बोनस यूनिट जारी की जाएंगी। अतिरिक्त बोनस यूनिटें, जो सदस्य के बकाया यूनिट खाते में जमा की जाएगी, की सही संख्या के निर्धारण के लिये नीचे सारणी में दिये गये मासिक गुणनखंड का प्रयोग किया जाएगा।

सारणी II

मासिक गुणन खण्ड			
उम्र पूरी होने के बाद महीने	गुणन खंड	उम्र पूरी होने के बाद महीने	गणन खण्ड
1	1.0116	7	1.0817
2	1.0233	8	1.0933
3	1.0350	9	1.1050
4	1.0466	10	1.1167
5	1.0583	11	1.1283
6	1.0700		

उदाहरणार्थ, यदि आहरण तिथि 10 अक्तूबर है और पिछले 30 जून को संचित कुल यूनिटें 1000 हैं तो सदस्य कुल 1035 यूनिटों का आहरण करने का हकदार होगा (ये 35 अतिरिक्त बोनस यूनिट जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह के लिये सदस्य के खाते में जमा होंगे)।

14. आहरण

प्रत्येक सदस्य के 18वें जन्म-दिन के पूर्ववर्ती 30 जून को निधि में हुई वृद्धि, जो पहले बोनस यूनिट में परिवर्तित नहीं किया गया था, बोनस यूनिटों में परिवर्तित की जाएगी।

सदस्य के 18 वें जन्म दिन के पूर्ववर्ती 30 जून को सदस्य के खाते में जमा बकाया यूनिट के अंकित मूल्य के आधार पर 18 वर्ष पूरे होने के बाद और 23 वर्ष पूरे होने के पहले आहरण की अनुमति सारणी 3 में अंकित सीमा के अनुसार दी जाएगी। लेकिन, अनुमति योग्य सीमा की भीतर वर्ष में अधिकतम दो बार ऐसे आहरण करने की अनुमति दी जाएगी।

सारणी III

18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद और	आहरण की सीमा
19 वर्ष पूरी होने के पहले 50%	सदस्य के 18 वें जन्मदिन के
20 वर्ष पूरी होने के पहले 60%	पूर्व वर्ती 30 जून को बकाया
21 वर्ष पूरी होने के पहले 70%	संचित यूनिट का
22 वर्ष पूरी होने के पहले 80%	
23 वर्ष पूरी होने के पहले 90%	(सदस्य की 28 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद निर्गत अतिरिक्त बोनस यूनिट छोड़कर)
23 वर्ष पूरी होने के बाद 100%	संचयी बोनस यूनिट सहित बकाया यूनिट का

15-10-1980 को जन्मे बच्चे की 18 वर्ष की उम्र 15-10-1998 को पूरी होगी।

उदाहरणार्थ

यदि किसी सदस्य ने 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद बकाया यूनिट के 50% का आहरण नहीं किया हो और 23 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले आहरण करना चाहता हो तो सदस्य को कुल यूनिट, जो उसे 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्ववर्ती 30 जून को आवंटित की गई थी, के 90% (50% + 40%) का आहरण की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर यदि सदस्य ने 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद कुल यूनिट के 50% का आहरण पहले ही कर ली हो, और 23 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले आहरण करना चाहता हो तो वह 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्ववर्ती 30 जून को बकाया कुल यूनिट के 40% का आहरण का पात्र होगा।

15. समयपूर्व/अनियत आहरण

समयपूर्व/अनियत आहरण के मामले में आंशिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्व पूर्ण आहरण की अनुमति ट्रस्ट के पूर्ण विवेक पर केवल विशेष परिस्थितियों में (अर्थात् बच्चे की गंभीर बीमारी) समय-समय पर ट्रस्ट विहित उपयुक्त सेवा-प्रभार घटाने के बाद दी जा सकती है। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पूर्ण आहरण की अनुमति अनुमत सीमा से अधिक आहरण और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आवंटित अतिरिक्त बोनस यूनिट पर 1% सेवा प्रभार घटाने के बाद दी जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी सदस्य को 22 वर्ष पूरी करने के पहले उक्त विशेष परिस्थितियों में पूर्ण आहरण (अर्थात् उसके खाते में जमा कुल संचित यूनिट) की अनुमति दी जाती है तो बकाया यूनिट के 20% का और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद सदस्य को जारी अतिरिक्त बोनस यूनिट में 1% सेवा प्रभार की कटौती की जाएगी (क्योंकि वह तालिका 3 के अनुसार कुल बकाया यूनिट के केवल 80% का आहरण का पात्र होगा)।

16. जिस बच्चे के पक्ष में यूनिट जारी किए गए, उसकी मृत्यु हो जाने पर :

(क) जिस बच्चे के पक्ष में यूनिटें जारी की गयी हैं, 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट

इसके खण्ड 6 में उल्लिखित बातों पर गौर करेगा और मृत बच्चे की पक्ष में जारी यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में वैकल्पिक बच्चा, यदि हो, की पहचान करेगा ।

(ख) बच्चे की मृत्यु हो जाने पर वैकल्पिक बच्चा 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक योजना में बना रहेगा बशर्ते कि आवेदक योजना में वैकल्पिक बच्चे के बने रह सकने के लिए उससे संबंधित और मांगे जाने पर आवश्यक सभी विवरण ट्रस्ट को प्रस्तुत करे ।

(ग) सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद कभी भी सदस्य को क्रमिक नामांकन आधार पर दो व्यक्तियों तक को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा सदस्य की मृत्यु होने पर वैकल्पिक बच्चे को हिताधिकारी मान लिया जाएगा ।

(घ) 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले बच्चे की मृत्यु हो जाने पर और जहां किसी वैकल्पिक बच्चे का नाम नहीं दिया गया है, वहां सदस्य का कानूनी वारिस या निष्पादक या मृत संतान का प्रशासन या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन निर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्ट द्वारा यूनिट के हकदार के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(ङ) संतान की मृत्यु के फलस्वरूप यूनिट के हकदार व्यक्ति द्वारा ऐसा साक्ष्य, जिसे ट्रस्ट उसके हक के लिए पर्याप्त समझे, प्रस्तुत किए जाने के बाद तथा दावेदार द्वारा दावे से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद मृत संतान के खाते में जमा सभी बकाया यूनिटों के मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(च) बच्चा और वैकल्पिक बच्चे की एक साथ मृत्यु हो जाने पर, जहां एक नामांकित किया गया है, मृत बच्चे के कानूनी वारिस को ही मृत बच्चे के खाते में जमा यूनिट के लिए दावा करने का अधिकार होगा । वैकल्पिक बच्चे का कानूनी वारिस कोई दावा नहीं कर सकेगा ।

(छ) पात्र संस्थाएं, कम्पनी, निगमित निकाय से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे योजना में निवेश के लिए राशि अलग रखते हुए और न्यासी के रूप में संस्थाओं या व्यक्तियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए न्यास विलेख या अन्य उपयुक्त दस्तावेज का निष्पादन करे । न्यास विलेख या अन्य उपयुक्त दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध भी होंगे :—

(1) योजना में निवेशित राशि 18 वर्ष पूरी होने के बाद सदस्य द्वारा ऐसी रीति से प्राप्त की जा सकती है, जैसी इसमें ऊपर खण्ड 14 में उपबंधित है ।

(2) सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्व संस्था राशि का दावा करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि योजना और उसके तहत बने प्लान का उद्देश्य निदेशकों को अपरिवर्तनीय दान के रूप में बच्चे के नाम से निवेश करने का अवसर प्रदान करना है ।

(3) 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पूर्व बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी संस्थान को देय राशि का भुगतान किया जा सकता है या उस समय तक 15 वर्ष तक की उम्र के वैकल्पिक बच्चे का नामांकन करने का विकल्प दिया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन करते समय या उसके बाद कभी किसी ऐसे नाम की घोषणा नहीं की गई हो । इन परिस्थितियों में लाभ ऐसे नामित वैकल्पिक बच्चे के लिए जमा होगा । यदि कोई नामित विकल्प संतान नहीं हो, तो 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पहले संतान की मृत्यु हो जाने पर बकाया यूनिट का मूल्य संस्था को देय होगा और संस्था उसे प्राप्त करने का हकदार होगी ।

17. यूनिट का अंतरण

योजना के तहत निर्गत यूनिट समनुदेशनीय, अंतरणीय या गिरवी रखने योग्य नहीं होंगे ।

18. स्कीम के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का निवेश

योजना और उसके तहत बने प्लान के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का निवेश कम्पनियों की इक्विटी, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा अन्य पूंजी और मुद्रा बाजार लिखतों में किया जाएगा, लेकिन कुल निवेश योग्य निधियों के 40% से अधिक का निवेश इक्विटी शेयरों में नहीं किया जाएगा

19. निवेश सीमा

(क) योजना की निधियों से ट्रस्ट द्वारा किसी एक कम्पनी की प्रतिभूतियों में निवेश उस कम्पनी की निर्गत और बकाया प्रतिभूतियों के 15% से अधिक नहीं होगी । लेकिन नए औद्योगिक उपक्रम द्वारा निर्गत प्रारंभिक पूंजी में कुल निवेश कभी भी उक्त निधियों की कुल राशि के 5% से अधिक नहीं होगा ।

(ख) उप-खण्ड (1) में विहित सीमा किसी कम्पनी के बांड, ऋणपत्र और जमा राशि, चाहे सुरक्षित हो या नहीं, में ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश पर लागू नहीं होगा ।

20. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन

(1) खंड (11) के उप-खंड (ख) और (ग) के अंतर्गत आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ आस्तियों का वर्गीकरण (क) नकदी (ख) निवेश और (ग) अन्य आस्तियों में किया जाएगा ।

(2) निवेश के मूल्यांकन में निम्नलिखित को लिया जाएगा :

I. (क) जिस दिन योजना से संबंधित ट्रस्ट द्वारा धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को शेयर बाजार में बंद मूल्य; लेकिन जहां प्रतिभूति एक से अधिक शेयर बाजार में कोट किया जाता है, वहां ऐसी प्रतिभूति के मूल्य के निर्धारण की विधि से संबंधित निर्णय ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ।

(ख) जहां संबंधित अवधि में किसी निवेश का सौदा नहीं हुआ हो या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में कोट नहीं हुआ हो, वहां ऐसी परिस्थितियों में ट्रस्ट जो मूल्य निर्धारित करे वह ऐसे निवेश का उचित मूल्य होगा; और

ii. उसमें जोड़े—

(क) ब्याज अर्जित करने वाली जमा राशियों के मामले में, उपचित लेकिन नहीं किया गया ब्याज;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों और ऋणपत्रों के मामले में उपचित लेकिन जमा नहीं किया गया ब्याज, और

(ग) कोट किये गये लाभांश रहित अधिमान शेयर और इक्विटी शेयर के मामले में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश ।

iii. अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके बही मूल्य पर किया जाएगा ।

21. आवेदकों की पंजी

आवेदकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किये जाते हैं :

(1) ट्रस्ट द्वारा आवेदकों की पंजी उसके कार्यालय में रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किये जाएंगे :

(क) आवेदकों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता प्रमाणपत्र की विभेदक संख्या और हरेक बच्चे द्वारा धारित यूनिटों की संख्या, तथा

(ग) बच्चे के नाम से यूनिट जारी करने की तिथि।

(2) किसी भी आवेदक के नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ऐसे परिवर्तन का समाधान हो जाने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन किया जाएगा ।

(3) इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पंजीबन्दी के अलावा कार्य समय के दौरान बिना शुल्क के किसी भी आवेदक के निरीक्षण के लिये पंजी खुली रहेगी (ट्रस्ट उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन प्रत्येक कार्यदिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय और अवधियों के लिये पंजी बंद रखी जाएगी, लेकिन एक वर्ष में 30 दिन से अधिक के लिये यह बंद नहीं रखी जाएगी; ट्रस्ट बोर्ड के निर्देशानुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा ।

(5) किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या आन्वयिक न्यास की कोई सूचना किसी यूनिट से संबंधित पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

22. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिये सदस्य की रसीद

प्रमाण पत्र में अंकित यूनिट के संबंध में मां-बाप/विधिक अभिभावक/वयस्क संतान को प्रदत्त राशि के लिए उनके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन होगा ।

23. लेखों का प्रकाशन

प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र ट्रस्ट 30 जून को समाप्य अवधि में योजना के कार्यों को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखा प्रकाशित करेगा । किसी सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर ट्रस्ट ऐसे प्रकाशित लेखे की प्रतिलिपि उसे भेजेगा ।

24. स्कीम में परिवर्धन और संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और ऐसे संशोधन/परिवर्धन को कार्यालयीन गजट में अधिसूचित करेगा ।

25. आवेदक के लिये योजना की बाध्यकारी होना

योजना की शर्तें के साथ-साथ समय-समय पर उसमें किए गये संशोधन परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उनके माध्यम से दावा करने वाले अन्य व्यक्ति, मानो वह व्यक्त रूप से सहमत हो कि वह उसमें बाध्य होगा, के लिये बाध्यकारी होंगे ।

26. योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी

सभी संशोधनों सहित इस योजना की प्रतिलिपि ट्रस्ट के कार्यालयों में पूरे कार्य-समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने तथा 5/- रु. का भुगतान करने पर ट्रस्ट द्वारा उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

27. सदस्यों को लाभ

योजना की समाप्ति के समय पंजी रिजर्व और अधिशेष, यदि हो, के संबंध में योजना के अंतर्गत उपस्थित सभी लाभ इसकी समाप्ति तक योजना की पूरी अवधि के लिए यूनिट रखने वाली संतान को ही उपलब्ध कराई जाएगी ।

28. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार

योजना के किसी उपबंधों के निर्वचन में कोई सन्देह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम, निश्चायक और बाध्यकारी होगा ।

29. उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, यदि किसी यूनिटधारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाए ।

30. स्कीम की समाप्ति

यदि ट्रस्ट को यह प्रतीत हो कि स्कीम की समाप्ति समीचीन है तो ट्रस्ट का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बिना कारण बताए अपने निर्णय के अनुसार किसी अन्य समाचारपत्र या अन्य माध्यम के द्वारा अधिकतम दो सप्ताह की नोटिस देते हुए किसी भी समय स्कीम को समाप्त कर सकता है ।

चिल्ड्रेन कालेज और कैरियर फण्ड यूनिट प्लान—1993 (सीसीसीएफ-93)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट प्लान बनाता है :

यह प्लान चिल्ड्रेन कालेज एण्ड कैरियर फण्ड यूनिट प्लान कहा जाएगा और 12 जुलाई 1993 को प्रवृत्त होगा ।

1. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा । न्यूनतम निवेश 200 यूनिट के लिए (अर्थात् 2000/- रुपए) और उस के बाद 50 यूनिटों के गुणक में, जिसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

2. यूनिटों के लिए आवेदन

इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन, आवेदन की तिथि को 15 वर्ष तक की उम्र के किसी बच्चे के लाभ के लिए किसी वयस्क व्यक्ति, (किसी निवासी बच्चे के पक्ष में निवासी/अनिवासी) कम्पनी, निगमित निकाय, पात्र संस्था (सहकारी समितियों को छोड़कर) या न्यायालय द्वारा नियुक्त इस योजना में भाग लेने के इच्छुक अभिभावक द्वारा किया जा सकता है ।

3. भुगतान-विधि

(1) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन के साथ नकदी, चेक या ड्राफ्ट में किया जाएगा । जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, चेकों या ड्राफ्टों का आहरण उसी शहरों के बैंकों की शाखाओं पर किया जाना चाहिए ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि वह होगी, जिस तिथि से ट्रस्ट द्वारा चेक, (बशर्ते कि उस चेक की वसूली हो), प्राप्त किया जाएगा । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा तो स्वीकृति तिथि उस ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट की वसूली हो और ट्रस्ट को आवेदन उस समय तक प्राप्त हो जाए, जो उपयुक्त समझा जाए यदि आवेदित यूनिटों के लिए किए गए भुगतान की राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिटें जारी की जाएंगी जितनी इस योजना में जारी की जा सकती है । शेष राशि उसको उन्हीं के खर्च पर इस रीति से लौटा दी जाएगी, जिसे ट्रस्ट उचित समझेगा।

4. यूनिटों की बिक्री

ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री की संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त समझी जाएगी । बिक्री की संविदा के ऐसे समापन के बाद यथास्थिति, ट्रस्ट या उसका प्राधिकृत दलाली एजेन्ट आवेदक को यथाशीघ्र उनके लिए पावती भेजेगा । सदस्यता-प्रमाणपत्र जिसमें बच्चे के पक्ष में जारी यूनिट और बच्चे का नाम रहेगा, आवेदक द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाएगा; इस प्रकार प्रेषित सदस्यता प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत सुपर्दगी होने या सुपर्दगी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट का नहीं होगा ।

5. निधि का पूंजीकरण

निधि की वृद्धि के आधार पर सदस्य को समय-समय पर बोनस यूनिटें आवंटित की जाएंगी और ये यूनिटें उनके यूनिट खाते में जमा कर दी जाएंगी । शामिल होने के प्रथम लेखा वर्ष (जुलाई—जून) में बोनस यूनिट शामिल होने की तिथि के आधार पर यथानुपात जारी किए जाएंगे । निम्न विस्तृत सारणी में 25 वर्ष तक की अवधि के लिए यह मानकर कि—(क) बोनस यूनिट का आबंटन हरेक वर्ष किया जाएगा, (ख) 14 : 100 की दर पर पूंजीकरण होगा और (ग) कोई आहरण नहीं की जाएगी, यूनिटों के कुल संचय का उल्लेख किया गया है ।

सारणी I

(हरेक 100 यूनिटों के निवेश के लिए)
(निकटतम 10 यूनिट के गुणांक में)

निवेश की अवधि	यूनिटों की कुल सं०	निवेश की अवधि	यूनिटों की कुल सं०
3 वर्ष	150		
4 वर्ष	170	15 वर्ष	720
5 वर्ष	190	16 वर्ष	820
6 वर्ष	220	17 वर्ष	930
7 वर्ष	250	18 वर्ष	1970
8 वर्ष	290	19 वर्ष	1210
9 वर्ष	330	20 वर्ष	1380
10 वर्ष	370	21 वर्ष	1570
11 वर्ष	430	22 वर्ष	1790
12 वर्ष	490	23 वर्ष	2070
13 वर्ष	550	24 वर्ष	2320
14 वर्ष	630	25 वर्ष	2650

15-10-1980 को जन्मे बच्चे की 18 वर्ष की उम्र 15-10-1998 को पूरी होगी ।

टिप्पणी : वास्तविक विकास का आधार निधि की वृद्धि होगा ।

6. बोनस यूनिटों का संचय

बोनस यूनिटों के आवधिक संचय का अधिकार निधि के मूल्य में वृद्धि तथा आवेदन की तिथि, बोनस यूनिट के पूर्ववर्ती आबंटन की तिथि होगी । अन्तिम आहरण के समय पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के 30 जून के बाद आंशिक अवधि के लिए भी अतिरिक्त बोनस यूनिट जारी की जाएगी । अतिरिक्त बोनस यूनियन जो सदस्य के बकाया यूनिट खाते में जमा

की जाएगी की सही संख्या के निर्धारण के लिए नीचे सारणी में "दिये गये मासिक गुणन खण्ड" का प्रयोग किया जाएगा ।

सारणी II

	मासिक	गुणन	खंड
उम्र पूरी होने के बाद महीने	गुणन खंड	उम्र पूरी होने के बाद महीने	गुणन खंड
1	1.0116	7	1.0817
2	1.0233	8	1.0933
3	1.0350	9	1.1050
4	1.0466	10	1.1167
5	1.0583	11	1.1283
6	1.0700		

7. आहरण

प्रत्येक सदस्य के 18वें जन्म-दिन के पूर्ववर्ती 30 जून को निधि में हुई प्रवृत्ति, जो पहले बोनस यूनिटों में परिवर्तित नहीं किया गया था, बोनस यूनिटों में परिवर्तित की जाएगी ।

सदस्य के 18वें जन्मदिन के पूर्ववर्ती 30 जून को सदस्य के खाते में जमा बकाया यूनिट के अंकित मूल्य के आधार पर 18 वर्ष होने के बाद और 23 वर्ष पूरे होने के पहले आहरण की अनुमति सारणी 3 में अंकित सीमा के अनुसार दी जाएगी । लेकिन, अनुमति योग्य सीमा के भीतर वर्ष में अधिकतम दो बार ऐसे आहरण करने की अनुमति दी जाएगी ।

सारणी III

18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद और	आहरण की सीमा	
19 वर्ष पूरी होने के पहले	50%	सदस्य के 18वें जन्मदिन के
20 वर्ष पूरी होने के पहले	60%	पूर्ववर्ती 30 जून को बकाया
21 वर्ष पूरी होने के पहले	70%	संचित यूनिट का
22 वर्ष पूरी होने के पहले	80%	
23 वर्ष पूरी होने के पहले	90%	(सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद निर्मत अतिरिक्त बोनस यूनिट छोड़कर)
23 वर्ष पूरी होने के बाद	100	संचयी बोनस यूनिट सहित बकाया यूनिट का

15-10-1980 को जन्मे बच्चे की 18 वर्ष की उम्र 15-10-1998 को पूरी होगी ।

उदाहरणार्थ

यदि किसी सदस्य ने 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद बकाया यूनिट के 50% का आहरण नहीं किया हो और 23 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले आहरण करना चाहता हो तो सदस्य को कुल यूनिट, जो उसे 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्ववर्ती 30 जून को आबंटित की गई थी, के 90% (50% + 40%) का आहरण की अनुमति दी जाएगी । दूसरी ओर यदि सदस्य ने 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद कुल यूनिट के 50% का आहरण पहले ही कर ली हो, और 23 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले आहरण करना चाहता हो तो वह 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्ववर्ती 30 जून को बकाया कुल यूनिट के 40% का आहरण का पात्र होगा ।

8. समयपूर्व/अनियत आहरण

समय पूर्व/अनियत आहरण के मामले में आंशिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी । किसी सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्व पूर्ण आहरण की अनुमति ट्रस्ट के पूर्ण विवेक पर केवल विशेष परिस्थितियों में (अर्थात् बच्चे की गंभीर बीमारी) समय-समय पर ट्रस्ट विहित उपयुक्त सेवा-प्रभार घटाने के बाद दी जा सकती है । 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पूर्ण आहरण की अनुमति अनुमत सीमा से अधिक आहरण और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आबंटित अतिरिक्त बोनस यूनिट पर 1% सेवा प्रभार घटाने के बाद दी जाएगी ।

9. जिस बच्चे के पक्ष में यूनिट जारी किए गए, उसकी मृत्यु :

(क) जिस बच्चे के पक्ष में यूनिट जारी की गयी हैं, 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले उसकी मृत्यु होने पर ट्रस्ट इसके खंड 6 में उल्लिखित बातों पर गौर करेगा और मृत बच्चे के पक्ष में जारी यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में विकल्प बच्चा, यदि हो, की पहचान करेगा ।

(ख) बच्चे की मृत्यु हो जाने पर वैकल्पिक बच्चा 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक प्लान में बना रहेगा बशर्ते कि आवेदक प्लान में वैकल्पिक बच्चे के बने रहने के लिए उससे संबंधित आवश्यक सभी विवरण और मांगे जाने पर ट्रस्ट को प्रस्तुत करे ।

(ग) सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद कभी भी सदस्य को क्रमिक नामांकन आधार पर दो व्यक्तियों तक को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा सदस्य की मृत्यु होने पर वैकल्पिक बच्चे को हिताधिकारी मान लिया जाएगा ।

(घ) 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पहले बच्चे की मृत्यु हो जाने पर और जहां किसी वैकल्पिक बच्चे का नाम नहीं दिया गया हो, वहां सदस्य का कानूनी वारिस या निष्पादक या मृत बच्चे का प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन निर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे ट्रस्ट द्वारा यूनिट के हकदार के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(ङ) बच्चे की मृत्यु के फलस्वरूप यूनिट के हकदार व्यक्ति द्वारा ऐसा साक्ष्य, जिसे ट्रस्ट उसके हक के लिए पर्याप्त समझे, प्रस्तुत किए जाने के बाद तथा दावेदार द्वारा दावे से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद मृत बच्चे के खाते में जमा सभी बकाया यूनिटों के मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(च) बच्चा और वैकल्पिक बच्चे की एक साथ मृत्यु हो जाने पर, जहां एक नामांकित किया गया है, मृत बच्चे के कानूनी वारिस को ही मृत बच्चे के खाते में जमा यूनिटों के लिए दावा करने का अधिकार होगा। वैकल्पिक बच्चे का कानूनी वारिस कोई दावा नहीं कर सकेगा ।

(छ) पात्र संस्थाएं, कम्पनी, निगमित निकाय से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे प्लान में निवेश के लिए राशि अलग रखते हुए और न्यासी के रूप में संस्थाओं या व्यक्तियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए न्यास विलेख या अन्य उपयुक्त दस्तावेज का निष्पादन करें । न्यास विलेख या अन्य उपयुक्त दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध भी होंगे :

(1) प्लान में निवेशित राशि 18 वर्ष पूरी होने के बाद सदस्य द्वारा ऐसी रीति से प्राप्त की जा सकती है, जैसा इसमें ऊपर खंड 14 में उपबंधित है ।

(2) सदस्य की 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के पूर्व संस्था राशि का दावा करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि प्लान और उसके तहत बने प्लान का उद्देश्य निवेशकों को अपरिवर्तनीय दान के रूप में बच्चे के नाम से निवेश करने का अवसर प्रदान करना है ।

(3) 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पूर्व बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी संस्थान को देय राशि का भुगतान किया जा सकता है या उस समय तक 15 वर्ष की उम्र के वैकल्पिक बच्चे का नामांकन करने का विकल्प दिया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन करते समय या उसके बाद कभी किसी ऐसे नाम की घोषणा नहीं की गई हो। इन परिस्थितियों में लाभ ऐसे नामित वैकल्पिक बच्चे के लिए जमा होगा । यदि कोई नामित विकल्प बच्चे नहीं हो, तो 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पहले बच्चे की मृत्यु हो जाने पर बकाया यूनिट का मूल्य संस्था को देय होगा और संस्था से प्राप्त करने का हकदार होगी ।

10. यूनिटों का अंतरण

योजना के तहत निर्गत यूनिट्स समनुदेशनीय, अंतरणीय या गिरवी रखने योग्य नहीं होंगे ।

11. प्लान में परिवर्धन और संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और ऐसे संशोधन को कार्यालयीन गजट में अधिसूचित करेगा ।

12. आवेदक के लिए प्लान बाध्यकारी होना

प्लान की शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर उसमें किए गए संशोधन प्रत्येक सदस्य और उनके माध्यम से दावा करने वाले अन्य व्यक्ति, मानो वे वह व्यक्त रूप से सहमत हो कि वह उनसे लाभ होगा, के लिए बाध्यकारी होंगे ।

13. प्लान के उपबंध योजना के उपबंध के अधीन होंगे

यूनिटों में ब्याज अर्जित करने के लिए और उससे संबंधित अन्य बातों के लिए जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं है, इस प्लान के अंतर्गत अर्जित किसी यूनिट के संबंध में प्लान के उपबंध "चिल्ड्रन्स कालेज एण्ड कैरियर फण्ड यूनिट योजना 1993" के उपबंधों के अंतर्गत पढ़े जाएंगे ।

14. योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी

सभी संशोधन सहित इस प्लान की प्रतिलिपि ट्रस्ट के कार्यालयों में पूरे कार्य-समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने तथा 5/- रुपए का भुगतान पर ट्रस्ट द्वारा उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

15. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार

प्लान के किसी उपबंधों के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा ।

16. उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज परिचालन के लिए योजना के किसी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, यदि किसी यूनिटधारक या यूनिटधारक वर्ग के लिए ऐसा करना उचित समझा जाएगा ।

17. प्लान की समाप्ति

यदि ट्रस्ट को यह प्रतीत हो कि प्लान की समाप्ति समीचीन है तो ट्रस्ट का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बिना कारण बताए अपने निर्णय के अनुसार किसी अन्य समाचारपत्र या अन्य माध्यम के द्वारा अधिकतम दो सप्ताह का नोटिस देते हुए किसी भी समय प्लान को समाप्त कर सकता है ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई

दिनांक 2 सितम्बर 1993

यूटी/डीबीडीएम/आर 40 ए/एसपीडी 165/93-94—डिफर्ड आय यूनिट योजना 1991 (डीआईयूएस' 91) के प्रावधान का संशोधन जिसे 9 अगस्त 1993 को आयोजित कार्यपालक समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

अनुबंध

डिफर्ड आय यूनिट योजना 1991 (डीआईयूएस 1991) के प्रावधानों का संशोधन

डिफर्ड आय यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों में "आय वितरण" के खण्ड 22 के अंतर्गत निम्नलिखित पैरा "अतिरिक्त बोनस लाभांश" जोड़ा जाता है ।

"अतिरिक्त बोनस लाभांश"

उपर्युक्त आय वितरण के अतिरिक्त, ट्रस्ट यूनिटधारकों को निधि योजना में किसी एक या दोनों विकल्पों के अंतर्गत अतिरिक्त बोनस लाभांश घोषित करेगा, जो ऐसी शर्तों पर और पद्धति पर होगा जैसे ट्रस्ट निर्धारित करेगा और वह संग्रहीत निधियों की बंदिश पर निर्भर करेगा । उक्त लाभांश का भुगतान योजना की परिपक्वता पर किया जाएगा ।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, पोस्ट बौक्स नं. 7100, इन्द्रप्रस्था मार्ग, नई दिल्ली-110002

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

दिनांक 10 सितम्बर 1993

सं. 1-सी. ए. 7/5/44/93—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 18 की उप धारा (5) के अनुसार 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद के प्रतिवेदन तथा अंकक्षित लेखा की एक प्रतिसर्व-साधारण की जानकारी हेतु एतद् द्वारा प्रकाशित की जा रही है ।

31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 44वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की परिषद् को 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि की अपनी 44वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है । रिपोर्ट में आयोजित किए गए सेमिनारों और सम्मेलनों, संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सदस्यों एवं छात्रों से संबंधित सुसंगत आंकड़े तथा संस्थान के वर्ष 1992-93 के लेखे भी उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि अगस्त, 1993 तक संस्थान के क्रियाकलापों का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है ।

1. परिषद्

1.1 परिषद् तथा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य

15वीं परिषद् का गठन, जिसमें पांच प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 24 निर्वाचित सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 मनोनीत (नामनिर्दिष्ट) सदस्य सम्मिलित हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए 18 जनवरी, 1992 को किया गया था । परिषद् को संरचना रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 में दी गई है ।

1.2 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

श्री एन. सी. सुन्दर राजन, एफ. सी. ए., मद्रास और श्री एन. पी. शारदा, एफ. सी. ए., मुंबई 17 जनवरी, 1993 तक संस्थान के क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे । परिषद् दोनों ही व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता और हार्दिक आभार प्रकट करती है ।

परिषद् ने 18 जनवरी, 1993 को आयोजित अपने 159वें अधिवेशन में 18 जनवरी, 1993 से 17 जनवरी, 1994 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए संस्थान के अध्यक्ष के रूप में श्री एन. पी. शारदा, एफ. सी. ए., मुंबई, को और उपाध्यक्ष के रूप में बी. पी राव, एफ. सी. ए., बंगलौर को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है ।

1.3 सचिव

श्री ए. के. मजूमदार संस्थान के सचिव के रूप में बने रहे।

1.4 परिषद् की समितियां

परिषद् ने जनवरी, 1993 में आयोजित अपने 159वें अधिवेशन में व्यवसाय से संबंधित अनेकानेक विषयों से निपटने के लिए तीन स्थायी समितियों और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन किया है । इन स्थायी समितियों और अस्थायी समितियों की संरचना सहित उनकी एक सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट II में दी गई है ।

1.5 परिषद् के अधिवेशन

वर्ष के दौरान परिषद् ने 7 अधिवेशनों का आयोजन किया ।

1.6 लेखा परीक्षक (आडिटर)

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के लिए संस्थान के लेखापरीक्षकों के रूप में श्री एम. आर. वेंकटरामन, एफ. सी. ए. और श्री सी. पी. मेहरा, एफ. सी. ए. की पुनः नियुक्ति की गई थी । परिषद् उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए अपना आभार प्रकट करती है ।

2. अनुसंधान तथा व्यावसायिक विकास

2.1 परिषद् अपनी विभिन्न अस्थायी समितियों के माध्यम से अनुसंधान व्यावसायिक विकास तथा सदस्यों की अनवरत व्यावसायिक शिक्षा और छात्रों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर अपना निरन्तर जोर देती रही है । अनेक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप किए गए तथा संस्थान द्वारा लेखा विधि मानकों (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड्स), लेखा परीक्षा मानकों (आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स), विशेषज्ञ मत (एक्सपर्ट ओपीनियन्स) तथा चंद सेमिनारों एवं अनुसंधान अध्ययन में उपयोग हेतु पृष्ठभूमि—सामग्री पर अनेक प्रकाशन निकाले गये हैं । इन क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :—

1. लेखाविधि मानक (एकउंटिंग स्टैण्डर्ड्स)

लेखाविधि मानक की आवश्यकता को व्यापक रूप से मान्यता मिलती रही है जिसकी नवीनतम अभिव्यक्ति कम्पनी विधेयक, 1993 के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दिया जाना है जिसमें यह प्रस्थापना की गई है कि कम्पनियों को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में लेखाविधि मानकों का अवश्य पालन करना चाहिए । इस मामले की अत्यावश्यकता को मानते हुए लेखाविधि मानक बोर्ड (एकउंटिंग स्टैण्डर्ड्स बोर्ड) ने लेखाविधि मानक विरचित करने और कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । वर्ष के दौरान लेखाविधि मानक 13 (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 13) विनिधान लेखाविधि (एकाउंटिंग फार इनवेस्टमेन्ट्स) जारी किया गया है । एक अन्य लेखाविधि मानक अर्थात् समामेलन लेखाविधि (एकउंटिंग फार अमलगमेशंस) अंतिम प्रक्रम पर है और शीघ्र ही जारी किया जाएगा । विदेशी मुद्रा विनियमन की बाबत सरकार की नीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए "एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 11आन एकाउंटिंग फार दि इफेक्ट्स आफ चेंजेज इन फारेन (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 13) विनिधान लेखाविधि (एकाउंटिंग फार एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया गया है । सेवानिवृत्ति प्रसुविधा लेखाविधि (एकाउंटिंग फार रिटायरमेंट बेनिफिट्स) पर तथा पुनरीक्षित लेखाविधि मानक 4 पर तथा "कंटिनजेंसीज एण्ड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर दि बैलेंस शीट डाटा" पर एक्सपोजर ड्राफ्ट भी प्रकाशित किए गए हैं । बोर्ड ने लेखाविधि मानक विरचित करने के लिए अनेक नई परियोजनाओं का उत्तर-

दायित्व भी लिया है, जैसे कि एकाउंटिंग फार फाइनांसिंग फास्ट्स, एकाउंटिंग फार करेन्ट असेट्स एण्ड करेन्ट लाईबिलिटीज, एकाउंटिंग फार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेन्ट्स, आदि ।

बोर्ड को और भी अधिक व्यापक-आधारित बनाने के लिए परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि आई. डी. बी. आई., एस. ई. बी. आई. (सेबी), आई. आई. एम. एस., विश्वविद्यालयों आदि के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ।

2. लेखापरीक्षा मानक (आडिटिंग स्टैण्डर्ड्स)

संस्थान ने देश में लेखापरीक्षा मानकों की विरचना करने और उनके उन्नयन की ओर अपना मुख्य ध्यान दिया है । इस संबंध में लेखापरीक्षा मानकों के क्षेत्र में पर्याप्त समय और अनुसंधान प्रयास किए गए हैं । भारतीय अर्थ व्यवस्था के बैंकिंग/वित्तीय सेक्टरों (क्षेत्रों) में हाल ही के विकास के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ निकट पारस्परिक प्रभाव कायम रखा गया है । इसके परिणामस्वरूप बैंकों से संबंधित पुनरीक्षित दीर्घाकार प्रारूप वाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (लांग फार्म आडिट रिपोर्ट्स) निकाली गई । बैंक लेखापरीक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा आचार समिति (आडिटिंग प्रैक्टिसेज कमेटी) ने बैंकों के लिए दूरदर्शी सिद्धान्तों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रकाशित किए । लेखापरीक्षा आचार समिति ने "स्टडी आन आडिट आफ बैंक्स" तथा "गाइडेंस नोट आन लाग फार्म आडिट रिपोर्ट्स फार बैंक्स" दोनों को ही पुनरीक्षित करने का काम भी हाथ में लिया है ।

अन्य विषयों के संबंध में, उदाहरणार्थ, किसी अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना, संयुक्त लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व, प्रबंधमंडल द्वारा अभ्यावेदन, सारता तथा लेखापरीक्षा जोखिम (मैटीरियलिटी एण्ड आडिट रिस्क), विश्लेषणात्मक पुनर्विलोकन (एनालिटीकल रिव्यू), के संबंध में मानक लेखापरीक्षा आचार विवरण (स्टेटमेंट्स आन स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रेक्टिसेज) भी नियमन के विभिन्न प्रक्रमों पर है । इसी प्रकार समिति, विनिधान लेखापरीक्षा, नकदी तथा बैंक अतिशेष दायित्व, पूंजी तथा आरक्षिति आदि पर मार्गदर्शन-टीका भी तैयार कर रही है । समिति एनवायरमेन्ट (वातावरण) में लेखापरीक्षा पर एक अध्ययन भी तैयार कर रही है ।

3. अन्य अनुसंधान अध्ययन

लेखाविधि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान की निरन्तर आवश्यकता को महसूस करते हुए वर्ष के दौरान अनेक अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया है । इनमें वर्ष के दौरान प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रकाशन इस प्रकार हैं :—"प्रोजैक्ट एप्रेजल-रिव्वायरमेंट्स आफ इण्डियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस", कम्पेंडियम आफ स्टेटमेंट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन एकाउंटिंग (1993 संस्करण) कम्पेंडियम आफ स्टेटमेंट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन आडिटिंग (1993 संस्करण), रिवाइज्ड स्टेटमेंट आन ट्रीटमेंट आफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इन एकाउन्ट्स, रिवाइज्ड टैक्नीकल गाइड फार आडिट आफ एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिवाइज्ड गाइडेंस नोट्स आन ट्रीटमेंट आफ एक्सपेंडीचर डयूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड तथा कम्पेंडियम आफ गाइडेंस नोट्स वाल्यूम 2 (तृतीय संस्करण) यह आशा की जाती है कि इन प्रकाशनों के अलावा कम से कम पांच और अनुसंधान अध्ययन शीघ्र ही प्रकाशित किए जाएंगे, अर्थात् स्टडी आन शेयर वैल्यूएशन का पुनरीक्षित संस्करण, मैनेजमेंट कन्ट्रोल सिस्टम इन नान-प्राफिट आरगनाइजेशन, ट्रेड्ज इन पब्लिश्ड एकाउंट्स, एकाउंटिंग फार फिट फण्ड तथा गाइडलाइंस आन इंटरनल आडिट—टायर इण्डस्ट्री । लेखाविधि तथा लेखापरीक्षा क्षेत्रों में अन्य पच्चीस परियोजनाएं प्रगति में हैं ।

नियमित विधि के क्षेत्र में संस्थान ने कम्पनी विधेयक, 1993 के उपबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रकाशित किया है जिससे कि इस महत्वपूर्ण विधान पर सदस्यों को चर्चा योग्य सामग्री प्रदान की जा सके । इसी प्रकार "स्टडी आन आडिट अंडर सेक्शन 80 एच. एच. सी. आफ दि इन्कम टैक्स एक्ट" को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है । कराधान और कम्पनी क्षेत्र में भी अन्य आठ परियोजनाएं प्रगति में हैं ।

4. विशेषज्ञ मत

संस्थान की विशेष समिति द्वारा व्यक्त किए गए मत को विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा मान्यता दी जाती रही है । अनेक नए प्रश्नों पर विचार किया गया और वर्ष के दौरान मत व्यक्त किए गए । कम्पेंडियम आफ ओपीनियंस की ग्यारहवीं जिल्द प्रकाशित की गई और बारहवीं जिल्द शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने की संभावना है ।

5. अनवरत शिक्षा (कंटीन्यूइंग एजूकेशन)

परिषद् अपने सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए अनवरत शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने का प्रयास करती रही है । अपनी थेन सेमिनार स्कीम के माध्यम से संस्थान ने इस वर्ष प्रमुख महत्व के दो जटिल क्षेत्रों (थ्रस्ट एरियाज) को पहचाना है । कम्पनी विधेयक, 1993 के संसद में पुरःस्थापित होते ही विधेयक में प्रस्थापित परिवर्तनों की विवक्षाओं पर चर्चा करने और समझने के लिए अनेक बड़े-बड़े नगरों और शाखाओं में लगभग 25 सेमिनार आयोजित किए गए। दूसरा जटिल क्षेत्र वित्तीय सेवाओं के कतिपय विनिर्दिष्ट पहलू हैं और यूनीफार्म कोर्स डिजाइन तथा स्पेशलाइज्ड आस्पेक्ट्स आफ फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीस एण्ड इंवेस्टमेंट कंसलटेंसी पर विस्तृत चर्चा सामग्री सहित एक पुस्तक के आधार पर संपूर्ण देश में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं । संस्थान के पांच पूर्णकालिक कम्प्यूटर केन्द्र संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों को विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रेक्टीकल ओरियन्टेशन प्रदान करते रहे । अपनी जानकारी को अद्यतन बनाने तथा रुचि के विषयों पर चर्चा करने के लिए सदस्यों तथा छात्रों को एक मंच प्रदान करने के लिए अनेक अन्य सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए गए ।

6. व्यावसायिक विकास

संस्थान बदलते हुए वातावरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने तथा विभिन्न मंचों पर व्यवसाय के विचारों को प्रक्षेपित करने में अत्यधिक सक्रिय रहा । बजट पूर्व तथा उत्तर-बजट ज्ञापन पर संस्थान की टिप्पणियों को प्राधिकारियों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ और उनके अनेक सुझावों को स्वीकार किया गया । यहां स्थित चैल्लय्या समिति की रिपोर्ट पर और कर प्राधिकरणों के प्रशासन तथा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने सहित अनेक अन्य मुद्दों पर संस्थान के ज्ञापन की है । संस्थान ने नियमित विधियों में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए विभिन्न प्रस्तावों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । कम्पनी विधेयक, 1993 के संबंध में तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न अन्य मुद्दों पर संपूर्ण देश के सदस्यों के विचारों को प्राप्त करने के पश्चात् सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भी भेजा गया है । संस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामक निकायों के साथ भी निकट

संपर्क बनाए रखा जिनसे उसे तकनीकी सलाह के लिए निर्देश प्राप्त होते रहे । इसी प्रकार, संस्थान ने सरकार के विभिन्न स्टडी ग्रुप, समितियों तथा प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट विषयों पर अनेक अभ्यावेदन भी किए ।

इस अवधि के दौरान् परिषद् की विभिन्न अस्थायी समितियों के कार्यकलापों के बारे में इस रिपोर्ट के परिशिष्ट- में दिए गए हैं ।

2.2 13वां अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिवेशन

"प्रोफेशन इन चेंजिंग एकानामिक सीनेरियो" विषय पर 13वां अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिवेशन तारीख 5 से 7 फरवरी, 1993 को हैदराबाद में आयोजित किया गया था । इस अधिवेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री के. विजय भास्कर रेड्डी द्वारा किया गया था । तीन तकनीकी सत्रों में चले इस सम्मेलन में लगभग 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए लेखों का सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया था । बाजार अर्थव्यवस्था तथा उद्योगों पर शिथिल नियंत्रण एवं विनियमों के वर्तमान संदर्भ में इस अधिवेशन में उन व्यावसायिक लेखाकारों के परिवर्धित उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया था जिनसे इस विषय पर कि प्रबन्धमण्डल के प्रतिवेदित आंकड़ों का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी सुविचारित राय व्यक्त करने की अपेक्षा की जाएगी ।

अधिवेशन समिति की संरचना तथा तकनीकी सत्रों में आने वाले विषय इस रिपोर्ट के परिशिष्ट IV में दिए गए हैं ।

3. पर्सपेक्टिव प्लानिंग ग्रुप

आगामी दशक में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को पहचान दिलाने तथा सदस्यों को बदलते हुए वातावरण के पुनः अनुकूल बनाने हेतु किए जाने वाले उपाय सुझाने के लिए परिषद् द्वारा जून, 1990 में आयोजित अपने 144वें सम्मेलन में "पर्सपेक्टिव प्लानिंग ग्रुप" का गठन किया गया था । इस ग्रुप से अन्य संबंधित विषयों, जैसे कि निरंतर बढ़ती हुई सदस्या की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित प्रकार का संगठनात्मक ढांचा, तथा सदस्यों और विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना, आदि का अध्ययन करना भी अपेक्षित है । इस ग्रुप ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1992 में प्रस्तुत कर दी । परिषद् ने इस ग्रुप की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इस व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय करने का निर्णय किया है । इनमें वे उपाय सम्मिलित हैं जिनके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधन करने की आवश्यकता है । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन नीचे दिए जा रहे हैं :—

(क) आर्थिक वातावरण में परिवर्तनों को देखते हुए सिलेबस (पाठ्य विवरण) का पुनरीक्षण/उपान्तरण;

(ख) उत्तर-शिक्षा पाठ्यक्रम (पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्सेज) को प्रभावी बनाने के लिए उनमें परिवर्तन;

(ग) मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवा तथा ऐसी अन्य व्यावसायिक सेवाएं, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात की जाएं, प्रदान करने के प्रयोजनार्थ हमारे इस व्यवसाय के सदस्यों को अन्य मान्य व्यवसायों के सदस्यों के साथ सहयुक्त होने के लिए समर्थ बनाना;

(घ) एकाउंटिंग अकादमी/अकादमियों की स्थापना करना तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा संपर्क कौशल को बेहतर बनाने की दृष्टि से आर्टिकल्ड क्लर्कों को आर्टिकलशिप के अन्तिम वर्ष के दौरान अकादमी में 3 महीने का पूर्णकालिक प्रशिक्षण करने के लिए समर्थ बनाना;

(ङ) सदस्यता में वृद्धि को देखते हुए परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में समुचित वृद्धि करना;

(च) परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष के बजाय पांच वर्ष नियत करना;

(छ) परीक्षा समिति को अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए सदस्यों की अधिक संख्या तथा बाहरी विशेषज्ञों के सहयोजन के साथ परीक्षा समिति का गठन;

(ज) अधिक संख्या में सदस्यों तथा विधि विशेषज्ञों के सहयोजन के साथ अनुशासनिक समिति का गठन; जांच का संचालन करने के लिए अनुशासनिक समिति की पीठों (बैंचों) का गठन तथा अनुशासनिक मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए प्रक्रिया का पुनरीक्षण;

(झ) विनियमों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक प्रशासन के मामलों में उपविधियां विरचित करने की शक्तियां प्राप्त करना; तथा

(ञ) सदस्यों तथा विद्यार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से प्रधान कार्यालय से कृत्यों का क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एक हजार से अधिक की सदस्यता वाली बड़ी शाखाओं को विकेन्द्रीकरण ।

4. अन्तरराष्ट्रीय संबंध

संस्थान व्यावसायिक लेखाकारों के विभिन्न अन्तराष्ट्रीय निकायों से सक्रिय रूप से सहयुक्त है । अन्तरराष्ट्रीय संबंध पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट है के रूप में संलग्न है ।

5. अन्य मामले

5.1 संस्थान का वार्षिक अधिवेशन :

संस्थान का 43वां वार्षिक अधिवेशन दिनांक 16 जनवरी, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य राज्य मंत्री श्री एच. आर. भारद्वाज इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । उन्होंने शील्ड और प्लाक उन कम्पनियों और वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए जिन्होंने सर्वोत्तम प्रस्तुत लेखाओं के लिए संस्थान के प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते थे तथा उन्होंने संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं में सराहनीय छात्रों को पुरस्कार तथा पदक भी बांटे थे । माननीय मंत्री ने संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित सर्वोत्तम लेखों के लिए पुरस्कार भी बांटे थे तथा संस्थान की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रमाणपत्र भी प्रदान किए थे । इस समारोह में सदस्यों तथा छात्रों सहित अनेक आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

5.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधन

बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में अनेक संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट एक्ट, 1949 तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधनों के लिए अतिरिक्त समेकित प्रस्ताव शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा।

5.3 पुस्तकालय तथा जर्नल

केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय संस्थान के सदस्यों तथा विद्यार्थियों को पुस्तकों, जर्नलों और समाचार पत्रों की सुविधाएं प्रदान करता है। पुस्तकालय की सुविधाएं संपूर्ण देश के प्रादेशिक केन्द्रों तथा शाखाओं पर भी प्रदान की जा रही हैं तथा पुस्तकालयों के विकास के लिए संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं और स्टडी सर्किलों को अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं।

संस्थान प्रतिमाह "दि चार्टर्ड एकाउंटेंट" नामक एक मासिक मैगजीन प्रकाशित कर रहा है जिसकी 70,000 से अधिक प्रतियां बिक जाती हैं। पहले की तरह ही बोर्ड ने जुलाई, 1992 से जून, 1993 तक की अवधि के दौरान पत्रिका में प्रकाशित सर्वोत्तम लेखों के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 6 पर दिए गए हैं।

5.4 चार्टर्ड एकाउंटेंट बेनीवोलेण्ट फण्ड (हितकारी निधि)

दिसम्बर, 1962 में स्थापित "चार्टर्ड एकाउंटेंट बेनीवोलेण्ट फण्ड" एक जरूरतमंद व्यक्तियों को, जोकि संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं, तथा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता आश्रितों के भरण-पोषण, उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और चिकित्सा व्यय की पूर्ति करने, आदि, के लिए प्रदान की जाती है। यह निधि ऐसे सदस्यों को, जो देश के विक्षुब्ध (गड़बड़ी वाले) क्षेत्रों में विस्थापित किए गए हैं, 20,000/- रुपए तक के उधार भी दे रही है। इस निधि की आजीवन सदस्यों की संख्या 31-8-1992 को 8214 से बढ़कर 31-8-1993 को 9511 हो गई है। योगदान और सुपात व्यक्तियों को वर्ष के दौरान 4,34,500.00 रुपए की धनराशी बांटी गई थी। इस निधि में अतिशेष 31-3-1992 को 46,91,554.45 रुपए की तुलना में 31-3-1993 को 60,02,235.77 रुपए था।

5.5 एस. लक्ष्मीनाथ अय्यर मेमोरियल फण्ड :

वर्ष 1992-93 के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंसी कोर्स कर रहे छात्रों को प्रत्येक 100/- रुपए प्रतिमास की 17 छात्रवृत्तियां दी गई थी। इस निधि (फंड) की सदस्यता 31-3-1993 को 189 थी। इस निधि में 31-3-1992 को 83,215.90 रुपए के मुकाबले 31-3-1993 को 1,05,329.40 रुपए अतिशेष थे।

5.6 चार्टर्ड एकाउंटेंट पाठ्यक्रम की मान्यता :

यह संस्थान, चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. प्रोग्राम (डाक्टर आफ फिलासोफी कार्यक्रम) के लिए मान्यता दिलाए जाने के लिए विश्वविद्यालयों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। वर्तमान में एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज तथा इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ मैनेजमेंन्ट (अहमदाबाद तथा कलकत्ता) के अतिरिक्त 39 विश्वविद्यालयों ने सी. ए. पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. हेतु रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) के लिए एम. काम. के तुल्य (समान) होने के रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। जिन विश्वविद्यालयों ने इस हेतु सी. ए. कोर्स को मान्यता प्रदान की है उनकी सूची इस रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के परिशिष्ट-3 के पैरा 11.3 पर दी गई है।

6. सदस्य

6.1 सदस्यता

वर्ष के दौरान संस्थान में 4010 नए सदस्य नामांकित (भरती) किए गए जिससे 1-4-1993 को कुल सदस्यता 65,161 हो गई।

वर्ष के दौरान पूर्व वर्ष में 2420 अंक की तुलना में फैलो (अध्येताओं) के रूप में 2697 एसोसिएट्स को भरती किया गया। सदस्यता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1-4-1993 को यथाविद्यमान सदस्यों की संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	फेलो (अध्येता)	एसोसिएट्स	योग
(1)	(2)	(3)	(2) एवं (3)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	22,189	16,793	38,982
अंशकालिक व्यवसाय में	2,478	4,951	7,429
व्यवसाय में नहीं	2,591	16,159	18,750
सम्पूर्ण योग	27,258	37,903	65,161

6.2 मृत सदस्य

परिषद् संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एस. सी. कृष्णन् के 11 दिसम्बर, 1992 को दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। परिषद् वर्ष के दौरान अनेक अन्य सदस्यों के दुखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती है। मृत सदस्यों के नाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-7 पर सूचीबद्ध किए गए हैं।

6.3 अनुशासनिक समिति :

1-4-1992 से लेकर 31-3-1993 तक की अवधि के दौरान परिषद् तथा अनुशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. परिषद् द्वारा अपनी प्रथमदृष्टया राय के लिए विचार किए गए मामलों की संख्या	91
2. जांच के लिए अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट किए गए मामलों की संख्या	42
3. अनुशासनिक समिति द्वारा सुनवाई किए गए मामलों की संख्या	29

4. अनुशासनिक समिति की रिपोर्टों पर परिषद् द्वारा विचार किए गए मामलों की संख्या 33

5. ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थी को धारा 21(2) के अधीन दोषी नहीं पाया गया 24

6. ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थी को दोषी पाया गया किन्तु कोई दंड नहीं दिया गया 03

7. ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को परिषद् द्वारा दोषी पाया गया और धारा 21(4) के अधीन दंडित किया गया 06

8. ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दोषी पाया गया और मामले धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देशित किए गए 01

9. ऐसे मामलों की संख्या, जिनका धारा 21(6) व (7) के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा निपटारा किया गया 02

7. छात्र

अध्ययन बोर्ड (बोर्ड आफ़ स्टडीज) छात्रों के लिए कोचिंग सामग्री तैयार करने, अद्यतन करने तथा प्रदान करने के अपने क्रियाकलाप जारी रखे हैं ।

फाउण्डेशन कोर्स

7.1 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 31-3-1993 को यथाविद्यमान फाउण्डेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की कुल संख्या 39,797 थी । क्षेत्रवार संख्या परिशिष्ट-7 में दी गई है ।

7.2 फाउण्डेशन कोर्स के छात्रों के जून, 1993 वाले बैच के शिक्षण के लिए कक्षाएं प्रादेशिक परिषदों की 5 शाखाओं तथा 2 प्रादेशिक सहित 101 अधिकृत (मान्य) संस्थाओं द्वारा संचालित की गई ।

इंटरमीडिएट तथा फाइनल (अंतिम) कोर्स

7.3 31 मार्च, 1992 तथा 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इंटरमीडिएट तथा फाइनल कोर्सों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

कोर्स	1992-93	1991-92
इंटरमीडिएट	14,205	14,518
फाइनल	7,441	5,262

7.4 बोर्ड आफ स्टडीज (अध्ययन बोर्ड) की शाखाओं में 31 मार्च, 1993 को यथाविद्यमान छात्रों की कुल संख्या (उन छात्रों को अन्तर्वलित करते हुए जिन्हें फाउण्डेशन कोर्स के लिए रजिस्टर किया गया है (31 मार्च, 1992 को यथाविद्यमान 88, 631 के मुकाबले 99, 435 थी । इसके ब्यौरे परिशिष्ट 8 में दिए गए हैं ।

7.5 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संस्थान की निधि से तथा इस प्रयोजनार्थ सृष्ट विभिन्न विन्यासों की आय से 278 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां—179, आंशिक क्रीशिप—95 तथा योग्यता एवं आवश्यकता छात्रवृत्तियां—4) ।

8. परीक्षाएं

संपूर्ण देश में 45 केन्द्रों पर मई, 1992 और नवम्बर, 1992 को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एन्ट्रेंस (प्रवेश), इन्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाएं आयोजित की गई थीं । जून 1993 से प्रभावी फाउण्डेशन परीक्षा आरम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप नवम्बर, 1992 के पश्चात् प्रवेश परीक्षा बंद कर दी गई ।

मई और नवम्बर, 1992 में आयोजित प्रवेश, इन्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं में बैठे छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 58, 224 तथा 65,598 थी । इन परीक्षाओं के परिणामों का सारांश, जिसमें उन अभ्यर्थियों की संख्या जो परीक्षाओं में बैठे हैं तथा उन अभ्यर्थियों की संख्या दर्शित की गई है जिन्हें सफल (उत्तीर्ण) घोषित किया गया है, परिशिष्ट 9 में दिया गया है ।

जिन अभ्यर्थियों (छात्रों) को मई और नवम्बर, 1992 में आयोजित परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, उनके नाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 10 पर दिए गए हैं ।

9. प्रादेशिक परिषद् तथा प्रादेशिक परिषदों की शाखाएं

9.1 शाखाएं

संस्थान के 5 प्रादेशिक परिषद् हैं, अर्थात् :—वैस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, सेण्ट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल तथा नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल, जिनके मुख्यालय क्रमशः बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं । सम्पूर्ण देश में प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 81 है । इन शाखाओं की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 11 में दी गई है ।

9.2 भवन

अध्यक्ष श्री एन. पी. शारदा ने अहमदाबाद, दुर्गापुर तथा नागपुर शाखाओं के लिए भवन की आधारशिला (फाउण्डेशन स्टोन) रखी थी । उन्होंने भोपाल शाखा के परिसर का भी उद्घाटन किया था । अनेक शाखाओं ने अपने स्वयं के परिसरों का निर्माण करने के लिए भूमि अर्जित करने में अथवा निर्मित फ्लैट खरीदने में रूचि दिखाई है । की शाखाओं में भूमि/परिसर अर्जित करने की प्रक्रिया चल रही है । संस्थान ने स्थान की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मद्रास स्थित अपने भवन का विस्तार किया है ।

कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री श्री एम. वीरप्पा मोइली ने संस्थान की बंगलौर शाखा के भवन का 4 अप्रैल, 1993 को उद्घाटन किया है । श्री रामेश्वर ठाकुर, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने उक्त भवन में एस. नारायणन आडिटोरियम का उद्घाटन किया है ।

9.3 सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद् तथा प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा के लिए आवर्ती शील्ड (रोटेटिंग शील्ड)

सन् 1986-87 से ही संस्थान सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद् को आवर्ती शील्ड प्रदान करता रहा है। यह पुरस्कार प्रादेशिक परिषद् के संपूर्ण कार्य प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 1992-93 के लिए यह शील्ड वैस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल को प्रदान की जाएगी।

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं को अधिकाधिक सक्रिय होने तथा सदस्यों और छात्रों को प्रभावकारी सेवा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान प्रति वर्ष सर्वोत्तम शाखा को आवर्ती शील्ड भी प्रदान करता है। शाखाओं के क्रियाकलापों का मूल्यांकन स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है और सर्वोत्तम शाखा को शील्ड प्रदान की जाती है। वर्ष 1992-93 के लिए सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की बंगलौर स्थित शाखा को शील्ड प्रदान करने के लिए चुना गया है। अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र पुणे, हैदराबाद तथा गाजियाबाद स्थित शाखाओं को प्रदान किए जाएंगे।

10. वित्त तथा लेखा

परिषद द्वारा यथा अनुमोदित 31 मार्च, 1993 का यथा-विद्यमान तुलनपत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष का आय-व्यय लेखा संलग्न किया जाता है।

11. आभार

11.1 परिषद, संस्थान के उन सभी सदस्यों, जिन्होंने संस्थान की समितियों में सहयोजित सदस्यों के रूप में कार्य किया है तथा उन गैर-सदस्यों के प्रति, जिन्होंने वर्ष के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी एवं अन्य क्रियाकलापों में और उनकी परीक्षाओं में परिषद् की सहायता की है, आभार प्रकट करती है।

11.2 परिषद्, सरकार और परिषद् के मनोनीत सदस्यों द्वारा वर्ष के दौरान निरन्तर दी गई सहायता और समर्थन के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है।

11.3 परिषद्, संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारि-वृन्द द्वारा वर्ष के दौरान किए गए उनके ईमानदार और समर्पित प्रयासों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है।

वार्षिक रिपोर्ट के परिशिष्ट

परिशिष्ट—1

(देखिए : रिपोर्ट का पैरा 1.1)

परिषद् के सदस्य

श्री अग्रवाल, आर. के.—कलकत्ता
*श्री अनन्तन, यू. एन. (20-7-93 से)—नई दिल्ली
भंडारी (डा.) धर्मेन्द्र—जयपुर
श्री बिरला, सी. एम.—कोटा
श्री चक्रवर्ती, ए. के.—कलकत्ता
श्री चटर्जी, दीपंकर—कलकत्ता
श्री छाजेड़, एस. पी.—मुम्बई
श्री चितले, एम. एस.—मुम्बई
श्री दोशी, जी. बी.—मुम्बई
*श्री गुलाटी, सुनील—नई दिल्ली
*श्री गुप्ता, अरूप कुमार—नई दिल्ली
श्री गुप्ता, एन. डी.—नई दिल्ली
श्री गुप्ता, एन. के.—कानपुर
श्री अय्यर, एन. वी.—मुम्बई
*श्री जोशी, आर. डी. (23-6-93 से)—नई दिल्ली
श्री काले, वाई. एम.—मुम्बई
श्री कोटेश्वर राव, एस. एस. आर.—हैदराबाद
*श्री कृष्णमूर्ति, सी. एच. जी.—नई दिल्ली
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा—हैदराबाद
श्री मेहता, के. एस.—नई दिल्ली
*पिल्लई (श्रीमती) सुधा (22-6-93 तक)—नई दिल्ली
श्री राव, बी. पी.—बंगलौर
श्री शारदा, एन. पी.—मुंबई
*श्री सरकार, पी. के. (3-9-92 तक)—नई दिल्ली
श्री शाह, ए. सी.—अहमदाबाद
श्री सीतारामन, जी.—मद्रास
*श्री शिव सुब्रमण्यन, एन. (4-9-92 से 19-7-93)—नई दिल्ली
*श्री सोली, यशपाल—नई दिल्ली
श्री सुन्दरराजन, एन. सी.—मद्रास
श्री उपाध्याय, पी. पी. गुरुराज—मद्रास
श्री वसुदेव, एस. सी.—नई दिल्ली
श्री विकमसे, एस. के.—मुंबई
श्री विश्वनाथ, टी. एस.—नई दिल्ली

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

परिशिष्ट—2

वर्ष 1993-94 की समितियों की सूची

क. स्थायी समितियां

कार्य समिति
श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष—(बंगलौर)
श्री दीपांकर चटर्जी—(कलकत्ता)
श्री एम. एम. चित्तले—(मुम्बई)
श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

परीक्षा समिति
श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष—(बंगलौर)
श्री आर. के. अग्रवाल—(कलकत्ता)
श्री एस. पी. छाजेड़—(मुम्बई)
श्री जी. सीतारमन—(मद्रास)

अनुशासन समिति

श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष—(बंगलौर)
श्रीमती सुधा पिल्लई—(नई दिल्ली)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा—(हैदराबाद)
श्री एस. सी. वासुदेवा—(नई दिल्ली)

ख. गैर स्थायी समितियां

अनुसंधान समिति

श्री के. एस. मेहता, अध्यक्ष—(नई दिल्ली)
श्री जी. सीतारमन, उपाध्यक्ष—(मद्रास)
श्री एन. पी. शारदा, सभापति (पदेन)—(मुम्बई)
डा. धर्मेन्द्र भण्डारी—(जयपुर)
श्री एन. वी. अय्यर—(मुम्बई)
श्री एस. सी. वासुदेव—(नई दिल्ली)
श्री एस. के. विकमसे—(मुम्बई)
श्री ए. एच. दलाल, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)
श्री चेतन दलाल, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)
श्री एम. जी. पटेल, नामनिर्दिष्ट—(अहमदाबाद)
श्री आर. एन. राय, नामनिर्दिष्ट—(कलकत्ता)

लेखा परीक्षा पद्धतियां समितियां

श्री एन. वी. अय्यर, अध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री एम. एम. चितले, उपाध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री एन. पी. शारदा, सभापति (पदेन)—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)
श्री ए. के. चक्रवर्ती—(कलकत्ता)
श्री वाई. एम. काले—(मुम्बई)
श्री एन. शिवासुब्रमण्यन—(नई दिल्ली)
श्री उदय एम. चितले, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)
श्री एम. एम. खन्ना, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)
श्री पी. आर. खन्ना, नामनिर्दिष्ट (नई दिल्ली)
श्री सुरेश राव, नामनिर्दिष्ट—(मद्रास)

सतत वृत्तिक शिक्षा समिति

श्री एन. डी. गुप्ता, अध्यक्ष—(नई दिल्ली)
श्री सी. एम. बिरला, उपाध्यक्ष—(कोटा)
श्री एन. पी. शारदा, सभापति (पदेन)—(मुम्बई)
श्री ए. के. चक्रवर्ती—(कलकत्ता)
श्री सुनील गुलाटी—(नई दिल्ली)
श्री वाई. पी. सोली—(नई दिल्ली)
श्री पी. पी. गुरुराजा उपाध्यक्ष—(मद्रास)
श्री एच. एम. दमानिया, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)
श्री [illegible] नामनिर्दिष्ट—([illegible])
श्री देव जैन, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

लेखा विधि मानक बोर्ड

श्री वाई. एम. काले, अध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री के. एस. मेहता, उपाध्यक्ष—(नई दिल्ली)
श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष (पदेन)—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)
श्री एस. एम. चितले—(मुम्बई)
श्री बी. जी. कृष्णामूर्ति—(नई दिल्ली)
श्रीमती सुधा पिल्लई—(नई दिल्ली)
श्री जी. सीतारमन—(मद्रास)
श्री एन. शिवासुब्रमण्यम—(नई दिल्ली)
श्री वी. अन्नता रमन, नामनिर्दिष्ट (मद्रास)
श्री डी. सीतारमय्या, नामनिर्दिष्ट—(हैदराबाद)
श्री पी. एन. शाह, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)
डा. आर. सी. वैश्य, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

वृत्तिक विकास समिति

श्री ए. के. चक्रवर्ती, अध्यक्ष—(कलकत्ता)
श्री सी. एम. बिरला, उपाध्यक्ष—(कोटा)
श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष (पदेन)—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)
श्री एन. डी. गुप्ता—(नई दिल्ली)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा—(हैदराबाद)
श्री वाई. पी. सोली—(नई दिल्ली)
श्री आई. सी. जैन, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)
श्री वी. के. कालरा, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)
श्री एस. के. दासगुप्ता, नामनिर्दिष्ट—(कलकत्ता)

अध्ययन बोर्ड

श्री जी. डी. दोशी, अध्यक्ष—(मुम्बई)
डा. धर्मेन्द्र भण्डारी, उपाध्यक्ष—(जयपुर)
श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष (पदेन)—(मुम्बई)
श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)
श्री दीपांकर चटर्जी—(कलकत्ता)
श्री ए. सी. शाह—(अहमदाबाद)
श्री एस. सी. वासुदेव—(नई दिल्ली)
श्री आर. [illegible], नामनिर्दिष्ट—(मद्रास)
श्री सुब्रतो [illegible] नामनिर्दिष्ट—(कलकत्ता)
श्री कौशिकभाई डी. शाह, नामनिर्दिष्ट—(अहमदाबाद)

वित्तीय विधि समिति

श्री ए. सी. शाह, अध्यक्ष—([illegible])
श्री जी. डी. दोशी, उपाध्यक्ष—(मुम्बई)
श्री एन. पी. [illegible] (पदेन)—([illegible])

श्री सुनील गुलाटी—(नई दिल्ली)

श्री एन. डी. गुप्ता—(नई दिल्ली)

श्री वी. जी. कृष्णामूर्ति—(नई दिल्ली)

श्री पी. पी. गुरुराजा उपाध्याय—(मद्रास)

श्री हरीश गम्भीर, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

श्री एन. सी. सुन्दरराघवन, नामनिर्दिष्ट—(बंगलौर)

श्री विजय एल. शाह, नामनिर्दिष्ट—(अहमदाबाद)

निगमित विधि समिति

श्री टी. एस. विश्वनाथ, अध्यक्ष—(नई दिल्ली)

श्री ए. सी. शाह, उपाध्यक्ष—(अहमदाबाद)

श्री आर. के. अग्रवाल—(कलकत्ता)

श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष (पदेन)—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)

श्री एन. वी. अय्यर—(मुम्बई)

श्रीमती सुधा पिल्लई—(नई दिल्ली)

श्री आर. एन. बंसल, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

श्री अनिल भल्ला, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

श्री एस. एन. नन्दा, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

अन्तरराष्ट्रीय कार्य समिति

श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष—(बंगलौर)

श्री सी. एम. बिरला—(कोटा)

श्री ए. के. चक्रावर्ती—(कलकत्ता)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

श्री के. एम. अग्रवाल, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

श्री के. जी. सोमानी, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

विशेषज्ञ सलाह समिति

श्री पी. पी. गुरुराजा उपाध्याय, अध्यक्ष—(मद्रास)

श्री एस. एम. कोटेश्वर राव, उपाध्यक्ष—(हैदराबाद)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)

श्री जी. डी. दोशी—(मुम्बई)

श्री एन. के. गुप्ता—(कानपुर)

श्री वाई. पी. सोनी—(नई दिल्ली)

श्री एस. के. विकमसे—(मुम्बई)

श्री एस. एल. डागा, नामनिर्दिष्ट—(हैदराबाद)

श्री आर. कृष्णामूर्ति, नामनिर्दिष्ट—(कोयम्बटूर)

श्री के. वर्गीज, नामनिर्दिष्ट—(किलोन)

विश्वविद्यालय एवं उच्चतम माध्यमिक बोर्ड सम्पर्क समिति

श्री एस. एस. आर. कोटेश्वर राव, अध्यक्ष—(हैदराबाद)

श्री सी. एम. बिरला, उपाध्यक्ष—(कोटा)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)

श्री एस. पी. छाजेड़—(मुम्बई)

श्री सुनील गुलाटी—(नई दिल्ली)

श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा—(हैदराबाद)

श्री आर. आनन्दा, नामनिर्दिष्ट—(बंगलौर)

श्री गिरीश आहूजा, नामनिर्दिष्ट—(नई दिल्ली)

श्री टी. एस. एस. एन. मूर्ति, नामनिर्दिष्ट—(हैदराबाद)

नैतिक मानदण्ड समिति और क्यूरा

श्री एस. के. विकमसे, अध्यक्ष—(मुम्बई)

श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष (पदेन)—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)

श्री एस. पी. छाजेड़—(मुम्बई)

श्री एन. के. गुप्ता—(कानपुर)

श्री वाई. एम. काले—(मुम्बई)

श्री आई. एम. लखानाला, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)

श्री जी. नारायणस्वामी, नामनिर्दिष्ट—(मद्रास)

श्री सी. आनन्द राव, नामनिर्दिष्ट—(हैदराबाद)

लोक सम्पर्क समिति

डा. धर्मेन्द्र भंडारी, अध्यक्ष—(जयपुर)

श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष (पदेन)—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)

श्री दीपंकर चटर्जी—(कलकत्ता)

श्री ए. के. गुप्ता—(नई दिल्ली)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

श्री मनु चड्ढा—(नई दिल्ली)

श्री राजेश कसेरा, नामनिर्दिष्ट—(कानपुर)

श्री अदित्या लोढा, नामनिर्दिष्ट—(कलकत्ता)

सम्पादक मंडल

श्री एन. पी. शारदा, प्रधान संपादक—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, संयुक्त-संपादक—(बंगलौर)

श्री आर. के. अग्रवाल—(कलकत्ता)

श्री दपिंकर चटर्जी—(कलकत्ता)

श्री अरूप गुप्ता—(नई दिल्ली)

श्री टी. एस. विश्वनाथ—(नई दिल्ली)

श्री के. बी. कपूर, नामनिर्दिष्ट—(दिल्ली)

श्री एम. शिवकुमार, नामनिर्दिष्ट—(मैसूर)

श्री एस. विजी, नामनिर्दिष्ट—(मद्रास)

उद्योग के सदस्यों की समिति

श्री एन. के. गुप्ता, अध्यक्ष—(कानपुर)

श्री आर. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष—(कलकत्ता)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष (पदेन)—(बंगलौर)

श्री ए. के. गुप्ता—(नई दिल्ली)

श्री के. एस. मेहता—(नई दिल्ली)

श्री एस. एस. आर. कोटेश्वर राव—(हैदराबाद)

श्री के. जी. गुप्ता, नामनिर्दिष्ट—(कानपुर)

श्री यू. नारायण, नामनिर्दिष्ट—(रांची)

श्री आनन्द राठी, नामनिर्दिष्ट—(मुम्बई)

साधारण प्रयोजन समिति

श्री एन. पी. शारदा, अध्यक्ष—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, उपाध्यक्ष—(बंगलौर)

श्री दीपंकर चटर्जी—(कलकत्ता)

श्री एम. एम. चितले—(मुम्बई)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

आई. सी. ए. आई.—आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई.—आई. सी. एस. आई. समन्वय समिति

श्री एन. पी. शारदा, नेता—(मुम्बई)

श्री बी. पी. राव, उप नेता—(बंगलौर)

श्रीमती सुधा पिल्लई—(नई दिल्ली)

श्री वाई. पी. सोली—(नई दिल्ली)

श्री एन. सी. सुन्दरराजन—(मद्रास)

श्री टी. एस. विश्वनाथ—(नई दिल्ली)

परिशिष्ट III

अनुसंधान और वृत्तिक गतिविधियां

परिषद की विभिन्न गैर-स्थायी समितियों के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

1. लेखाकरण मानक बोर्ड

1. वर्ष के दौरान बोर्ड ने निम्नलिखित दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया :—

(क) अकाउन्टिंग स्टेण्डर्ड्स (ए.एस.) 13, अकाउन्टिंग फार इनवैस्टमेन्ट्स ।

(ख) एक्सपोजर ड्राफ्ट आफ रिवाइज्ड अकाउन्टिंग स्टेण्डर्ड 4, कन्टिंजेन्सीज एण्ड इवेन्ट्स occurring आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ।

(ग) एक्सपोजर डेट आफ रिवाइज्ड अकाउन्टिंग स्टेण्डर्ड II अकाउन्टिंग फार दि इफैक्ट्स आफ चेन्जेज इन फोरेन एक्सचेंज रेट्स ।

(घ) एक्सपोजर ड्राफ्ट आफ प्रोपोज्ड अकाउन्टिंग स्टेण्डर्ड-अकाउन्टिंग फार रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स इन दि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स आफ एम्पलायर्स ।

2. बोर्ड ने नये लेखाकरण मानक बनाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई हैं :—

(क) वित्त पोषण लागत का लेखांकन ।

(ख) वर्तमान आस्तियों और वर्तमान दायित्वों का लेखाकरण ।

(ग) वित्तीय लिखतों का लेखाकरण ।

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में विशेष लेखाकरण मुद्दे ।

3. आमेलनों के लेखाकरण विषयक लेखांकन मानक की तैयार अंतिम चरण में है ।

4. बोर्ड वर्तमान लेखाकरण मानकों का पुनर्विलोकन कर रहा है :—

(क) लेखाकरण मानक 5, पूर्ववर्ती अवधि और लेखाकरण नीतियों में असाधारण मदें और परिवर्तन ।

(ख) लेखाकरण मानक 6, अवक्षय लेखाकरण बोर्ड "प्रीफेस टु द स्टेटमेन्ट्स आफ ए अकाउन्टिंग स्टेण्डर्ड्स" का भी पुनर्विलोकन कर रहा है ।

5. बोर्ड को निम्नलिखित प्रतिनिधित्व लेकर व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है :—

— आई. डी. बी. आई. और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं ।

— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ।

— भारतीय प्रबंध संस्थान ।

— विश्वविद्यालय ।

2. लेखा-परीक्षा पद्धति समिति :—

1. इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और उपबंधन विषयक निम्नलिखित विशानिर्देश जारी किए । भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थान से अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा। लेखा-परीक्षा पद्धति समिति ने इन विशा-निर्देशों से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और बैंकों के लेखापरीक्षकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए, उस पर अपने विचार प्रकट किए ।

2. समिति ने बैंकों के लिए लम्बे प्रपत्र की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के प्ररूपों के पुनरीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सामने कुछ सुझाव रखे हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित प्ररूप में उनमें से अनेक सुझाव समाविष्ट हैं ।

3. निम्नलिखित विषयों पर मानक लेखा-परीक्षा पद्धतियों की विवरणियां अनेक प्रक्रमों पर निर्माणाधीन हैं :—

(क) दूसरे लेखापरीक्षक कार्य का उपयोग करना ।

(ख) संयुक्त लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व ।

(ग) प्रबंध मण्डल द्वारा प्रतिनिधित्व ।

(घ) तात्विकता और लेखा-परीक्षा जोखिम ।

(ङ) विश्लेषणात्मक समीक्षा ।

4. समिति निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शन टिप्पण तैयार कर रही है :—

(क) विनिधानों की लेखा-परीक्षा ।

(ख) नकदी और बैंक अतिशेषों की लेखा परीक्षा ।

(ग) दायित्वों की लेखा-परीक्षा ।

(घ) पूंजी और आरक्षित निधियों की लेखा-परीक्षा ।

(ङ) प्रकीर्ण व्यय की लेखा-परीक्षा ।

(च) राजस्वों की लेखा-परीक्षा ।

5. समिति ई. डी. पी. इनफाइरमेन्ट में लेखा-परीक्षा पर अध्ययन तैयार कर रही है ।

6. समिति निम्नलिखित वर्तमान प्रकाशनों की समीक्षा कर रही है :—

(क) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसरण में लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र के बारे मार्गदर्शन टिप्पण ।

(ख) बैंकों की लेखा-परीक्षा के बारे में अध्ययन ।

3. अनुसंधान समिति

आशा है कि निम्नलिखित प्रकाशन शीघ्र ही आ जाएंगे :—

(1) प्रोजेक्ट एप्रेजल—भारतीय वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षाएं—(भारतीय वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षाओं के संदर्भ में वर्तमान प्रकाशन "प्रोजेक्ट एवल्यूएशन का पुनरीक्षण") ।

(2) स्टडी आफ शेयर एवल्यूएशन का पुनरीक्षित संस्करण।

(3) स्टेटमेन्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन अकाउन्टिंग (तृतीय संस्करण का सार) ।

(4) स्टेटमेन्ट्स एण्ड स्टैण्डर्ड्स आन आडिटिंग (तृतीय संस्करण) का सार ।

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित परियोजनाए पूरा होने वाली है :—

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा—सीमेंट उद्योग विषय दिशा-निर्देश ।

(2) अस्पतालों के विशेष संदर्भ में लाभरहित संगठनों में प्रबन्ध नियंत्रण प्रणालियां (अनुसंधान फैलोशिप स्कीम के अन्तर्गत जो भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्ष-गांठ मनाने के लिए मंजूर की गई थी ।

(3) "ट्रेन्डस इन पब्लिशड अकाउन्ट्स" विषयक प्रकाशन का पुनरीक्षण ।

(4) चिट फण्डों का लेखाकरण ।

(5) आंतरिक लेखा-परीक्षा—टायर उद्योग विषयक दिशा-निर्देश ।

(6) फिल्म उद्योग में लेखाकरण ।

चालू परियोजनाएं :—

(1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संबंध में लेखापाल निर्देशिका ।

(2) आंतरिक लेखा-परीक्षा—कपड़ा उद्योग संबंधी दिशा-निर्देश ।

(3) लेखा और लेखा परीक्षा तकनीकी निर्देशिका—होटल उद्योग ।

(4) लेखा और लेखा-परीक्षा तकनीकी निर्देशिका—औषधि और भेषज उद्योग ।

(5) आमेलन और विलयन पर अध्ययन ।

(6) भविष्य निधि का लेखाकरण और लेखा-परीक्षा ।

(7) भारतीय जीवन बीमा निगम की लेखा-परीक्षा ।

(8) सरकारी विभागों और वैसे ही अन्य लाभरहित संस्थाओं में लोक व्यय के लेखा दायित्व पर अनुसंधान परियोजना ।

नई परियोजनाएं जो शुरू की जाने वाली है :—

(1) तुलन-पत्र से भिन्न मदों का लेखांकन ।

(2) अंतरण मूल्य निर्धारण ।

(3) पृथक्करण एवं विभाजन ।

(4) विदेशी मुद्रा प्रकटन जोखिम प्रबन्ध ।

(5) वित्तीय नीतियां-चालू पूंजी प्रबन्ध ।

(6) वित्तीय नीतियां-दीर्घावधि निधि प्रबन्ध ।

(7) कम्पनियों का परि-समापन ।

(8) गैर-सरकारी विकास संगठनों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा ।

(9) मूलभूत एवं तकनीकी विश्लेषण जिसे पहले कारपोरेशन फाइनेन्शियल एनालिसेज कहते थे ।

(10) नगर निगमों में वाणिज्यिक लेखांकन का शुभारंभ ।

(11) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग-एफ.जी. भगवत रिसर्च फैलोशिप स्कीम के अंतर्गत भारत और फ्रांस का तुलनात्मक अध्ययन ।

वर्तमान प्रकाशन जो पुनरीक्षणाधीन है :—

(1) टेक्नीकल गाइड फार आडिट आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज ।

(2) अकाउन्टेंट्स गाइड टु ला आफ सेन्ट्रल एक्साइज ।

(3) गाइडन्स नोट आन आडिट आफ अकाउन्ट्स आफ मेम्बर्स आफ स्टाक एक्सचेंजेज ।

शील्ड पेनल

पूर्व की भांति संस्थान वर्ष 1991-92 के लिए निम्नलिखित द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखाओं के लिए पुरस्कार वार्षिक अधिवेशन में प्रदान करेगा :—

(1) लोक/संयुक्त सेक्टर कम्पनियां और गैर वित्तीय कानूनी निगम;

(2) गैर वित्तीय प्राइवेट सेक्टर कम्पनियां; (3) बैंक और वित्त संस्थाएं; और (4) अन्य निकाय।

"विभिन्न प्रवर्गों में पुरस्कार विजेता इस प्रकार नीचे दिए हैं :—

(1) पब्लिक सेक्टर/संयुक्त सेक्टर कम्पनियों (वे कम्पनियां जिन पर धारा 619 और धारा 619 ख लागू होती हैं) और गैर वित्तीय कानूनी निगम के प्रवर्ग में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखाओं के लिए रजत शील्ड के लिए चुना गया है तथा कोचीन रिफाइनेरीज लिमिटेड को अत्यन्त प्रशंसनीय लेखाओं के लिए प्लेक (फलक) के लिए चुना गया है।

(2) गैर-वित्तीय प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों के प्रवर्ग में रजत शील्ड सीमन्स लिमिटेड को दी जाएगी और प्लेक इंडियन-अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड को अत्यन्त प्रशंसनीय लेखाओं के लिए दिया जाएगा।

(3) बैंकों और वित्त संस्थाओं में से रजत शील्ड हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी।

(4) अन्य निकायों में से जैसे लोक न्यासों, सहकारी सोसाइटियों आदि में से किसी को भी पुरस्कार देने के लिए नहीं चुना गया है।"

4. वृत्तिक विकास समिति :—

1. समिति ने 28 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कानूनी शाखा लेखा परीक्षकों और प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कानूनी केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों तथा शाखा लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने के लिए सदस्यों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए आवेदन-पत्रों की जांच पड़ताल के बाद एक पैनल बनाया गया और प्राधिकारियों को पेश किया गया ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना आसान हो सके।

2. समिति कानूनी लेखा-परीक्षा और बैंकों की राजस्व/निरीक्षण लेखा परीक्षा की फीस बढ़ाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बराबर बातचीत कर रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को कानूनी केन्द्रीय और कानूनी शाखा लेखा-परीक्षकों को सदेय लेखा-परीक्षा फीस 1992-93 लेखा-परीक्षा वर्ष से पुनरीक्षित कर दी गई है। इसी प्रकार, वर्ष 1992-93 के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कानूनी लेखा-परीक्षकों को संदेय लेखा-परीक्षा फीस यात्रा भत्ता और ठहरने का भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।

3. समिति ने 4 और 5 दिसम्बर, 1992 को नई दिल्ली में पूंजी बाजार प्रवृत्तियां और विनिधान परामर्श-कर्म पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। उद्घाटन और समापन तथा विदाई के अलावा सम्मेलन के चार तकनीकी सत्र थे। पूरे देश से लगभग 160 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

4. इस वर्ष विशेषकर वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में हाल की गतिविधियों के संदर्भ में, प्रबन्ध परामर्श सेवा पद की परिभाषा की समीक्षा की। समिति की सिफारिशों के आधार पर परिषद ने परिभाषा का पुनरीक्षण कर दिया है। पुनरीक्षित परिभाषा सदस्यों की सूचनार्थ संस्थान की पत्रिका में प्रकाशित कर दी गई है।

5. "प्रोफेशनल अपोरचुनिटीज फार मेम्बर्स : एन अप्रेजल" नामक प्रकाशन समिति द्वारा अद्यतन तथा पुनरीक्षित कर दिया गया है।

5. उद्योग के सदस्यों की समिति :

1. समिति ने उद्योग के सदस्यों के फायदे के लिए अहमदाबाद शाखा के सहयोग से 19-20 जून, 1993 को अहमदाबाद में प्रबन्ध और वित्त सेवाओं पर सम्मेलन आयोजित किया।

2. समिति द्वारा बनाई गई स्कीम के अनुसार फिलहाल केन्द्रीय अधिकारियों के अतिरिक्त प्रादेशिक परिषदों ने भी अपने क्षेत्र के सदस्यों को नियोजन सहायता देना शुरू कर दिया है।

6. निगमित विधि समिति :

1. समिति ने 19–21 नवम्बर, 1992 को मुम्बई में वित्तीय विधि समिति के सहयोग से वित्तीय और निगमित विधियों पर 24वीं अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में विभिन्न प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर संगठनों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2. संस्थान आज्ञापक पर्यावरण विषय रिपोर्टिंग के क्रियान्वयन तथा इस बाबत हमारी वृत्ति की भूमिका संबंधी विषय पर पर्यावरण और वन मंत्रालय से सम्पर्क बनाए हुए है। मंत्रालय के निदेश पर संस्थान द्वारा गठित विशेष अध्ययन दल के विचार जो सरकार को भेजे जा चुके हैं, मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

3. समिति ने कम्पनी अधिनियम को पुन: संहिताबद्ध करने के दौरान कम्पनी कार्य विभाग से निकट सम्पर्क बनाये रखा और विभाग से निदेश प्राप्त होने पर अनेक तकनीकी मुद्दों पर अपनी राय प्रकट की। कम्पनी कार्य विभाग को समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए अनेक सुझाव विधेयक में समाविष्ट हैं। समिति कम्पनी विधेयक, 1993 के विभिन्न उपबंधों पर सुझावों से युक्त एक विस्तृत ज्ञापन को अंतिम रूप दे रही है।

7. राजवित्तीय विधि समिति

1. केन्द्रीय बजट

संस्थान का बजट पूर्व ज्ञापन केन्द्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री सी.बी.डी.टी. और अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। संस्थान का बजट अन्तर ज्ञापन जिसमें वित्त विधेयक, 1993 पर टिप्पणियां और सुझाव अंकित थे, भी, उपरोक्त प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। बजट पूर्व ज्ञापन और बजट-उत्तर-ज्ञापन के संबंध में अध्यक्ष, सी.बी.डी.टी. और अन्य प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

2. चलैया समिति रिपोर्ट पर अभ्यावेदन

राजा चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति की अंतिम रिपोर्ट 1992 में जारी की गई थी। संस्थान ने कर सुधार समिति की अंतिम रिपोर्ट पर सरकार को अपने सुझाव पेश किए।

3. राज वित्तीय और निगमित विधियों पर अखिल भारतीय संगोष्ठी

निगमित विधि समिति के साथ संयुक्त रूप से समिति ने मुम्बई में 17 नवम्बर, से 21 नवम्बर, 1992 तक राज वित्तीय और निगमित विधियों पर 24वीं अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी का विषय था "अविनियमन और उदारीकरण-परिवर्तन जरूरी"। संगोष्ठी में देश भर के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4. सरकार को अभ्यावेदन

प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत विषयों पर समय-समय पर अध्यक्ष, सी.बी.डी.टी. के साथ अनेक बैठकें की गई। समिति ने उपधारणात्मक कराधान की स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। सी.बी.डी.टी. को अनेक अभ्यावेदन दिए गए।

5. अन्य

खैराती और आर्थिक न्यासों तथा संस्थाओं के कराधान विषयक अध्याय पुनरीक्षणाधीन है। समिति ने "आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.बी. और धारा 80 एच.एच.सी. के अधीन लेखा परीक्षा" तथा "मेनाधाफ आन कम्पलसरी मेनटेनेन्स आफ अकाउन्ट्स" विषयक प्रकाशन का पुनरीक्षण भी शुरू कर दिया है, फर्मों और उसके भागीदारों का कराधान विषयक एक नया प्रकाशन निर्माणाधीन है।

8. सतत वृत्तिक शिक्षा समिति

श्रृंखलाबद्ध संगोष्ठियां

संस्थान की श्रृंखलाबद्ध संगोष्ठी स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष समकालीन प्रासंगिकता के अनिवार्य क्षेत्रों की खोज करना तथा केन्द्रीय परिषद, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के समन्वित प्रयासों के जरिये उस पर संगोष्ठियां आयोजित करनी होंगी। वर्ष 1993 के लिए संगोष्ठियों की दो श्रृंखलाओं की योजना निम्न प्रकार बनाई गई है :—

(क) कम्पनी विधेयक 1993 पर लगातार संगोष्ठियां

राज्य सभा में कम्पनी विधेयक 1993 पुरःस्थापित होने पर यह महसूस किया गया कि विधेयक के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श से वर्तमान उपबंधों में इस विधेयक द्वारा लाये जाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों के भावार्थ समझने में तथा कारगर ढंग से उन पर चलने में वृत्ति को मदद मिलेगी।

इस लक्ष्य की दिशा में तकनीकी निदेशालय ने एक रूप बुनियादी सामग्री का संकलन किया जिसमें विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर वृत्ति के सदस्यों के अनेक विश्लेषणात्मक लेखों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंध में प्रस्तावित अन्तरों का विश्लेषणात्मक विस्तृत टिप्पण दिया गया था जो संगोष्ठियों में भाग लेने वालों में वितरित करने के लिए था।

(ख) वित्त पोषण नीतियां और विनिधान परामर्श-कर्म पर लगातार संगोष्ठियां

वित्तीय सेवाओं के कुछ खास पहलुओं पर ध्यान देने पिछले वर्ष लगातार संगोष्ठियों का यही विषय था तथा उस पर गहरी जानकारी देने का फैसला किया गया। तदनुसार ऐसे दो क्षेत्रों की खोज की गई। वे है—वित्त पोषण संबंधी नीति और विनिधान परामर्श-कर्म।

तकनीकी निदेशालय ने एक रूप बुनियादी सामग्री का संकलन किया। ताकि इन संगोष्ठियों में परिचर्चा का आधार बनाया जा सके और हमारे सदस्यों के लिए एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में काम आ सके

आशा है, देश भर में लगभग 90 संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी जिनमें 15,000 सदस्य लाभान्वित होंगे।

2. कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम खासतौर पर इस तरह बनाए गए हैं कि संस्थान के सदस्यों और छात्रों की जरूरतें पूरी हो सकें। योजना है कि पाठ्यक्रम के दो चरण होंगे। पहला चरण है अभिसंस्करण पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य विभिन्न लेखाकरण प्रयोगों के लिए कम्प्यूटरों का इस्तेमाल और व्यावहारिक अभिसंस्करण प्रदान करना। दूसरे चरण में कम्प्यूटर एप्लीकेशन मोड्यूल आते हैं। ये विभिन्न मोड्यूलों में डाले गए उच्च पाठ्यक्रम हैं।

सदस्यों और छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए एक सीमित संख्या में कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

वर्ष के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

(क) वित्तीय प्रबंध और प्रबंध लेखाकरण पर कार्यक्रम।

(ख) लेखापालों के लिए कम्प्यूटर अभिसंस्करण पाठ्यक्रम।

(ग) लेखापालों के लिए आंकड़ों पर आधारित प्रबंध पर कार्यक्रम।

वर्ष के दौरान कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में 1300 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।

3. अन्य पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान अन्य निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

— विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और उत्पाद शुल्क के आयामों पर संगोष्ठी अगस्त, 1992 में बंगलौर में आयोजित की गई थी। उसमें लगभग 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

— निगमित वित्त और विधि के आयामों पर आई. सी. ए. आई. और आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. का संयुक्त कार्यक्रम जनवरी 1993 में जयपुर में आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

4. अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

तीनों अर्हतोत्तर पाठ्यक्रमों अर्थात प्रबंध लेखा-कर्म पाठ्यक्रम, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम और कर प्रबंध पाठ्यक्रम के लिए मई, 1992 में और प्रबंध लेखा-कर्म पाठ्यक्रम के लिए नवम्बर, 1992 में परीक्षाएं आयोजित की गई थीं ।

अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्य चर्या को पुनरीक्षित किया जा रहा है । ताकि पाठ्यक्रमों को प्रभावकारी तथा व्यावहारिक बनाया जा सके । वित्तीय सेवाओं की बढ़ती महत्ता के फलस्वरूप प्रबंध लेखाकर्म में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की प्रस्तावित पाठ्यचर्या में वित्तीय सेवाओं पर अधिक बल दिया गया है ।

5. योग्यता छात्रवृत्ति

अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1992-93 में समिति ने प्रबंध लेखाकर्म पाठ्यक्रम के लिए 7 योग्यता छात्रवृत्तियां दी और 1 योग्यता छात्रवृत्ति कर प्रबंध पाठ्यक्रम के लिए दी ।

6. मैनेजमेन्ट एण्ड इकोनामिक डाइजेस्ट

संस्थान ने वर्ष 1992-93 में त्रैमासिक पत्रिका "मैनेजमेन्ट एण्ड इकोनामिक डाइजेस्ट" के चार अंक प्रकाशित किए । उनमें प्रबंध और अर्थशास्त्र विषयों में समकालीन मुद्दों पर महत्वपूर्ण लेखों के सार छापे गए हैं ।

7. विशेषज्ञ मार्गदर्शक समिति

इस वर्ष के दौरान समिति ने अनेक शंकाओं पर विचार किया और उनका समाधान किया । 'द कम्पेनडियम आफ ओपीनियन्स खंड 11' बिक्री के लिए जारी किया गया । "द कम्पेनडियम आफ ओपीनियन्स खंड 12", में जनवरी, 1990 और जनवरी, 1993 के बीच जारी की गई समिति की राय समाविष्ट है, इस पर कार्यवाई हो रही है और इसके शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना है । "द कम्पेनडियम आफ ओपीनियन्स" के पिछले खंडों का पुनरीक्षण चल रहा है ।

8. नैतिक मानदण्डों और लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से निकालने विषयक समिति

वर्ष के दौरान समिति ने सदस्यों के वैयक्तिक आचरण संबंधी शंकाओं और लेखा परीक्षकों को अनुचित रूप से निकाले जाने से संबंधित अभिकथनों पर विचार किया ।

समिति ने संस्थान द्वारा प्रकाशित "कोड आफ कन्डक्ट" (आचार संहिता) को अद्यतन बनाने का भी विचार किया और परिषद को अनेक सुझाव दिए ।

9. विश्वविद्यालय और अन्यान्य माध्यमिक बोर्ड संपर्क समिति

1. विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां

देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्यान्य माध्यमिक बोर्डों के साथ संस्थान के सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों में समिति ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से संगोष्ठियां आयोजित कीं :—

(1) हैदराबाद में 26 और 27 दिसम्बर, 1992 को "बदलते परिवेश में वाणिज्य शिक्षा-संभावनाएं" विषय पर उस्मानिया कामर्स कालेज ।

(2) ऋषिकेश में 13 और 14 जून, 1993 को भारत में व्यवसायिक शिक्षा का उभरता महत्व पर एल. एम. एस. राजकीय (पी.जी.) कालेज ।

2. विश्वविद्यालयों द्वारा आई. सी. ए. आई. पुरस्कार/स्वर्ण पदक

संस्थान ने बी. काम परीक्षा में लेखा-कर्म में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आई. सी. ए. आई. स्वर्ण पदक/पुरस्कार देने के लिए 26 विश्वविद्यालयों में पूर्त निन्यास बनाए हैं । ऐसे विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गई है :—

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	पुरस्कार
1.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	पुरस्कार
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	पुरस्कार
3.	बंगलौर विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
4.	भारतीदासान विश्वविद्यालय, त्रिचरापल्ली	पुरस्कार
5.	मुंबई विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
6.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	पुरस्कार
7.	कालीकट विश्वविद्यालय	पुरस्कार
8.	दिल्ली विश्वविद्यालय	पुरस्कार
9.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	पुरस्कार
10.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	पुरस्कार
11.	जम्मू विश्वविद्यालय	पुरस्कार
12.	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर	पुरस्कार
13.	करुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	पुरस्कार
14.	लखनऊ विश्वविद्यालय	पुरस्कार
15.	मद्रास विश्वविद्यालय	स्वर्ण पदक
16.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	पुरस्कार
17.	मराठावाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	पुरस्कार
18.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	पुरस्कार
19.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गंटूर	स्वर्ण पदक
20.	नोर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर	पुरस्कार
21.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	स्वर्ण पदक
22.	पूना विश्वविद्यालय	पुरस्कार
23.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	पुरस्कार
24.	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	पुरस्कार
25.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	पुरस्कार
26.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	पुरस्कार

3. सी. ए. पाठ्यक्रम को मान्यता

संस्थान चार्टर्ड लेखाकर्म पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. कार्यक्रम के लिए मान्य कराने के लिए विश्वविद्यालयों से बराबर संपर्क बनाए हुए है । भारतीय विश्वविद्यालय संघ और इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट (अहमदाबाद और कलकत्ता) के अलावा

इस समय 39 विश्वविद्यालय सी. ए. पाठ्यक्रम को पी. एच. डी. के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एम. काम. के समकक्ष मानती हैं। उन विश्वविद्यालयों की सूची जिन्होंने सी. ए. पाठ्यक्रम को इस प्रयोजन के लिए मान्यता दी है, नीचे दी गई है :—

1. संघ

भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली ।

2. संस्थान

1. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, अहमदाबाद ।
2. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, कलकत्ता ।

3. विश्वविद्यालय

1. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।
2. अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलगप्पा नगर, कारीकुडी।
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
5. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर ।
6. भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचरापल्ली ।
7. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई ।
8. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट ।
9. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
10. गांधीजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम ।
11. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
12. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ।
13. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
14. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।
15. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।
16. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (केरल) ।
17. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।
18. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
19. एम. एस. विश्वविद्यालय आफ बड़ौदा, बड़ौदा ।
20. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ।
21. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर ।
22. मराठावाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।
23. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ।
24. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
25. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
26. नोर्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग ।
27. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
28. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी ।
29. पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
30. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ।
31. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।
32. रांची विश्वविद्यालय, रांची ।
33. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर ।
34. स्वराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोटा ।
35. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।
36. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, त्रिपति ।
37. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) ।
38. काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।
39. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ ।

परिशिष्ट-4

बदलते आर्थिक परिवेश में "वृत्ति" विषय पर

चार्टर्ड अकाउन्टेंटों का 13वां अखिल भारतीय सम्मेलन

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 2.2)

सम्मेलन में परिचर्चा के प्रविषय

प्रथम तकनीकी सत्र : "भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा"

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्त संग्रहण
2. नये आयाम—पूंजी बाजार में विनियम
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधियों के अंतर्गत वर्गीकरण और मूल्यांकन

दूसरा तकनीकी सत्र : "वृत्ति और नैतिक आचरण"

1. जोखिम मूल्यांकन पर आधारित लेखापरीक्षा दृष्टि
2. लेखांकन मानक—मुद्दे और समस्याएं
3. बदलते परिवेश में आचार संहिता

तीसरा तकनीकी सत्र : "कर विधियों में सुधार"

1. निगमित विधियों में हाल में हुए परिवर्तन
2. कर विधियों में हाल में हुए परिवर्तन
3. अनिवासी भारतीय—विधियां

परिशिष्ट-5

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 4)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. अंतरराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ (आई. एफ. ए. सी.)

सन् 1977 से भारत अंतराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ का सदस्य है। इस अवधि के दौरान संस्थान को इस अंतराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ की परिषद और इसकी कुछ समितियों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

आलोच्य कालावधि के दौरान संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री के. जी. सोमाणी उक्त परिसंघ की परिषद् में अक्तूबर, 1992 तक भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। तत्पश्चात्, संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री के. एम. अग्रवाल ने उक्त परिवर्तन की नवीन परिषद् में संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री ए. एच. दलाल अंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षा पद्धति समिति में संस्थान के नामनिर्देशिती के रूप में दिसम्बर, 1992 तक कार्य करते रहे। जनवरी, 1993 में श्री एन. सी. सुंदरराजन अंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षा पद्धति समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संस्थान के नामनिर्देशिती हैं। परिषद के सदस्य श्री ए. के. चक्रवर्ती दिसम्बर, 1992 तक अंतरराष्ट्रीय लेखापाल परिसंघ की शिक्षा समिति के सदस्य रहे।

लेखापालों का चौदहवां विश्व सम्मेलन (कांग्रेस) वाशिंगटन, डी. सी. (संयुक्त राज्य अमरीका) में तारीख 11 से 14 अक्तूबर, 1993 तक हुआ। इस सम्मेलन में सारे विश्व से 2,600 लेखापालों ने भाग लिया। संस्थान की ओर से तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री एन. पी. शारदा ने 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। संस्थान की ओर से इस विश्व सम्मेलन में दो निबंध प्रस्तुत किए गए। केन्द्रीय परिषद् के सदस्य श्री ए. के. चक्रवर्ती ने "प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन एण्ड प्रैक्टिस : रैसीप्रोसिटी" पर और इसी संस्थान के एक अन्य सहकर्मी (फैलो) सदस्य डा. अविजीत सेन ने "अकाउन्टेन्ट्स रोल इन इम्प्रूविंग बिजनेस परफोर्मेंस" पर अपने निबंध प्रस्तुत किए।

2. अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक समिति बोर्ड

अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक समिति बोर्ड के सन् 1973 में गठन के पश्चात् भारत को प्रथम बार इसकी सदस्यता ग्रहण किए जाने के लिए आमंत्रित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष श्री एन. पी. शारदा ने जनवरी, 1993 से इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया।

3. एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों का महासंघ (कन्फेडरेशन)

संस्थान सन् 1976 में एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों के महासंघ के गठन के समय से ही इसका सदस्य है। पूर्व अध्यक्ष श्री के. एस. अग्रवाल ने दक्षिण एशियाई लेखाओं के परिसंघ ("साफा") के अध्यक्ष के रूप में इस महासंघ की कार्यकारी समिति में भाग लिया। इस एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लेखापालों के महासंघ का 13वां सम्मेलन वानकाउवर ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में तारीख 26 सितम्बर, 1993 से 29 सितम्बर, 1993 तक होना निश्चित हुआ है।

4. दक्षिण एशियाई लेखापालों का परिसंघ

संस्थान इस परिसंघ ("साफा") का एक स्थापक सदस्य है जिसे 1984 में स्थापित किया गया। "साफा" की सभा (असैम्बली) की 19वीं और 20वीं बैठकें क्रमशः लाहौर और कोलम्बो में हुई।

संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री के. एम. अग्रवाल 14 जनवरी, 1993 तक "साफा" के अध्यक्ष रहे। श्रीलंका के चार्टर्ड लेखापालों के संस्थान के अध्यक्ष श्री एन. ए. एल. कैबाल ने तारीख 14 जनवरी, 1993 को कोलम्बो, श्रीलंका में हुई "साफा" की सभा (असैम्बली) की 20वीं बैठक में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सभा की उक्त बैठक में श्री के. एम. अग्रवाल को "साफा" का सलाहकार निर्वाचित किया गया।

"साफा" का स्थायी सचिवालय संस्थान के नई दिल्ली परिसर में स्थित है जिसके डा. कमल गुप्त, संस्थान के तकनीकी निदेशक इसके सचिव हैं। "सार्क" की मान्यता दिलाने में "साफा" ने उल्लेखनीय योगदान किया है। इस संबंध में आवेदन का भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा पृष्ठांकन करके इसे "सार्क" सचिवालय को प्रेषित किया गया है।

परिशिष्ट- VI

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 53)

पत्रिका में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेखों के पुरस्कार विजेता

बोर्ड ने जुलाई, 1992 से जून, 1993 की अवधि में पत्रिका में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेखों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार देने का विनिश्चय किया है :—

मुख्य खण्ड

1. पुरस्कार (1500 रुपए)—डा. ओम प्रकाश कार्जीपेट कृत: "डाइरेक्ट टैक्सेज रिफार्म्स : एन इम्पोर्टेण्ट नीड फार प्रैगमेटिज्म" (मई 1993)।
2. पुरस्कार (1000 रुपए)—सत्य प्रकाश सिंह और मनोज आनंद कृत: "प्रोस्पेक्ट्स आफ प्रोजेक्ट अप्रेजल इन ए चैंजिंग इकोनोमिक सीनेरियो" (अक्तूबर, 1992)।
3. पुरस्कार (500 रुपए)—अनन्त सीतारमण कृत: "कम्प्यूटर वाइरसेस : ग्रोइंग थ्रैट टू कम्प्यूटर यूजर्स" (दिसम्बर, 1992)।

छात्र खण्ड

1. पुरस्कार (750 रुपए)—एस. आर. श्रीनिवासन कृत "एन ओवरव्यू आफ मैनेजमेन्ट थाट" (जनवरी, 1993)।
2. पुरस्कार (500 रुपए)—विनोद हरिहरन शंकर कृत "द टैन कमांडमेन्ट्स फार सी. ए. स्टूडेन्ट्स" (अगस्त, 1992)।

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 6.2)

मृत सदस्यों की सूची (1992-93)

क्रम सं.	सदस्यता सं.	नाम	तारीख
01.	00123	एस. एन. गुप्ता	24-08-92
02.	00187	बी. गुहा	12-01-93
03.	00315	बी. महालिंगम	26-04-92
04.	00398	डी. एल. मोयत्रा	05-01-93
05.	00427	जे. एम. वोतीवाला	08-01-91
06.	00466	डी. बी. सब्बावार	10-01-93
07.	00556	एन. एल. नरसिंहा राव	31-12-92
08.	00585	बी. सी. मुखर्जी	08-06-92
09.	00714	एम. एन. भार्गव	15-03-93
10.	00822	देवी प्रसाद सेन	21-01-93
11.	00860	आर. बी. सेठ	09-08-92
12.	00863	पी. एल. कपाड़िया	03-05-92
13.	01102	एल. ई. मर्चेन्ट	04-08-92
14.	01308	डी. अमूल्यचन	24-01-92

क्रम सं.	सदस्यता सं.	नाम	तारीख
15.	01587	एस. बी. गुप्ता	15-09-92
16.	01667	एस. वी. महन्डले	30-06-92
17.	01700	आर. के. परमार्थी	17-04-91
18.	01784	पी. बी. पटेल	04-06-90
19.	01907	आर. वेंकटारमन	17-09-92
20.	01908	आर. एन. सी. कृष्णन	12-12-92
21.	02040	सर्वधर गुप्ता	01-11-92
22.	02095	बाल कृष्ण गोस्वामी	18-12-92
23.	02195	वी. गणपति	19-08-92
24.	02384	राज नन्दन ठाकुर	12-03-92
25.	02455	वी. वी. रामाराव	19-11-92
26.	02479	एम. बृहमय्या	18-12-91
27.	02545	जे. एल. के. प्रसाद	31-12-92
28.	02666	एस. एन. शिपचन्दलर	27-08-92
29.	02718	डी. के. केशव	15-07-91
30.	02802	के. वी. चन्दरमौली	09-05-92
31.	02923	एन. के. पटेल	12-08-92
32.	03094	एस. कृष्णामूर्ति	24-02-92
33.	03208	टी. वी. वीरईस्वामी	24-08-92
34.	03222	ए. सी. दासगुप्ता	04-08-92
35.	03223	एस. आर. अयंगर	12-02-93
36.	03332	के. जी. भाटिया	05-08-92
37.	03524	समीर दत्ता	01-07-92
38.	03704	जी. के. मिश्रा	25-08-92
39.	03861	एन. मंथिरामूर्ति	05-08-92
40.	03993	एम. एच. हिलूवाला	01-03-92
41.	04123	सी. जी. शाह	12-11-92
42.	04257	एस. डी. पटेल	09-12-92
43.	04952	एस. सरकार	24-06-91
44.	05044	पी. जैकब	23-04-92
45.	05429	एस. जी. सुब्रामण्यम	20-02-92
46.	05717	एस. सी. भंसाली	12-07-92
47.	06246	जे. के. कपाडिया	04-12-92
48.	06579	ओम प्रकाश रस्तोगी	22-05-92
49.	06605	वी. पी. सर्राफ	12-02-92
50.	06747	पी. वी. बहल	23-01-93
51.	06859	वी. नारायण	19-12-92
52.	07114	पी. आर. मजूमदार	27-08-92
53.	07310	ए. गजाशेखरन	25-12-91
54.	07455	के. एन. प्रभु	05-04-92
55.	07699	एम. सी. व्यास	10-09-92
56.	08039	एच. एस. जी. राव	04-02-93
57.	08622	ओम प्रकाश बूबना	01-12-92
58.	08822	डी. सरकार	25-06-92
59.	08930	विजय वत्स	15-12-92
60.	10574	एस. नारायणन	17-08-92
61.	12231	एस. सी. शाह	23-05-92
62.	12500	वाई. एन. भगत	29-07-92
63.	12510	एस. एन. नाथ	02-08-92
64.	12540	आई. लक्ष्मीनाराण	08-05-92
65.	13687	एन. के. सेठी	13-01-93
66.	13886	एन. एन. घोष	18-07-92
67.	14918	आर. डी. वैश	21-11-91
68.	16375	जी. वी. पारेख	05-04-92
69.	16583	एस. के. भूवानिया	10-12-92
70.	16615	पी. सी. मेहता	24-12-92
71.	16898	आई. एम. गुप्ता	21-09-92
72.	16970	डी. एन. गुप्ता	23-03-92
73.	018227	पी. एस. विजय शंकर	17-10-92
74.	018793	एस. शंकरनारायणन	26-03-92
75.	019129	आर. बालकृष्णन	10-09-92
76.	020720	एम. शिवास्वामी	05-04-92
77.	021323	के. बी. बलुलया	29-04-91
78.	021346	एस. चंद्रामोली	30-03-92
79.	023600	ए. सुरेश	08-01-92
80.	028975	आर. श्रीसेलम	08-03-93
81.	029862	एस. श्रीधर	20-12-92
82.	040168	आर. बी. जाधव	12-02-92
83.	042059	एन. जे. शाह	11-12-91
84.	042382	आर. एम. गांधी	21-07-92
85.	052450	एस. के. बलसारिया	11-04-92
86.	053340	राज कुमार कोठारी	27-10-92
87.	070171	एन. ए. कृष्णामूर्ति	29-06-92
88.	070267	आर. डी. एम. चौहान	23-09-92
89.	071243	राम लाल गल्यानी	29-02-92
90.	071555	के. राधाकृष्ण अय्यर	09-05-92
91.	071947	जी. वी. वार्ष्णेय	30-05-92
92.	081221	जी. सी. बनर्जी	25-01-93

93. 081242 के. शंकरनारायण राव—04-07-92
94. 081528 एस. के. चांद—12-01-92
95. 085360 पी. के. जैन—21-05-91
96. 085874 एल. के. जुनेजा—26-12-91
97. 090596 प्रेम कुमार—11-08-92
98. 201954 वी. वी. बृन्देन्द्र—11-10-92

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 7.1)

फांऊडेशन (प्राथमिक) पाठ्य-क्रम के लिए रजिस्टर में दर्ज छात्रों की क्षेत्रवार संख्या

पश्चिमी भारत क्षेत्र	11018
दक्षिणी भारत क्षेत्र	6278
पूर्वी भारत क्षेत्र	6328
मध्य भारत क्षेत्र	7068
उत्तरी भारत क्षेत्र	9105
योग	39797

इंटरमीडियट (मध्यमाह् और अन्तिम पाठ्यक्रम के लिये रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या

(सन्दर्भ रिपोर्ट का पैरा 7.4)

	मध्यमा	अन्तिम	योग
1-4-1992 को रजिस्टर में दर्ज छात्रों की संख्या	71,716	16,915	88,631
वर्ष 1992-93 में प्रविष्ट किये गये छात्रों की संख्या	14,205	7,441	21,646
योग	85,921	24,256	110,277
वर्ष (मई, 1992 तथा नवम्बर, 1992 में) अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या (—)	6,587	4,255	10,842
31-3-1993 को प्रविष्ट छात्रों की कुल संख्या	79,334	20,101	99,435

परिशिष्ट IX

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 8)

1992 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में बैठे उत्तीर्ण छात्रों के आंकड़े

प्रवेश परीक्षा—1992

परीक्षा का मास और वर्ष	परीक्षा में बैठें छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
मई, 1992	2522	307
नवम्बर, 1992	4195	13 32

इन्टरमीडियट (मध्यमा) और अन्तिम परीक्षा, 1992

	मध्यमा		अन्तिम	
	मई	नवम्बर	मई	नवम्बर
समूह-1				
परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	14683	18118	5373	6249
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	2560	4156	2120	1249
समूह-II				
परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	19405	20104	7750	7307
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	3978	3065	2893	1785
दोनों समूह				
परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	6273	7520	2218	2105
उत्तीर्ण घोषित छात्रों की संख्या	608	981	537	203

परिशिष्ट-10

(संदर्भ-रिपोर्ट का पैरा 8)

मई, 1992 और नवम्बर, 1992 में आयोजित संस्थान की परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के नाम

अंतिम परीक्षा : मई, 1992

निम्नलिखित अभ्यार्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र दिए जाएगें :—

रैंक	अनुक्रमांक	नाम
i	11233	कु० तपाड़े तनुजा सूरजकिशरप (800 में से कुल अंक 562) ।
ii	2973	कु० स्वर्ण सुब्बयदा पिल्लई (800 में से कुल अंक 558) ।
		और
ii	12101	बपनेश कुमार अग्रवाल (800 में से कुल अंक 558) ।
iii	1158	विमल रेवड़ी (880 में से कुल अंक 546)) ।
		और
iii	5905	संजय गुप्ता (800 में से कुल अंक 546) ।

1. वी. वी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक जोकि सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है कुमारी तपाड़े तनुजा सूरजकिरण (अनुक्रमांक 11233) को दिया जाएगा ।

2. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला जे. एस. लोधा स्वर्ण पदक कुमारी तपाड़े तनुजा सूरज-किरण (अनुक्रमांक 11233) को दिया जाएगा ।

3. कुमारी तपाड़े तनुजा सूरज किरण (अनुक्रमांक 11233) को सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिए जाने वाले रामचन्द्र सिंघी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा ।

4. कुमारी स्वर्ण सुब्बय्या पिल्लई (अनुक्रमांक 2973) और बचनेश कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक 12101) को जयंतीलाल के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार से जोकि द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दिया जाता है, सम्मानित किया जाएगा ।

5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी को दिया जाने वाला आर. शिवभोग पुरस्कार कुमारी तपाड़े तनुजा सूरज किरण (अनुक्रमांक 11233) जिसने 800 अंकों में से कुल अंक 562 प्राप्त किए हों, को प्रदान किया जाएगा ।

6. प्रथम वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला केरल वर्मा पुरस्कार बचनेश कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक 12101) जिसने 400 अंक में से 299 अंक अर्जित किए, को दिया जाएगा ।

7. द्वितीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार मनील एडवर्ड सारेस (अनुक्रमांक 5147) और कुमारी तपाड़े तनुजा सूरज किरण (अनुक्रमांक 11233) जिन्होंने 400 में से 294 अंक प्राप्त किए, को संयुक्त विजेता के रूप में दिया जाएगा ।

8. लेखांकन के सर्वोत्कृष्ट पेपर (प्रश्नपत्र 1 और 2) के लिए दिया जाने वाला स्वर्ग सापूरजी बिलमोरिया पुरस्कार के. चन्द्रशेखरन् (अनुक्रमांक 9970) जिसने 200 अंक में से 166 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

9. उच्च लेखांकन (पेपर 1) के लिए सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला के. सी. खन्ना पुरस्कार राजेश गुप्त (अनुक्रमांक 1995) जिसमें 100 अंक में से 87 अंक प्राप्त किए राजेश गुप्त को प्रदान किया जाएगा ।

10. प्रबन्ध लेखांकन के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला जे. के. बाबी पुरस्कार राजीव बाबी (अनुक्रमांक 1164) जिसने 100 में से 82 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

11. लेखापरीक्षा के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला ए. पी. फर्ग्युसन पुरस्कार और आर. वेंकटेशन स्मारक पुरस्कार कुमारी तपाड़े तनुजा सूरजकिरण (अनुक्रमांक 11233) जिसने 100 में से 76 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

12. लेखा-परीक्षा के पेपर में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाली महिला अभ्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला सुखनंदन गुप्त कपूरी देवी पुरस्कार सुश्री तपाड़े तनुजा सूरजकिरण (अनुक्रमांक 11233) जिसने 200 में से 76 अंक अर्जित किए को दिया जाएगा ।

13. कम्पनी विधि के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एस. एम. शाह पुरस्कार बचनेश कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक 12101) जिसने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

14. प्रत्यक्ष कर विधि के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए उन. एम. शाह पुरस्कार, सूरी स्मारक पुरस्कार आर. ए. जे. शाह-अमिता स्मारक पुरस्कार शाह सुबोध विजय कुमार (अनुक्रमांक 11248) जिसने 100 में से 83 अंक अर्जित किए को प्रदान किया जाएगा ।

15. सिस्टम एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला टी. आर. चड्ढा पुरस्कार कु. प्रियाधजन (अनुक्रमांक 4087) जिसने 100 में से 82 अंक प्राप्त किए का दिया जाएगा ।

16. कास्ट अकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए आर. वी. के. उमरजी पुरस्कार कु. वी. रफेका (अनुक्रमांक 2869) जिसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

17. मेनेजेरियल एकानोमिक्स और नेशनल अकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए वेंकटाचलम् मोहन पुरस्कार वी. चन्द्रशेखर (अनुक्रमांक 9146) जिसने 100 में से 51 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

इंटरमीडिएट परीक्षा मई, 1992

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक	अनुक्रमांक	नाम
i	41216	भट्ट, सुभाष मोहन (700 में से कुल अंक 483) ।
ii	12179	जोशी, रवीन्द्र हंसमुखराय (700 में से कुल अंक 477) ।
iii	12674	बोरोटी मुरली मोहन (700 में से कुल अंक 474) ।

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष पुरस्कार भट्ट सुभाष मोहन (अनुक्रमांक 14216) को प्रदान किया जाएगा ।

2. जे. एस. लोधा स्वर्ण पदक जोकि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाता है भट्ट सुभाष मोहन (अनुक्रमांक 14216) को प्रदान किया जाएगा ।

3. एकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला प्रोफेसर टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार पारिख ज्वलंत सतीश (अनुक्रमांक 12800), को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 82 अंक प्राप्त किए हैं ।

4. आय-कर के मूल तत्व पर सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किए जाने वाला यू. के. भार्गव पुरस्कार जोशी रवीन्द्र हंसमुखराय (अनुक्रमांक 12179) को दिया जाएगा । उन्होंने 50 में से 42 अंक प्राप्त किए हैं ।

5. आडिटिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला दिनेश हिम्मतलाल शाह पुरस्कार और आर. सी. खन्ना पुरस्कार मनोज कुमार त्रिवेदी (अनुक्रमांक 3275) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं ।

6. मर्केन्टाइल विधि, कम्पनी विधि और औद्योगिक विधि के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला मुकेश सी. माथुर पुरस्कार जिमुलिया बोर्डांग दसघालु (अनुक्रमांक 14343) को दिया जाएगा । उन्होंने 100 में से 72 अंक प्राप्त किए हैं ।

7. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए दिया जाने वाला शैलेश कपाड़िया पुरस्कार जोशी रवीन्द्र हंसमुखराय (अनुक्रमांक 12179) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 700 में से कुल 477 अंक प्राप्त किए हैं ।

ह्स्ता./-
(जगदम्बा प्रसाद)
वरिष्ठ उप सचिव (परीक्षा)

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान

(परीक्षा प्रभाग)

इन्द्रप्रस्थ मार्ग, पोस्ट बाक्स नं. 7112, नई दिल्ली-110002

पुरस्कार विजेता

अंतिम परीक्षा नवम्बर, 1992

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक	अनुक्रमांक	नाम
i	2398	गुप्त, संजय कुमार (800 में से कुल अंक 554) ।
ii	3500	फिरोज परवेज मोदकवाला (800 में से कुल अंक 550) ।
iii	1697	दिलीप कुमार पटनी (800 में से कुल अंक 530) ।

1. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला जी. पी. कपाड़िया प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण पदक गुप्त संजय कुमार (अनुक्रमांक 2398) को दिया जाएगा ।

2. जे. एस. लोधा स्वर्ण पदक जोकि सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाता है गुप्त संजय कुमार (अनुक्रमांक 2398) को प्रदान किया जाएगा ।

3. सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी को दिया जाने वाला रामचन्द्र सिंधी पुरस्कार गुप्त संजय कुमार (अनुक्रमांक 2398) को प्रदान किया जाएगा ।

4. वर्ष 1992 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का जी. बसु प्रतिष्ठान पुरस्कार सुश्री तपाड़े तनुजा सूरजकिरण (अनुक्रमांक 11233) को मई 1992 की परीक्षा (800 में से कुल प्राप्तांक 562) के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाएगा ।

5. सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला आर. शिवभोगम् पुरस्कार कु. रीमा सेन (अनुक्रमांक 1058) को प्रदान किया जाएगा ।

6. वर्ष 1992 की सर्वश्रेष्ठ महिला अभ्यर्थी के लिए दिया जाने वाला एस. विश्वनाथन् स्मारक पुरस्कार कु. तपाड़े तनुजा सूरजकिरण (अनुक्रमांक 11233) को मई, 1992 की परीक्षा जिसमें उसने 800 में से कुल अंक 562 प्राप्त किए के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा ।

7. द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त किए जाने के लिए दिया जाने वाला जयंतीलाल. के. ठक्कर स्मारक पुरस्कार फिरोज परवेज मोदकवाला (अनुक्रमांक 3500) को प्रदान किया जाएगा ।

8. वर्ष 1992 के द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला शैलेश कपाड़िया पुरस्कार संयुक्त रूप से सुश्री स्वर्ण सुब्बय्या पिल्लई (अनुक्रमांक 2973) और अवनीश कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक 12101) को वर्ष 1992 को आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (800 में से कुल प्राप्तांक 558) के आधार पर प्रदान किया जाएगा ।

9. प्रथम वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए केरन धर्मा स्मारक पुरस्कार गुप्त संजय कुमार (अनुक्रमांक 2398) को प्रदान किया जाएगा उन्होंने 400 में से 278 अंक प्राप्त किए हैं

10. प्रथम वर्ग में वर्ष 1992 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को लिए एन. एन. दास पुरस्कार बचनेश कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक 12101) को मई, 1992 में आयोजित परीक्षा में उसके प्रदर्शन (400 में से 299 अंक) की दृष्टि से प्रदान किया जाएगा ।

11. द्वितीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी के लिए पी. एन. घोष स्मारक पुरस्कार कु. रीमा सेन (अनुक्रमांक 1058) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 400 में से 285 अंक प्राप्त किए हैं ।

12. द्वितीय वर्ग में वर्ष 1992 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला बालचन्द्र स्मारक पुरस्कार संयुक्त रूप में सुनील एडवर्ड सोरेस (अनुक्रमांक 5147) और सुश्री तपाड़ तनुजा सूर्याकिरण (अनुक्रमांक 11233) को मई, 1992 में आयोजित परीक्षा में उनके प्रदर्शन (400 में से कुल प्राप्तांक 294) को दृष्टिगत करते हुए प्रदान किया जाएगा ।

13. एडवांस्ड एकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला के. सी. खन्ना पुरस्कार अपूर्व राजेन्द्र शाह (अनुक्रमांक 2441) को दिया जाएगा । उन्होंने 100 में से 86 अंक प्राप्त किए हैं ।

14. अकाउन्टेंसी के (पेपर 1 और 2) में सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला सर सापुरजी बिलमोरिया पुरस्कार विक्रम भास्कर (अनुक्रमांक 5141) जिसने 200 में से 159 अंक प्राप्त किए को प्रदान किया जाएगा ।

15. मेनेजमेंट एकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला जे. के. दोषी पुरस्कार गुप्त संजय कुमार (अनुक्रमांक 2398) को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने 100 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं ।

16. आडिटिंग पर सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिए जाने वाले ए. एफ. फर्ग्यूसन पुरस्कार आर. आर. वेंकटेशन स्मारक पुरस्कार अकील ए. मास्टर (अनुक्रमांक 2396) को प्रदान किए जाएंगे । उन्होंने 100 में से 73 अंक प्राप्त किए हैं ।

17. आडिटिंग विषय में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाली महिला अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला सुखनंदन गुप्त कपूरी देवी पुरस्कार सुश्री एस. सौम्या (अनुक्रमांक 10547) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं ।

18. कम्पनी विधि के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किए जाने वाले यू. सी. मजूमदार पुरस्कार और एम. एन. शाह पुरस्कार गुप्त संजय कुमार (अनुक्रमांक 2398) जिसने 100 में से 67 अंक प्राप्त किए को दिए जाएंगे ।

19. प्रत्यक्ष कर विधि के विषय से संबंधित सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिए जाने वाले एन. एम. शाह पुरस्कार सूरी स्मारक पुरस्कार और ए. जे. शाह-अमिता स्मारक पुरस्कार अपूर्व राजेन्द्र शाह (अनुक्रमांक 2441) को प्रदान किए जाएंगे । उन्होंने 100 में से 77 अंक प्राप्त किए हैं ।

20. सिस्टम एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए दिया जाने वाला टी. आर. चड्ढा पुरस्कार फिरोज परवेज मोवडावाला (अनुक्रमांक 3500) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 84 अंक प्राप्त किए हैं ।

21. कास्ट एकाउन्टिंग के सर्वोत्कृष्ट पेपर के लिए प्रदान किया जाने वाला आर. बी. के. उमरजी पुरस्कार संजय कुमार अग्रवाल (अनुक्रमांक 1169) को दिया जाएगा । उन्होंने 100 में से 85 अंक प्राप्त किए हैं ।

22. मेनेजेरियल एकानोमिक्स और नेशनल अकाउन्टिंग के पेपर में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वेंकटाचलम् मोहन पुरस्कार कु. एस. सौम्या (अनुक्रमांक 10547) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं ।
किए हैं ।

इंटरमीडिएट परीक्षा नवम्बर, 1992

निम्नलिखित अभ्यर्थियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे :—

रैंक	अनुक्रमांक	नाम
i	5699	कु० बी० मीनाक्षी (700 में से कुल 533 अंक) ।
ii	18127	निरंजन कुमार गुप्त (700 में से 516 अंक) ।
iii	13309	एम० बी० गणेश (700 में से कुल 507 अंक) ।

1. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को प्रदान किया जाने वाला जी. पी. कपाडिया प्रथम अध्ययन पुरस्कार कु. बी. मीनाक्षी (अनुक्रमांक 5699) को प्रदान किया जाएगा ।

2. सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को दिया जाने वाला जे. एस. लोधा पुरस्कार कु. बी. मीनाक्षी (अनुक्रमांक 5699) को प्रदान किया जाएगा ।

3. वर्ष 1992 के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए सूरी स्मारक पुरस्कार कु. बी. मीनाक्षी (अनुक्रमांक 5699) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने नवम्बर, 1992 में आयोजित परीक्षा में 533 अंक प्राप्त किए ।

4. अकाउन्टिंग के पेपर में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए प्रोफेसर टी. एस. ग्रेवाल पुरस्कार निरंजन कुमार गुप्त (अनुक्रमांक 18127) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 93 अंक प्राप्त किए ।

5. आयकर के मूल तत्व पेपर में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला यू. के. भार्गव पुरस्कार सुश्री संगीता स्वरूपचन्द (अनुक्रमांक 24839) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 50 में से 49 अंक प्राप्त किए हैं ।

6. लेखा-परीक्षा के पेपर में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए विनोद हिम्मत लाल शाह पुरस्कार और के. सी. खन्ना पुरस्कार कु. जरा मेरिया डुगालड डायस (अनुक्रमांक 24866) को प्रदान किए जाएंगे । उन्होंने 100 में से 74 अंक प्राप्त किए हैं ।

7. मर्केन्टाइल विधि, कम्पनी विधि और औद्योगिक विधि के पेपर में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए सुरेश सी. माथुर पुरस्कार कु. एस. लावण्य (अनुक्रमांक 0540) और कु. प्रीति बंसल (अनुक्रमांक 15117) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 100 में से 76 अंक प्राप्त किए ।

8. द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए दिया जाने वाला शैलेश कपाड़िया पुरस्कार निरंजन कुमार गुप्त (अनुक्रमांक 18127) को प्रदान किया जाएगा । उन्होंने 700 में से 516 अंक प्राप्त किए ।

जगदम्बा प्रसाद
वरिष्ठ उप सचिव (परीक्षा)

परिशिष्ट 11

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 9.1)

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की सूची

डब्ल्यू. आई. आर. सी.

1. अहमदाबाद
2. आनन्द
3. औरंगाबाद
4. बड़ोदा
5. गोआ
6. जलगांव
7. कोल्हापुर
8. नागपुर
9. नासिक
10. पुणे
11. राजकोट
12. सांगली
13. शोलापुर
14. सूरत

एस. आई. आर. सी.

1. अलेप्पी
2. बंगलोर
3. बेलगाम
4. कालीकट
5. कोयम्बटूर
6. इर्नाकुलम
7. इरोड
8. गंटूर
9. हुबली
10. हैदराबाद
11. कोटायाम
12. कुम्बाकोनम
13. मदुरई
14. मंगलौर
15. मैसूर
16. पालघाट
17. पांडिचेरी
18. किलोन
19. सलेम
20. त्रिचनापल्ली
21. त्रिनेलवेली
22. त्रिपुर
23. त्रिचूर
24. त्रिवेन्द्रम
25. तूतीकोरन
26. वैलोर
27. विशाखापटनम
28. विजयवाड़ा

ई. आई. आर. सी.

1. आसनसोल
2. भुवनेश्वर
3. कटक
4. दुर्गापुर
5. गुवाहाटी
6. सिलीगुड़ी

सी. आई. आर. सी.

1. आगरा
2. अजमेर
3. इलाहाबाद

4. अलवर

5. बरेली

6. भीलवाड़ा

7. भोपाल

8. देहरादून

9. धनबाद

0. गाजियाबाद

1. ग्वालियर

2. इन्दौर

3. जयपुर

4. जमशेदपुर

5. जोधपुर

6. कोटा

7. लखनऊ

8. मेरठ

9. नोएडा

20. पटना

21. रायपुर

22. रांची

23. उदयपुर

24. वाराणसी

एन.आई.आर.सी.

1. अमृतसर

2. चण्डीगढ़

3. फरीदाबाद

4. हिसार

5. जालन्धर

6. जम्मू

7. लुधियाना

8. शिमला

9. यमुनानगर

आडिटर (लेखापरीक्षक) की रिपोर्ट

हमने अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के 31 मार्च, 1993 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की और साथ ही उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के उपाबद्ध आय और व्यय लेखा की भी, जिसमें संस्थान के कार्यालय, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं तथा छात्रों की संस्थाओं और उनकी शाखाओं के लेखा सम्मिलित हैं, संपरीक्षा की है और यह प्रतिवेदन करते हैं कि :—

1. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

2. तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा, जिनके बारे में प्रतिवेदन किया गया, लेखा बहियों (बुक्स आफ एकाउंट) के अनुसार हैं;

3. हमारे मतानुसार, लेखाओं को चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अनुरूप रखा गया है; तथा

4. हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न अनुसूचियों और उनके साथ पठित टिप्पण सहित विवरण निम्नलिखित का सही और ऋजु (उचित) चित्र प्रस्तुत करते हैं :—

(1) तुलन-पत्र की दशा में, 31 मार्च, 1993 को यथा-विद्यमान कार्यकलापों की स्थिति का; तथा

(2) आय और व्यय लेखा की दशा में उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष का।

नई दिल्ली
दिनांक : 30 अगस्त, 1993
एम. आर. वेंकटरामन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सी. पी. मेहरा
चार्टर्ड एकाउंटेंट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली

एकाउंटिंग (लेखाविधि विषयक) नीतियां

1. फैलो मेम्बरों (अध्येताओं) से प्रवेश शुल्क और एसोसिएट सदस्यों से प्रवेश शुल्क के 2/3 (दो तिहाई) भाग को पूंजीकृत किया गया है। छात्रों के क्रियाकलापों से होने वाले अधिशेष के एक युक्तियुक्त भाग को शिक्षा निधि में अंतरित किया गया है और इस सीमा तक इस निधि का पूर्ववर्ती वर्ष में पूंजी आरक्षिति में अंतरित की गई—स्थिर आस्तियों के संबंध में उपयोग किया गया है।

2. लेख, प्रकाशनों तथा अध्ययन सामग्रियों की सूचियों का कम लागत के अनुसार मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य रखा गया है। इस प्रयोजन के लिए लागत, प्रत्यक्ष लागत पद्धति के आधार पर अभिनिश्चित की गई है।

3. विनिधानों का मूल्यांकन लागत के अनुसार किया गया है।

4. अवमूल्यन : स्थिर आस्तियां ऐतिहासिक लागत आधार के अनुसार दिखाई गई हैं तथा लिखित मूल्य पद्धति (रिटिन डाउन वैल्यू मैथड) के आधार पर अवमूल्यित की गई हैं। पुस्तकालय की पुस्तकें यथास्थिति पद्धति (स्टेटलाइन मैथड) के आधार पर अवमूल्यित की गई हैं। परिवर्धनों पर अवमूल्यन पूरे वर्ष भर वसूल किया जाता है।

5. छात्रों की संस्थाओं तथा उनकी शाखाओं के लेखाओं को, जिनका अब तक समेकित लेखा में सम्मिलित किए जाने के लिए उपयोग किया जाता था, कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार इस वर्ष के समेकित लेखा में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान उन्हें संदत्त अनुदानों तथा फीस को व्यय में डाला गया है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1993 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र (पृष्ठ-01)

	अनुसूची	रुपये	31-3-93 रुपये	रुपये	31-3-92 रुपये
5 निधि के स्रोत :					
पूंजी आरक्षितियां	क		56,165,693		46,183,515
अन्य आरक्षितियां	ख		42,364,547		22,921,692
सुरक्षित निधि	ग		10,354,446		6,292,827
योग			108,848,686		75,398,024
निधि का अनुप्रयोग :					
स्थिर आस्तियां					
सकल खण्ड		69,139,932		63,128,264	
घटा : अवमूल्यन		(27,470,633)		(23,153,782)	
शुद्ध खण्ड	घ				
निर्माणाधीन गुणन	ङ		41,669,299		39,974,422
सुरक्षित विनिधान			17,593,329		6,544,684
अन्य विनिधान			10,354,446		6,292,827
(क) बैंकों में सावधि निक्षेप		29,835,980		10,278,192	
(ख) पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बांड		9,821,763		10,183,432	
(ग) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के बांड		300,160		300,160	
(घ) बैंकों में निक्षेप प्रमाण पत्र		7,500,000			
			47,457,903		20,761,784
चालू आस्तियां, उधार तथा अग्रिम	च	43,935,011		40,002,174	
घटा : चालू दायित्व तथा प्रावधान		(16,324,422)		(14,089,121)	
शुद्ध चालू आस्तियां		27,610,589		25,913,053	
घटा : अग्रिम में प्राप्त फीस/आय		(35,800,380)	(8,190,291)	(24,088,746)	1,824,307
			108,884,686		75,398,024

टिप्पण : निम्नलिखित 31 मार्च 1993 को यथाविद्यमान लेखा का भाग है ।

(1) दो शाखाओं के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि वर्ष के दौरान उन्हें संवत्त अनुदान तथा फीस और उनकी आस्तियों तथा दायित्वों के आरम्भिक अतिशेष सम्मिलित कर लिए गए हैं।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) (iv) के अधीन सरकार से छूट सम्बन्धी अधिसूचना के लिए लम्बित प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए जो अब तक निर्धारण वर्ष 1987-88 तक मंजूर की गई थी, करावधान के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(3) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समं तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

एम० आर० वेंकटरामन
चार्टर्ड एकाउंटेंट

सो० पी० मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

ए० के० मजूमदार
सचिव

देवेन्द्र कुमार
उप सचिव

एन० पी० शारवा,
अध्यक्ष

बी० पी० राव
उपाध्यक्ष

नई दिल्ली
दिनांक 30 अगस्त, 1993

6—259GI/93

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का आय व्यय लेखा

पृष्ठ–2

	अनुसूची	1992–93 रुपये	1991–92 रुपये
1. आय			
(क) सदस्य	छ	49,821,391	43,081,003
(ख) छात्र		77,528,188	46,860,783
योग		127,349,579	89,941,786
2 व्यय	ज		
(क) सदस्य		47,201,850	41,228,57
(ख) छात्र		57,846,116	46,440,662
योग		105,047,966	87,669,237
3. वर्ष का अधिशेष			
(i) शिक्षा निधि में अन्तरित	ग	9,841,037	210,060
(ii) साधारण आरक्षिति में अन्तरित	ख	12,460,576	2,062,489
योग		22,301,613	2,272,549
योग		127,349,579	89,941,786

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

		ए० के० मजूमदार	एन० पी० शारवा,
		सचिव	अध्यक्ष
		देवेन्द्र कुमार	बी० पी० राव
एम० आर० वेंकटरामन,	सी० पी० मेहरा,	उप सचिव	उपाध्यक्ष
चार्टर्ड एकाउन्टेंट	चार्टर्ड एकाउन्टेंट		

नई दिल्ली,

दिनांक 30 अगस्त, 1993

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची (क)—पूंजी आरक्षिति

पृष्ठ – 3

(रकम रुपयों में)

विवरण	31–3–1993	31–3–1992
(क) साधारण :		
अन्तिम लेखों के अनुसार अतिशेष	32,800,963	29,439,854
घन : दाखिला फीस तथा आवंटित प्रवेश शुल्क	1,313,400	1,075,000
घन : भवन के लिए दान	3,041,151	2,285,702
घन : भूमि (त्रिवेन्द्रम) के विक्रय से लाभ	300,000	5,126
घन : अन्य आरक्षिति से अन्तरित	—	—
घटा : ऐसे सदस्यों द्वारा, जिनके नाम काट दिए गए हैं, देय प्रवेश शुल्क के लिए समायोजन	--	(16,719)
योग (क)	37,6 63,514	32,809,963
(ख) शिक्षा :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	13 374,552	13,077,424
घन : शिक्षा निधि से अन्तरित	5,137,627	297,128
योग (ख)	18,502,179	13,374,552
कुल योग (क) + (ख)	56,165,693	46 183 515

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'ख'—अन्य आरक्षितियां

विवरण	31-3-1993	31-3-1992
(क) साधारण आरक्षिति :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	19,829,784	17,698,07
घन : आय-व्यय लेखा से अधिशेष	12,460,576	2,062,489
घन : अन्य आरक्षिति से अन्तरित रकम	67,968	122,763
घटा : सुरक्षित निधि में अन्तरित रकम	(82,193)	(54,175)
योग (क)	32,276,135	19,829,784
(ख) अनुसन्धान आरक्षिति :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	—	—
घन : सुरक्षित निधि से अंतरित	661,111	—
घन : वर्ष में प्राप्त दान	6,543,628	—
योग (ख)	7,204,739	—
(ग) अन्य (केवल प्रादेशिक परिषदों एवं शाखाओं के लिये)		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	3,091,898	30,57,622
घन : वर्ष के दौरान शुद्ध अनुवृद्धि/समायोजन	203,268	157,039
घन : सुरक्षित निधि से अन्तरित रकम	156,475	
	3,451,641	3,214,661
घटा : पूंजी आरक्षिति में अन्तरित रकम	(500,000)	
घटा : साधारण आरक्षिति में अन्तरित रकम	(67,968)	(122,763)
योग (ग)	2,883,673	3,091,898
कुल योग (क)+(ख)+(ग)	42,364,547	22,921,682

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'ग'—आरक्षित निधि

(रकम रुपयों में)

विवरण	31-3-1993	31-3-1992
(1) शिक्षा निधि :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	--	75,65
आय-व्यय लेखा से अन्तरित	9,841,037	210,06
वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	--	7,565
	9,841,037	293,278
पुराने राइट आफ के मद्दे उधार छात्रवृत्ति की पुनः प्राप्ति	1,580	3,850
	9,842,617	297,128
पूंजी आरक्षिति में अन्तरित	(5,127,627)	(297,128)
योग (क)	4,714,990	—

विवरण	31-3-1993	31-3-1992
(2) अनुसन्धान निधि :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	1,898,875	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	20,000	
वर्ष के दौरान उपार्जित आय	152,844	
	2,071,719	
वर्ष के दौरान व्यय	(8,833)	
अनुसन्धान आरक्षित में अन्तरित	(661,111)	
	1,401,775	1,898,875
(3) मण्डल तथा पुरस्कार निधि :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	968,644	857,866
वर्ष के दौरान परिवर्धन	46,000	100,000
वर्ष के दौरान उपार्जित आय	101,452	99,944
समायोजन	(14,160)	
	1,01,936	1,057,810
प्रदान किये गये मेडल तथा पुरस्कारों की लागत	(70,714)	(89,166)
	1,031.222	968,644
(4) अन्य निधियाँ :		
अन्तिम लेखा के अनुसार अतिशेष	3,425,308	3,398,781
वर्ष के दौरान परिवर्धन	264,599	89,187
साधारण आरक्षिति से अन्तरित	82,193	54,175
अन्य आरक्षिति में अन्तरित	(156,475)	—
समायोजन	(37,964)	(243,198)
वर्ष के दौरान उपार्जित आय	277,850	196,194
वर्ष के दौरान व्यय	3,855,511	3,485,139
	(649,052)	(59,831)
	3,206,459	3,425,308
योग (ख)	5,639,456	6,292,827
सम्पूर्ण योग (क) + (ख)	10,354,446	6,292,827

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'घ'—स्थिर आस्तियां

(रकम रुपयों में)

आस्तियां	सकल ब्लाक				अवमूल्यन				शुद्ध ब्लाक	
	1-4-1992 को यथा विद्यमान लागत	समायोजन अन्तरण	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31-3-1993 को यथा विद्यमान लागत	1-4-1992 को यथा विद्यमान	समायोजन अन्तरण विद्यमान	वर्ष के दौरान	31-3-1993 को यथा विद्यमान	31-3-93 को यथा विद्यमान डब्ल्यू० डी० वी०	31-3-92 को यथा विद्यमान डब्ल्यू डी० वी०
1. भूमि	3,938,133	9,060	3,947,193						3,947,193	3,938,133
2. भवन	23,884,766	177,215	2 436 441	26,498 422	5,500,374		1,049,902	6,550,276	19,948,146	18,384,392
3. विद्युत इंस्टालेशन्स तथा फिटिंग्स	4,670,689	(1,187)	153,238	4,822,740	1,787,988	246	314,864	2,103,098	2,719,642	2,882,701
4. एयर कण्डीशनिंग	2,680,431		568,682	3,249,113	1,749,567		224,931	1,974,498	1,274,615	930,864
5 फर्नीचर तथा फिक्सचर	8,271,121	(59,833)	870,454	9,081,742	3,723,909	(38,336)	539,546	4,225,119	3,856,623	4,547,21
6. लिफ्ट	309,911			309,911	231,370		7,854	239,224	70,787	78,541
7. कार्यालय उपस्कर	4,374,398	(11,983)	656,463	5,018,878	2,168,155	(10,238)	425,244	2,583,161	2,435,717	2,206,243
8. यान (गाड़ी)	397,869		51,591	449,460	161,187		57,683	218,870	230,590	236,682
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	6,596,668	(50,386)	609,202	7,155,484	5,085,965	(61,896)	634,707	5,658,776	1,496,708	1,510,703
10. कम्प्यूटर	8,004,218	1	602,770	8,606,989	2,745,267	1	1,172,343	3,917,611	4,689,378	5,258,951
योग	63,128,284	53,827	5,957,901	69,139,932	23,153,782	(110,223)	4,427,074	27,470,633	41,669,299	39,974,422
पूर्व वर्ष	52,872,951	(133,577)	10,388,830	63,128,204	18,897,239	(60,460)	4,317,003	23,153,782	39,974,422	

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'ङ'—सुरक्षित वित्तधान

(रकम रुपयों में)

सुरक्षित निधि वित्तधान	बैंकों में सावधि क्षेप/बान्ड/यूनिट		प्रोद्भूत ब्याज		बैंक खातों में अतिशेष		योग	
	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992
1. शिक्षा निधि	4,713,410		—	—	1,580	—	4,714,990	
योग (क)	4,713,410	—	—	—	1,580	—	4,714,990	
2. अनुसन्धान निधि	1,244,804	1,824,804	92,720	—	64,251	74,071	1,401,775	1,898,875
3. मेडल तथा पुरस्कार निधि	963,471	789,668	21,320	42,931	46,431	136,045	1,031,222	968,644
4. अन्य निधि	2,868,285	3,105,901	140,711	126,792	197,463	193,115	3,206,459	3,425,308
योग (ख)	5,076,560	5,720,373	254,751	169,223	308,145	403,231	5,639,456	6,292,827
योग (क)+(ख)	9,789,970	5,720,373	254,751	169,223	309,725	403,231	10,354,446	6,292,827

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची 'ब' —शुद्ध चालू आस्तियां

(रकम रुपयों में)

विवरण		31-3-1993		31-3-1992
चालू आस्तियां				
(क) प्रकाशन अध्ययन सामग्री तथा लेखन सामग्री स्टाक		5,395,325		6,780,438
(ख) प्राप्त रकम :				
(i) विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज	2,951,235		2,379,891	
(ii) आवास तथा यान उधारों पर ब्याज	2,042,766		1,794,475	
(iii) प्रतिभूति निक्षेप	346,919		641,829	
(iv) अन्य प्राप्य	3,800,482	9,141,402	1,800,243	6,616,438
(ग) उधार तथा अग्रिम				
(i) कर्मचारि वृंद (स्टाफ) को अग्रिम (आवास, यान तथा अन्य उधार)	8,057,372		7,948,431	
(ii) शाखा भवन के लिये ब्रिज उधार	2,722,500		72,500	
(iii) अग्रिम तथा पूर्व भुगतान	3,417,743		3,126,300	
		14,197,615		11,147,231
(घ) नकदी तथा बैंक अतिशेष		15,200,669		15,458,067
योग		43,935,011		40,002,174
घटा : चालू दायित्व प्रावधान				
(क) व्यय के मेनदार		6,732,627		8,998,169
(ख) पेंशन निधि के लिये प्रावधान		5,00,000		2,000,000
(ग) अन्य दायित्व		4,591,795		3,090,952
योग		16,324,422		14,089,121
शुद्ध चालू आस्तियां		27,610,589		25,913,053

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखा का उपाबन्ध

अनुसूची—'छ'
(रकम रुपयों में)

आय	कुल		सदस्य				छात्र	
			विधिवत्		व्यावसायिक विकास तथा अनुसंधान			
	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992
1. प्रवेश शुल्क (आबंटित)	387,000	315,900	387,000	315,900				
2. सदस्यता शुल्क	34,633,044	33,568,531	34,633,044	33,568,531				
3. छात्र रजिस्ट्रीकरण शुल्क	1,753,535	1,740,360						
4. छात्र संघ शुल्क	355,375	361,850					355,375	361,850
5. कोचिंग शुल्क	46,699,090	19,061,819					46,699,090	19,061,819
6. परीक्षा शुल्क	19,685,644	18,989,433			22,205	20,000	19,663,439	18,969,433
7. जर्नल तथा न्यूज लेटर	1,770,943	1,883,179			989,700	917,870	781,243	965,309
8. प्रकाशनों का विक्रय	5,223,836	4,571,136		25,815	1,419,299	1,186,425	3,804,537	3,358,896
9. निर्वाचन के लिये नामांकन शुल्क		105,000		105,000				
10. कम्प्यूटर केन्द्रों से आय	1,758,539	1,527,272			1,318,905	1,145,454	439,634	381,818
11. सेमिनारों से आय	5,730,515	3,097,712			5,730,515	3,097,712		
12. अन्य आय	2,364,073	1,529,362	2,110	8,652	1,044,016	632,722	1,317,947	887,988
13. प्रावधान, जिनका पुनरांकन अब अपेक्षित नहीं है	1,584,159		302,762		569,650		711,747	
अनु-योग	121,945,753	86,751,554	35,324,916	34,023,898	11,094,290	7,000,183	75,526,547	45,727,473
14. विनिधानों पर ब्याज	5,157,702	3,190,232	2,382,465	1,330,408	903,300	726,514	1,871,937	1,133,310
अनु-योग	127,103,455	89,941,786	37,707,381	35,354,306	11,997,590	7,726,697	77,398,484	46,860,783
15. पूर्व कालावधि की आय	246,124		2,067		114,353		129,704	
योग	127,349,579	89,941,786	37,709,448	35,354,306	12,111,943	7,726,697	77,528,188	46,860,783

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखा का उपाबन्ध

अनुसूची 'ज'

(रुकम रूपयों में)

क्र.	व्यय	कुल		सदस्य				छात्र	
				विधिवत्		व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान			
		31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992
1.	वेतन तथा स्टाफ व्यय	35,411,704	30,930,993	10,777,732	9,544,596	5,051,795	3,994,881	19,582,177	17,391,516
2.	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	2,822,188	2,180,994	1,080,027	915,966	543,240	464,583	1,198,921	800,445
3.	प्रकाशन (प्रकाशित पुस्तकें)	2,896,142	2,598,701	467,575	654,483	874,449	816,280	1,554,118	1,127,938
4.	जर्नल तथा न्यूज लैटर	6,704,945	6,556,419			5,363,956	5,245,135	1,340,989	1,311,284
5.	कोचिंग व्यय	10,191,862	5,428,166					10,191,862	5,428,166
6.	परीक्षा व्यय	13,161,283	11,440,288					13,161,283	11,440,288
7.	डाक व्यय, टेलीफ़ोन तथा टेलीग्राम	3,348,898	2,778,172	1,339,559	1,111,269	334,890	277,817	1,674,449	1,389,086
8.	किराया, उप-कर तथा कर	3,528,623	3,360565	1,411,449	1,344,226	352,862	336,056	1,764,312	1,680,283
9.	मरम्मत तथा अनुरक्षण	1,734,320	882,602	693,728	353,041	173,432	88,260	867,160	441,301
10.	यात्रा और भत्ता								
	(क) परिषद् के सदस्य	3,660,623	2,770,875	897,322	626,819	1,788,607	1,383,850	974,694	760,206
	(ख) स्टाफ और अन्य	2,143,131	1,903,459	895,870	815,851	244,147	204, 841	1,003,114	882,767
11.	पुस्तकालय अनुरक्षण	220,112	271,119			55,028	67,780	165,084	203,339
12.	विदेश संबंध	3,318,557	1,881,341			3,318,557	1,881,341		
13.	व्यावसायिक शुल्क	662,621	711,430	207,385	208,100	342,027	419,460	113,209	83,870
14.	निर्वाचन		1,861,970		1,861,970				
15.	अध्ययन संस्थाओं को अनुदान तथा फीस	129,450						129,450	
16.	कंप्यूटर केन्द्रों के खर्चे (व्यय)	640,381	542,955			480,286	488,660	160,095	54,295
17.	सेमिनारों के खर्चे (व्यय)	6,274,186	3,886,871			6,274,186	3,835,094		51,777
18.	अन्य व्यय	2,988,234	2,988,107	691,570	1,205,361	1,065,816	924,354	1,230,848	858,392
19.	अवक्षरण	4,427,074	4,317,003	1,770,830	1,726,801	442,207	431,700	2,213,537	2,158,502
	अनु-योग	104,264,364	87,292,030	20,233,047	20,368,483	26,705,485	20,860,092	57,325,302	46,063,455
20.	पूर्व कालावधि के व्यय	783,632	377,207	56,328		206,490		520,814	377,207
	योग	105,047,966	87,669,237	20,289,375	20,368,483	26,911975	20,860,092	57,846,116	46,440,662

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण

(रुपये लाख में०)

	1992–93	1991–92
निधि के स्रोत :		
विनिधानों से शुद्ध आय	51.58	31.94
पूंजी प्राप्तियां	111.84	43.01
विनिधानों का आपन		14.17
अग्रिम में प्राप्त शुल्क/आय	117.12	70.37
अनु-योग	280.54	159.49
परिचालन अधिशेष/कमी	215.71	37.73
योग	496.25	197.22
निधियों का अनुप्रयोग		
कामकाज पूंजी में वृद्धि	16.98	38.67
स्थिर आस्तियों का अर्जन	171.70	133.01
प्रतिभूत उधार का समाशोधन		25.54
विनिधानों का अर्जन	307.57	
योग	496.25	197.22

कामकाज पूंजी में परिवर्तन का विवरण

(रकम रुपयों में)

	1992–93	1991–92
चालू आस्तियां		
(क) प्रकाशन, लेख, अध्ययन सामग्री तथा लेखन सामग्री आदि	(13.85)	12.44
(ख) प्राप्य रकम :		
(i) विनिधानों पर प्रोद्भूत ब्याज	5.71	3.74
(ii) आवास उधारों आदि पर ब्याज	2.48	1.97
(iii) प्रतिभूति निक्षेप	(2.95)	1.17
(iv) अन्य	20.01	8.86
(ग) उधार तथा अन्य		
(i) स्टाफ को अग्रिम	1.09	12.37
(ii) शाखा भवन हेतु ब्रिज लोन	26.50	
(iii) अग्रिम तथा पूर्व भुगतान	2.92	(3.51)
(घ) नकदी तथा बैंक अतिशेष	(2.57)	42.15
योग	39.34	79.19
चालू दायित्व :		
(क) व्यय के लेनदार	(22.65)	17.93
(ख) अन्य दायित्व	15.01	2.59
(ग) पेंशन निधि के लिये प्रावधान	30.00	20.00
योग	22.36	40·52
काम-काज पूंजी में शुद्ध वृद्धि	16.98	38.67

द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता-700016, दिनांक 10 सितम्बर 1993

सं. सी.डब्ल्यू.आर. (1)/93—जब कि यह कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियमन, 1959 का मसौदा विनियमन जो कि द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स अधिनियम 1959 (1959 की धारा 23) की धारा 39 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित इसमें संशोधन हेतु भारत सरकार के राजपत्र के भाग 3 खण्ड 4 में दिनांक 3 अप्रैल 1993 को द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया के आदेश के तहत अधिसूचना सं. सी.डब्ल्यू.आर (1) 92/3/93 दिनांक 9 मार्च 1993 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि इससे प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित तथा इसे जनसाधारण को उपलब्ध होने के पश्चात 45 दिनों की समाप्ति के पूर्व वे अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दें ।

और जब कि उक्त राजपत्र की प्रतिलिपियां जनसाधारण को 8 अप्रैल, 1993 को उपलब्ध कराई गई ।

और जब कि काउन्सिल द्वारा प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया ।

अत: अब द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स अधिनियम 1959 (1959 का 23 के तहत धारा 39 की उपधारा (1) के तहत दी गई क्षमता का अनुसरण करते हुए द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स रेग्युलेशन, 1959 में और भी संशोधन हेतु कुछ विनियमन बनाएं है : यथा :—

1. (1) ये विनियमन कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स (एमेन्डमेन्ट) विनियमन 1993 के नाम से परिचित होंगे।

(2) ये विनियमन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स रेग्युलेशन, 1959 में

ए. विनियमन 20 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित होगा यथा :—

20 : पंजीकरण की शर्तें :

पंजीकृत विद्यार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह फार्म 1 में आवेदन करे तथा काउन्सिल को संतुष्ट करने हेतु इस तथ्य का साक्ष्य प्रमाणित करे कि वह निम्नलिखित अर्हताएं प्राप्त कर चुका है :

क. इस विनियमन के अंतर्गत निर्धारित आधारभूत परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ।

ख. किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर ली है या उसके समतुल्य अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ।

(ख) विनियमन 20 क से ग तक के लिए निम्नलिखित विनियमनों को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :

20 क. आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रवेश :

आधारभूत पाठ्यक्रम परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस आशय हेतु काउन्सिल द्वारा निर्धारित फार्म पर आवेदन करे और काउन्सिल को सन्तुष्ट करते हुए इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने :

(क) आवेदन पत्र देने की तिथि पर अपने आयु के 17 वर्ष पूरे कर लिए है । और

(ख) 10 + 2 योजना के तहत उसने सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या किसी केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या उसने आल इण्डिया काउन्सिल आफ टेक्नीकल एजुकेशन द्वारा संचालित नेशनल डिप्लोमा इन कामर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या उसी प्राधिकरण के तहत आल इण्डिया काउन्सिल की परीक्षा जो किसी स्टेट बोर्ड आफ टेक्नीकल एजकेशन द्वारा संचालित की जाती है उसने उत्तीर्ण कर ली है । या नेशनल काउन्सिल आफ रुरल हायर एजकेशन द्वारा संचालित डिप्लोमा इन रुरल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

20ख. फाउन्डेशन कोर्स परीक्षा हेतु फीस, प्रश्न पत्र तथा पाठ्य-विवरण :

फाउन्डेशन कोर्स परीक्षा में किसी भी अभ्यार्थी को तब तक प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि वह निर्धारित फार्म पर रू. 125/- (रूपये एक सौ पच्चीस मात्र) या काउन्सिल द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है और या अन्यथा परीक्षा में बैठने की पात्रता रखता है और उसके बाद निम्नलिखित विषयों में उसकी परीक्षा ली जायेगी :—

फाउन्डेशन कोर्स (आधारभूत पाठ्यक्रम)

प्रश्नपत्र : 1 व्यापार के मूल सिद्धांत और अर्थनीति 100 अंक

खण्ड : 1 व्यापार के मौलिक सिद्धांत 50 अंक

उद्देश्य : अभ्यार्थि का व्यापार जगत से परिचित कराना तथा उसे अर्थनीति और व्यापारिक कार्यप्रणाली मूल सिद्धांतों से परिचित कराना

ज्ञान का स्तर : आधारभूत ज्ञान

1. व्यापारिक इकाईयों के प्रकार : पूर्ण मालिकाना, भागीदारी, कम्पनियां, कोआपरेटिव्स, हिन्दू अविभक्त परिवार, संयुक्त स्टाक कम्पनियां : लोक उपयोगी सेवाएं तथा राज्यकीय उद्यम ।

2. कम्पनी व्यवस्था और प्रबंधन ।

कम्पनियों के प्रकार : उनका गठन, निगमात्मक संस्था तथा व्यापारिक कार्यवाही प्रारंभ करना, एसोसिएशन का शापन और एसोसिएशन के अन्तर्नियम (आर्टिकल), परिचय पत्र (प्रोस्पेक्टस), शेयर्स तथा डिबेन्चर्स, बोर्ड आफ डाईरेक्टर्स तथा सांविधि तथा सामान्य सभाएं,

3. व्यापार के उद्देश्य, धारणाएं तथा सामाजिक युक्त जिम्मेदारी, व्यापार और इसका पर्यावरण, वैधानिक, राजनीतिक, अर्थनैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के अंतराफलक (इन्टरफेस)

4. स्टाक एक्सचेंज की कार्यप्रणाली.

डीलर्स तथा ब्रोकर्स (दलाल), लेन-देन, अर्थनैतिक महत्ता.

सदस्यता की शर्तें और स्टाक एक्सचेंज

5. व्यापार संचार तथा प्रतिवेदन लेखन

तार-संवाद प्रस्तुतिकरण, सार्वजनिक सूचना, तथा आमंत्रणपत्र, परिपत्र, विज्ञापन हेतु प्रारूप शिकायतों को फाईल करना, पत्र-लेखन

खण्ड. 2—अर्थनीति 50 अंक

1. व्याख्या, कार्यक्षेत्र तथा अर्थनीति विषयवस्तु;

कुछ मौलिक अवधारणाएं यथा उपयोगिता, संपत्ति, उत्पादन के घटक । मांग और आपूर्ति, साम्यावस्था, भूमि तथा भूमि के ह्रासमानता प्रत्यावर्तनीय नियम ।

2. श्रम तथा जनसंख्या के सिद्धांत पूंजी की व्याख्या और पूंजी का विकास, पूंजी-निर्माण हेतु उठाए जाने वाले कदम ।

3. बाजार की आकृति : पूर्ण प्रतियोगिता के अनुरूप मूल्य, अपूर्ण प्रतियोगिता के अनुरूप मूल्य ।

4. राष्ट्रीय आय : सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय का मापदण्ड, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में बाधाएं और उसका महत्व, अर्थनैतिक विकास तथा उतार-चढ़ाव, उपभोग, बचत और निवेश ।

वितरण : आय निर्धारण तथा किराया, वेतन, ब्याज और लाभ संबंधी संतुलनकारिता ।

5. धन : धन की व्याख्या और उसके कार्य धन के सिद्धांत, मुद्रास्फीति, उत्पादन पर मुद्रास्फीति का प्रभाव तथा संपत्ति वितरण मुद्रास्फीति नियंत्रण धन की आपूर्ति, तरलीयता अभिमान्यता एवं प्रबंधकीय दक्षता, ब्याज दर और निवेश

बैंकिंग : व्याख्या कार्य तथा बैंकिंग की उपयोगिता, वाणिज्यिक बैंकिंग के सिद्धांत तथा ऋण निर्माण, सशक्त बैंकिंग प्रणाली की अनिवार्यता ।

सेंट्रल बैंक : कार्य तथा नियंत्रण के औजार तथा मुद्रा-बाजार (मनी-मार्केट)

6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : आयात निर्यात के मूल आकार

7. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान यथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ सी.आई) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी आई) आयात-निर्यात (एक्जिम) बैंक एशियन डेवेलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, पुन: निर्माण तथा विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (वर्ल्ड बैंक) ।

8. नियोजन के सिद्धांत : अनियोजन के प्रकार, पूर्ण नियोजन की अवधारणा तथा उसे किस प्रकार उपलब्ध किया जाए ।

9. सार्वजनिक वित्त : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, कराधार का भार, उत्पादन पर कराधान का प्रभाव तथा वितरण, कर योग्य क्षमता, न्यून वित्तपोषण, अर्थनैतिक प्रणाली।

प्रश्नपत्र-2 प्रबंधन एवं संगठन 100 अंक

उद्देश्य : प्रबंधन और संगठन की विभिन्न अवधारणाओं तथा कार्यकारिता के कार्यकारी ज्ञान के अवसर प्रदान करना और इस तरह इस हद तक ज्ञान देना कि जितना आवश्यक हो उतना कास्ट एण्ड मैनेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट के रूप में कार्य किया जा सके ।

ज्ञान का स्तर : मूल ज्ञान ।

खण्ड-1 प्रबंधन 50 अंक

1. प्रबंधन की व्याख्या : प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न मतवाद और प्रबंधन की कार्यकारिता, प्रबंधन के सिद्धांत, प्रबंधन विचार-धाराओं का मूल्यांकन, वर्तमान प्रवृत्ति वृत्ति के रूप में प्रबंधन।

2. योजना, संगठन, कर्मचारी नियोजन हेतु निदेश, प्रेरणा, संचरण तथा नियंत्रण आवरणित प्रबंधन प्रक्रिया ।

3. प्रबंधन का प्रतिमान बोर्ड की नीतियां तथा उसके कार्य, निदेशक मंडल के संरचनात्मक प्रतिमान, क्षमता का प्रतिनिधान।

4. सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन : सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा, सामाजिक उद्देश्य ।

खण्ड. 2 संगठन 50 अंक

1. व्यापारिक उद्यम का आंतरिक संगठन, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, संगठन के सिद्धान्त : (1) गतिविधियों का समूहीकरण (ए) उत्पाद, सेवाएं, स्थान, ग्राहक, प्रक्रिया, कार्य तथा काल द्वारा समूहीकरण का विशिष्ट प्रतिमान ।

(ख) गतिविधियों के समन्वीकरण के सिद्धान्त : विशिष्टिकरण, नियंत्रण सह-योजन, सावधानी, अर्थनीति प्राधिकरण निश्चित करने हेतु संबंधों का संजाल निर्मित करना, प्रतिनिधित्व, कमान की श्रृंखला, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, विकेन्द्रीकरण, नियंत्रण का विस्तार ।

(2) प्राधिकारी उत्तरदायित्व का स्तर—कर्मचारी, कर्मचारियों की किस्म, कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति, परामर्शदात्री सेवाएं तथा नियंत्रण 0 कर्मचारियों के सम्बन्ध तथा रेखा (व्यवस्था) आन्तरिक संबंधक-समितियां तथा उनकी भूमिकाएं ।

2. अवधारणाएं तथा रूपक : संगठनात्मक विचार धारा के सिद्धांत । उच्च व्यवहार तथा प्रणाली, वर्तमान प्रवत्तियां तथा उनके मार्ग, प्रतिष्ठान में आचरण, प्रकृति, रूपक, प्रतिष्ठा तथा आचरण विज्ञान की भूमिका, प्रतिष्ठान में आचरण की प्रक्रिया ।

प्रश्न पत्र : 3

मूल अंक गणित तथा सांख्यिकर : 100 अंक

उद्देश्य : व्यापार संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गणात्मक उपकरणों के आधार की जानकारी तथा उनके प्रारंभिक अनुप्रयोग ।

ज्ञान का स्तर : आधारभूत ज्ञान ।

अंक गणित : मिक्स्चर्स, कम्प्यूटेशन-ब्याज का, बिल की डिस्काउन्टिंग, रेशियो तथा प्रपोर्शन ।

बीजगणित (एलजेब्रा) :

क. अंक प्रणाली-रियल, इमेजनरी, राशनल तथा इरराशनल ।

ख. सेटों का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनका संचालन ।

वेन डायग्राम के सरल व्यवहार द्वारा सोल्युशन, विवर्णियों में टर्न टेबल तथा उनका अनुप्रयोग ।

ग. इन्डिसेस तथा सर्ड्स वैरियेशन, लागरिथम्स, पेरिम्युटेशन तथा कम्बिनेशन, कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट ।

घ. लाइनियर सामल्टेनियस इक्वेशन प्रणाली के सोल्युशन (केवल 3 वैरियबलों के लिये) क्वारडाटिक इक्वेशन, सोल्युशन आफ लाइनियर इनइक्विलिटिज (केवल ग्राफिकल प्रणाली द्वारा)

मेन्स्युरेशन :

एरिया तथा त्रिकोणों पेरामीटर, सर्किल, पेरेलोग्रामाए, रेग्यलर-पालीगन, वोल्यम एण्ड सरफेस आफ क्यब, प्रिज्म, सिलिन्डर, पिरामिड, कोन, फस्ट्रम्स तथा स्फियर्स) जोन तथा सेगमेन्ट्स सहित) ।

प्लेन काआर्डिनेट ज्योमेट्री (रेक्टेन्ग्यलर कारटेशियन काआर्डिनेटस मात्र) लाइन सेगिमेन्ट की लम्बाई, सेक्शन रेशियो, लाइन का ग्रेडियेन्ट, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सर्किल्स, पैराबोलास्म, इलिप्स तथा हाइपर बोलास (केवल मानक फार्म) ।

प्रारंभिक सांख्यिकी (एलिमेन्ट्री स्टेटिस्टिक्स)

स्टेटिस्टिकल डाटा का ग्राफिकल प्रस्तमिकरण, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन, मेजर्स आफ सेन्टल टेन्डेन्सी (मी. मिडियान, मोड) डिस्पर्शन का मेजर्स (रेंज, मीन, डीवियेशन, स्टैंडर्ड वैरियेन्स) स्क्यूनेस तथा कुरटोसिस के मेजर्स ।

प्रश्न-पत्र 4

व्यापार विधि 100 अंक

उद्देश्य : कास्ट तथा मैनेजमेन्ट के एकाउन्टेन्टों को कार्य करने हेतु व्यापार के आधारभत कानून की पकड़ सुनिश्चित करना ।

ज्ञान का स्तर : आधार भत ज्ञान

1. कन्ट्रेक्ट एक्ट, 1972 (1872 का 9) कन्ट्रेक्ट की प्रकति, कन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ब्रीच हेतु रिमेडिस तथा कन्ट्रेक्ट के एलिमेन्ट ।

2. पार्टनरशीप एक्ट 1932 (1932 का 9)—सामान्य अवधारणाएं ।

3. माल विक्रय एक्ट 1930 (1930 का 3)—सामान्य अवधारणाएं ।

4. निगोशियेबल इन्स्टमेन्ट्स एक्ट, 1881 (1881 का 26)—सामान्य अवधारणाएं ।

20 सी. फाउन्डेशन कोर्स परीक्षा ।

1. फाउन्डेशन कोर्स की परीक्षा में बैठने वाले उस अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा यदि वह एक ही बार में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कुल अंकों के 40 प्रतिशत उस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों में अर्जित किये हो। जो भी हो काउन्सिल निम्नतम उत्तीर्ण अंको के विषय में अपने निर्णयानुसार परिवर्तन भी कर सकती है यह परिवर्तन किसी एक परीक्षा या सभी परीक्षाओं के लिए हो सकता है ।

2. एक परीक्षा में उत्तीर्ण व सफल अभ्यार्थी की तालिका काउन्सिल के निर्देशानुसार इन्स्टिच्यूट की पत्रिका में प्रकाशित की जायेगी । प्रत्येक अभ्यार्थी को उसका परिणाम तथा परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्र जिसमें वह बैठा है और उसमें उसने जो अंक प्राप्त किए हैं उसे व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा । किसी भी अभ्यार्थी को फाउन्डेशन कोर्स की परीक्षा में बैठने के लिए उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा अंक-पत्र दिया जायेगा ।

3. पूर्ववर्ती संकल्प में यदि विशेष रूप से प्रावधान हो तो अन्यथा, परीक्षा संचालन विषयक संकल्पों जो 36 से 43 है वे फाउन्डेशन कोर्स परीक्षा में लागू होंगे ।

4. फाउन्डेशन कोर्स की प्रथम परीक्षा जून, 1994 में होगी ।

ग. विनियम 25ए के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

"25ए-पुनःपंजीकरण : यदि किसी व्यक्ति का पंजीकरण संकल्प 25 के तहत निरस्त हो गया है तो वह अपेक्षित शुल्क के साथ फार्म-1 पर नये सिरे से पंजीकृत विद्यार्थी बनने के लिये आवेदन कर सकता है और उसका आवेदन-पत्र स्वीकार होने के बाद समस्त आशयों के लिये उसे प्रविष्ट माना जायेगा । और उसे माध्यमिक या अन्तिम परीक्षा में/किसी खास विषय में छूट पाने का अधिकार होगा जैसी भी स्थिति हो उसके द्वारा पूर्व पंजीकरण में प्राप्त किया गया हो ।

घ. विनियम 30 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जायेगा, यथा :

30. माध्यमिक परीक्षा हेतु प्रवेश तथा उसके लिये शुल्क

किसी भी अभ्यार्थी को माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह इन्स्टिच्यूट का एक पंजीकृत विद्यार्थी नहीं बन जाता और वह परीक्षा आरंभ होने के कम से कम 60 दिन पूर्व उसने अपनी समस्त देयताएं अदा कर दी है ।

जब तक कि एक अभ्यार्थी पंजीकृत नहीं हो जाता तब तक उसे किसी भी चरण चरणों (पुराने पाठ्यक्रम के समूह या समूहों में) विनियमन 31 में प्रावधानित शर्तों के अनुसार प्रवेश नहीं दिया

जायेगा जब तक कि वह डायरेक्टर आफ स्टडिज या कोचिंग प्रशासन प्रमुख, चाहे जो भी पदनाम क्यों न हो या किसी भी इन्स्टिट्यूशन का प्रमुख जिसे इसके लिए काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त है और डाइरेक्टर आफ स्टडिज द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है या कोचिंग प्रशासन प्रमुख जैसी भी स्थिति हो इस आशय का प्रमाण-पत्र नहीं दे देता कि उसने उपरोक्त चरण या चरणों (पुराने पाठ्यक्रमों के समूह या समूहों) में विनियमन 31 में प्रावधानित माध्यमिक परीक्षा पाठ्यक्रम, डाक द्वारा या मौखिक, संतोषजनक रूप से ले लिया है ।

इसके अलावा यदि परीक्षा समिति को किसी अभ्यार्थी के विरुद्ध यदि कोई सूचना प्राप्त होती है या उसके पास है कि उसने परीक्षा की अवधि में अनुचित कार्य किया है या किसी भी तरह से दूराचरण या अपराध किया है तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा हां उसे अपने आचरण के विषय में स्पष्टीकरण देने का अवसर देकर उसकी जांच करने के बाद ।

2. एक अभ्यार्थी प्राथमिक परीक्षा में चरण-1 (समूह-1 पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार-1 में) या चरण 2 (पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समूह 2) या दोनों में बैठ सकता है बशर्ते कि उसने उप-निगमन-1 में वर्णित कोचिंग, उपरवर्णित के अनुसार पूर्ण कर ली हो ।

3. प्रत्येक अभ्यार्थी को माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु प्रति चरण या समूह (पुराना पाठ्यक्रम (के लिए रुपये 160/- और रुपये 320/- मात्र दोनों चरणों या समूहों (पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार) या ऐसी शुल्क जो समय-समय पर काउन्सिल द्वारा निर्धारित की जायेगी, परीक्षा शुल्क अदा करनी होगी ।

ङ. विनियमन 31 में स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जायेगा : यथा ।

31. संशोधित पाठ्यक्रम के तहत माध्यमिक परीक्षा के लिये चरण, प्रश्न-पत्र तथा पाठ्यक्रम

(1) संशोधित पाठ्यक्रम के तहत प्रथम माध्यमिक परीक्षा दिसम्बर 1994 में कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस (एमेन्डमेन्ट) विनियमन, 1993 में प्रारम्भ होने के बाद से आरम्भ होगी और 1 जुलाई, 1994 से पर्व या उसके बाद और 1994 तक पंजीकृत विद्यार्थी जो परीक्षा देना पसंद करेंगे उनकी परीक्षा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी । और अन्यान्य सभी विद्यार्थी जिनका पंजीकरण 1994 के पर्व हुआ है उन विद्यार्थियों की परीक्षा (माध्यमिक परीक्षा) दिसम्बर, 1996 से होगी उनकी परीक्षा भी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जायेगी । पुराने पाठ्यक्रम के तहत होने वाली माध्यमिक परीक्षा के तहत समूह, प्रश्न-पत्र तथा पाठ्यक्रम एक ही रहेगा—कास्ट एण्ड वर्क्स एकान्टेन्टस (एमेन्डमेन्ट) रेग्यूलेशन, 1993 के आरम्भ होने के पहले । मन 1996 के जून माह में पुराने पाठ्यक्रम के तहत अन्तिम माध्यमिक परीक्षा संपन्न होगी ।

(2) संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक परीक्षा के चरण, प्रश्न-पत्र एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा :

माध्यमिक परीक्षा—चरण 1 तथा 2

चरण—1 प्रश्न-पत्र—1 वित्तीय लेखाविधि 100 अंक

(फिनान्सियल एकाउन्टिंग)

उद्देश्य : विभिन्न परिस्थितियों में लेखा विधि के सिद्धान्तों के अनुप्रयोग हेतु अभ्यार्थियों की क्षमता की परीक्षा लेना :

ज्ञान का स्तर : पर्याप्त ज्ञान

1. बुक-कीपिंग की मूल अवधारणा तथा लेखाविधि । लेखाविधि की व्याख्या और इसकी उपयोगिता, बुक-कीपिंग तथा लेखाविधि, इसके सिद्धान्तों तथा अभ्यास लेखों का वर्गीकरण ।

2.क. बुक-कीपिंग प्रणाली : दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, प्राथमिक प्रविष्टि की पुस्तकें, सहायक पुस्तकें रोकड़ तथा बैंक का लेनें देनें को अभिलेखित करना ट्रायल बैलेन्स तैयार करना । व्याख्या और उपयोगिता ।

ख. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेन्ट्स—रिकन्सिलेशन की आवश्यकता : रोकड़ बहियों तथा बैंक के पास बुक के मध्य रिकन्सिलाईशन की प्रक्रिया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेन्ट तैयार करने की समस्याएं ।

3. बिल आफ एक्सचेंज : व्याख्या, प्रोमिसरी नोट तथा बिल आफ एक्सचेंज, प्राप्य योग्य बिल, देय योग्य बिल, आहरण, एक्सेप्टिंग, नवीकरण तथा बिलों को छुड़ाना, एकोमोडेशन बिल्स ।

4. पूंजी की अवधारणा : रेवेन्यू तथा डिफर्ड रेवेन्यू, प्रारंभिक प्रविष्टियां, शेषांत प्रविष्टियां, समायोजन प्रविष्टियां तथा संशोधनात्मक (रेक्टिफकेशन) प्रविष्टियां, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग तथा लाभ हानि लेखा, संदिग्ध ऋण तथा संदिग्ध ऋण हेतु आरक्षण—इसका लेखा विधि उपचार, ह्रास—इसका महत्व तथा लेखाविधि उपचार ।

5. इकहरी प्रविष्टि लेखा विधि तथा दोहरी प्रविष्टि लेखा विधि की अवधारणा उनकी व्याख्या, उनके आन्तरिक सम्बन्ध तथा एकहरी प्रविष्टि प्रणाली से दोहरी प्रविष्टि प्रणाली परिवर्तनियता, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का प्रस्तुतीकरण तथा आय व व्यय के लेखों का प्रस्तुतीकरण, आरक्षण का महत्व और प्रावधान का महत्व, लाभ हानि लेखे का प्रस्तुतिकरण बैलेन्स-शीट का प्रस्तुतिकरण ।

6. ज्वाइन्ट बेंचर तथा कन्साईनमेन्ट एकाउन्ट्स, पार्टनरशीप एकाउन्ट्स, एडमीशन, रिटायरमेन्ट तथा पार्टनर की मृत्यु, पार्टनरशीप का विलयन परिसम्पत्तियों का पीसमील वितरण ।

7. ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी एकाउन्ट्स : इश्यूड, फोरफीचर तथा शेयरों का रिडिम्पन, इनकारपोरेशन के पर्व का लाभ तथा कम्पनी का लाभ, हानि खाता और बैलेन्सशीट कम्पनी एक्ट 1956 (1956 का 1) के प्रावधानानुसार ।

चरण—1 प्रश्न-पत्र—2 कास्ट एकाउन्टिंग 100 अंक

उद्देश्य : लागत के विभिन्न घटक तथा उनका निर्धारण तथा भंडार के संबंध में गहन ज्ञान प्रदान करना ।

ज्ञान का स्तर : पूरी जानकारी ।

1. परिचय : कास्ट एकाउन्टिंग तथा प्रबंधन एकाउन्टिंग का मूल्यांकन लागत अवधारणा तथा लागत का उद्देश्य, लागत वर्गीकरण, लागत प्रतिष्ठान तथा अन्य प्रतिष्ठानों से इसके आन्तरिक संबंध ।

2. लागत के तत्व एवं लागत निर्धारण : सामग्री क्रय-लागत, प्रक्रिया भंडारण तथा भंडार नियंत्रण, सामग्री का मूल्य निर्धारण उसकी लेखाविधि, मूल्य, स्थिर हुए शीट गतिशील मदों की प्रावधान, ए. बी. सी. विश्लेषण, पुर्जों के सीमा संबंधी वित्तियां, तालिकाओं के स्तर तथा अर्थनैतिक मात्रात्मकता, विश्लेषण, भंडारण की विसंगतियों के उपचार हेतु जांच और उसे दूर करने के लिए उठाए गए कदम—अन्य साधनों में पूरा नियंत्रण ।

(2) श्रम लागत, पारिश्रमिक पद्धति, आर्थिक और अनार्थिक प्रोत्साहन योजना, पे रोल प्रक्रिया, श्रम विश्लेषण तथा अप्रयोज्य काल, श्रम दक्षता तथा उत्पादकता का परिमापन । अनुत्पादक काल का विश्लेषण तथा उसकी लागत, श्रम का टर्न ओवर तथा रिमेडियल मेजर्स अप्रयोज्य काल का उपचार तथा ओवर टाईम ।

(3) प्रत्यक्ष व्यय—प्रकृति संग्रहण एवं वर्गीकरण—प्रत्यक्ष व्ययों का तथा उपचार ।

(4) ओवरहेड : प्रकृति, संग्रहण व वर्गीकरण ।

क. उत्पादन ओवर हेड—वितरण, विनियोजन उत्पादन द्वारा विलयन, पूर्वनिर्धारित उगाही दर का उपयोग, कम तथा अधिक विलयन का उपचार, ओवर हेड लागत सम्बन्धी नियंत्रण की रिपोर्ट ।

ख. प्रशासन, विक्रय तथा ओवरहेड वितरण : विश्लेषण, लेखाविधि तथा नियंत्रण, लागत लेखा विधि के विभिन्न मदों में उपचार ।

3. कास्ट एकाउन्टिंग रेकार्ड्स : कास्ट लेजर, लागत का रिकन्सिलेशन तथा वित्तीय लेखा तथा इन्टिग्रेटेड एकाउन्ट्स, लेखों के कम्प्यूटरीकरण का आधार ।

4. कास्टिंग (लागत) प्रक्रिया :

कास्टिंग का स्पेसिफिक आर्डर : जाब, बैच तथा कन्ट्राक्ट । जाब में कास्ट एकाउन्टिंग का निर्धारण, जाब कास्टिंग के प्रगतित कार्य में मूल्यांकन, कन्ट्राक्ट कार्य की विशेषताएं, किए गए कार्य का प्रमाणीकरण, अपूर्ण कन्ट्राक्ट पर लाभ, लागत व कन्ट्राक्ट ।

(2) आपरेशन कास्टिंग : प्रोसेस तथा सेवाएं : प्रोसेस कास्टिंग : सामान्य तथा असामनाय हानि एवं प्राप्तियों का उपचार, प्रगतित कार्य में प्रथम कार्य में लेने तथा निकासी को व्यवहार में लेते हुए मूल्यांकन तथा आनुपातिक मेथड (विनियमेय उत्पादन) अंतर प्रक्रिया अंतरण मूल्यायन, अवधारणाएं, संयुक्त उत्पाद हेतु लेखाविधि, उप-उत्पाद, स्क्रैप, नष्ट होना और दोषपूर्ण ।

5. सेवा या परिचालन लागत : यूनिट कास्टिंग तथा बहुउद्देश्यीय लागत, कास्ट यूनिट की पहचान तथा लागत निर्धारण एवं नियंत्रण ।

6. लागत की तकनीक :

(क) सीमान्त कास्टिंग : मूल अवधारणाएं, सीमान्त लागत तथा विलियन लागत, कास्ट वाल्यूम विश्लेषण, ब्रेक—इवीन विश्लेषण तथा ब्रेक इवीन की सीमाएं—एक विश्लेषण, डिफरेन्शियल कास्ट विश्लेषण रिलेवेन्ट कास्ट विश्लेषण, प्रबंधन निर्णय (सामान्य प्रकार) करने हेतु अनुप्रयोग ।

(ख) बजटीय नियंत्रण : मूल अवधारणाएं, कार्यकारी (फंक्शनल) बजट, मास्टर, बजट, नम्य (फ्लेक्सेबिल) बजट ।

(ग) मानक लागत : अवधारणाएं और व्यवहार, मानक लागत लेखाविधि प्रक्रिया को सेट करना, सामग्री संबंधी, सामग्री संबंधी सरल परिवर्तनयों का कम्प्यूटेशन, श्रम तथा ओवर हेड मानक लागतीकरण तथा नियंत्रण से संबंध ।

चरण—1. प्रश्नपत्र—3

उद्देश्य : मूल अवधारणाएं तथा व्यापार शास्ति सिद्धान्तों को अधिगृहित करना ।

ज्ञान का स्तर : पूर्ण जानकारी ।

सेक्शन—1 कारपोरेट ला अंक 50

द कम्पनिज एक्ट 1956 (1956 का 1)

व्याख्या : मौलिक विषयवस्तु तथा सामान्य अभिलेखों का फ्रेम वर्क, बैठकें तथा उसके कार्यवृत्त, कम्पनी परिचालन का प्रबंधन, कुप्रबंधन तथा व्यवस्था, पूंजी की अवधारणा, शेयरों का वर्गीकरण तथा लाभांशों का वर्गीकरण, कम्पनी द्वारा लिया गया ऋण, कम्पनी का लेखा तथा उसका लेखापरीक्षण, वर्गीकरण तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार की क्षमता, प्रत्यक्ष विशेष लेखा परीक्षण, लागत लेखा विधि अभिलेख, लागत लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन तथा व्याख्याएं प्रस्तुत करना तथा सरकारी कम्पनियों के लेखों का प्रस्तुतीकरण और सांविधिक सहयोग (स्टूटट्यटरी कोआपरेशन) ।

द मोनोपोलिस तथा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 (1969 का 54) ।

द मोनोपोलिस तथा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन अन फेयर तथा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ।

द इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट्स एण्ड रेग्युलेशन्स एक्ट, 1951 (1951 का 65) डेवेलपमेन्ट्स काउन्सिल, नव औद्योगिक अधिग्रहणों के लिए लाइसेन्स देना, प्रबंधन का अधिग्रहण करना या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें अपने नियंत्रण में लेना ।

द इसेन्शियल कामोडिटिज एक्ट 1955 (1955 का 10) केन्द्रीय सरकार की क्षमता जब्त करना तथा उसे अपने अधिकार में लेने की क्षमता ।

फोरेन एक्सचेन्ज रेग्युलेशन एक्ट 1973 (1973 का 46)—सामान्य अवधारणाएं।

द सिक-इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोविजन्स) 1985 (1986 का 1) तथा औद्योगिक एवं वित्तीय रिकन्स्ट्रक्शन हेतु बोर्ड से सम्बन्धित प्रावधान ।

द एप्रेन्टिस एक्ट 1961 (1961 का 52) ।

द इण्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैन्डिंग आर्डर) एक्ट 1946 (1946 का 20) ।

द वर्कमेन्स एक्ट 1923 (1923 का 8) ।

द पेमेन्ट आफ ग्रैच्युइटी एक्ट 1972 (1972 का 39) ।

द इम्प्लाइज स्टेट इन्स्योरेन्स एक्ट 1948 (1948 का 34)।

द इम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट, 1952 (1952 का 10) ।

द वाटर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल पोल्यूशन, द एअर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ पोल्यूशन एक्ट 1981 (1981 का 14) ।

द कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 (1986 का 68)—सामान्य अवधारणाएं ।

सेक्शन–2 : सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 50 अंक

व्याख्या : सचिव की व्याख्या, संगठन में उसकी स्थिति और उसका महत्व उसकी योग्यता और अयोग्यता, क्षमता, उसके कर्त्तव्य तथा दायित्वाएं ।

बैठकें : कम्पनी के मीटिंग के प्रकार, शेयर होल्डरों की मीटिंग, स्टेच्युटरी तथा वार्षिक सामान्य बैठकें रिक्विजन्स, तथा अन्य सामान्य बैठकें । सूचनाएं बनाना, एजेन्डा, कोरम, प्रोक्सी, वोटिंग, मोशन, एमेन्डमेन्ट, रेजोल्युशन, एडजार्नमेन्ट तथा पोस्ट-पोनमेन्ट, व्याख्यात्मक विवरणियां तथा मिनिट्स, सामान्य संकल्पों से संबंधित विषयवस्तु, विशेष रेजोल्युशन, स्पेशल नोटिस, रजिस्टरों तथा खातों का संरक्षण और रख रखाव, विवरणियों का प्रस्तुतिकरण सभी सूचनाओं के साथ रजिस्ट्रार आफ कम्पनिज तथा निरीक्षण प्रक्रिया लाभांश निर्धारण हेतु तथा विभिन्न शेयर होल्डरों इसकी घोषणा करने हेतु जिसमें निवासी एवं अनिवासी के मध्य भुगतान देने का तरीका भी शामिल है ।

चरण–1 प्रश्न-पत्र–4 प्रत्यक्ष कराधान 100 अंक ।

उद्देश्य : कर के नियमों तथा उनके प्रबंधकीय निर्णयों का प्रभाव तथा विशेष रूप से कर घटकों का प्रबंधन लेखाविधि तकनिक में उनके व्यवहार की भूमिका पर बल देते हुए कर सम्बन्धी नियमों का गहन ज्ञान ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ।

1. प्रत्यक्ष कर नियम : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), द गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 (1958 का 18) व वेल्थ टैक्स एक्ट, 1957 (1957 का 27), केस लाज पूंजी शीसत तथा राजस्व व्यय, डीम्ड इनकम रेजिडेन्स संबंधी अवधारणाएं ।

करदाताओं की अवधारणाओं से केन्द्रीभूत विशेष समस्याएं, पंजीकृत फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार, एसोसिएशन आफ पर्सन्स ट्रस्ट,—मायनर्स, अनिवासी भारतीय तथा बाहरे कराधान से बचाव के संबंध में ।

आय शीर्षों से आवरणित समस्याएं : वेतन, अतिरिक्त आय, ग्रेच्युइटी तथा सेवानिवृत्ति लाभ, गृह संपत्ति से आय, कैपिटल गेम, अन्य सूत्रों से आय, व्यापार से आय तथा वृत्ति से आय, आय की समुच्चयता से तथा हानि को अग्रेमिस करने से होने वाली समस्याएं ।

2. कर लेखा परीक्षण :

3. कर प्रशासन : अपीलें, रिविजन्स, पुनरीक्षण, संशोधन तथा सेन्ट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टैक्सेस को आवेदन पत्र ।

4. एक्विजिशन प्रोसिडिंग्स : मूल्यांकन के सिद्धान्त, चल तथा अचल संपत्ति ।

5. प्रत्यक्ष कर प्लानिंग : प्लानिंग में कर का उलझाव, व्यापारिक इकाई का वैधानिक स्तर, फर्म, निजी, लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ।

कर का उलझाव :

(ए) विदेशी कोलाबोरेशन मिलना ।

(बी) विदेशों को कोलाबोरेशन देना, नियंत्रित तकनिक नो हाउ के आउट राईट सेल में भाग लेना ।

विलयन तथा समामेलन के कर के पक्ष ।

नव उद्योग स्थापना तथा टैक्स प्लानिंग ।

विशिष्ट प्रबंधन निर्णयों से यथा :—

(1) बनाना या खरीदना,

(2) अपना या लीज का,

(3) रोकना या बदलना,

(4) मरम्मत करना या रद्दी के ढेर में डालना या वापस करना,

(5) निर्यात बनाम स्थानीय विक्रय,

(6) बन्द करना या चालू रखना,

(7) विकसित करना या संकुचित करना तथा

(8) नव पूंजी निवेश उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए कर की विवेचना ।

कर प्रोत्साहन तथा निर्यात उन्नयन ।

पूंजीगत प्राप्ति और कर योजना ।

निवेश के कर—पक्ष ।

पूंजीगत संरचना के विकास में कर का लक्ष्यार्थ :—

(ए) अल्पावधि ऋण

(बी) जन साधारण से जमा

(सी) सावधिक ऋण

(डी) बोनस इश्यूस, तथा

(इ) डिवीडेन्ट पालिसी ।

एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनसाधारण पर्याप्त मात्रा में रूचि नहीं रखता उस पर कराधान (टैक्सेशन) ।

चरण–2 प्रश्न पत्र–5 लागत एवं प्रबंधन लेखाविधि अंक 100

उद्देश्य : कास्टिंग तथा प्रबंधन लेखाविधि तकनिक की जानकारी जिसका उपयोग निर्णय लेने और नियंत्रण करने में किया जा सके ।

ज्ञान का स्तर : पूरी जानकारी ।

1. परिचय : प्रबंधन प्रक्रियाएं और लेखाविधि । प्रबंधकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधकीय लेखाविधि को कास्ट एकाउन्टिंग में विस्तारित करना ।

   प्रबंधकीय योजना तथा नियंत्रण, कार्यक्षेत्र, भूमिका —प्रबंधन लेखाविधि की लागत की स्थापना और उसका परिचालन ।

2. वित्तीय विश्लेषण तथा नियंत्रण : वित्तीय परिणामों के विश्लेषण हेतु रेशियो का व्यवहार । भारतवर्ष में सार्वजनिक उद्यमों के परिचालनात्मक परिणामों के विश्लेषणों के लिए परंपरागत लेखाविधि विवरणियों की सीमाएं । मूल्य योजि विवरणों की उपादेयता तथा सहायक मार्ग—निधि प्रवाह तथा रोकड़ प्रवाह विश्लेषण ।

3. पूंजीगत संरचना : पूंजी के प्रकार व श्रोत जिसमें आंतरिक श्रोत भी शामिल हैं—पूंजी की लागत—विभिन्न घटकों के लाभप्रद उपस्करों का विचार करते हुए अपेक्षित मिश्रित घटकों का विश्लेषन ।

4. तरलीयता प्रबंधन तथा प्रचालन पूंजी : तरलीयता तथा लाभप्रदता में आपसी संबंध, प्रचालन पूंजी की अवधारणाएं, प्रचालन पूंजी की आवश्यकता, प्रचालन पूंजी, पूंजी के पूर्वानुमान का प्रबंधन । तालिका, देनदारों, रोकड़ तथा लेनदारों के चक्रीय परिचालन का उपयोग तथा उसकी अवधारणा ।

5. पूंजी बजटिंग निर्णय : उद्देश्य तथा समस्याएं, निर्णयों को प्रतिस्थापित करना, नए निवेश, व्यवहृत आधार, वापस करने का तरीका, डिस्काउन्टेड कैश फ्लो मेथड, कराधान का प्रभाव, पूंजी-लागत की भूमिका—पूंजी का औचित्य स्थापन—जोखिम भरे अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय ।

6. निर्णय करने हेतु लागत विश्लेषण : लागत निर्धारण लागत आचरण सीखना व कर्व थियोरी—निर्णय हेतु प्रासंगिक लागत, विगत लागत की अ-प्रासंगिकता, मूल्य निर्धारण पर निर्णय, अधिकतम उत्पाद मिक्स, निर्माण करें या खरीदें, आगे पर या खरीदकर, बंद करें आदि विभिन्न मोडेल्स का परिचय तथा अनिश्चितता ।

7. प्रबंधन नियंत्रण उपकरण : बजटिंग तथा मानक लागत—उन्नत लागत तथा विक्रय विसंगतियां—लाभ विसंगति—विश्लेषण, उसकी जांच तथा विसंगतियों का निवारण—अपेक्षाओं से प्रबंधन । उत्तरदायी लेखाविधि—कार्यनिष्पादन बजटिंग, तथा शून्याधार बजटिंग, बजटिंग में आचरण पक्ष तथा मानक लागत ।

8. समान लागत : अन्तर फर्म मिलान ।

9. लागत में कमी करना—अवधारणाएं तथा तकनीक मूल्य विश्लेषण मिलाकर ।

10. सार्वजनिक उद्यमों के मूल्यांकन की कार्यनिष्पादनता ।

चरण 2 प्रश्न पत्र : 6 लेखापरीक्षण 100 अंक

उद्देश्य : प्लानिंग आडिट एसाइनमेन्ट के लिये आंतरिक लेखा परीक्षण पर विशेष बल देते हुए, तकनीक तथा प्रणाली का गहन अध्ययन प्रदान करना ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ

सैक्शन : 1 लेखा-परीक्षा के सिद्धान्त 50 अंक

1. लेखा परीक्षण का मूल्यांकन : लेखा परीक्षण का प्रमुख प्रभाव, लेखा परीक्षण की प्रकृति और उसका कार्य क्षेत्र—लेखा परीक्षण की मूल अवधारणाएं—लेखा परीक्षण में साक्ष्य की भूमिका ।

2. लेखा परीक्षण तकनिक तथा उसका अभ्यास—सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षण के मानक–लेखा परीक्षण में सारता की अवधारणाएं ।

3. परिसंपत्तियों तथा दायितओं का सत्यापन, अचल संपत्ति, निवेश, तालिकाएं, देनदारी, ऋण तथा अग्रिम, कैश तथा बैंक अधिशेष, डिबेन्चर्स, तथा लेनदार, कराधान हेतु प्रावधान, प्रस्तावित डिविडेन्ड्स तथा ग्रेच्युईटी–तुलन पत्र में अन्य मद, लाभ हानि लेखे के मदों का सत्यापन—आकस्मिक दायिताएं–लेखाविधि नीति की घोषणा अभ्यास, निर्माण की अवधि में व्यय, विगत वर्ष हेतु समायोजन, एकाउन्ट्स के विषय में कम्पनी एक्ट 1956 (1956 का 1) के लिए प्रावधान ।

4. आन्तरिक मूल्यांकन नियंत्रण की प्रकृति तथा आन्तरिक नियंत्रण—आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली, प्रवाह चार्ट-प्रणाली अंकेक्षण, आन्तरिक नियंत्रण ।

5. अंकेक्षण–गहरी–अंकेक्षण में सांख्यिकी सैम्पलिंग ।

6. तुलना हेतु अनुपात तथा प्रतिशत का व्यवहार तथा प्रवृत्तियों का विश्लेषण इण्टर फर्म तथा इन्ट्राफर्म तुलना ।

7. सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति–पारिश्रमिक, हटाना, सांविधिक अंकेक्षक के अधिकार, सांविधिक अंकेक्षक के कर्तव्य, संयुक्त अंकेक्षक, शाखा अंकेक्षक ।

8. अंकेक्षक का प्रतिवेदन : रिपोर्ट बनाम प्रमाण पत्र, रिपोर्ट की विषयवस्तु, प्रतिवेदन में अर्हता ।

9. विभाज्य लाभ : कम्पनिज एक्ट 1956 (1956 का 1) के प्रासंगिक प्रावधान तथा आय कर 1961 (1961 का 43) ।

10. सांविधिक अंकेक्षक तथा आंतरिक अंकेक्षक में मुख्य पार्थक्य ।

सेक्शन—2 आंतरिक अंकेक्षण 50 अंक

1. आंतरिक अंकेक्षक की प्रकृति और उसका कार्यक्षेत्र : वित्तीय बनाम परिचालन अंकेक्षण-अवधारणाएं-वक्ष-अंकेक्षण की, प्रोप्राइटरी अंकेक्षण, वाउचर आडिट, कम्प्लायन्स आडिट, पूर्व तथा उत्तर अंकेक्षण ।

2. मैन्यूफैक्चरिंग तथा अन्य कम्पनियों का प्रभाव (अंकेक्षण रिपोर्ट) आर्डर 1988-आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य ।

3. आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य का संगठन : कर्मचारियों का चयन तथा उनको प्रशिक्षण-आडिट परियोजना की नियुक्ति, आंतरिक अंकेक्षण कार्य के लिये संगठनात्मक स्टेटस-अंकेक्षण समिति के लिये क्षेत्र ।

4. आंतरिक अंकेक्षण परियोजना की योजना : परिचित होना-चेक लिस्ट बनाना, आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली, अंकेक्षण कार्यक्रम ।

5. साक्ष्यों का सत्यापन विस्तृत चेकिंग बनाम सैम्पलिंग प्लान्स, आंतरिक लेखा परीक्षण में व्यवहृत सांख्यिकीय सैम्पलिंग ।

6. फ्लो चार्ट तकनीक ।

7. आंतरिक नियंत्रण-प्रकृति और कार्य क्षेत्र आंतरिक अंकेक्षक और आंतरिक नियंत्रण ।

8. फील्ड वर्क : साक्ष्य संग्रहण-साक्षात्कार-ज्ञापन ।

9. आडिट नोट तथा वर्किंग पेपर्स ।

10. आडिट रिपोर्ट्स-प्रभावी रिपोर्टिंग की तकनिक, आडिट रिपोर्ट का अनुसरण ।

11. शीर्ष प्रबंधन को संक्षिप्त रिपोर्ट ।

12. आंतरिक अंकेक्षण में संचार : अंकेक्षक तथा अंकेक्षकी के संबंधों में विकास ।

13. एक उद्यम के परिचालन का अंकेक्षण : यथा लेखाविधि तथा वित्त, इन्वेन्टरी, नियंत्रण, उपलब्धि, उत्पादन, विपणन, रख—रखाव, कार्मिक, शाखाएं तथा डिपो, अनुसंधान एवं विकास ।

14. आंतरिक अंकेक्षण तथा जालसाजी की जांच ।

15. आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य का अंकेक्षण ।

चरण : 2 प्रश्न पत्र 7 अप्रत्यक्ष कराधान 100 अंक

उद्देश्य : अप्रत्यक्ष कर के नियमों तथा उनके प्रबंधन निर्णयों पर प्रभाव तथा विशेष कर के प्रबंधन लेखाविधि तकनीक में कर के घटकों की भूमिका पर बल देते हुए गंभीर ज्ञान को देना ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ।

अप्रत्यक्ष कर कानून तथा प्रासंगिक कार्यविधि ।

1. 1. द सेन्ट्रल एक्साइज शामिल मोडिफाइड वैल्थ एडेड टैक्स ।

2. द सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, (1956 का 74) ।

3. द कस्टम्स एक्ट 1962 (1962 का 52) ।

4. एक्साइज आडिट ।

2. द सेन्ट्रल एक्साइज तथा साल्ट एक्ट 1944 (1944 का 1) ।

द सेन्ट्रल एक्साइज (वैल्यूएशन) रूल्स, 1975 ।

द सेन्ट्रल एक्साइज रूल्स, 1944 तथा कस्टम्स तथा सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रा बैक रूल्स 1971 ।

द सेन्ट्रल एक्साइज टारिफ एक्ट 1985 (1986 का 5) से परिचित होना लायसेन्सिंग प्रक्रिया, सांविधिक फार्म-रिटर्न के, तथा रजिस्टर (सेन्ट्रल एक्साइज सिरीज) निर्माता व्यय निर्धारण संबंधी विधि के मामले ।

3. लेवी हेतु प्रक्रिया तथा सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी संग्रहण विभिन्न औद्योगिक अनुभागों के लिए यथा (1) वास्तविक नियंत्रण (2) अभिलेख आधारित नियंत्रण (3) उत्पादन आधारित नियंत्रण तथा (4) कम्पाउन्डेड लेवी योजना ।

4. एडज्युडिकेशन तथा एपीलेट प्रक्रिया, अपराध तथा दण्ड, माल के आयात तथा निर्यात से संबंधित प्रावधान, वैल्युएशन के सम्बन्ध में प्रमाणन, उपभोग, स्टाक तथा मोडवाट ट्रान्सपोर्टेशन तथा वेयरहाउसिंग सम्बन्धी प्रक्रिया ।

5. अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कर योजना ।

चरण—2 प्रश्न-पत्र 8 मात्रात्मक मेथड 100 अंक

उद्देश्य : आर्थिक अनुप्रयोग हेतु तथा व्यापार की परिस्थितियों में मात्रात्मक मेथड के अनुप्रयोग का पर्याप्त ज्ञान देने का प्रावधान ।

ज्ञान का स्तर : पर्याप्त

सेक्शन-1 अंकगणितीय तकनीक 40 अंक

1. वेक्टर्स तथा मैट्रिसिज का एलजेब्रा तथा डिटरमिनान्ट्स : योग, वियोग, गुणा तथा वेक्टर का इनवर्सन और मैट्रिसेज, मैट्रिक्स एलजेब्रा की सहायता के लाइनियर इक्वेशन प्रणाली सोल्युशन ।

2. कैल्क्युलस वेरिएबल्स, कोस्टेन्सेज तथा फंक्शन्स, फंक्शन्स के ग्राफ, बीजगणतीय फक्शन्स की सीमाएं, एलजेब्रिक फंक्शन्स के सिम्पल डिफरेन्शिएशन-प्रथम तथा द्वितीय आर्डर के डेरिवेटिव्स एवेल्यूशन, डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेन्शियेशन-समस्याओं का समाधान-एलजेब्रीक फंक्शन्स के अधिकतम तथा अल्पतम व्यवहार से ।

3. इन्टिग्रेशन (सबस्टिट्यूशन द्वारा तथा पार्ट द्वारा) सरल कार्य हेतु इनडिफिनिट तथा डिफनीट इन्टग्रल्स-इन्टिग्रेशन का अनुप्रयोग एरिया के मूल्यांकन ठोस का वोल्यूम रेवियूलेशन ।

4. कन्स्ट्रेन्ट्स, लाइनियर प्रोग्रामिंग सोल्यूशन के सिम्पलेक्स मेथड से कार्य का अधिकतम करना ।

सेक्शन-2 सांख्यिकी तकनिक 40 अंक

1. प्रोबेबिलिटिज : प्रोबेबिलिटी का अर्थ और व्याख्या, म्युच्युअली एक्सक्ल्यूसिव तथा कलेक्टिवली एक्स-हाउस्टिंग इवेन्ट्स, रीपीटेड ट्रायल्स, कम्बिनेटोरियल विश्लेषण, योग तथा गुणा करने के नियम, बेस का थियोरम तथा उसका अनुप्रयोग ।

2. पोपुलेशन तथा सैम्पल : सैम्पलिंग मेथड, अंकों का रेन्डम व्यवहार, सिम्युलेटेड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वितरण की अवधारणा तथा मानक एरर्स, कन्फि-डेन्स, इण्टरवल्स मीन्स तथा परसेन्टेज के लिये, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग तथा जेड का व्यवहार । टी. एक्स. 2 टेस्ट्स ।

3. जोखिम भरा तथा अनिश्चितता के तहत निर्णय लेना, डिसीशन ट्री विश्लेषण ।

4. सिम्पल रिग्रेशन तथा कोरिलेशन ।

सेक्शन-3 अर्थनैतिक तकनिक 20 अंक

1. मांग विश्लेषण : मांग का आधार, विपणन मांग कार्य, उद्यम मांग बनाम फर्म की मांग । द डिमान्ड कर्व । डिमांड फंक्शन तथा डिमांड कर्व के मध्य सम्पर्क, मांग में परिवर्तन तथा शिफ्ट मांग से संबंध तथा प्रबंधकीय निर्णय, ग्राहक आचरण के सिद्धांत, प्रति-स्थापना तथा आय पर प्रभाव, मूल्य, आय तथा लागत मांग की क्रास इलेस्टिसिटीज, इलेस्टिसिटी पर काल का प्रभाव, मूल्य इलेस्टिसिटीज प्राप्त उत्पाद हेतु, राजस्व की अवधारणाएं, मांग का अनुमानीकरण ।

2. पूर्वानुमान : पूर्वानुमान की मेथोडोलाजी, टाइम सिरीज विश्लेषण, ट्रेन्ड परियोजनाएं, बैरोमेट्रिक या लीडिंग इन्डिकेटर मेथड, इन्डक्स नम्बर, विश्लेषण-कम्पोजिट तथा डिफयुशन इन्डिसेज, एकोमेट्रिक मोडेल्स, कर्व फिटिंग तथा लीस्ट स्क्वयार मेथड्स, कोरिलेशन तथा रिग्रेशन विश्लेषण, मल्टिपल तथा पार्शियल कोरिलेशन-इनपुट-आउटपुट विश्लेषण, इनपुट आउटपुट सारणी से पूर्वानुमान लगाना, वर्तमान तथा नये उत्पाद के लिये मांग का पूर्वानुमान ।

3. एम्पिरिकल प्रोडक्शन फंक्शन विश्लेषण, एम्पिरिकल लागत विश्लेषण, अल्प तथा दीर्घकालिक लागत का अनुमान, घटक, मांग, संयुक्त, उत्पाद तथा बहु-उत्पाद फर्म, उत्पादन कार्य में अनिश्चितता, लाभ, जोखिम तथा अनिश्चितता में लाभ की योजना ।

(च) विनियम 32 के लिये निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :

32. माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिये विषयों में छूट :

1. यदि कोई अभ्यर्थी 1 ली जुलाई, 1994 को या उसके बाद एक पंजीकृत विद्यार्थी है तो यह काउन्सिल किन विषयों में विद्यार्थियों को छूट दे, जिन्होंने ऐसी परीक्षा किसी विश्वविद्यालय या रेसिप्रोकल आधार पर किसी प्रोफेशनल संस्थान/बोर्ड से भारत में या उसके बाहर से उत्तीर्ण की है जो इसकी ओर से काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

2. यह काउन्सिल माध्यमिक परीक्षा के किसी विषय/चरण में भी छूट देने का विचार करेगी जिसमें अभ्यार्थी ने विनियमन 25 ए के तहत फिर नये सिरे से पंजीकृत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया है किसी विषय में/चरण में छूट पाने के आधार पर उसने जिस आधार पर विषयों/चरणों में छूट प्राप्त की है पूर्व निर्दिष्ट पंजीकरण के आधार पर निर्धारित करेगा।

3. परिवर्ती उपायों के तहत निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी : कोई भी विद्यार्थी जिसने 1ली जुलाई, 1994 से पूर्व जिसने अपनी पंजीकरण कराया है और अभी तक उसे माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है किन्तु जिसने पुराने पाठ्यक्रम के तहत माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या छूट प्राप्त कर ली है उसमें माध्यमिक परीक्षा के उन प्रश्न-पत्रों में छूट प्रदान की जाएगी माध्यमिक परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जो कि नीचे दर्शाई गई है :—

पुराने पाठ्यक्रम के तहत माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र			संशोधित पाठ्यक्रम के तहत माध्यमिक परीक्षा के तदनुरूपी समान प्रश्नपत्र		
चरण	प्र० प० सं०	प्रश्न पत्र का नाम	चरण	प्र० प० सं०	प्रश्न पत्र का नाम
I	2	वाणिज्यिक अंक गणित तथा सांख्यिकी	II.	8	मात्रात्मक मेथड
I.	3	व्यापार तथा अर्थनैतिक नियम	I.	3	निगम विधि तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस।
I.	4	बुक कीपिंग तथा एकाउन्टेन्सी	I.	1	फिनान्सियल एकाउन्टेन्सी
II.	1	कॉस्ट एकाउन्टेन्सी प्राईम कॉस्ट एण्ड ओवर हेड	I.	2	कास्ट एकाउन्टिंग
II.	2	कास्ट तथा मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी मेथड्स और तकनिक	II.	5	कास्ट तथा मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी

4. यदि किसी अभ्यार्थी ने जिसने पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी होगी ।

5. संस्थान में लेखाविधि : फार्म एकाउन्टिंग, होटल एकाउन्टिंग, अलाभकारी प्रतिष्ठानों की लेखाविधि अर्थात अस्पताल हेतु लेखा विधि तथा शिक्षण प्रतिष्ठान स्थानीय सेल्फ गवर्नमेन्ट के लिए लेखाविधि—ग्रामीण एवं शहरी ।

6. बैंक तथा बीमा कम्पनियों के लिए लेखाविधि—भंडारण हानि के लिए लेखाविधि, हानि लाभ तथा अन्य क्षतिपूर्तियां—मैरिन बीमा दावे मिलाकर-इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी एकाउन्ट ।

7. भारत में राजकीय लेखाविधि : सामान्य सिद्धांत-वाणिज्यिक लेखाविधि से तुलना-कम्प्ट्रोलर तथा आडिटर जेनरल आफ इण्डिया तथा सार्वजनिक लेखा कमेटी की भूमिका-एकाउन्ट्स का रिव्यू ।

चरण—3
प्रश्न-पत्र सं. 10

सूचना तकनीक तथा कम्प्यूटर का अनुप्रयोग 100 अंक

उद्देश्य : नियंत्रण करना तथा पेशेवर एकाउन्टेन्ट्स को कम्प्यूटराइज्ड सूचना उदीयमान क्षेत्र में, जानकारी देना। तथा उसका अनुप्रयोग ।

ज्ञान का स्तर : मूल अवधारणाएं तथा तकनिक की विस्तृत जानकारी नहीं ।

1. प्रणाली की मूल अवधारणाएं : प्रणाली की व्याख्या-खुली-बन्द प्रणाली, उप-प्रणाली, इन्टिग्रेशन सिस्टम-होराइजेन्टल तथा वर्टिकल इन्टिग्रेशन, इन्टिग्रेशन प्रक्रिया में कम्प्यूटर का व्यवहार, इन पुट तथा आउट पुट तथा प्रोसेस फीड बैक कन्ट्रोल, कन्ट्रोल की डिजाइन, बाउन्ड्री की अवधारणा, जांच तालिका का बनाना तथा प्रस्तावित प्रणाली के लिये रिक्विजिट का विश्लेषण ।

2. सिस्टम डिजाइन : इनपुट तथा आउटपुट डिजाइन, लें आउट मेक अप तथा आउटपुट हेतु फार्म, श्रोत अभिलेखों हेतु पहचान, फाइल डिजाइन तथा कोडीफिकेशन प्रक्रिया, सत्यापन, वैलिडेशन तथा मन्युअल नियंत्रण-इन पुट डाटा पर, फाइल बनाना तथा उसकी पहचान तथा उसका नियंत्रण, वास्तविक सुरक्षा तथा पास वर्ड, आउटपुट नियंत्रण, डाटाट्रान्समिशन नियंत्रण, कार्यालय जीवन चक्रम के अन्दर वास्तविक सुरक्षा तथा उसका पास वर्ड तथा सिस्टम डिजाइन के चरण, रेकार्डिंग तथा कम्युनिकेशन तकनीक फलो-चार्ट मिलाकर, निर्णय, सारणी तथा अन्य डायाग्राम ।

3. सूचना तथा इसकी प्रोसेसिंग : डाटा तथा सूचना भंडारण तथा पुनःप्राप्तीय, अच्छी सूचनाओं चारित्रिक लक्षण तथा गुणात्मकता, सूचना के श्रोत तथा उसके मूल्य । सूचनाओं का वर्गीकरण रणनीतिक, टैक्टिकल तथा फाइल का परिचालनात्मक संगठन सुरक्षा तथा उसका रख-रखाव, कम्प्यूटर में आंतरिक भंडारण-राम, रोम, प्रोम प्रोसेसिंग क्षमता तथा आंतरिक भंडारण का आकार ।

यदि किसी अभ्यर्थी ने छूट प्राप्त कर ली है या पुराने पाठ्यक्रम के तहत माध्यमिक परीक्षा में उक्त प्रश्न-पत्रों में से अंकों का आगे अग्रेनित करने का लाभ मिल गया है तो ऐसी स्थिति में संशोधित पाठ्यक्रम में तदनुरूपी समान विषयों में छूट का लाभ मिलेगा । जो भी हो परीक्षा के परिणाम स्वरूप अंकों के अग्रिनित करने का लाभ किसी परीक्षा में नहीं मिलेगा ।

(छ) विनियमन 31 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जायेगा :

33. अंतिम परीक्षा में प्रवेश तथा शुल्क :

1. किसी भी अभ्यार्थी को अंतिम परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह एक पंजीकृत विद्यार्थी नहीं है । तथा उसने इंस्टिच्यूट माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली है या डिजेन्टड कम्पनी की तिथि तब तक उसने सभी देयताएं कम से कम परीक्षा होने के 60 दिन पूर्व अदा कर दी है ।

एक अभ्यार्थी को किसी भी चरण या चरणों पुराने पाठ्यक्रम के तहत समूह या समूहों (प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह प्रावधानित-विनियमन 34 के तहत, उसने डाईरेक्टर आफ स्टडीज या कोचिंग प्रशासन प्रमुख या काउन्सिल से मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमुख से, जैसी भी स्थिति हो, प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता—इस आशय का कि । उत्तरकाली माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पूर्व उसने उक्त चरण, चरणों (पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार समूह-समूहों) संतोषपूर्ण रूप से डाक या भौतिक ट्यूशन ले लिया है जैसा कि अंतिम परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु विनियमन 34 में प्रावधानित किया गया है ।

2. कोई भी अभ्यार्थी जिसने चरण 3 (समूह-1 पुराने पाठ्यक्रम के तहत) या चरण 4 (समूह-2 पुराने पाठ्यक्रम के तहत) या दोनों में बैठ सकता है यदि उसने उप-विनियमन 1 में अंकित कोचिंग पूरी कर ली है तो वह इसके अंतिम परीक्षा में बैठ सकता है ।

3. प्रत्येक अभ्यार्थी को अंतिम परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु मात्र दो सौ चालीस रुपये प्रति चरण या समूह (पुराने पाठ्यक्रम के तहत) तथा दोनों चरणों या समूहों (पुराने पाठ्यक्रम के तहत) या ऐसी शुल्क जो समय-समय पर काउन्सिल निर्धारित करेगी, अदा करनी होगी ।

ज. विनियमन 34 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित होगा यथा :

34. संशोधित पाठ्यक्रम के तहत अंतिम परीक्षा हेतु समूह, प्रश्न पत्र तथा पाठ्यक्रम :

1. कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स (एमेन्डमेन्ट) रेगुलेशन, 1993 के आरम्भ होने के उपरांत संशोधित पाठ्यक्रम के तहत प्रथम अंतिम परीक्षा सितम्बर, 1994 में होगी 1994 के जून माह में होने वाली माध्यमिक परीक्षा जिन लोगों ने उत्तीर्ण की है तथा वे विद्यार्थी जिन्होंने जून, 1994 से पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जो ऐसा चुन सकते हैं और दिसम्बर, 1996 में होने वाली अंतिम परीक्षा में जो अन्य विद्यार्थी बैठेंगे उनकी परीक्षा नये पाठ्यक्रम के अनुसार होगी । कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स (एमेन्डमेन्ट) रेगुलेशन, 1993 के आरंभ होने के पूर्व अंतिम परीक्षा के लिये समूह प्रश्न-पत्र, पाठ्यक्रम, पुराने पाठ्यक्रम के तहत समान ही होंगे जैसा कि विनियमन में उल्लिखित है । पुराने पाठ्यक्रम के तहत अंतिम परीक्षा जून, 1996 में सम्पन्न होगी ।

2. इस विनियमन के तहत संशोधित पाठ्यक्रम के लिये अंतिम परीक्षा में चरण, प्रश्न-पत्र तथा पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होंगे ।

अंतिम परीक्षा चरण 3 और 4

चरण 3 प्रश्न-पत्र 9 उन्नत वित्तीय लेखाविधि 100 अंक

उद्देश्य : लेखाविधि के सिद्धान्तों में विस्तृत सूक्ष्म दृष्टि का ज्ञान देना तथा व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक अवस्थाओं में पूर्ण अनुप्रयोग करना :

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ

1. लेखाविधि के सिद्धांत, अवधारणाएं तथा परंपरा-व्यापारिक आय का परिमापन-लेखाविधि मानक-राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ।

2. उद्यम का मूल्यायन : वस्तु-तालिका का मूल्यांकन, साख, तथा शेयर्स ।

3. कम्पनी लेखा का प्रस्तुतीकरण-समामेलन, विलयन, पुनर्निर्माण तथा पूंजी का लाघवीकरण, होल्डिंग कम्पनिज तथा मजर एकाउन्ट्स ।

4. शाखा तथा विभागीय लेखा हायर परचेज तथा किश्त का भुगतान, रायेल्टी एकाउन्ट्स, कन्ट्राक्ट एकाउन्ट्स, इन्वेस्टमेन्ट एकाउन्ट्स ।

5. अपूर्ण अभिलेखों से लेखा प्रस्तुतीकरण : स्वत: वैलेन्सिंग लेजर माइक्रो फिल्म के रूप में कम्प्यूटर में आउटपुट डिवाइस, ग्राफ प्लेटर्स, लाइन प्रिन्टर्स, विजुअल डिस्पले, बाहरी भंडारण, मीडिया तथा इसका उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलेक्स का उपयोग ।

डिस्ट्रिब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग : स्थानीय क्षेत्र संजाल टाइम शेयरिंग तथा मल्टी यूजर प्रणाली मेन फ्रेम से माइक्रो कम्प्यूटर का लिंकेज, डिस्ट्रिब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग से सुविधाएं तथा असुविधाएं डिस्ट्रिब्यूटेड प्रोसेसिंग तथा सिस्टम डिजाइन, लोकल एरिया नेट वर्क्स की भविष्य में उन्नति ।

5. प्रबंधन सूचना प्रणाली की प्लानिंग डिजाइनिंग तथा कार्यान्वयन : हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर संचारण तकनीक, डाटा प्रस्तुतिकरण—कम्प्यूटर के लिये, मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स (मेमोरी चिप्स) ह्यूमन मशीन प्रोडक्टिविटी ट्रेड-आफ, इन्टिग्रेटेड मैनेजमेन्ट सूचना प्रणाली विपणन को आवरणित करते हुए, मैन्युफेक्चरिंग, वित्तीय तथा कार्मिक, कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा रख रखाव—प्रबंधन सूचना प्रणाली का ।

सेक्शन-2 कम्प्यूटर अनुप्रयोग 50 अंक

1. कम्प्यूटर हार्डवेयर : कम्प्यूटर तथा उसके मूल कोम्पोनेन्ट्स-इन पुट मेन स्टोर, बहिर भंडारण तथा प्रोसेसिंग आउटपुट तथा नियंत्रण, सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तथा अंकगणित एवं लाजिक यूनिट तथा उनके तत्व और कार्य, आंतरिक भंडारण तथा डाटा रिप्रजेन्टेशन, रैन्डम एक्सेसमेमोरी (आरएएम) रीड ओन्ली मेमोरी (आरओएम) तथा प्रोग्रामेबिल रीड (प्रोम) प्रोम एण्ड इप्रोम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तथा इन्टरनल स्टोरेज, बाइनरी आपरेशन,

2. कम्प्यूटर जेनरेशन : मेन फ्रेम्स, मिनि कम्प्यूटर तथा उनकी प्रोसेसिंग क्षमता माइक्रो कम्प्यूटर्स 8 बिट्स तथा 16 बिट्स एवं 32 बिट कम्प्यूटर्स तथा उनकी प्रोसेसिंग क्षमता कम्प्यूटर विकास की भावी प्रवृत्तियां ।

3. इन पुट तथा आउटपुट डिवाइसेज, विभिन्न किस्म की इनपुट डिवाइसेज, और उनके चारित्रिक लक्षण (मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, विन्चेस्टर डिस्क, कैसेट फ्लापी डिस्क, मैग्नेटिक इंक रिकोग्निशन, आप्टिकल कैरेक्टर रेकोग्निशन) प्रिन्टर्स, (लाइन-प्रिन्टर, डाटमैट्रिक्स प्रिन्टर, डेजी व्हील) विजुअल डिस्प्ले यूनिट) माइक्रो फिल्म आफ प्लाटर, ग्राफिक टर्मिनल ।

4. फाइलों का बनाना तथा उसका रख-रखाव : फाइलों की अवधारणाएं, रेकार्ड्स फाइल्स तथा कैरेक्टर्स, स्थायी तथा अस्थायी फाइल्स आर्गनाइजेशन, फाइल्स अन्तरण, अपडेटिंग, सिक्युरिटी तथा रखरखाव, फाम् फाइलिंग तथा फारमैटेड स्क्रीन, मनुस, विन्डोज, परिवर्तनीय तथा स्थिर लंबाई रेकार्ड्स तथा फिल्ड्स मेथड्स आफ एक्सेस सिक्वेन्शियल, डाइरेक्ट तथा डिनामिक—उनके चारित्रिक लक्षण तथा उनका उपयोग, मैग्नेटिक टाईप लेबल आउट, इण्टर रेकार्ड गैप्स, ब्लाक, इण्टर ब्लाक गैप, ब्लागि फैक्टर ।

5. कम्प्यूटर प्रोसेसिंग मेथड्स : (1) टाइप्स आफ प्रोसेसिंग मेथड्स :

(1) बैच इनपुट तथा बैच समस्त डाटाओं की बैच प्रोसेसिंग

(2) बैच इन पुट तथा बैच प्रोसेसिंग आफ ट्रन्जैक्शनर्स किन्तु लाइन फाइल इन्क्वायरिज्

(3) आन लाइन इनपुट, बैच प्रोसेसिंग तथा आन लाइन इन्क्वायरिज ।

(4) आन लाइन इन पुट अपडेटिंग तथा इन्क्वायरिज, वास्तविक काल, प्रणाली तथा रिस्पोन्स टाइम।

6. कम्प्युटर साफ्टवेयर तथा प्रोग्रामिंग : स्टार्स प्रोग्रामिंग इन्स्ट्रक्शन्स के सिद्धांत कम्प्यूटर लेंग्वेजिस-फोरट्रान, कोबोल, बेसिक, पैसकल सी लेवेल आफ साफ्टवेयर के अनुप्रयोग साफ्टवेयर पैकेज यूटिलिटी साफ्टवेयर तथा आपरेटिंग सिस्टम (ओएस) स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, एसेम्बलर कम्पाइलर तथा इन्टरप्रेटर्स, स्प्रेडशीट पैकेजेस, डाटा बेस मैनेजमेन्ट सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग साफ्टवेयर पैकेजेस, ग्राफिक, साफ्टवेयर, सिम्पल प्रोग्राम राइटिंग केवल बेसिक पर पे रोल में अनुप्रयोग इलेक्ट्रो तथा विक्रय विश्लेषण ।

7. प्रबंधन सूचना प्रणाली के नियंत्रण तथा लेखा परीक्षण पक्ष : एडिट, चेक, एरर, लिस्टिंग, सिस्टम सिक्यूरिटी का नियंत्रण, लेखा परीक्षण, ट्रायल, परिचालन दक्षता का नियंत्रण, कम्प्यूटराइज्ड पर्यावरण में अंकेक्षण ।

8. कम्प्यूटर एडेड तकनिक : कम्प्यूटर एडेड डिजाइन, कम्प्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, समग्र मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली ।

चरण-3 प्रश्न पत्र-? परिचालन प्रबंधन तथा नियंत्रण

अंक 100

उद्देश्य : उत्पादन की तकनिक तथा उसके मेथडों से सम्बन्धित मूल ज्ञान की जानकारी देना : श्रोतों के प्रभावी उपयोगिता की अर्थनीतिकी मूल जानकारी देना तथा नियोजित तकनीक के श्रोतों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ।

1. उत्पादन तकनिक-को तकनिक : तकनिक का अर्थ तथा उसका इम्प्लिकेशन, विभिन्न अवधारणाएं जैसे रलेभन्ट तकनिक या एप्रोप्रिएट तकनिक, हाई टेक बनाम लोटेक, इन्टेन्सिव बनाम लेबर इन्टेन्सिव, बैच बनाम प्रोसेस, तकनिक का पूर्वानुमान-21वीं सदी में आने वाली वस्तुओं का आकार मैन्युफैक्चरिंग तकनिक के सम्बन्ध में मूल कल्पना जिसमें मशीन टूल, प्रोसेस तकनिक भी शामिल हैं, उत्पादन सुविधाएं, उत्पादन उपादेयताएं, मैन्युफैक्चरिंग नीति, उद्योगों में लागत अंकेक्षण आवश्यक तकनिकी पक्ष के संबंध में विशाल धारणाएं

2. प्रोडक्शन प्लानिंग, शिड्यूलिंग तथा मानिटरिंग प्रणाली :

इन्टिग्रेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम की अवधारणा, प्रोडक्शन प्लानिंग तथा सेल्स फोरकास्टिंग में लिंक। प्रोक्योरमेन्ट प्लानिंग तथा फिनिश्ड गुड्स इन्वेन्टरी पालिसी, जाब की वास्तविक शिड्यूलिंग-उत्पाद सुविधाओं की उपयोगिता की शर्तों में आप्टिमाइजेशन अवधारणा तथा स्टार्ट-अप चेन्जओवर के माध्यम से लागत को कम करना, प्रोडक्शन मानिटरिंग सिस्टम तथा मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम—इस आशय हेतु, प्रोडक्शन प्लानिंग तथा मानिटरिंग की नियमित समीक्षा ।

3. प्रोडक्शन अर्थनीती (एकोनोमिक्स) समस्याओं का विश्लेषण जिसमें लोकेशन, ले आउट मल्टि शीफ्ट प्रोडक्ट मिक्स, मैटेरियल हैन्डलिंग फेसीलिटिज, यूटिलाइजेशन आफ मल्टि पर्पज प्लान्ट्स, यूटिलाइजेशन आफ प्रिवेन्टिव मेन्टेनेन्स, यूटिलाईजेशन आफ कैपिसिटी रेक्टिफिकेशन आफ अनबैलेन्सड कैपेसिटी, आफ लोडिंग वह प्रोडक्ट, स्टेजेस आफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्लांट, प्रोसेस प्लानिंग शिड्यूल प्रोडक्शन स्टेजेस कन्ट्रोलिंग क्वालिटी लेवल, कन्ट्रोलिंग आउटपुट कास्ट्स प्रोडक्ट्स यूसेजेस एण्ड इट्स आसोसियेन्सेज, तकनिकी यूसेजेस तथा उसके आसोसियेन्सेज तथा इसके आउट पुट कास्ट इसके उत्पादक घटकों के आधार पर लागत तथा क्षमता का उपयोग, राशनलाइजेशन की सहायता से स्कीलिंग क्षमता का उपयोग आधुनिकीकरण, रिवैम्पिंग तथा रिनोवेशन ।

4. उत्पादकता : मीनिंग तथा उसका सिग्निफिकेन्स आफ प्रोडक्टिविटी विसा-विस एवसोल्यूट प्रोडक्शन, उत्पादकता का मेजरमेन्ट,—दोनों ओवर आल तथा अलग-अलग प्रत्येक घटक के लिए यथा मनुष्य, मशीन, सामग्री, उत्पादकता तथा लागत उत्पादकता विकास तकनिक, काल अध्ययन, कार्य की सैम्पलिंग, तथा अन्य तकनिक उत्पादकता के लिए, मानिटरिंग, उत्पादकता बारगेनिंग, टूल्स तकनिक, उत्पादकता तथा वर्क एथोस साथ ही साथ कार्य जीवन की गुणात्मकता । जाब एव्येलेशन तथा मेरिट रेटिंग और इन सब का मानव शक्ति की उत्पादकता में व्यवहार । कास्ट रिडक्शन तथा मूल्य का विश्लेषण-उत्पादकता के संदर्भ में, उत्पादकता के संदर्भ में कर्व अवधारणा सीखना ।

5. कास्ट इम्प्लिकेशन : मल्टि शिफ्ट आपरेशन प्लान्ट शट डाउन प्लांट लोकेशन तथा एक्सपेंशन, रिट्रेसिंग यूटिलिटिस मैनेजमेन्ट, रिप्लेसमेन्ट मशीनों का तथा तकनिक का फीनान्सियल इम्पैक्ट, अपग्रेडेशन तथा विलयन ।

चरण-3

प्रश्न पत्र 12

परियोजना प्रबंधन तथा नियंत्रण

100 अंक

उद्देश्य : फोरमुलेशन, एप्रेजल फिनान्सिंग, प्रशान तथा परियोजना नियंत्रण पर विशेष ज्ञान का प्रावधान ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ।

1. परियोजना की पहचान तथा सूत्रीकरण : बी.एम.आर. ई डी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं : (बैलेन्सिंग, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापना, विस्तार तथा डाइवर्सिफिकेशन) इसमें से प्रत्येक किस्म के तहत भिन्न-भिन्न रूप से विचार करना ।

परियोजना चयन में माइक्रो तथा माइक्रो पैरामीटर्स, विभिन्न कन्सिडरेशन—उन परियोजनाओं के लिए जो निजी सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्रों में हैं, परियोजना फारम्युलेशन—परियोजना प्रोफाइल बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पूर्वनिवेश निर्णय हेतु ब्रोड क्राईटेरिया ।

2. प्रोजेक्ट एप्रेजल : विभिन्न प्रकार के एप्रेजल । तकनीकी, अर्थ नैतिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय, व्यापारिक तथा वित्तीय—परियोजना एप्रेजल हेतु वित्तीय तकनिक तथा फिजिबिलटी, डिस्काउन्टेड कैश फ्लो, नान डिस्काउन्टेड कैश फ्लो मैथड्स, लागत सामाजिक लाभ विश्लेषण तथा आर्थिक वापसी की दर । नान फाइनेन्सियल जस्टिफिकेशन—परियोजना का।

3. परियोजना वित्त पोषण : फायनेन्सिंग का पैटर्न, वित्त के स्रोत, इम्पैक्ट कराधान का, सार्वजनिक ऋण, लघु-बचत, अधिशेष—सार्वजनिक उद्यमों का, न्यून वित्त पोषण, विदेशी सहायता, सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना वित्त पोषण, टैक्स प्लानिंग की परियोजना वित्त-पोषण में भूमिका ।

4. परियोजना लागत सिस्टम : परियोजना लागत लेखाविधि तथा मानिटरिंग, कन्ट्रेक्टर तथा इसकी लागत प्रणाली, श्रम तथा उपकरण लागत, लेखाविधि, कोडीफिकेशन, लागत डाटा का विकास, श्रम काल, रिपोर्टिंग कार्य की मात्रात्मकता का प्रत्यक्ष परिमापन, श्रम लागत विश्लेषण इक्विपमेन्ट लेखाविधि, गतिविधि आधारित लागत लेखाविधि, उत्पादकता के दर अनुमान के लिए, लागत नियंत्रण कम्प्यूटर का अनुप्रयोग ।

5. परियोजना प्रशासन : प्रगति, भुगतान, व्यय प्लानिंग, परियोजना शिड्युलिंग तथा नेटवर्क प्लानिंग, क्रिटिकल पाथ मेथड का उपयोग, भुगतान अनुरोध हेतु गतिविधि भुगतान की अनुसूची तथा वास्तविक प्रगति, काल, लागत, ट्रेड आफ कैश फ्लो बनाना कैश का पूर्वानुमान तथा निधि की मानिटरिंग तथा अन्य स्रोत, परियोजना समूह का नियंत्रण—एक प्रशासन के अधीन स्पेयरिंग मॉडलों में एसोसिएटेड समस्याएं ।

6. परियोजना एव्यूलेशन की अवधारणाएं तथा उसका व्यवहार और समीक्षा तकनिक (पीइआरटी) । लागत तथा पर्ट-काल : लागत एक कार्यकाल के रूप में, परियोजना मूल्यांकन तथा समीक्षा तकनिक/लागत मेकेनिज्म, एकाउन्टेंट की भूमिका परियोजना मूल्यांकन में तथा समीक्षा तकनिक/लागत बजटिंग, अल्पतम लागत का निर्धारण ।

7. पोस्ट प्रोजेक्ट एवोल्यूशन ।

चरण-4

प्रश्न पत्र 13

एडवान्स्ड मैनेजमेन्ट लेखाविधि

तकनिक और लेखाविध तकनिक और अनुप्रयोग

अंक 100

उद्देश्य : लागत लेखाविधि तकनीक, तकनीक मात्रात्म बायस के साथ अनुप्रयोग हेतु प्रभावी प्लानिंग के लिए प्रोसेस मेकिंग निर्णय के हेतु विकास के लिए परिचालन नियंत्रण सम्बन्धर पर्याप्त ज्ञान प्रदान करना ।

ज्ञान का स्तर : समस्याओं के सूत्रीकरण के लिए उन्नत ज्ञान प्रदान करना ताकि उसका समाधान भी निकाला जा सके ।

1. परिचय : मैनेजमेन्ट लेखाविधि का इवोल्युशन, पूर्ण लागत एलोकेशन, कारपोरेट, आब्जेक्टिव्स, लाभ प्रदता तथा अन्य उद्देश्य, उत्पादक सेवाएं और मार्केट मिक्स, सूचना और निर्णय प्रक्रिया, मात्रात्मकता तथा गुणात्मकता घटक, निर्णय लेने हेतु रिपोर्टिंग कार्यनिष्पादन एवोल्युशन तथा इसका सिन्क्रोनाइजेशन विभिन्न डिसिशन मॉडलों के साथ ।

2. कास्ट एलोकेशन : कास्ट एक्युमुलेशन तथा एलोकेशन जेनरण प्रोसेस—कास्ट एलोकेशन का तथा निर्णय लेने हेतु विभिन्न कसौटियां, सेवा विभाग का एलोकेशन कास्ट इन्टर एक्शन सेवाओं के मध्य, रेसीप्रोकल मेथड, एक विभाग से दूसरे विभाग के मध्य कास्ट एलोकेटिंग । ज्वाएन्ट तथा उप उत्पाद लागत—संयुक्त उत्पाद की समस्याएं, उप-उत्पाद लागत की परिचर्या, ट्रेडिशनल ज्वाएन्ट कास्ट एलोकेशन मेथड्स ज्वाएन्ट उत्पाद के साथ निर्णय करना, ए नान लाइनियर प्रोग्रामिंग माडल ज्वाएन्ट कास्ट एलोकेशन के लिए, निर्णय की महत्ता ज्वाएन्ट कास्ट एलोकेशन, प्रोसिज्योर, आइडेंटिफाई उप-उत्पादमेथमेटिकल प्रोग्रामिंग मेथड और लेखाविधि मेथड तथा उप-उत्पाद हेतु लेखाविधि के साथ ।

3. मात्रात्मक तकनिक : लाइनियर प्रोग्रामिंग के व्यवहार से डिजनीस मोडलिंग, सिम्प्लेक्स मेथड आफ सोल्युशन तथा सेन्सिविटी, एनेलेसिस, इफेक्टिव मैट्रिक्स का फारमेशन तथा उसका एलोकेशन समस्याओं में उसका अनुप्रयोग (एसाइनमेन्ट्स) ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेवेलिंग सेल्समैन, गेम्स थियोरी तथा विपणन समस्याओं में इसका अनुप्रयोग, क्युइंग सिद्धान्त की सहायता से सेवा स्तर का निर्धारण, सिम्युलेशन तकनिक का व्यवहार करते हुए मोडेलिंग बिजनेस, रिप्लेसमेन्ट माडल्स डिस्काउन्टेड कैश फ्लो, परियोजना प्लानिंग—नेटवर्क एनेलेसिस का व्यवहार करते हुए ।

4. कास्ट बिहेवियर तथा रिग्रेशन एनेलेसिस : इस्टिमेशन हेतु वर्गीकरण तथा डाटा विश्लेषण तथा कास्ट बिहेवियर, स्टैण्डर्ड एनेलेसिस आफ कास्ट बिहेवियर रिग्रेशन एनेलेसिस का व्यवहार करते हुए, गुडनेस आफ फिट तथा अर्थनैतिक संभावनाएं, स्वतंत्र वैरियबलों का महत्व, स्टैटिस्टिकल इन्टरफेस—रिग्रेशन में, लर्निंग कर्व इस्टिमेटिंग लर्निंग कर्व क्युम्यलेटिव प्रभाव के साथ, उत्पादकता पर लर्निंग का प्रभाव, क्युमलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मोडेल लर्निंग पोरोबेल पर इन्क्रिमेन्टल यूनिट टाइम, लर्निंग कर्व तथा नान लाइनियर कास्ट ।

इन्क्रिमेंटल यूनिट टाइम, लर्निंग कर्व तथा नान लाइनियर कास्ट ।

5. कास्ट वोल्यूम प्रोफिट एनेलेसिस : कास्ट वोल्यूम प्रोफिल एजम्पशन तथा कास्ट वोल्यूम तथा प्रोफिट में अंतर-संबंध ।

क. डिटरमिनिस्टिक मोडल्स—मोडल्स आन कास्ट वोल्यूम प्रोफिट एनेलेसिस, ब्रेक इवन पोइन्ट डिटरमिनेशन—मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन मिलकरर कास्ट वाल्यूम प्रोफिट एनेलेसिस मल्टिपल उत्पाद के तहत, मल्टिपल प्रोडक्शन कान्स्ट्रान्ट्स, कास्ट-वोल्यूम प्रोफिट मोडेल्स तथा इसका डिसिशन प्रक्रिया में उपयोग

ख. अनिश्चितता के तहत मोडेल्स : अनिश्चित मोडल का बनाना विक्रय में प्रोबेबिलिटी वितरण, ब्रेक इविन का निर्धारण, पैरामेट्रिक इस्टिमेट—सामान्य तथा असामान्य वितरण हेतु मल्टी प्रोडक्ट कास्ट वोल्यूम प्रोफिट एनेलेसिस मूल्यों में अनिश्चितता तथा कास्ट पैरामेट्रिक्स, पूर्ण सूचना का अपेक्षित मूल्य तथा सैम्पल इन्फारमेशन ।

6. मूल्यांकन तथा निर्णय प्रक्रिया : अपोरचुनिटी कास्ट, रिलेवेन्स तथा कन्ट्रिब्यूशन एप्रोच, डूबत लागत का इररिलिवेन्स, प्रोफिट मैक्सिमाईजिंग प्राइजिंग मोडेल, फुल कास्ट प्राइजिंग मोडेल, इन्क्रिमेंटल कास्ट एण्ड निवेश पर वापसी, प्राइसिंग, स्टेटेजिक प्राइजिंग—नए उत्पाद पर फुल कास्ट प्राइजिंग सुविधाएं तथा असुविधाएं उत्पाद की लागत का परिमापन—क्वालिटी—एप्रेजल कास्ट, प्रिवेन्शन कास्ट, इन्टरनल फेल्योर कास्ट, एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट, आप्टिमल प्राइज कट डिसिशन, एक्सपेक्टेन्ट अपोरचुनिटी लासेस, आप्टिमम इन्वेंटरी मोडेल संबंध नीति तथा अपोरचुनिटी लासेस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल।

7. विक्रय में परिवर्तन, लाभ तथा कास्ट लागत विश्लेषण : विक्रय तथा लाभ विश्लेषण—उत्पाद मिक्स तथा यील्ड परिवर्तनशीलता—परिवर्तनशीलता के लिए डिसआग्रेगेशन एप्रोच—प्लानिंग एण्ड नियंत्रण परिवर्तनशीलता, लागत परिवर्तनशीलता जांच मोडेल, मैटेरियलिटी इनसिग्निफिकेंस—स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स, नान-नार्मल प्रोबेबिलिटीज—नियंत्रण चार्ट, फार्मल मोडेल्स मल्टिपल आबसर्वेशन के लिए—डिसिशन मोडेल, कास्ट तथा बेनिफिट इन्वेस्टिगेशन के साथ, परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में आने वाली असुविधाएं ।

8. विकेन्द्रीकरण तथा अंतरण प्राइसिंग : उत्तरदायित्व का ज्ञान—केन्द्र विकेन्द्रीकरण इसकी परिभाषाओं और असुविधाओं को मिलाकर ट्रान्सफर प्राइजिंग आउट ले कास्ट के लिए जेनेरल क्राइटेरिया तथा अपोरचुनिटी कास्ट विभिन्न मार्केट अवस्थाओं के तहत, अन्तर-राष्ट्रीय तथा ग्लोबल टैक्स मिनिमाईजेशन, ट्रान्सफर प्राइजिंग, एप्लिकेशन ट्रान्सफर प्राइजिंग के विभिन्न मेथड—निगोशिएटेड लागत, सम्भाव्य लागत, लागत धन प्रोफिट तथा मानक लागत प्रोफिट इन्वेस्टमेंट के चयन हेतु इन तकनिकों की चयन करने का लिमिटेशन, निवेश पर वापसी आवासिक आय की अवधारणा तथा विभागीय कार्यनिष्पादन नियंत्रण के साथ मानविक समस्याएं । प्रबंधन लेखाविधि में करन्ट इश्यू : मुद्रास्फीति तथा प्रबंधकीय निर्णय लेने में इसका प्रभाव —व्यापारिक निर्णयों के सामाजिक आयाम, मानव स्रोत लेखाविधि मोडल्स तथा उनके अनुप्रयोग कार्यक्रम तथा कार्यनिष्पादन बजटिंग, शून्याधार बजटिंग, सामाजिक लेखाविधि सामाजिक रिपोर्टिंग तथा मानव संसाधन प्लानिंग तथा कर्मचारियों की लागत का आप्टिमाइजेशन ।

चरण-4

प्रश्न पत्र 14

एडवान्स्ड फिनान्सियल मैनेजमेन्ट

अंक 100

उद्देश्य : लेखाविधि प्रोसेस में विस्तृत अंतदृष्टि की जानकारी देना तथा जटिल व्यापार प्रबंधन में उसका अनुप्रयोग ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ।

1. प्लानिंग इन्वायरमेन्ट : वित्तीय उद्देश्य, वित्त पोषण पर पूर्वानुमान, निवेश एवं लाभांश, प्लानिंग तथा अनिश्चितताएं, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, पूंजी लाभ-और हानि, एक्सचेन्ज कन्ट्रोल विनियमन, सरकारी ऋण नीति तथा प्रोत्साहन, उत्पादन पर सांख्यिकी, मूल्य इन्डिसेस, प्रकाशित स्टेटिस्टिकल डाटा के आधार पर पूंजी बाजार ।

2. वित्त (राष्ट्रीय) स्रोत : (क) मध्य तथा दीर्घ कालिक : वेन्चर कैपिटल, सीड कैपिटल, इक्विटीप्रिफरेन्स, कन्वर्टेबल तथा क्युम्युलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेन्चर्स, कन्वर्टेबल हायर पर्चेज, लिजींग, सार्वजनिक जमा तथा इन्स्टिच्यूशनल फायनेन्स—जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इण्डस्ट्रियल फायनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया, स्माल स्केल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट फायनेन्स कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल रिहैबिलीटेशन बैंक आफ इण्डिया ।

आंतरिक स्रोत, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रावधान आदि, वित्त उठाने के लिए इश्यू, संगठन का वैधानिक फार्म, कम्पनीज एक्ट के प्रावधान । पंजीगत इश्यू का नियंत्रण (बी) अल्पकालिक स्रोत : ट्रेड, क्रेडिट फैक्टरिंग, बिल आफ एक्सचेंज, बैंक ऋण, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट ।

3. वित्त अंतर्राष्ट्रीय के स्रोत : विदेशी बाजार से निधि उगाही तथा विदेशी परियोजनाओं में उसका निवेश, एक्सचेन्ज रेट रिस्क इन्वाल्व्ड एजेन्सियां तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—अवधारणाएं—व्यापार के अवशेष राशि तथा अवशेष के भुगतान की ।

4. परिचालन तथा वित्तीय लीवरेज का विश्लेषण : अवधारणाएं तथा लीवरेज की प्रकृति—परिचालन जोखिम तथा वित्तीय जोखिम, परिचालन लीवरेज, वित्तीय लीवरेज तथा कम्बाईन्ड लीवरेज—अवधारणाएं, मेजर्स तथा उनके इन्टरप्रेटेशन, आपरेटिंग लीवरेजेस कास्ट वोल्यूम प्रोफिट विश्लेषण ब्याज के पूर्व की आमदनी तथा टैक्स तथा प्रतिशेयर आमदनी विश्लेषण-इन डिफरेन्स बिन्दु।

5. पूंजी संरचना के सिद्धान्त तथा प्लानिंग : पूंजी संरचना की अवधारणा तथा उसके पैरामीटर्स, वित्तीय संरचना तथा पूंजी संरचना—सरल तथा जटिल पूंजी संरचना के सिद्धान्त—शुद्ध आय एप्रोच, निवल परिचालन आय एप्रोच, ट्रेडिशनल तथा मिलर और मोदीगिलानी एप्रोच तथा उनका/उनकी आलोचना पूंजी संरचना प्लानिंग के फैक्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर ट्रेन्ड निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में भारत में ट्रेन्ड।

6. पूंजी की लागत : इसकी प्रकृति और इसका अर्थ कैपिटल कास्ट का रिलेवेन्स वित्तीय निर्णयों में, स्पेसिफिक कास्ट का कम्प्यूटेशन, वेट का चुनाव समग्र लागत तथा कैपिटल की सीमान्त लागत, कारपोरेट टैक्स और पूंजी लागत पर इसका प्रभाव।

7. कैपिटल बजटिंग तथा टाईम लैग का प्रभाव कैपिटल एक्सपेन्डीचर के विश्लेषण में तथा उपलब्धता, पे बैक पीरियड, वर्तमान मूल्य तथा आंतरिक दर रिटर्न का जिसमें संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल है, कैपिटल बजटिंग की सीमाएं, कैपिटल के लागत का निर्धारण, अनिश्चितता की जोखिम पोर्टफोलियो कान्टेक्स्ट का रिटर्न तथा जोखिम, कैपिटल तथा प्राइसिंग माडल, मुद्रास्फिति, लीजिंग वर्सस बायिंग, आयकर, एक्सिलरेटेड कास्ट रिकवरी के लाभ (ह्रास का उच्च दर) निवेश क्रेडिट।

8. वर्किंग कैपिटल प्रबंधन : ओपरेटिंग सायकिल अवधारणा, पूर्वानुमान, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता, वित्तीय रणनीति, वर्तमान आस्तियां, वर्किंग कैपिटल तथा आवधिक ऋण के विषय में टन्डन स्टडी ग्रुप की अनुशंसा, विभिन्न घटकों के एडवान्स मैनेजमेन्ट की मानिटरिंग, मुद्रास्फीति के अधीन वर्किंग कैपिटल का प्रबंधन, नई परियोजनाएं तथा वर्किंग कैपिटल प्रबंधन।

9. फिनान्शियल सेवाएं : लीजिंग, मर्चेन्ट बैंकिंग, हायर-पर्चेज, कैश पर्चेज, फैक्टरी।

10. एडवान्स फिनान्सियल एनेलेसिस तथा प्लानिंग : फिनान्स्यिल स्टेटमेन्ट्स, फिनान्सियल रेशियो एनेलेसिस निधि प्रवाह तथा रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, लिवरेजेस, कास्ट वोल्यूम प्रोफिट एनेलेसिस, फिनान्सियल पूर्वानुमान, अंतरिम तुलना, फिनान्सियल एनेलेसिस तथा मुद्रास्फिति के पक्ष।

11. डिविडेन्ड तथा रिटेन्शन नीति : डिविडेन्ड पालिसी को फारम्युलेट करना, विवेचना हेतु फैक्टर, डिविडेन्ड के सिद्धान्त : वाल्टर्स माडेल, गार्डन्स माडेल, डिविडेन्ड की रेलिवेन्स थियोरी, मिलर तथा मोदीगिलानी हाइपोथिस, भारतीय परिस्थिति में सामान्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र।

12. सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन : प्राप्य योग्य लेखाओं का प्रबंधन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में इन्वेन्टरीज सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में निधि स्रोत : ऋण की लागत, इक्विटी की लागत, रिटेन्ड अर्निंग की लागत तथा डेट-इक्विटी रेशियो, पूंजी के व्यय का एवेल्युशन तथा नियंत्रण : कैश फ्लो का निर्धारण तथा लागत बेनिफिट विश्लेषण, प्राइसिंग पालिसी सार्वजनिक क्षेत्र की, परियोजना फारम्युलेशन तथा उसका कार्यान्वियन, सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण।

चरण-4

प्रश्न पत्र 15

एडवान्सड मैनेजमेन्ट एकाउन्टिंग स्ट्रेटेजिक प्रबंधन

100 अंक

उद्देश्य : संगठन तथा उसके पर्यावरण के पर्याप्त ज्ञान को आवरणित करना, फारम्युलेशन तथा संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का महत्व तथा मार्केटिंग कन्ट्रोल एवं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रबंधन एकाउन्टेन्ट की भूमिका।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ

1. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग : 1. प्लानिंग इन्वायरमेन्ट एकोनोमिक्स : पूर्वानुमान, प्रवृत्ति तथा परिवर्तन—सामाजिक, राजनैतिक, विधिक तथा तकनिकी प्रभाव, वितरण चैनल तथा तुलनात्मक फोर्सेस, सरकारी नीति आर्थिक विकास तथा सरकारी व्यय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के निवेश, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड प्राइसेज तथा सरकार की क्षमता विकास नीति, नए उद्योग सबसिडियरीज तथा सब्सिट्यूट, मुद्रास्फिति के नियंत्रण में सरकार की भूमिका।

2. स्ट्रेटेजिस : अर्थ तथा कार्पोरेट प्लानिंग का इम्प्लिकेशन, लांग रेन्ज प्लानिंग व्यापार नीति की प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तथा स्ट्रेटेजिक प्रबंधन, स्ट्रेटेजिक प्लान विकास की प्रक्रिया—मिशन की व्याख्या, कारपोरेट ओब्जेक्टिव (प्रोफिट, गैप सेल्स गैप, रिस्क गैप तथा अन्य स्ट्रेटेजिज) बल, कमजोरी, अवसर तथा धमकियां विश्लेषण, लक्ष्य विक्रय रण नीति सचीकरण तथा उसका क्रियान्वयन, मानिटरिंग मेकेनिज्म, स्टेबिलेशन ग्रोथ हेतु रणनीति, विकास तथा विभेदीकरण के माध्यम से विकास हेतु रण नीति स्ट्रेटेजी-मर्जर तथा एक्विजिशन, संयुक्त प्रयास की स्ट्रेटेजी—भारतवर्ष में तथा विदेश में, कारपोरेट का एक भाग के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मुद्रास्फिति तथा शेयर होल्डरों के प्रोटैक्शन में विकास, रिप्लेस कैपिटल, वित्तीय उद्देश्य, गैर-वित्तीय उद्देश्य, स्रोत विश्लेषण तथा एवेल्यूशन।

3. मोडेल बिल्डिंग : मोडेल के विकासों की रणनीति, एक्नोमेट्रिक, मैथेमेटिकल प्रोग्रामिंग, बजटरी तथा ह्युरलिस्टिक मोडल, संवेदनशील विश्लेषण तथा इन मोडेलों का कैरेक्टररिस्टिक, मोडेल बिल्डिंग के लिमिटेशन विस-ए-विस सिम्युलेशन तकनिक ।

3. मार्केटिंग : (1) अवधारणाएं—ओरिएन्टेशन बनाम मार्केट आर्गनाईजेशन, मार्केटिंग आब्जेक्टिव, मार्केटिंग-मिक्स का फ्रेम वर्क तथा प्रबंधन (2) स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तथा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के मध्य लिंकेज—फारवर्ड तथा बैकवर्ड दोनों के लिए । (3) रिसर्च तथा इन्टेलिजेन्स—मार्केटिंग निर्णय हेतु आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने हेतु स्रोत और तकनिक (4) प्रबंधन लेखाविधि का नियंत्रण या अनुप्रयोग मार्केटिंग में—मार्केटिंग लागत का विश्लेषण तथा लाभप्रदता, प्राइसिंग नीति तथा रणनीति, बजटरी नियंत्रण—मार्केटिंग में, विक्रय गतिविधियों का मूल्यांकन और नियंत्रण ।

सेल्स प्रमोशन का मूल्यांकन तथा विज्ञापन वितरण लागत विश्लेषण तथा नियंत्रण मार्केटिंग रिसर्च का मूल्यांकन तथा मार्केटिंग प्लानिंग ।

अंशदानिय विश्लेषण तथा उत्पाद-रेखित लाभप्रदता विश्लेषण, उत्पाद राशिनलाईजेशन प्रोडक्ट रिवैम्पिंग मिलाकर, प्राडक्ट रेन्ज का एक्सटेन्शन, प्रोडक्ट एलिमिनेशन और साथ ही नया उत्पाद को चालू करना अनुसंधान सूचना का मूल्यांकन परफेक्ट तथा इमपरफेक्ट तथा बेय थियोरम ।

चरण 4 प्रश्न पत्र सं. 16 लागत अंकेक्षण 100 अंक

उद्देश्य :—एक कास्ट तथा मैनेजमेन्ट आडिट के कार्य को संभालने के लिये प्लानिंग के तकनिक और मेथडों की जानकारी तथा उसके एक्जिक्युशन के लिये इन विषयों की गहन जानकारी देना ।

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ

सेक्शन-1 लागत तथा प्रबंधन अंकेक्षण 50 अंक

1. ओब्जेक्ट की प्रकृति तथा लागत अंकेक्षण का कार्य-क्षेत्र : दक्ष अंकेक्षण की अवधारणाएं, प्रोप्राईटी अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण ।

2. लागत अंकेक्षक की नियुक्ति-उसके अधिकार, दायित्व, स्टैटस, संबंध तथा उसकी दायिता-प्रोफेशनल तथा लीगल-कम्पनी एक्ट 1956 (1956 के तहत 1 में) द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स एक्ट 1959 (1959 का 23) ।

3. अंकेक्षण की प्लानिंग : उद्योग से परिचित होना, संगठन, उत्पाद प्रक्रिया प्रणाली तथा उसकी प्रक्रिया, अभिलेखों तथा रिपोर्टों की सूची, अंकेक्षण कार्यक्रम को बनाना ।

4. अभिलेखों तथा रिपोर्टों का सत्यापन : स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड का उपयोग, कोर्गनिषावन का सत्यापन तथा कास्ट एकाउन्टिंग (रकाडर्स) रूल्स के अधीन रखी गयी विवरणियों का सत्यापन ।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन : बजटरी कन्ट्रोल, कैपेसिटी युटिलाईजेशन, इन्वेन्टरी कन्ट्रोल, प्रबंधन सूचना प्रणाली ।

6. इन्टरनल आडिट की एडिक्वेसी का एसेसमेन्ट ।

7. अंकेक्षक के नोट तथा वर्किंग पेपर्स-प्रबंधन को आडिट रिपोर्ट ।

8. कास्ट आडिट रिपोर्ट-रिपोर्ट की विषयवस्तु, नोट तथा क्वालिफिकेशन के मध्य विभेद, कास्ट आडिटर के अवलोकन तथा निर्णय ।

9. प्रोफेशनल एथिक्स तथा कोड आफ कन्डक्ट ।

10. सांविधिक वित्तीय अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा सांविधिक लागत अंकेक्षक के मध्य सम्बन्ध ।

11. कास्ट एकाउन्टिंग (रेकार्ड्स) रूल्स अन्डर क्लाज डी आफ सब सेक्शन-1 आफ सेक्शन 209 (इक्जामिनेशन के एक वर्ष पूर्व जारी) तथा कास्ट आडिट (रिपोर्ट्स) रूल्स कम्पनिज एक्ट 1956 के तहत (1956 का 1) के तहत सेक्शन 233 (बी) के अधीन जारी किये गये नियमों की क्रिटिकल स्टडी आवरणित उद्योगों के लिये लागू तथा उसमें निर्धारित अनुलग्नक तथा प्रोफार्मा भी शामिल है ।

12. सरकार द्वारा लागत अंकेक्षक रिपोर्ट की समीक्षा :—

ऑब्जेक्टिवस, मेथड्स, फोलोअप, कार्यवाही डिस्पोजल-कास्ट आडिट रिपोर्ट का डिस्पोजल-सरकार, कम्पनी तथा अन्य और कास्ट आडिट रिपोर्ट के व्यवहार कर्ता ।

13. कास्ट आडिट तथा फिनान्शियल आडिट के मध्य तुलनात्मक अध्ययन : विशेष संदर्भ के साथ संसद सदस्यों तथा साधारण में सूचना डिस्क्लोज करने के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना ।

14. कास्ट आडिटरों के लिये विशेष पेनेल का प्रावधान ।

सेक्शन-2 अन्य सेवाओं में लागत अंकेक्षण 50 अंक

1. प्रबंधन अंकेक्षण : अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र, संगठनात्मक आवश्यकताएं—प्रबंध लेखापरीक्षण के लिये तथा इसका अन्य लेखापरीक्षण पर आवरण ।

2. प्रबंधन प्रक्रिया का आडिट तथा उसका फंक्शन तथा प्लानिंग, आर्गनाईजेशन, स्टाफिंग, कोआर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डाइरेक्शन तथा नियंत्रण ।

3. प्रबंधन सूचना तथा नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन : कारपोरेट इमेज तथा विशेष रूप से आवरण समस्याओं पर बल देते हुए ।

4. कारपोरेट सर्विस आडिट (कस्टमर) सार्विस) : उत्पाद (अनुसंधान एवं विकास) तथा महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, कस्टमरस चैनल्स (एक्सपोर्ट) ।

5. कारपोरेट विकास तथा प्रबंधन आडिट : कोरपोरेशन तथा प्रोपराइटी पक्षों को मिलाकर ।

6. सामाजिक लागत तथा व्यापारिक उद्यम को लाभ विशेष कर देश के विकास के संदर्भ में ।

7. आडिट प्रबंधन की सामाजिक उत्तरदायित्व ।

8. अन्य सेवाएं ।

9क. प्रबंधन को अन्य सेवाएं, विभिन्न आशयों के लिये प्रमाणी करण—अभिलेखों का सत्यापन करना तथा सुरक्षित करना—फार्म तथा प्रमाणीकरण की विषयवस्तु :—

ख. लागत अंकेक्षण : प्रबंधन, सरकार, शेयर होल्डरों, अन्य बाह्य एजेन्सियों तथा सार्वजनिक वालन्टियरी लेखा परीक्षण एक सहायता ।

ग. उत्पादकता आडिट : श्रम सामग्री तथा पूंजी ।

घ. इनर्जि कंसर्वेशन तथा इन्वायरनमेन्टल प्रोटेक्शन।

ङ. इफिशियन्सी आडिट : एक उद्यम के उप-प्रणाली का आडिट ।

च. एसेसमेन्ट तथा मैरिन, फायर तथा दुर्घटना पालिसी के तहत हुई क्षति का एसेसमेन्ट ।

छ. बैंक तथा अन्य एजेन्सियों को लिये इन्वेन्टरी आडिट ।

(1) विनियमन 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित होगा : यथा :

35. अंतिम परीक्षा में बैठने के लिये विषयों में छूट :—

1. यदि कोई अभ्यर्थी 1 जुलाई 1994 को या उसके बाद अपना नाम विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत कराता है, तो समय-समय पर काउन्सिल इस बात का निर्णय करेगी किसी एक विषय या विषयों में विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिये छूट प्रदान करेगी जिसने ऐसी परीक्षा किसी विश्वविद्यालय या रेसिप्रोकल आधार पर किसी इन्स्टिच्युट/बोडिस से भारत में या विदेश से उत्तीर्ण की है इस दिशा के लिये काउन्सिल द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

2. काउन्सिल को निर्णय करने का भी अधिकार रहेगा और वह अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए किसी विशेष विषयों/चरणों में छूट देने का निर्णय करेगी जिसमें एक अभ्यार्थी ने विनियमन 25ए के तहत नये सिरे से एक पंजीकृत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया है किसी विशेष विषय/चरण में उसके पूर्ववर्ती पंजीकरण द्वारा प्राप्त छूट के आधार पर अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए छूट प्रदान की जायेगी ।

3. कोई भी अभ्यार्थी जिसने अंतिम परीक्षा में बैठने के लिये निम्नलिखित प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण किये है या पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छूट प्राप्त की है उन्हीं तदनुरूपी संशोधित पाठ्यक्रमों में छूट संशोधित पाठ्यक्रमों में, जो निम्न प्रकार है, मिलेगी :—

पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार अन्तिम परीक्षा के प्रश्न पत्र			संशोधित पाठ्यक्रम के अन्दर अन्तिम परीक्षा हेतु तदनुरूपी समान प्रश्न पत्र		
समूह	प्रश्न पत्र सं०	प्रश्न पत्र का नाम	चरण	प्र० प० सं०	प्रश्न पत्र का नाम
I.*	1	फिनान्सियल मैनेजमेंट तथा कारपोरेट प्लानिंग और पालिसी	IV	14	एडवान्स्ड फिनासिन्सयल मेनेजमेंट
I.	3	एडवान्स्ड एकाउन्टेन्सी	III	9	एडवान्स्ड फिनान्सियल
I.	2	कास्ट आडिट तथा मैनेजमेन्ट आडिट	IV	16	एकाउन्टेन्सी कास्ट आडिट
II.	4	एडवान्स्ड कास्ट एण्ड मेनेजमेंट एकाउन्टेन्सी मैथड	IV	13	एडवान्स्ड मेनैजमेन्ट एकाउन्टिंग तकनिक तथा उसका अनुप्रयोग

एक अभ्यर्थी जिसने पुराने पाठ्यक्रम के अधीन अंतिम परीक्षा में बैठने के लिये छूट प्राप्त करली है या उपरोक्त प्रश्नपत्रों में अंकों को अगणित करने का लाभ मिला है वे तदनुरूपी प्रश्नपत्रों में संशोधित पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में भाग ले सकेगा जो भी हो परीक्षा के परीणाम स्वरूप अंकों को अगणित करने की सुविधा पुराने पाठ्यक्रम संशोधित पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उपलब्ध नहीं होगी जो विनियमन 41 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित होगा यथा :

41. एक अभ्यर्थी को जिसने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है उत्तीर्ण घोषित किया जायगा यदि उसने सभी (पुराने पाठ्यक्रम) के सभी चरणों या समूहों के विषय में परीक्षा एक ही बार में निम्नतम प्रतिशत कुल अंकों के प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करली है जिसमें उसने छूट नहीं प्राप्त की है जैसा कि कालम 11 में नीचे दिया गया है और ऐसे प्रश्नपत्रों में कुल अंकों के 50% सभी ऐसे प्रश्न पत्रों उसे समूह या चरण में पुराने पाठ्यक्रम में प्राप्त किये हों :—

कालम–I	कालम : II
पुराने पाठ्यक्रम के तहत विनियमन 31 के अन्दर संपन्न माध्यमिक परीक्षा का समूह I ग्रुप II या विनियमन 34 पुराने पाठ्यक्रम के तहत सम्पन्न अन्तिम परीक्षा का ग्रुप I या ग्रुप II	35 :
विनियम 31 के तहत संशोधित पाठ्यक्रम की माध्यमिक परीक्षा का स्टेज–I या स्टेज II या स्टेज III या IV तहत विनियमन 34 के अन्दर संशोधित पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा	40%

2. एक अभ्यर्थी किसी परीक्षा के पुराने पाठ्यक्रम के तहत किसी चरण या ग्रुप में सफल घोषित नहीं किया गया है किन्तु:—

1. उसने किसी प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में कुल मिला कर 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया है उसे परिवर्ती परीक्षा में उस या उन प्रश्न पत्रों में बैठने की छूट मिलेगी या ।

2. यदि 60% या इससे अधिक अंक कुल अंक के, हिसाब से किसी प्रश्न पत्र या प्रश्नपत्रों में प्राप्त करता है तो उसे उस या उन प्रश्न-पत्रों में परवर्ती परीक्षा में बैठने की छूट मिल जायगी जिसमें उसने 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं या

2. यदि किसी प्रश्न-पत्र में कुल अंकों के 60% या इससे अधिक या किसी प्रश्न-पत्र में अंकों के 40% अंक (संशोधित पाठ्यक्रम के अन्दर) या 35% कुल अंकों के (पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार) उसमें प्रत्येक बचे हुए प्रश्नपत्र जो उस चरण के प्रश्न-पत्र हैं या समूह पुराने पाठ्यक्रम) के उनको अंकों को अग्रनिस करने का लाभ उनको प्राप्त वास्तविक अंकों के साथ करने को मिल जायेगा जिसमें उसने 60% अंक प्राप्त किये हैं या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं यह उसके परिणाम को संगणित करने के आशय के लिये होगा परिवर्ती परीक्षाओं के लिये ।

3. बशर्ते यदि छूट का लाभ या अग्रनिस करने की सुविधा जैसा कि क्लाज (1) और (2) में दिया गया है यदि कोई अभ्यर्थी स्वेच्छिक रूप से यदि निकाल नहीं लेता, तो उसे भविष्य में ऐसे लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

3. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तालिका इन्स्टिट्यूट की पत्रिका में काउन्सिल के निर्देशानुसार प्रकाशित की जायगी । डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों तालिका में चिन्हित किये जाएंगे । प्रत्येक अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग सूचित किया जायेगा । जिस परीक्षा में वह बैठा है उसमें प्रश्न-पत्रों में प्राप्त अंक तथा उसका परिणाम उसे व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जायेगा ।

बशर्ते यदि किसी कारणवश यह बात प्रकाश में आये कि किसी भूल या जालसाजी या किसी अनुचित कारणों से परीक्षा का परिणाम प्रभावित हुआ है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा समिति को उपयुक्त परिणाम को संशोधन करने का पूरा अधिकार होगा ।

4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करता है और यदि वह एक बैठक में किसी परीक्षा में सभी प्रश्न-पत्रों में कुल अंकों में से 70% अंक प्राप्त करता है तो वह समझा जायगा कि उसने उस परीक्षा को डिस्टिंक्शन से पास किया है ।

5. यदि कोई अभ्यर्थी, 30 दिन के अन्दर, परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद 50/- रुपये मात्र प्रतिप्रश्न पत्र की शुल्क के साथ आवेदन करता है तो जिस परीक्षा का मूल्यांकन किया गया है किसी खास प्रश्नपत्र के लिये उसके अंकों को अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा, दी जाने वाली शुल्क समय-समय पर काउन्सिल द्वारा परिवर्तित भी की जा सकती है । यह शुल्क अभ्यार्थी के जवाब जो उसने किसी खास प्रश्न पत्र में परीक्षा के दौरान लिखे हैं उनकी परीक्षा हुई है या नहीं उनका मूल्यांकन हुआ है या नहीं न कि उत्तरों के पुनः मूल्यांकन के लिये । किसी विशेष प्रश्न या प्रश्नपत्रों के संक्षेपन में दिये गये अंकों को किसी भी अवस्था में आपूर्ति नहीं की जायेगी । यदि किसी ऐसे परिणाम के सत्यापन के उपरान्त यह पाया गया कि यदि किसी उत्तर की परीक्षा नहीं की गई है या उस पर अंक नहीं दिया गया है या जोड़ करने की गलती हुई है तो ऐसी स्थिति में शुल्क वापस कर दी जायेगी ।

6. यदि कोई अभ्यार्थी परीक्षा का परिणाम की घोषणा के 6 माह बाद अपने अंक-पत्र की डुप्लिकेट प्रति चाहता है तो उसे रुपये 20/- या समय-समय पर काउन्सिल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर उसे डुप्लिकेट प्रति की आपूर्ति की जायेगी ।

के. विनियमन 108 हेतु निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जायगा :—

106. अपना नाम या ट्रेड का नाम या फर्म का नाम काउन्सिल के अनुमोदन के पूर्व :—

1. प्रत्येक कास्ट एकाउन्टेंट जो अपने नाम या ट्रेड नाम या ऐसे एकाउन्टेन्टों का प्रत्येक फर्म पेशेवर

रूप में कार्य आरम्भ करने से पूर्व या फर्म गठित करने के पूर्व जैसी भी स्थिति हो जो भी पहले हो काउन्सिल के समक्ष "फार्म एल" जो कि विनियम के साथ दिया गया है, अपने कार्यालय या फर्म का विवरण देते हुए अपना नाम या ट्रेड या फर्म के नाम का व्यवहार करने के लिये अनुमोदन हेतु दें ।

2. किसी ट्रेड या फर्म का नाम उनके प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स या वह नाम जिसका व्यवहार किया जा रहा है तक ही सीमित रहेगा और सदस्यों की पंजी से उन सदस्यों के नामों की पुष्टि करेगा ।

3. एक ट्रेड या फर्म का नाम निम्न तरीके से व्यवहृत किया जा सकता है :—

ए. सदस्य का नाम, उपनाम या पूरा नाम, उपनाम दर्शाते हुए ।

बी. सदस्य का पहला पूरा नाम या पूरे नाम के आद्याक्षर या पहला नाम या ।

सी. पहले नाम का मिश्रण, मध्य नाम आद्याक्षर और उपनाम या उसका विस्तार या ।

डी. सामान्य रूप से जाने वाले नाम का भाग या ।

ई. मिश्रित (कम्बाइन्ड) नामों का या भागीदारों के उपनामों का या ।

एफ. प्रोप्राइटर या पार्टनर के नाम का एक भाग ।

जी. सूफी एण्ड कं. या एसोसिएट्स या उनके समानार्थक या ।

एच. कोई अन्य नाम या उपनाम जिससे उसके नाम की ख्याति है किन्तु इस आशय का हलफनामा (एफिडेविट) देकर या काउन्सिल को संतुष्ट करते हुए अन्य साक्ष्य देकर ।

4. एक ट्रेड के नाम या फर्म के नाम का व्यवहार नहीं करने दिया जाएगा :—

ए. जहां एक सदस्य अपने उपनाम का भाग प्रयोग करता है या ।

बी. जहां प्रत्यय का व्यवहार यथा एण्ड पार्टनर्स, एण्ड फेलोज, एण्ड ब्रदर्स तथा एण्ड किया जाता है ।

सी. जहां देवी, देवताओं या कुल देवताओं का जहां सदस्यों के नामों उपनामों से कोई सम्बन्ध नहीं है या ।

डी. जहां विवरणात्मक ट्रेड का या फर्म का नाम है या ।

ई. जहां वह इंगित करता है कि यह एक प्रचार का माध्यम है या ।

एफ. समान या समान लगने वाले नाम जिसका व्यवहार किया जा रहा है और कार्यालय या फर्म के नाम रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं ।

जी. काउन्सिल के मतानुसार वहां ऐसे नामों का व्यवहार अपेक्षित है ।

5. काउन्सिल ट्रेड नाम या फर्म का नाम अनुमोदित कर सकती है और कार्यालय/फर्म कार्यालयों को रजिस्टर में रखा जा सकता है जिसमें ट्रेड का नाम या फर्म का नाम जैसा कि अनुमोदित किया गया है उसमें प्रविष्ट किया जाये तथा फार्म एल जो कि इस विनियमन के साथ संलग्न है उसके अनुसार उसमें विवरण भरे जाएं ।

6. इस विनियमन के साथ संलग्न फार्म एल में प्रस्तुत विवरणों में यदि कोई परिवर्तन बाद में होता है तो उसे काउन्सिल को सूचित किया जाय तथा यह सूचना कास्ट एकाउन्टेन्ट या कास्ट एकाउन्टेन्टों के फर्म द्वारा हुए परिवर्तन के 30 दिन के अन्दर दी जानी चाहिए ।

7. जहां काउन्सिल द्वारा समान ट्रेड या फर्म के नामों का पंजीकरण हुआ है और यदि फर्मों की संख्या दो या दो से अधिक है तो ऐसी स्थिति में ऐसे नाम का व्यवहार उसी ट्रेड/फर्म को करने को दिया जायगा जिसने पहले अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराया है और दूसरे फर्मों/ट्रेडों को काउन्सिल जैसा उपयुक्त समझती है, उनके नामों में परिवर्तन करने के आदेश देगी तथा उन परिवर्तनों को करने के बाद इसकी सूचना 180 दिनों के भीतर काउन्सिल के आदेश पाने के बाद, काउन्सिल को दी जाय ।

8. कोई भी सदस्य ट्रेड या फर्म के नाम से प्रैक्टिस नहीं करेगा ।

8ए. जब तक कि ऐसा नाम उप-विनियमन (5) के तहत काउन्सिल द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता या ।

बी. उप-विनियमन (6) के तहत काउन्सिल द्वारा किसी के सम्बन्ध में यदि कोई निदेश जारी किया गया हो तो उस निदेश के जारी किये जाने के 180 दिन बाद ।

एल. विनियमन 112 का विलोप ।

एम. विनियमन 113 ।

1. सीमान्त शीर्ष में शब्द "गवर्नमेन्ट" का विलोप किया जायगा ।

2. उप-विनियमन (1) में "सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट" शब्द के स्थान पर काउन्सिल शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा ।

3. उप-विनियम 2 में "सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट" के स्थान पर द काउन्सिल शब्द को प्रतिस्थापित किया जायगा ।

एन. फार्म 1 के पैराग्राफ 3 में शब्द तथा अंक रु. 125/- शब्द "रुपये----" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

एस. आर. आचार्य
सेक्रेटरी

पाद टिप्पणी:—प्रमुख विनियमन भारत सरकार के राजपत्र में सं. जी. एस. आर. 611 दिनांक 25 मई, 1954 में प्रकाशित हुए और द्वारा..... संशोधित किये गये ।

1.	अधिसूचना	सं०	सी० डब्ल्यू० आर०	(2)/69 दिनांक 8 मई, 1969
2.	,,	,,	,,	(2)/70 दिनांक 25 मई, 1970
3.	,,	,,	,,	(2)/70 दिनांक 22 जनवरी, 1981
4.	,,	,,	,,	(1)/81 दिनांक 5 जनवरी,, 1981
5.	,,	,,	,,	(1)/88 दिनांक 31 जनवरी, 1989 ।

भारतीय विधिज्ञ परिषद

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 6 सितम्बर 1993

सं. बी.सी.डी. : 2270 : 1993—भारतीय विधिज्ञ परिषद ने 22-8-1993 को अपनी बैठक में भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम का निम्नलिखित संकल्प में दिए गए अनुसार संशोधन किया :—

"संकल्प सं. 64/1993 :

संकल्प किया जाता है कि नियम 9, अध्याय VI के भाग के रूप में निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए :—

"कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस तारीख को जिसको वह अधिवक्ता के रूप में अपने नामांकन के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद को आवेदन प्रस्तुत करता है, 45 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा ।"

नई दिल्ली,
6·9·1993

सी. एम. बलरामन
स्थानापन्न सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Bombay-400 005, the 25th August 1993

Ref. DBOD No. 163/08-21-001/93.—The Reserve Bank of India has, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (Act 23 of 1955) nominated Shri S. S. Tarapore, Deputy Governor, Reserve Bank of India, as a director of the State Bank of India with effect from 25th August 1993 *vice* Shri R. Janakiraman.

D. R. MEHTA,
Deputy Governor

BANK OF BARODA

OSR&IR DEPARTMENT
PERSONNEL DIVISION

Baroda-390 005, the 21st July, 1993

No. HO-OSR&IR-A-10/16-1029.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Bank of Baroda Officers' Service Regulations, 1979.

2. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called the Bank of Baroda Officers' Service (Amendment) Regulations, 1990.

(2) They shall come into force w.e.f. 22-11-1990.

OFFICERS TO WHOM THE REGULATIONS APPLY

2 (1) These Regulations shall apply to all officers of the Bank and to such other employees of the Bank to whom they may be made applicable by the Competent Authority to the extent and subject to such conditions as such authority may decide.

(2) They shall also apply to officers transferred/deputed/posted outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

(3) They shall, however, not apply to employees appointed/engaged in any Country outside India and permanently serving there.

J. N. TANDON
General Manager
(HRM & G.A.)

No. HO : OSR&IR-A-10/14-1030.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Bank of Baroda Officers' Service Regulations, 1979.

2. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called the Bank of Baroda Officers' Service (Amendments) Regulations, 1990.

(2) These Regulations shall come into force from the dates mentioned hereunder :—

Reg. 21 Dearness Allowance w.e.f. 01-11-1987
Reg. 22(2) House Rent Allowance w.e.f. 01-01-1990
Reg. 22(3) House Rent Allowance w.e.f. 01-04-1990
Reg. 24(1)(a) Medical Aid (Domiciliary treatment) w.e.f. 01-01-1990
Reg. 24(1) (b) Medical Aid (Hospitalisation Scheme) w.e.f. 01-04-1989
Reg. 33(4) Privilege Leave w.e.f.01-01-1990.

3. DEARNESS ALLOWANCE : 21

On and from 01-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 04 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average working Class Consumer Price Index (General) Base 1960—100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,
(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,
(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,
(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

HOUSE RENT ALLOWANCE

22(2) On and from 01-01-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house rent allowance at the following rates :

Where the place of wor is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- P.M.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375 /- P.M.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not copered by (i) and (ii) above.	10% of the pay subject to a maximam of Rs. 325/ P.M.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs 300/- P.M.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the house rent allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in execss over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum house rent allowance payable otherwise, whichever is lower.

REGULATION 22(3)- EXPLANATION

1(b) With effect from 01--04-1990, where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

2. In this Regulation and in Regulation 23 Area I, II and Area III shall mean as under :

Area I—Places with a population of more than 12 lakhs

Area II—All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area III—All places not included in Area I and Area II.

MEDICAL AID

24(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :

(a) Medical expenses :

On and from 01-01-1990, reimbursement of medical expennses of an officer in the pay range specified in Column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such ependiture supported by a statement of accounts for the amount claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof :

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 1000/-

Note : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

EXPLANATION :

'FAMILY' of an officer for the purpose of this Regulation shall consist of spouse, wholly dependent childern and wholly dependent parents only

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 01-04-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, voucher, etc. of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the quidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumtances the officer or their family members or both may avail themselves of the services of one the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 01-04-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's Medical Officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbused to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members.

Cancer	Tuberculosis
Cardiac Ailment	Tumer
Pleurosy	Diptheria
Kidney Ailment	Paralysis
Small Pox	Leprosy

PRIVILEGE LEAVE

33(4) On and from 01-01-1990, Privilege Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

J. N. TANDON,
General Manager
(HRM & G.A.)

UNION BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF PERSONNEL

CENTRAL OFFICE

Bombay-400 021, 26th August, 1993

CORRIGENDA

No.OSR/9.—The following corrections in our Notification No. OSR/7 dated 30th October 1992 published from Pages 3876 to 3880 of the Gazette of India (Part III—Section 4) dated 12-12-1992 are notified as under :-

Sr. No.	Page No.	Regulation No.	Correction.
1.	3876	'Short Title & Commencement	These regulations may be called Union Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1992.
2.	3879	41 (4)	In Column 1 of Regulation 41 (4), the words "Officers in Scale VI and above should be "Officers in Scale IV and above"
3.	3879	41 (4)	In Column 3 of the table indicating Boarding charges, the figure Rs. 320 against Scale IV & V should be Rs. 120.

R. RAMA DURAI
General Manager (P)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANT OF INDIA

New Delhi-110002, the 6th August 1993

No. 3NCA (5)/1/93-94.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3NCA (4) /3/91-92 dt. 14-2-92, 3NCA (4)/19/82 83 dt. 31-3-83, 3NCA (4)/7/82-83 dt. 15-3-93, 3NCA (4)/2/90-91 dt. 12-11-90, 3NCA (4)/11/92-93 dt. 3-5-93, 3NCA (1)/19/79-80 dt. 15-3-80, 3NCA (4)/2/90-91 dt. 12-11-90, 3NCA (4)/4/92-93 dt. 11-1-93, 3NCA (4)/2/88-89 dt 8-2-89, 3NCA (4)/3/89-90 dt. 9-11-89, 3NCA (4)/8/92-93 dt. 23-3-93, 3NCA (4)/5/92-93 dt. 29-1-93, 3NCA (4)/6/92-93 dt. 11-2-93, 3NCA (4)/7/92-93 dt. 26-2-93, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulations 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlement :—

Sl. No.	Membership No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
01.	9201	Shri Kamal Jeet Singh Bhatia, FCA, 54, DDA (MIG) Flats, Rajouri Garden New Delhi-110027	16-04-93
02.	13645	Shri Shakti Kumar, ACA, B-47, Vivak Vihar, Phase-II Delhi-110095.	31-05-93
03.	14341	Shri Madho Prakash Somani, ACA, E-297, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048.	07-05-93
04.	17956	Shri Suresh Shetty, ACA, 35, Asian Games Village, Ranjith Singh Block, New Delhi-110049.	23-04-93
05.	24104	Shri Vipin C. Singh, FCA, 22, Deshbandhu Apartment, Kalkaji, New Delhi-110019.	15-04-93
06.	35395	Shri Venkat Raman Goluburi, ACA, 17-A, Una Enclave, Mayur Vihar-I, Delhi-110091.	07-05-93
07.	51169	Shri Amalendu Pakrashi, ACA, Flat No. 6241, Sector B-9, Vasant Kunj, New Delhi-110070.	06-04-93
08.	73428	Shri Adarsh Kumar, ACA, Sector-15A, House No. 371, Faridabad-121001.	05-05-93
09.	80454	Shri Nand Kishore Garg, ACA, FD-37, Vishakha Enclave, Pitam Pura, Delhi-110034.	28-06-93
10.	80472	Shri Vijay Kumar, ACA, E-96, B. K. Dutt Colony, Opp. Safdarjung Airport, New Delhi-110003.	01-04-93
11.	81107	Shri Ajai Kumar, ACA, 3, Seth Sohan Lal Lane, Opp. PWD Rest House, Civil Lines, Ludhiana.	12-04-93
12.	81156	Shri Ashwani Kumar, ACA, 126-D, Pocket 4, Mayur Vihar, Delhi.	22-04-93
13.	81406	Shri Avinash Singh, ACA, 2682/2, Gali No. 2, Beadon Pura, Karol Bagh, New Delhi.	30-06-93
14.	81690	Shri Jitendra Gadhia, ACA, 21, Dayra Ganj, Dayanand Marg, New Delhi-2.	01-04-93
15.	82971	Shri Pradeep Kumar Sood, FCA, 102, Shivlok House-I, Karam Pura Commercial Complex, New Delhi-15	01-04-93
16.	83245	Shri Umv Kant Bhargava, ACA, C/o M/s Sanjeev Saxena & Co., Flat No. 7, 3rd Floor, 3830, Lalkothi Pataudi House, Daryaganj, New Delhi.	30-04-93
17.	83440	Shri Sanjiv Syal, FCA, W-20, Green Park Extension, New Delhi-16.	22-04-93
18.	84106	Shri Ashwani Kumar, FCA, Galhotra Garg & Co., Tikka Building, Ply Road, Kurukshetra.	01-04-93
19.	84516	Shri Deepak Kandhari, ACA A-15/3, SFS Saket, New Delhi-110017.	01-04-93
20.	84921	Shri Inderpal Singh, ACA, 105-B, Pocket A, Mayur Vihar, Phase-II, New Delhi-91.	12-05-93
21.	84975	Shri Rohit Anand, ACA, 21/16, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60.	20-04-93
22.	85283	Miss Geeta Sabharwal, ACA 335, SFS Flats, Ashok Vihar-IV, Delhi-52.	14-05-93
23.	85611	Mrs Anuradha Tuli, ACA C/o KMG Pete Marwick, Pete level City Tower-I, P. O. Box 3800 Dubai, UAE.	19-04-93
24.	86032	Shri Sunil Kumar Jain, ACA C/o Unilever Arabia, P. Box 3148, Dubai (UAE).	15-04-93
25.	86775	Miss Mona Mehra, ACA 7/22, Roop Nagar, Delhi-7.	15-04-93
26.	87230	Shri Anoop Kumar Sapra, ACA 5, Prithvi Raj Road, J & K House, New Delhi-110001.	26-05-93
27.	87993	Mrs. Loveleen Jain, ACA 136 Dayanand Vihar, Vikas Marg Extn., Delhi-92.	15-04-93
28.	88036	Shri Mukesh Kumar Garg, ACA, C/o Vinod Bansal, Kagla Street Mahem, Distt. Rohtak, Haryana.	27-05-93
29.	88117	Shri Jatinder Singh Grover, ACA, M/s. C. B. Bhargava & Co., Satsang Bhawan, 7/24, Darya Ganj, New Delhi-2.	09-06-93
30.	88251	Shri Satish Chand, ACA, 208, M. G. House, Community Centre, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052.	27-04-93
31.	89098	Shri Naresh Kumar Manocha, ACA, C-67, Inder Puri, New Delhi-12.	31-5-93
32.	90270	Shri Parveen Kumar, ACA, C-1/75, Ashok Vihar, Phase-II, New Delhi-52.	07-05-93

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

Madras-600 034, the 23rd July 1993

3SCA (5)/3/93-94.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA (4)/8/90-91 dated 01/12/90, 3SCA (4)10/86-87 dated 27/02/87, 3SCA (4)/12/89-90 dated 25/10/89, 3SCA (4)/3/92-93 dated 27/11/92 and 3SCA (4) 10/91-92 dated 23-01-92, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of

Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons :—

S.No.	MRN	Member Name & Address	Rest Date
1.	018480	Mr. Parthasaradhi V V, ACA, General Manager The Finance Institution of AFR Post Box No. 20613, Nairobi.	22-06-93
2.	019033	Mr. Subba Rao G.S.V, KACA 304 Pradeep Apartments Gandhi Nagar, New Bakaram, Hyderabad-500380.	18-06-93
3.	020643	Mr. Shamasundar R. S, ACA The Vysa Bank Ltd, Industrial Credit Dept, 9/2 Dhoundusa Complex Richmund, Bangalore-560025.	07-06-93
4.	022251	Mr. Lakshmi Narayanan. V, ACA, Global Enterprises, Post Box 2925 SEEB, Sultanate of Oman.	10-6-93
5.	024596	Mr. Giridhar S. FCA, 1-2-234/15, 'Guru Kripa' Domalguda, Hyderabad-500029.	21-6-93
6.	025695	Mr. Kumar S.B., ACA, C/o Bahrain Atomisers Intl, Post Box No. 5328, Manama Bahrain.	15-6-93
7.	025757	Mr. Manoj Joshi,, ACA, Manager—Accounts & Admn., Gulf Cancrafters Post Box No. 5005, Sharjah, U.A.E.	9-6-93
8.	028294	Mr. Rajagopal P.B., ACA, 2, II Cross Street, West C.I.T. Nagar Madras-600035.	20-5-93
9.	041834	Mr. Rao K. S. Umesha, ACA, Group Financial Controller Amaka Holdings Ltd. P. O. Box 80851, Kabwe Zambia.	18-6-93
10.	200258	Mr. Srinivas Chintalapati Subramanya, ACA Junior Manager (F&A) Finance Department Visakhapatnam Streel Plant, Visakhapatnam-530031.	1-6-93
11.	200391	Mr. Bhagavatula Someshwar Sudhakar, ACA, No. 4, 3rd Floor Lenaine Estate, Besides SBM, Gunfoundry, Hyderabad-500001.	14-06-93
12.	201123	Mr. Sumitra Nandan Srivatsa, K., ACA, H. No. 3-6-190/A/2, Hyderguda, Hyderabad-500029.	29-04-93

A. K. MAJUMDAR,
Secretary.

10—259GI/93

The 29th July 1993

3SCA(8)/2/93-94.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	002522	Mr. Lurose Erikattu Joseph, FCA, 15, Third Street, Subba Rao Avenue, Madras-600006.	31-3-93
2	010321	Mr. Ramaswami R, ACA, Old No. 71 (2) New No. 18 Ground Floor IV Cross Swimming Pool Extn. Malleswara Bangalore-560003.	31-3-93
3	023802	Mr. Sundharam K, FCA, No. 64, Nyniappa Maistry Street, Park Town, Madras-600003.	20-05-93
4	051198	Mr. Patodia Sunil Kumar, FCA, 147, Greams Road, Madras-600006.	31-03-93
5	200933	Mr. Srinivas G, ACA, Office No. 204, Shanthosimaa Commercial Complex R. T. C. S. Road Musheerabad, Hyderabad-500020.	31-03-93
6	201541	Mr. Sukumar P, ACA, Accounts Officer Harita Rubber Products Pvt. Ltd, Harita, Hosur-635109.	31-03-93
7	201724	Mr. Suresh P. R., ACA, 11, Lokanathan Colony, Mylapore, Madras-600004.	31-3-93

A K MAJUMDAR,
Secretary

The 6th August 1993

3SCA (8)/3/93-94.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.,	MRN.	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	007657	Mr. Kalyana Raman V, ACA, No. 49, A.V.M. Avenue, Main Road, Virugambakkam Madras-600092.	31-03-93
2.	020842	Mr. Anantharaman, S, FCA, 56 Subramanian Road, R. S. Puram, Coimbatore-641002.	31-03-93
3.	021766	Mr. Rajendran K. M., FCA, Remya Pattom Palace PO. Trivandrum-695004.	31-03-93

1	2	3	4
4.	022178	Mr. Sudarshan M K. FCA No. 57, Ist Floor, Subramanian Street, Abhiramapuram, Madras-600018.	17-05-93
5.	023826	Mr. Nagarajan R, FCA Dev Apartments 42/21, 1st Main Road, Gandhi Nagar, Adyar Madras-600020.	19-06-93
6.	027789	Ms. Rukmani V, ACA, Plot No. 9, M. G. Nagar Ullagaram, Madras-600091.	31-03-93
7.	027893	Mr. Vijaykumar S. Dhawale, ACA, Sterling Catering Services, P. O. Box No. 4746, Doha, Qatar.	31-3-93
8.	028241	Mr. Ram Prasad D, ACA, 48, 5th Street, Somasundaram Avenue, Sakthi Nagar, Porur Madras-600116.	25-01-93
9.	029923	Mr. Indiresh V, ACA, 32/2, I Floor V Main Chamarajpet, Bangalore-560018.	15-5-93
10.	080977	Mr. Bhanoji Rao T, ACA, Branch Manager Cotton Corpn. of India Limited, 4/1, Arundelpet, Guntur-522002.	31-03-93
11.	086417	Mr. Ganesh K. V., ACA, D-3, Dwaraka 22, Second Main Road, Trustpuram Madras-600024.	31-03-93
12.	200635	Mr. Giridharan Seshadri, ACA, 11, Alavai Nagar, Thatheneri Post, Madurai-625018.	1-3-93
13.	201114	Mr. Balaji O, ACA, Officer Trainee-Accounts Seshasayee Paper & Board Ltd., Cauvery R.S.P.O. Erode-638007.	17-6-92
14.	201907	Mr. Devasia Isac, ACA, Kumaramparambil Areekamala P.O. Naduvi, Cannanore-670 582.	31-03-93
15	202343	Mr. Ravi Dayal Mathur ACA "Ramaniyam" No. 30 Flat No. 5 Balakrishna Ro Valmiki Nagar Thiruvanmiyur Madras-600 041.	31-03-93

A. K. MAJUMDAR
Secretary

INDIAN AIRLINES

The 2nd September 1993

Ref. No. Fin./Rules/5.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 45 of the Air Corporation Act 1953 (27 of 1953) the Indian Airlines with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Airlines (Employees other than Flying Crew and those in the Aircraft Engineering Department) Service Regulation, 1959, namely :-

1. These Regulations may be called the Indian Airlines (Employees other than Flying Crew and those in the Aircraft Engineering Department) Service (Amendment) Regulations, 1993.

2. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

3. In the Indian Airlines (Employees other than Flying Crew and those in the Aircraft Engineering Department) Service Regulations, 1959 para(2) of Regulation 12 as reproduced below shall stand deleted :

"(2) The Chief Instructress, the Instructress and the Lady Receptionist shall retire from the service of the Corporation on attaining the age of 40 years. However, in the interest of the Corporation's work, they may be retained in the service upto the age of 45 years at the discretion of the Managing Director."

DAYA NARAIN,
Director, Corporate Affairs.

OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD
AMBALA CANTT., THE 21 JULY, 1993

Wakf/45/Gen./Pub./Gazette/490/92:—In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1954, which is exerciseable by me under delegation of powers by the Administrator, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. under Section 22 of the Wakf Act, 1954, the following properies are hereby declared as Sunni Wakf..

Sr. No.	Name of Wakf	District / Tehsil	Village	Khasra No.	Area	Value	Date or Year of creation of Wakf/ deeds.	Nature and object of Wakf.	How the Wakf is administered.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Islamia Middle School	Sangrur / Malerkotla	Binjoli Khurd	Kh. No. 105	K—M 6—05	4,00,000/-	31-03-89 By President Managing Commtt.	Islamia School	Under the Management of Wakf Board Ambala Cantt.	Sunni-Wakf
2.	Mosque	Sangrur / Malerkotla	Bagrian (Bus Stand)	Kh. No. 2196/2041/ 786 Min 2192/785 Min	B—B 2—7 2—6 / 4—13	55,00/-	28-03-89 By Sh. Gulzar President Welfare Committee.	Religious	Do.	Do.
3.	Islamia Middle School	Sangrur / Malerkotla	Bhaini Kambohan	Within Abadi N : —Common Way S : —Home of Sh. Mobd. Nazir E : Home of Sh. Roshan Din W : Islamia Middle School	425 Sq. Yrds.	10,000/-	12-09-89 By Sh. Mehar Din S/o Sh. Rehmat Ali	Do.	Do.	Do.
4.	Islamia High Vocational & Technical School	Sangrur / Malerkotla	Rohira	Kh. No. 363/364	01 Bigha With Building of School	40,000/- 3,00,000/-	25-01-90 By Sh. Khushi Mohd. Manager Islamia High School, Malerkotla.	Do.	Do.	Do.
5.	Masjid & Maktab	Patiala / Sirhind	Humayunpur	Kh. No. 15/9 Min Khewat/Khatauni No. 243/397	K——M 0—09	2,000/-	28-11-88 By Sh. Mohd. Ramzan President Masjid & Maktab.	Do.	Do.	Do

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Mosque	Patiala Rajpura	Khairpur Jattan	Within Abadi N : —Land of Sh. Ghafoor Khan & Others S : —Paved Street E : —Paved Street W : —Land of Sh. Ghafoor Khan & Others.	994. Sq. Feet	12,000/-	29-03-90 By. Sh. Gafoor Khan S/o Sh. Shadi Khan	Do.	Do.	Do.
7.	Mosque	Patiala Rajpura	Batoli	Within Red Line Kh. No. 642 M	01 Bigha	50,000/-	23-05-89 By. Sh. Abdul Razzaque R/o Village Batoli Teh. Rajpura	Do.	Do.	Do.
8.	Mosque & Madarsa	Patiala Samana	Kalwanu	Kh. No. 243/153	K——M 0—12	25,00/-	28-06-90 By Sh. Nazir Khan R/o Village Kalwanu Samana.	Do.	Do.	Do.
9.	Islamia School & Idgah	Patiala Amloh	Mandi—Gobindgarh	Kh. No. 26 7 8 13/1 14	1—10 1—16 6—02 6—04 3—19 17—11 K——M	22,000/-	19-04-89 By President Majlis Intazamia Islamia Idgah, Mandigobindgarh.	Do.	Do.	Do.
10.	Masjid Madarsa	Gurdaspur Pathankot	Bhoa	Kh. No. 571/2 Khewat No. 231 Khatauni No. 382 N : —By 26 Karams S : —By 42 Karams E : —By 16 Karams W : —By 22 Karams	3—00	30,000/-	14-06-89 By. Sh. Faqir Mohd. President, Intizamia Committee.	Do.	Do.	Do.
11.	Mosque	Gurdaspur Pathankot	Bharoli Kalan	Kh. No. 14/124/1/2/14/25/3/1	K—M 0—01 0—16 0—17	50,000/-	05-07-90 By Sh. Saif Ali General Secretary Mosque Committee.	Do.	Do.	Do

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Masjid & Madarsa Islamia	Jalandhar ——— Jalandhar	Lesarwala ——— Alawalpur	Kh. No. 10/8 Min E : —Passage 3 Karams W : —Kazaur Ali Barkat Ali N : — Do. S : — Do.	K— M 0— 8	40,000/-	13-06-89 By Sh. Barkat Ali President Madarsa Islamia.	Do.	Do.	Do.
13	Masjid	Kapurthala ——— Kapurthala	Lakhan Key Paddey	Within Abadi	K —M 0—08	15,00/-	10-04-89 By Sh. Riaz Mohd. Secretary Intazamia Committee Masjid.	Do.	Do.	Do.
14.	Mosque	Hoshiarpur ——— Dasuya	Keharwali	Kh. No. 20/1 Min.	K—M 0—05 Toward South to East 9×5 Karams	10,000/-	30-08-98 By. Sh. Alam Din Khan R/o Village Keharwali Dasuya.	Do.	Do.	Do.
	HARYANA									
15.	Jamia Millia Islamia Jahan Asra Marasatul Banat.	Gurgaon ——— Nuh	Ferozpur Namak	Kh. No. 190 191	K—M 01—01 01—00 ——— 02—01 ——— Out of which 2/3 Part.	3,00,000/-	14-02-90 By. Sh. Mohd. Yusaf R/o Ferozpur Namak	Do.	Do.	Do.
16	Mosque	Gurgaon ——— Ferozpur Jhirka	Leharwari	Kh. No. 161	69 1/9 Sq. Yards.	15,000/-	25-08-92 By Sh. Abdul Rahim S/o Sh. Jora Mal Village Leherwari.	Do.	Do.	Do.
17	Mosque	Gurgaon ——— Ferozpur Jhirka	Jhimravat	Khewat No. 196/169 Khatoni No. 236 Kh. No. 76/2	K—M 2—0 Towards South 12×30 Karams	40,000/-	15-03-91 By. Sh. Rozdar S/o Sh. Safed Khan Village Jhimravat.	Do.	Do.	Do.
18.	Mosque	Gurgaon ——— Ferozpur Jhirka	Allahabass	Within Red line N —Pinangwan Road S: —Choupal of Qureshian E : —Gram Panchayat Land W : —Way	170×170 Feet.	50,000/-	09-11-90 By Sh. Abdul Majid S/o Sh. Abdul Sattar Firozpur Jhirka.	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Masjid Firdous	Yamuna Nagar Chhachhroli	Behader-Pur East	Kh. No. 25/15/3/2 Kitta No. 1/11/228 Near Bus-Stand Vill. Khizerabad.	K — M 5—14 0—06 6—00	50,000/-	06-07-87 By Sh. Mohd. Siddique R/o Village Khizerabad.	Do.	Do.	Do.
20.	Masjid Topra Kalan	Yamuna Nagar Jagadhari	Topra Kalan	Within Red Line E : —Street W : —Street N —House of Tafail Mohd. S : —Vacant land of Sharifuldin.	100 Sq. Yds.	3,000/-	08-02-89 By Sh. Shahabuddin Mohtamim Masjid Topran Kalan.	Do.	Do.	Do.
21.	Graveyard	Ambala Ambala	Khuda-Kallan	Kh. No. 24/21	K—M 1—14	10,000/-	Gram Panchayat provided alternative Kabristan in lieu of Old Kabriastan Kh. N . 67 vide Resutakin No. 1 Dated 22-11-91.	Do.	Do.	Do.
22.	Madarsa & Anwarul Uloom	Ambala Naraingarh	Chanchak	Kh. N . 10/2/62	K—M 1— 8 0— 2 1—10	62,000/-	03-11-89 By Muhtamim Mudarsa Anwarul Uloom, Chanchak.	Do.	Do.	Do.
23.	Madarsa	Panipat Panipat	Sonoli Khurd	Kh. No. 70/19/1/1M	K—M 2—12	84,000/-	27-12-89 By Sh. Mohd. Haroon R/o Village Sonoli-Khurd, Panipat.	Do.	Do.	Do.
24.	Masjid & Madarsa	Panipat Panipat	Sonoli Khurd	Kh. No. 25/20/20/2 & 20/1	K—M Z1—09	50,000/-	18-05-85 By Sh. Mohd. Haroon R/o Village Sonoli-Khurd, Panipat.	Do.	Do.	Do.
25.	Plot Attached to Mosque	Karnal Karnal	Nagla-Megha	Within Red Line & Attached to Mosque E : —110 W : —110 N : —115 S : —115	1405 .5 Sq. Yards	50,000/-	25-05-90 By Imam Masjid Nagla Megha. Karnal.	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Madarsa Ghosia Razakia	Sirmour Paonta Sahib	Gulabgarh	Kh. No. 76 Area Measuring 54B-04 B Out of which.....	Area 1 Bigha	1,00,000/-	05-03-90 By Sh. Taqi Mohd. R/o Village Gulabgarh, Nahan.	Do.	Do.	Do.
27.	Graveyard	Sirmour Paonta Sahib	Surajpur	Kh. No. 66/1	B—B 1—12	1,60,000/-	04-11-90 By Sh. Karma S/o Sh. Toti Sh. Nazamiddin S/o Sh. Dasondi Khan.	Do.	Do.	Do.
28.	Masjid	Sirmour Paonta Sahib	Surajpur	Kh. No. 68/1	B—B 0—05	25,000/-	01-11-90 By Sh. Nazamuddin S/o Sh. Dasondi Khan Village Surajpur.	Do.	Do.	Do.
29.	Masjid Ahle Islam	Sirmour Paonta Sahib	Misserwala	Kh. No. 645/564	B—B 0—05	30,000/-	15-09-90 By. Sh. Mohd. Ishaq S/o Sh. Abdullah Village Misserwala.	Do.	Do.	Do.
30.	Mosque	Sirmour Paonta Sahib	Fatehpur	Kh. No. 258/208/01	B—B 0—05	5,000/-	12-02-91 By S . Mohd. Ramzan S/o Sh. Hazi Abkjul Azij Village Fatehpur.	Do.	Do.	Do.
31.	Mosque & Madarsa	Sirmour Paonta Sahib	Gujjar-Colony Dhaula-Kuan	Kh. No. 322/1	B—B 0—09	45,000/-	27-09-90 By. Sh. Isa Safardin S/o Sh. Fauhrud Din Village Dhaula Kuan (Gujjar Colony).	Do.	Do.	Do.
32	Mosque & Graveyard	Sirmour Nahan	Moginand	Kh. No. 229 538/451/1	B—B 01—00 00—19 01—19	75,000/- 60,000/-	21-08-91 By. Sh. Niaz Mohd. S/o Sh. Kalu Khan Village Moginand.	Do.	Do.	Do.
33.	Mosque Lal Pepal Devni	Sirmour Nahan	Lal Pepal Devni	Kh. No. 82:— Area 1B—6B	7 Biswa	1,00,000/-	By Sh. Noor Mohd. Ramzan S/o Sh. Chitru Khan, Village Lal Pepal Devni.	Do.	Do.	Do.
34.	Masjid	Sirmour Nahan	Ogli	Kh. No. 348/257	B—B 0—11	1,55,000/-	04-01-93 By Sh. Khair Din S/o Sh. Illahi Baksh Village Ogli	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Mosque	Sirmour Nahan	Bhero	Kh. No. 100/1 Min	B—B 0—07	7,000/-	22-01-91 By. Sh. Umar Deen S/o Sh. Karma Village Bhero.	Do.	Do.	Do.
36.	Masjid	Kangra Nurpur	Rajol	Kh. No. 440	004.96 Sq. Mt.	50,000/-	20-09-86 By Sh. Kalu Din Resident of Village Rajol, Nurpur.	Do.	Do.	Do.
37.	Mosque	Kangra Dehra	Kurna	Kh. No. 97	001.28 Sq. Mt.	5,000/	11-05-93 By Sh. Alaf Din S/o Sh. Heer Baksh Village Kurna, Dhera.	Do.	Do.	Do.
38	Madarsa Islamia Talimul Kuran Jamia	Bilaspur Bilaspur	Barthi	Kh. No. 670/554	B—B 0—01	6,500/-	26-12-89 By Sh. Khair Din President Muslim Committee, Village Bharthi, Bilaspur.	Do.	Do.	Do.
39.	Mosque	Solan Nalagarh	Nawagraon	Plot No. 1 and 2	1275 Sq. Ft.	1,000/-	03-11-89 By Sh. Ismail Mohd. & Sh. Sharif Mohd. R/o Nawagraon, Nalagarh.	Do.	Do.	Do.

The above properties Madarsa, Masjid, Graveyards and Islamia Schools are declared as Sunni Wakf in the Jamabandies etc.

F. O. HASHMI
Secretary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
New Delhi, the 2nd August 1993

No. U-16/53/1/90 Med-II (Mah.) Col. I.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) R. P. Rege of Nasik Centre to function as Medical authority w.e.f. 1-10-93 to 30-9-94 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Nasik Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (Mrs.) A. A. AMBEKAR,
Medical Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 2nd September 1993

UT/DBDM/R40A/SPD 64/93-94.—The Provisions of the Children's College and Career Fund Unit Plan—1993 formulated under Section 19(1) (8) (C) of the Unit Trust of India Act, 1963 and the Children's College and Career Fund Unit Scheme—1993 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the Meeting held on 3rd June, 1993 are published herebelow.

CHILDREN'S COLLEGE & CAREER FUND UNIT PLAN 1993

(CCCF-93)

In exercise of the powers conferred by Section 19(1)(B) (c) of the Unit Trust of India, Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Plan.

This Plan shall be called the Children's College & Career Fund Unit Plan and shall come into force on the 12th day of July, 1993.

1. Face Value of each unit

The face value of each unit shall be ten rupees with a minimum investment of 200 units (i.e. Rs. 2000/-) and in multiples of 50 units thereafter, with no maximum limit.

2. Application for units

Application for units can be made by any adult individual (Resident/Non-Resident in favour of a Resident child), a Company, Body Corporate, an eligible Institution (except Co-operative Societies) or a Court appointed guardian desirous of participating in this Scheme for the benefit of a child not exceeding 15 years of age on the date of application.

3. Mode of payment

(i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the Trust within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

4. Sale of units

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its authorised collecting Agent, as the case may be shall, as soon as possible, thereafter send the applicant an acknowledgement therefor. A Membership Certificate representing the units issued in favour of the child and bearing the Child's name shall be sent to the address given by the applicant; The Trust will not incur any liability for loss, damage, mis-delivery or non-delivery of Membership Certificate so sent.

5. Capitalisation of the Fund

The member may be allotted bous units periodically depending upon the capitalisation of the Fund and these units will be credited to his unit holding account. During the first accounting year (July-June) of joining, Bonus units will be allotted on a prorata basis depending on the date of joining. *The illustrative Table* given below indicates the total accumulation of units for the period upto 25 years based on the following assumptions a) the bonus units will be allotted every year, b) capitalisation in the ratio of 14 : 100 and c) no withdrawls.

TABLE I

(For every 100 units of investment)

(Rounded off to nearest 10 units)

Period of investment	Total No of units	Period of investment	Total No. of units
3 years	150		
4 years	170	15 years	720
5 years	190	16 years	820
6 years	220	17 years	930
7 years	250	18 years	1070
8 years	290	19 years	1210
9 years	330	20 years	1380
10 years	370	21 years	1570
11 years	430	22 years	1790
12 years	490	23 years	2070
13 years	550	24 years	2320
14 years	630	25years	2650

Completion of 18 years of a child born on 15-10-1980 will be on 15-10-1998.

N. B. Actual growth will depend upon the performance of the fund.

6. Accumulation of Bonus units

The periodic accumulation of bonus units will depend on growth in the value of the fund as also on the date on which the application was made/date on which the previous allotment of bonus unit was made. At the time of final withdrawal additional bonus units will also be allotted for the fractional period after 30th June of previous accounting year. For determining the exact number of bonus units that will be credited to a member's outstanding unitholding account the Monthly Multiplier Factor given in the Table below Shall be used.

TABLE II

Monthly Multiplier Factor

Month over completed age	Factor	Month over completed age	Factor
1	1.0116	7	1.0817
2	1.0233	8	1.0933
3	1.0350	9	1.1050
4	1.0466	10	1.1167
5	1.0583	11	1.1283
6	1.0700		

7. Withdrawal

On the 30th of June preceding the 18th birthday of each member the growth of the Fund which has not been converted into bonus units earlier will be converted into bonus units. withdrawals after the completion of 18 years and before completion of 23 years shall be allowed as per limits as indicated in the Table III below based on the face value of the outstanding units standing to the credit of the member on 30th June preceding the 18th birthday of the member. However, such withdrawal within the permissible limit will be allowed upto a maximum of two times a year.

TABLE III

After completion of 18 years of age and	Ceiling on withdrawal
Before completion of 19 years 50%)	Of outstanding accumulated units as on 30th June preceding the 18th birthday of the member (excluding additional bonus units issued after completion of 18 years of age of the member).
Before completion of 20 years 60%)	
Before completion of 21 years 70%)	
Before completion of 22 years 80%)	
Before completion of 23 years 90%)	
After completion of 23 years 100%)	Of outstanding units including cumulative bonus units.

Completion of 18 years of a child born on 15-10-1980 will be on 15-10-1998.

FOR EXAMPLE

If a member has not withdrawn 50% of the outstanding units after completion of 18 years of age and he intends to withdraw before completion of 23 years of age then the member will be allowed to withdraw 90% (50% + 40%) of the total units which have been allotted to him on 30th June preceding the completion of his 18 years of age. On the other hand, if the member has already withdrawn 50% of total units after completion of 18 years of age and intends to withdraw before 23 years of age then he will be eligible to withdraw 40% of the total outstanding units as on 30th June preceding the completion of 18 years of age.

8. Premature/Unscheduled withdrawal

No partial withdrawal will be allowed in case of Premature/Unscheduled withdrawal. Complete withdrawal may be allowed before completion of 18 years of age of a member only in the event of special circumstances (e.g. serious illness of child) solely at the discretion of the Trust after deduction of appropriate service charges as may be prescribed by the Trust from time to time. After completion of 18 years of age complete withdrawal will be allowed after deduction of 1% service charge on the withdrawal over and above the ceiling allowed plus the additional bonus units allotted after the completion of 18 years of age.

9. Death of the child in whose favour units have been issued

(a) In the event of death of the child in whose favour units have been issued, before completion of 18 years of age, the Trust shall pursuant to what has been stated in Clause 6 of the Scheme herein, recognise the alternate child if any as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units issued in favour of the child.

(b) In the event of the death of the child, the alternate child shall continue in the Scheme and the Plan made thereunder until he completes the age of 18 years provided however the applicant furnishes to the Trust all the necessary particulars incidental thereto and as may be called for by the Trust to enable the alternate child to continue in the Scheme and the Plan made thereunder.

(c) Anytime after completion of 18 years of age of a member, the member will be allowed to nominate upto 2 persons on successive nomination basis, otherwise the alternate child will be deemed to be the beneficiary in the event of the death of the member.

(d) In the event of the death of the child before the completion of 18 years and where no alternate child has been named the legal heir or the executor or administrators of the deceased child or a holder of succession certificate issed under Part X of the India Succession Act (39 of 1925) shall be the only person/s who will be recognised by the Trust as having any title of the units.

(e) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of the child may upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units standing to the credit of the deceased child after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(f) In the event of the simultaneous death of the child and the alternate child where one has been named, the legal heirs of the deceased child alone will have a right a claim for the units standing to the credit of the deceased child. The legal heirs of the alternate child can stake no claim whatsoever.

(g) Eligibile Institutions, a Company, a Body Corporate, shall be required to execute a Trust deed or other appropriate document setting apart money for investment in the Scheme and constituting office bearer/s of institutions or the individuals as Trustees. Trust Deed or the other appropriate document *inter alia* shall provide that :

(i) The money invested in the Scheme can be received by the member after the completion of 18 years of age in a manner as provided in Clause 7 herein above.

(ii) Before the completion of 18 years of age of the member the Institution will not be in any position to claim the amount, as the objective of the Scheme and the Plan made thereunder is to provide an opportunity to investors to make an investment in the name of the child by way of irrevocable gift.

(iii) Also in case of death of the child before the completion of 18 years of age, the amount due shall be paid to the institution or they may be given the option to name an alternate child not exceeding 15 years of age at that time, if no such name has been declared at the time of making the application or anytime thereafter. Under these circumstances the benefits will accrue to the alternate child so named. If there is no alternate child named then in the event of death of the child before the completion of 18 years of age, the value of the outstanding units should become payable to the Institution

and the institution should be entitled receive the same.

10. Transfer of Units

Units issued under this Scheme shall not be assignable or transferable or pledgeable.

11. Additions and Amendments to Plan

The Board may from time to time add/or oherwise amend this Plan any amendment thereof will be notified in the Official Gazette.

12. Plan to be binding on applicant

The terms of the Plan, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

13. The Provisions of the Plan to be subject to the Provisions of the Scheme

The Provisions of the Plan in respect of any units acquired under this Plan for acquisition of interest in units and other matters connected thereto and not specified herein shall be read subject to the provisions of "Children's College and Career Fund Unit Scheme 1993."

14. Copy of Plan to be made available

A copy of this Plan incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and on making a payment of Rs. 5/-.

15. Power to construe provisions

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Plan Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Plan, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be final conclusive and binding.

16. Relaxation/Variation/Modification of provisions

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Plan relax, vary or modify any of provisions of the Plan in case of any member, or class of members upon such conditions as may be deemed expedient.

17. Termination of the Plan

The Trust reserves the right to terminate the Plan at any time by giving a notice of not less than two weeks in such newspapers or such other media as may be decided, without assigning any reason whatsoever if it feels in the interest of the members and the Trust it is expedient so to do.

Children's College & Career Fund Unit Scheme-1993
(CCCF-93)

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India, Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme :

1. Short Title and Commencement

(a) This Scheme shall be called the Children's College & Career Fund Unit Scheme 1993 (CCCF-93).

Objective of the Scheme

To provide for Children's higher education and to help them in setting up their own professional practice/business.

(b) It shall come into force on the 12th day of July, 1993.

(c) Units will be on sale through out the year save and except during book closure. Provided, however, that the Chairman or in his absence Executive Trustee may suspend the sale of units under the Scheme at any time by giving a week's notice in advance in such newspapers or other media as may be decided.

2. Definitions

In this Scheme, unless the context otherwise requires :

(a) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust or its authorised collecting agent duly authorised in this behalf for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust or its authorised collecting agent, as the case may be, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(c) "alternate child" means hte child other then the child in whose favour the units have been issued and as referred to in Clause 6 of this Scheme;

(d) "applicant" means an individual (Resident or Non-Resident not being a minor), Company Body Corporate, an eligible Institution (excluding co-operative societies) or a Guardian appointed by a Court of competent jurisdiction, who makes an application under Clause 4 of the Scheme.

(e) "application" means the application referred to in Clause 4 of the Scheme;

(f) "child" means any child (male or female) not exceeding 15 years of age (i.e. till his 15th birthday);

(g) "eligible institution" means an eligible trust as defined under the Unit Trust of India General Regulation 1964 and includes private trusts created by an instrument in writing and being irrevocable or a Charitable or Religious Trust or endowment or Registered Society which is administered controlled or supervised by or under the provisions of Central or State Enactment which is for the time being in force (excluding Co-operative Societies).

(h) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(i) "regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(j) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital;

(k) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

(l) all reference to male children shall include female children also.

3. Face value of each unit

The face value of each unit shall be ten rupees with a minimum investment of 200 units (i.e. Rs. 2000/-) and in multiples of 50 units thereafter, with no maximum limit.

4. Application for units

Application for units under this Scheme may be made by any adult i.e. parent, relative or friend (Resident/Non-Resident in favour of a Resident child), a Company, Body Corporate, an eligible Institution (except Co-operative Societies) or a Court appointed guardian desirous of participating in this Scheme for the benefit of a child not exceeding 15 years of age on the date of application in the form prescribed by the Unit Trust of India.

4A. Incentive

1. The incentive shall be available to 1000 of such members who join the plan between 12th July 1993 to 30th September 1993.

2. 250 beneficiaries per Zone shall be identified irrespective of the amount of investment.

3. Each Zone shall be further devided into states/regions. The number of members eligible for scholarship in each State/Region shall be in proportion to the number of applications from the State/Region to the Zonal business.

4. Each Zone shall be divided into the following States/Regions for operational convenience:

(A) Western Zone : (i) Maharashtra (ii) Gujarat (including the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) (iii) Madhya Pradesh and (iv) Goa.

(B) Southern Zone : (i) Tamil Nadu (including the Union Territories of Pondicherry Lakshadweep and Minicoy and Amindivi Islands) (ii) Karnataka (iii) Kerala and (iv) Andhra Pradesh.

(C) Eastern Zone : (i) West Bengal (including Union Territories of Andaman and Nicobar Islands) (ii) All the North Eastern States (Mizoram, Nagaland, Assam, Tripura, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim and Manipur) (iii) Bihar and (iv) Orissa.

(D) Northern Zone : (i) Punjab (ii) Haryana (iii) Uttar Pradesh (iv) Himachal Pradesh (v) Delhi (vi) Union Territory of Chandigarh and the State of Jammu and Kashmir.

5. The beneficiaries will be picked up at random by way of a lucky draw.

6. A scholarship of Rs. 2000/- per annum shall be given on attaining 18 years of age for three years.

7. The outgo on the payment of incentive will be Rs. 60 lacs (Rs. Sixty lacs only) at the rate of Rs. 20 lakhs per annum i.e. 1000 beneficiaries* 2000 rupees *3 years= 60,00,000/-.

5. Mode of payment

(i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.

(ii) If the payment is made by cheque, the exceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the Trust. If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided the application is received by the Trust within such time as may be deemed reasonable by payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust deem fit.

6. Inclusion of an alternate child

An applicant desirous of participating in the Scheme may, at the time of making the application or at any time during the period the child participates in the Scheme, indicate in the application that in the event of the donee child dying before the completion of 18 years of age (completion of 18 years of age of a child born on 15-10-1980 will be 15-10-1998), the name of another child mentioned in this behalf in the application, and being of age not exceeding 15 years of age at the time of making the application who shall be entitled to all the rights of the first mentioned child. On the death of the first mentioned child before completion of 18 years of age, the provisions of the Scheme shall apply as if the surviving second mentioned child had been the only child mentioned in the application.

7. Right of Trust to accept or reject application

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject the application for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of an individual to make an application under the Scheme shall be final.

Incomplete Application Liable for Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without any interest whatsoever.

8. Sale of units

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust or its authorised collecting agent, as the case may be shall, as soon as possible, thereafter send the applicant an acknowledgement therefor .

9. Only the Member to be recognised by the Trust

No Unit Certificate shall be issued to a member with respect of his membership for units issued under the Scheme and the Plan made thereunder. They will however be given a Membership Certificate which will have their folio number, name of the member and number of units issued under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust will not incur any liability for loss, damage, mis-delivery or non-delivery of Membership Certificate so sent. The rights to the units issued under the Scheme will vest only with the child in whose name the relevant Membership Certificate has been issued by the Trust and shall be held by the child in accordance with the terms of this Scheme. The applicant, at whose instance the units have been issued in favour of the child, will not have any right whatsoever to these units.

10. Trusts not to be recognised regarding Membership Certificate

The child in whose name a Membership Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in/or to such Membership Certificate and the units which it represents; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any Trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any Membership Certificate or the units thereby represented.

11. Exchange of Membership Certificate and procedure when Certificate is mutilated defaced, lost etc.

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the Plan thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

12. Capitalisation of the Fund

The member may be allotted bonus units (upto third decimal fraction) periodically depending upon the growth of the Fund and these units will be credited to his unit holding account. During the first accounting year (July—June) of joining. Bonus units will be allotted on a prorata basis depending on the date of joining i.e. if the date of joining is 5th March the member shall receive allotment of bonus units for four months (March, April, May & June). The illustrative Table given below indicates the total accumulation of units for the period upto 25 years on the assumptions that (a) the bonus units will be allotted every year, (b) Capitalisation at the rate of 14 : 100 and (c) no withdrawls.

TABLE-I

(For every 100 units of investment)

(Rounded off to neatest 10 units)

Period of investment	Total No. of units	Period of investment	Total No of units
3 years	150		
4 years	170	15 years	720
5 years	190	16 years	820
6 years	220	17 years	930
7 years	250	18 years	1070
8 years	290	19 years	1210
9 years	330	20 years	1380
10 years	370	21 years	1570
11 years	430	22 years	1790
12 years	490	23 years	2070
13 years	550	24 years	2320
14 years	630	25 years	2650

13. Accumulation of bonus units

The periodic accumulation of bonus units will depend on the growth in the value of the fund as also on the date on which the application was made, date on which the previous allotment of bonus units was made. At the time of final withdrawal additional bonus units will also be allotted for the fractional period after 30th June of previous accounting year. For determining the exact number of additional bonus units that will be credited to a member's outstanding unl-

tholding account the Monthly Multiplier Factor given in the Table below shall be used.

TABLE II

Monthly Multiplier Factor

Month over completed age	Factor	Month over completed age	Factor
1	1.0116	7	1.0817
2	1.0233	8	1.0933
3	1.0350	9	1.1050
4	1.0466	10	1.1167
5	1.0583	11	1.1283
6	1.0700		

For example, if the withdrawal is on 10th October and the total units accumulated on the preceding 30th June is 1000 units then the total units the member will be entitled to withdraw will be 1035 units (these 35 additional bonus units to the credits of the employee will be for the months of July, August and September).

14. Withdrawal

On the 30th of June preceding the 18th birthday of each member the growth of the fund which has not been converted into bonus units earlier will be converted into bonus units.

Withdrawals after completion of 18 years and before completion of 23 years shall be allowed as per limits as indicated in the Table III below based on the face value of the outstanding units standing to the credit of the member on 30th June preceding the 18th birthday of the member. However, such withdrawal within the permissible limit will be allowed upto a maximum of two times a year.

TABLE III

After completion of 18th years of age and	Ceiling on withdrawal
Before completion of 19 years 50%)	Of outstanding accumulated units as on 30th June preceding the 18th birthday of the member (excluding additional bonus units issued after completion of 18 years of age of the member).
Before completion of 20 years 60%)	
Before completion of 21 years 70%)	
Before completion of 22 years 80%)	
Before completion of 23 years 90%)	
after completion of 23 years 100%)	Of outstanding units including cumulative bonus units.

Completion of 18 years of a child born on 15-10-1980 will be on 15-10-1998.

FOR EXAMPLE

If a member has not withdrawn 50% of the outstanding units after completion of 18 years of age and he intends to withdraw before completion of 23 years of age then the member will be allowed to withdraw 90% (50% + 40%) of the total units which have been allotted to him on 30th June preceding the completion of his 18 years of age. On the other hand, if the member has already withdrawn 50% of total units after completion of 18 years of age and intends to withdraw before 23 years of age then he will be eligible to withdraw 40% of the total outstanding units as on 30th June preceding the completion of 18 years of age.

15. Premature/Unscheduled withdrawal

No partial withdrawal will be allowed in case of premature/Unscheduled withdrawal. Complete withdrawal may be allowed before completion of 18 years of age of a member only in the event of special circumtances (e.g. serious illness of child) solely at the discretion of the Trust after deduction of appropriate service charges as may be prescribed by the Trust from time to time. After completion of 18 years of age complete withdrawal will be allowed after deduction of 1% service charge on the withdrawal over and above the ceiling allowed plus the additional bonus units, allotted after the completion of 18 years of age. For example, if a member is allowed complete withdrawal (i.e. total accumulated units standing to his credit) due to any such special circumtances as mentioned above before completion of 22 years then a service charge of one per cent of 20% of outstanding units plus the additional bonus units issued to the member after the completion of 18 years of age will be deducted (as he will be eligible to withdraw only 80% of total outstanding units as per Table III).

16. Death of the child in whose favour units have been issued

(a) In the event of death of the child in whose favour units have been issued, before completion of 18 years of age, the Trust shall pursuant to what has been stated in Clause 6 herein, recognise the alternate child if any as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units issued in favour of the deceased child.

(b) In the event of the death of the child, the alternate child shall continue in the Scheme until he completes the age of 18 years provided however the applicant furnishes to the Trust all the necessary particulars incidental thereto and as may be called for by the Trust to enable the alternate child to continue in the Scheme.

(c) Anytime after completion of 18 years of age of a member, the member will be allowed to nominate upto 2 persons on successive nomination basis, otherwise the alternate child will be deemed to be the beneficiary in the event of the death of the member.

(d) In the event of the death of the child before the completion of 18 years and where no alternate child has been named the legal heir of the member or the executor or administrators of the deceased child or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act (39 of 1925) shall be the only person/s who will be recognised by the Trust as having any title of the units.

(e) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of the child may upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the value of all outstanding units standing to the credit of the deceased child after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(f) In the event of the simultaneous death of the child and the alternate child where one has been named, the legal heirs of the deceased child alone will have a right to claim for the units standing to the credit of the deceased child. The legal heirs of the alternate child can stake no claim whatsoever.

(g) Eligible Institutions, a Company, a Body Corporate, shall be required to execute a Trust deed or other appropriate document setting apart money for investment in the Scheme and constituting office bearer/s of institutions or the individuals as Trustees. Trust Deed or the other appropriate document inter alia shall provide that :

(i) The money invested in the Scheme can be received by the member after the completion of 18 years of age in a manner as provided in Clause 14 herein above.

(ii) Before the completion of 18 years of age of the member the Institution will not be in any position to claim the amount as the objective of the Scheme and the Plan made thereunder is to provide an opportunity to investors to make an investment in the name of the child by way of irrevocable gift.

(iii) Also in case of death of the child before the completion of 18 years of age, the amount due shall be paid to the institution or they may be given the option to name an alternate child not exceeding 15 years of age at that time, if no such name has been declared at the time of making the application or anytime thereafter. Under these circumstances the benefits will accrue to the alternate child so named. If there is no alternate child named then the in the event of death of the child before the comple-

tion of 18 years of age, the value of the outstanding units should become payable to the Institution and the institution should be entitled to receive the same.

17. Trnsfer of Units

Units issued under the Scheme shall not be assignable or transferable or pledgeable.

18. Investment of the Funds mobilised under the Scheme

Funds collected under the Scheme and the Plan made thereunder will be invested in equities, convertible & non convertible debentures of companies and other capital & money market instruments subject to the condition that investment in equity shares will not exceed 40% of the total investible funds.

19. Investment limits

(a) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any one company shall not exceed 15% of the securities issued and oustanding of such companies. Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(b) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds, debentures and deposits of a company whether secured or not.

20. Valuation of assets pertaining to this Scheme

(1) For the purposes of valuation of the assets under sub-clause (b) & (c) of Clause (11) the assets shall be classified into: (A) cash (B) investments and (C) other assets.

(2) Investments shall be valued by taking :

(i) (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day preceding the day on which the valuation was made on the securities held by the Trust pertaining to the Scheme;

Provided where security is quoted on more than one stock exchange the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust;

(b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in or quoted on any recognised stock exchange, such value as the Trust may, in the circumstances, consider to be the fair value of such investments; and

(ii) Adding thereto—

(a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not taken credit for;

(b) in the case of Government Securities and debentures interest accrued but not taken credit for, and

(c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend, any dividend declared but not received.

(C) Other assets shall be valued at their book value.

21. Register of applicants

The following provisions shall have effect with regard to the registration of applicants :

(1) A register of the applicants shall be kept by the Trust at its offices and there shall be entered in the register :

(a) the names and addresses of the applicants;

(b) the distinctive number of the Membership Certificate and the number of units held by every such child; and

(c) the date on which such units were issued in the name of the child.

(2) Any change of name of address on the part of any applicant shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any applicant without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 30 days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

22. Receipt by member to discharge Trust

The receipt of either parent/legal guardian/the child attaining majority, for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Certificate shall be a good discharge to the Trust.

23. Publication of Accounts

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board, showing the working of the Scheme during the period ending on the 30th June. The Trust shall, on a request in writing received from a member furnish him a copy of the accounts so published.

24. Additions and Amendments to Scheme

The Board may from time to time add/or otherwise amend this Scheme and any amendment thereof will be notified in the Official Gazette.

25. Scheme to be binding on applicant

The terms of the Scheme, including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

26. Copy of Scheme to be made available

A copy of this Scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and on making a payment of Rs. 5/-.

27. Benefits to the members

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme shall be available only to the child who holds the units for the full term of the Scheme till its closure.

28. Power to construe Provisions

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final conclusive and binding.

29. Relaxation/Variation/Modification of provisions

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme relax, vary or modify any of provisions of the Scheme in case of any member, or class of members upon such conditions as may be deemed expedient.

30. Termination of the Scheme

The Trust reserves the right to terminate the Scheme at any time by giving a notice of not less than two weeks in such other newspapers or other media as may be decided, without assigning any reason whatsoever if it feels in the interest of the members and the Trust it is expedient so to do.

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 2nd September 1993

UT/DBDM/R40A/SPD165/93-94

The Amendments to the provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1991 (DIUS '91) approved by the Executive Committee in the Meeting held on 9th August 1993 are published herebelow.

Amendment to the Provisions of the Deferred Income Unit Scheme 1991 (DIUS 1991)

Under Clause XXII on "Income Distribution" in the provisions of Deferred Income Unit Scheme 1991 the following paragraph "Additional Bonus Dividend" is added.

"Additional Bonus Dividend

In addition to the income distribution mentioned above, the Trust may declare additional bonus dividend to unit holders under any one or both the options under the scheme on such terms and conditions and in such manner as may be stipulated by the Trust, depending on the appreciation of funds collected. Such bonus dividend shall be paid on maturity of the scheme."

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 10th September 1993

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/5/44/93.—In Pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, copy of the Report and the audited accounts of the Council for the year ended 31st March 1993 is hereby published for general information :—

A. K. MAJUMDAR,
Secretary.

44TH ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1993

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has pleasure in presenting its 44th Annual Report for the year from 1st April, 1992 to 31st March, 1993. The report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The report also covers the seminars and conferences held, training programmes conducted, relevant statistics relation to members and students and accounts of the Institute for the year 1992-93. However, the activities of the Institute upto August, 1993 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and its various Committees

The 15th Council, consisting of 24 members elected from the five regional constituencies and six persons nominated by the Central Government was constituted on 18th January, 1992 for a period of three years. The composition of the Council is given at APPENDIX I to the report.

1.2 President and Vice-President

Shri N. C. Sundararajan, FCA, Madras and Shri N. P. Sarda, FCA, Bombay, continued to function as President and Vice-President respectively of the Institute till 17th January, 1993. The Council wishes to place on record its gratitude and sincere appreciation of the valuable services rendered by both of them.

The Council at its 159th meeting held on 18th January, 1993 unanimously elected Shri N. P. Sarda, FCA, Bombay as President and Shri B. P. Rao, FCA, Bangalore as Vice-President of the Institute for a period of one year w.e.f. 18th January, 1993 to 17th January, 1994.

1.3 Secretary

Shri A. K. Majumdar continued as Secretary of the Institute.

1.4 Committees of the Council

The Council at its 159th meeting held in January, 1993 constituted three Standing and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. A list of these Standing and Non-Standing Committees together with their composition is given in APPENDIX II to the report.

1.5 Meetings of the Council

During the year the Council held 7 meetings.

1.6 Auditors

Shri M. R. Venkataraman, FCA and Shri C. P. Mehra, FCA were re-appointed as auditors of the Institute for the year under report. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

2. RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2.1 The Council continued its emphasis on research, professional development, continuing professional education of members and education and training of students through its various non-standing Committees. A member of research activities have been undertaken and a good number of publications on accounting standards, auditing standards, expert opinions, background material for use in Chain Seminars and research studies have been brought out by the Institute. These activities *inter alia* included the following :—

(a) ACCOUNTING STANDARDS

The necessity of accounting standards is being increasingly recognised—the latest manifestation of this being the recognition by the Government through the Companies Bill 1993 which proposes that the companies must comply with accounting standards in preparing and presenting their financial statements. Recognising the urgency of the matter, the Accounting Standards Board undertook a number of steps to formulate and implement accounting standards. During the year, Accounting Standard 13, Accounting for Investments was issued. Another Accounting Standard, i.e., Accounting for amalgamations is in the final stages and will be issued shortly. In view of the very significant changes in the policy of the Government regarding foreign exchange regulations, Accounting Standard 11 on Accounting for the effects of changes in Foreign Exchange Rates was withdrawn and a new exposure draft on this subject was issued. Exposure drafts on Accounting for Retirement Benefits and on the revised Accounting Standard 4 on "Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date" were also published. The Board also undertook a number of new projects for formulation of accounting standards like Accounting for Financing Costs, Accounting for Current Assets and Current Liabilities, Accounting for Financial Instruments, etc.

To make the Board still more broad-based, the Council decided that representatives of IDBI, SEBI, IIMs, Universities, etc. should also be invited to join the Board.

(b) AUDITING STANDARDS

The Institute has given its prime attention to formulation and upgradation of auditing standards in the country. In this regard, considerable time and research efforts were devoted in the area of standards of auditing. In the context of the recent developments in the banking/financial sectors of the Indian economy, a close interaction was maintained with the RBI and other institutions. This resulted in issuance of the revised Long Form Audit Report relating to banks. To guide and assist the bank auditors, the Auditing Practices Committee published its views on the various matters arising out of the acounting guidelines issued by the RBI for banks. The Auditing Practices Committee has also undertaken the projects of revising both, the Study on Audit of Banks and the Guidance Note on Long Form Audit Report for Banks.

Statements on Standard Auditing Practices on other subjects, e.g., Using the work of An Other Auditor, Responsibility of Joint Auditors, Representations by Management, Materiality and Audit Risk, Analytical Review are at various stages of formulation. Similarly, the Committee is formulating guidance notes on Audit of Investments, Cash and Bank Balances, Liabilities, Capital and Reserves etc. The Committee is also preparing a Study on Auditing in an EDP Environment.

(c) OTHER RESEARCH STUDIES

Recognising the continued need for research in accounting and allied fields, a number of research projects have been undertaken during the year. Amongst the important publications brought out during the year are Project Appraisal—Requirements of Indian Financial Institutions, Compendium of Statements and Standards on Accounting. (1993 edition), Compendium of Statements and Standards on Auditing (1993 edition), Revised Statement on Treatment of Retirement Gratuity in Accounts, Revised Technical Guide for Audit of Educational Instituions, Revised Guidance Note on Treatment of Expenditure During Construction Period and Compendium of Guidance Notes Volume II (3rd edition). Apart from these, it is expected that at least five more research studies will be published very shortly, i.e. the revised edition of the Study on Share Valuation, Management Control Systems in non-profit Organisation, Trends in Published Accounts, Accounting for Chit Funds and Guidelines on Internal Audit—Tyre Industry. Another twenty five projects in accounting and auditing areas are in progress.

In the field of corporate laws, the Institute brought out a critical study on the provisions of the Companies Bill, 1993 so as to provide discussion material for members on this vital piece of legislation. Similarly, the Study on Audit under Section 80HHC of the Income-tax Act was finalised. Another eight projects are in progress in the areas of Taxation and Company Law.

(d) EXPERT OPINIONS

The opinions as given by Expert Advisory Committee of the Institute continued to enjoy recognition by various authorities. A large number of fresh queries were considered and opinions released during the year. The eleventh volume of the Compendium of Opinions was released and twelfth Volume is likely to be published shortly.

(e) CONTINUING EDUCATION

The Council continued its efforts to provide continuing education programmes to its members and others. Through its Chain Seminars Scheme, the Institute identified two thrust areas of prime relevance this year. As soon as the Companies Bill 1993 was introduced in the Parliament, about 25 Seminars were organised at various large cities and branches to discuss and understand the implications of the changes proposed in the Bill. The second thrust area was on certain specific aspects of financial services and seminars are being organised throughout the country on the basis of a uniform course design and a book containing detailed discussion material on the specialised aspects of financing strategies and investment consultancy. The five full-time computer centres of the Institute continued to provide practical orientation through specific courses to the members and students of the Institute. A large number of other seminars and conferences were organised to provide a forum to the members and students to update their knowledge and discuss matters of interest.

(f) PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The Institute remained very active in responding to the changing environment and in projecting the views of the profession at various forums. The comments of the Institute in the pre-budget and post-budget memoranda found considerable support with the authorities and many of the suggestions were accepted. Similar was the case with the memorandum of the Institute on the Chelliah Committee Report and on various other issues including those on making the administration and procedures of tax authorities more effective. The Institute also responded to the various proposals being mooted for amendment of corporate laws. A detailed memorandum was submitted to the Government on *the Companies Bill 1993* after eliciting the views of the members across the country and covering various other issues referred to by the Government. The Institute also maintained a close contact with the RBI, SEBI and other regulatory bodies from whom it kept on receiving references for technical advice. Similarly, the Institute made a number of representations to various study groups, committees and authorities of the Government on specified matters.

The details of activities of various non-standing committees of the Council during this period are given in APPENDIX III to this report.

2.2 XIIIth All India Conference of Chartered Accountants

The XIIIth All India Conference of Chartered Accountants on the theme "Profession in changing economic scenario" under the Chairmanship of Shri N. C. Sundarajan, Past President was held during 5th to 7th February, 1993 at Hyderabad. The Conference was inaugurated by Shri K. Vijaya Bhaskar Reddy, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh. The Conference spread over three technical sessions was attended by about 700 delegates and the papers presented at the Conference were well received by the participants. In the present environment of market economy and relaxed controls and regulations on industries, the Conference stressed on the added responsibility of professional accountants who would be called upon to express their considered opinion on what the reported data of the management may mean.

The topics covered in the technical sessions are given in APPENDIX IV to this report.

3. PERSPECTIVE PLANNING GROUP

The Perspective Planning Group was constituted by the Council at its 144th meeting held in June, 1990 to identify the needs and expectations of the trade, commerce and industry in the coming decade and to suggest steps to be taken to re-orient the members to the changing environment. The Group was also required to study other related matters, such as, the kind of organisational structure required to cater to ever increasing membership and to provide better services to the members and students. The Group submitted its final Report in December, 1992. The Council has accepted most of the recommendations of the Group and has decided to take several measures for strengthening the profession. These include measures which warrant amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 and the C.A. Regulations, 1988. Some of the important ones are mentioned below :—

(a) Revision/modification of syllabus, keeping in view the changes in economic environment;

(b) Changes in post-qualification courses to make them more effective;

(c) Enabling members of our profession to associate with members of other recognised professions for the purpose of rendering Management Consultancy Services and such other professional services as may be permitted by the Council from time to time;

(d) Setting up an Academy/Academies of Accounting and enabling articled clerks to undergo 3 months full-time training in the Academy during the last year of articleship with a view to improving the personality traits and communication skills of the students.

(e) Suitably increasing the number of elected members of the Council in view of the increase in membership;

(f) Fixing the term of the Council as five years instead of three years;

(g) Constituion of Examination Committee with a larger number of members and co-option of outside experts for making it broad based;

(h) Constitution of Disciplinary Committee with larger membership and co-option of legal experts; Constitution of benches by Disciplinary Committee for conducting enquiry and revision of procedure in respect of disciplinary cases for speedier disposal;

(i) Taking the powers to frame bye-laws in matters of internal administration in view of the delays involved in the procedure for changes in Regulations; and

(j) Further decentralisation of functions from the Head Office to Regional Offices and bigger branches having a membership of over one thousand in order to provide better services to members and students.

4. INTERNATIONAL RELATIONS

The Institute is actively associated with various international bodies of professional accountants. A brief report on international relations is enclosed as APPENDIX V to this report.

5. OTHER MATTERS

5.1 Annual Meeting of the Institute

The 43rd Annual meeting of the Institute was held on 16th January, 1993 at New Delhi. Shri H. R. Bhardwaj, Hon'ble Union Minister of State for Law, Justice and Company Affairs was the Chief Guest at the function. He presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the Institute's prestigious awards for the best presented accounts and distributed prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the Institute. The Hon'ble Minister also gave away prizes for the best articles published in the Institute's Journal and presented shields and certificates to the outstanding Regional Councils and Branches of the Institute. The function was attended by a large number of invitees including members and students.

5.2 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Regulations, 1988

In keeping with the changing needs, the Institute has proposed a number of amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1988 which are under consideration of the Central Government. A further consolidated proposal for amendments to the C.A. Act, 1949 and C.A. Regulations, 1988 will be submitted to the Central Government shortly.

5.3 Library and Journal

The Central Council Library provides books, journals and newspaper facilities to the members and students of the Institute. The library facilities are also being provided at the regional centres and branches throughout the country and grants are being given to associations and study circles recognised by the Institute for development of the libraries.

The Institute continued to publish every month the monthly magazine "The Chartered Accountant" having a circulation of over 70,000 copies. As in the past the Editorial Board awarded the prizes for the best articles published in the Journal during the period July, 1992 to June, 1993. The names of prize winners are given in APPENDIX VI to this report.

5.4 Chartered Accountants Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institue and their dependents. The assistance is provided for maintenance of the dependents, their educational needs, meeting medical exnenses etc. The Fund has also been giving loans upto Rs. 20.000 to the members who are displaced from disturbed areas in the country. The number of life members of the Fund increased from 8214 on 31-8-1992 to 9511 on 31-8-1993. A sum of Rs. 4,34.500 was disbursed during the year to deserving persons. The balance in the Fund as on 31-3-1993 was Rs. 60 02.235.77 as against a sum of Rs. 46,91,554.45 as on 31-3-1992.

5.5 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year 1992-93, 17 scholarships of the value of Rs. 100/- each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. The membership of the Fund was 189 as on 31-8-1993. The balance in the credit of the Fund was Rs. 1,05,329.40 as on 31-3-1993 as against Rs. 83,215.90 as on 31-3-1992.

5.6 Recognition of C.A. Course

The Institute has been in touch with the universities to get the chartered accountancy course recognised for Ph. D. programme. At present 39 universities in our country besides the Association of Indian Universities and Indian Institute of Management (Ahmedabad and Calcutta) recognise the C.A. Course as equivalent to M. Com. for registration for Ph.D. A list of universities which have recognised the C.A. Course for the purpose is given in para 11.3 of APPENDIX III to this report.

6. MEMBERS

6.1 Membership

During the year 4010 new members were enrolled by the Institute bringing the total membership to 65161 as on 1-4-1993.

During the year 2697 associates were admitted as fellows compared to the figure of 2420 in the previous year. Details of membership are given below :—

Statistics of members as on 1-4-1993

Category of Members	Fellows (1)	Associates (2)	Total of Columns (1) & (2)
In full time practice	22189	16793	38982
In part time practice	2478	4951	7429
Not in practice	2591	16159	18750
Grand Total	27258	37903	65161

6.2 Deceased members

The Council records with deep regret the sad demise of Shri N. C. Krishnan, Past President of the Institute on 11th December, 1992. It also records with a deep sense of sorrow the passing away of several other members during the year. The names of the deceased members are listed in APPENDIX VII to this report.

6.3 Disciplinary Committee

Details of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1-4-1992 to 31-3-1993 are given below :—

1. Number of cases considered by the Council for its prima facie opinion —91
2. Number of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry —42
3. Number of cases heard by the Disciplinary Committee —29
4. Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council —33
5. Number of cases in which the Respondents have been found not guilty under Section 21 (2) —24
6. Number of cases in which the Respondents have been found guilty but no punishment has been awarded —03
7. Number of cases in which the Respondents have been found guilty by the Council and punished under Section 21(4). —06
8. Number of cases in which the Respondents have ben found guilty and referred to High Court under Section 21(5). —01
9. Number of cases disposed of by the High Courts under Section 21(6) & (7). —02

7. STUDENTS

The Board of Studies continued its activities for preparing, updating and providing coaching material to the students.

Foundation Course

7.1 The Total number of students registered for Foundation Course as on 31-3-1993 in different regions was 39797. The regionwise break-up is given in APPENDIX VIII.

7.2 Classes for the benefit of June, 1993 batch of Foundation Course Students were organised by 101 accredited institutions including 5 Branches of Regional Councils and 2 Regional Councils.

Intermediate and Final Courses

7.3 The number of students enrolled for the Intermediate and Final Courses during the year ended 31st March, 1992 and 31st March, 1993 are as under :-

Course	1992-93	1991-92
Intermediate	14,205	14,518
Final	7,441	5,262

7.4 The total number of students on the rolls of Board of studies as on 31st March, 1993 (excluding those students who are registered for the Foundation Course) was 99,435 as against 88,631 as on 31st March, 1992. The details are given in APPENDIX VIII.

7.5 During the year ended 31st March, 1993, scholarships were granted to 278 students from out of the funds of the Institute and the income from various endowments created for the purpose (Need Based Scholarships—179, Partial Freeship—95 and Merit-cum-Need Scholarships—4).

8. EXAMINATION

The Chartered Accountants Entrance, Intermediate and Final Examinations were held in May, 1992 and November, 1992 in 45 centres all over the country. The Entrance Examition was discontinued after November, 1992 consequent upon the introduction of the Foundation Examination effective from June, 1993.

The total number of candidates who appeared in Entrance, Intermediate and Final Examinations held in May, and November, 1992 was 58,224 and 65,598 respectively. The summary of results of these examinations indicating the number of candidates who appeared in the examinations and the number of candidates declared successful is given in APPENDIX IX.

The names of the candidates who were awarded prizes and certificates of merit in the examinations held in May and November, 1992 are given in APPENDIX X to this report.

9. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

9.1 Branches

The Institute has 5 Regional Councils, namely, Western India Regional Council, Southern India Regional Council Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council having their headquarters at Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi respectively. The total number of branches of the Regional Councils throughout the country stood at 81. The list of branches is given at APPENDIX XI to this report.

9.2 Buildings

The President Shri N. P. Sarda laid the Foundation Stone in respect of the building for Ahmedabad, Durgapur and Nagpur branches. He also inaugurated the premises of the Bhopal Branch. A number of branches showed interest in acquiring land to construct their own premises or in purchasing constructed flats. Ghaziabad, Kolhapur and Mangalore branches are in the process of acquiring land/constructing premises. The Institute has undertaken expansion of its building at Madras to meet growing needs for space.

Shri M. Veerapa Moily, Hon'ble Chief Minister of Karnataka, inaugurated the Bangalore branch building of the Institute on April 4, 1993. Shri Rameshwar Thakur, Union Minister of State for Rural Development, inaugurated the S. Narayanan Auditorium in that building.

9.3 Rotating Shield for the best Regional Council and best Branch of Regional Council.

Since 1986-87, the Institute awards rotating shield to the best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance of the Regional Council. For the year 1992-93, the shield will be awarded to the Western India Regional Council.

In order to encouraging branches of Regional Councils to be more active and to render effective service to the members and students, the Institute also awards a Rotating Shield every year to the best branch. The activities of the branches are evaluated on the basis of established norms and the Shield is awarded to the best branch. For the year 1992-93 Bangalore branch of Southern India Regional Council has been selected for the award of the Shield. The certificates for highly commended performance will be awarded to the branches at Poona, Hyderabad and Ghaziabad.

10 FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as at March 31, 1993 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as appoverd by the Council are enclosed.

APPRECIATION

11.1 The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members on the Institute's Committees and to the non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational, technical and other activities and in its examinations.

11.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Government and its nominees on the Council during the year.

11.3 The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year by all officers and staff of the Institute.

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref. Para 1.1 of the Report)

Members of the Council

Shri Agrawal, R. K.—Calcutta

*Shri Ananthan, U.N. (w.e.f. 20-7-93)—New Delhi

Bhandari (Dr.) Dharmendra—Jaipur

Shri Birla, C.M.—Kota

Shri Chakraborty, A.K.—Calcutta

Shri Chatterji, Dipankar—Calcutta

Shri Chhajed, S.P.—Bombay

Shri Chitale, M.M.—Bombay

Shri Doshi, G.B.—Bombay

*Shri Gulati, Sunil—New Delhi

*Shri Gupta, Arun Kumar—New Delhi

Shri Gupta, N.D.—New Delhi

Shri Gupta, N.K.—Kanpur

Shri Iyer, N.V.—Bombay

*Shri Joshi, R.D. (w.e.f. 23-6-93)—New Delhi

Shri Kale, Y.M.—Bombay

Shri Koteshwara Rao, S.S.R.—Hyderabad

*Shri Krishnamurthy, Ch. G.—New Delhi

Shri Laxminiwas Sharma—Hyderabad

Shri Mehta, K.S.—New Delhi

*Pillai (Mrs.) Sudha (upto 22-6-93)—New Delhi

Shri Rao, B.P.—Bangalore

Shri Sarda, N.P.—Bombay

*Shri Sarkar, P.K. (upto 3-9-92)— New Delhi

Shri Shah, A.C.—Ahmedabad

Shri Sitharaman, G.—Madras

*Shri Sivasubramanian, N. (4-9-92 to 19-7-93—New Delhi

*Shri Soli, Yash Pal—New Delhi

Shri Sundararajan, N.C.—Madras

Shri Upadhayaya, P.P. Gururaja—Madras

Shri Vasudeva, S.C.—New Delhi

Shri Vikamsey, S.K.—Bombay

Shri Vishwanath, T.S.—New Delhi.

*Nominated by the Central Government

APPENDIX II

(Ref. Para 1.4 of the Report)

Composition of the Standing and Non Standing Committees for the year 1993-94

A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri N. P. Sarda, President (Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President—(Bangalore)
Shri Dipankar Chatterjee—(Calcutta)
Shri M. M. Chitale—(Bombay)
Shri N. C. Sunderarajan—(Madras)

Examination Committee

Shri N. P. Sharda, President—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President—(Bangalore)
Shri R. K. Agarwal—(Calcutta)
Shri S. P. Chhajed—(Bombay)
Shri G. Sitharaman—(Madras)

Disciplinary Committee

Shri N. P. Sarda, President—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President—(Bangalore)
Mrs. Sudha Pillai—(New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma—(Hyderabad)
Shri S. C. Vasudeva—(New Delhi)

B. NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee

Shri K. S. Mehta, Chairman—(New Delhi).
Shri G. Sitharaman, Vice-Chairman (Madras)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Dr. Dharmendra Bhandari—(Jaipur)
Shri N. V. Iyer—(Bombay)
Shri S. C. Vasudeva—(New Delhi)
Shri S. K. Vikamsey—(Bombay)
Shri A. H. Dalal, Co-opted (Bombay)
Shri Khetan Dalal, Co-opted—(Bombay)
Shri M. G. Patel, Co-opted—Ahmedabad)
Shri R. N. Roy, Co-opted—(Calcutta)

Auditing Practices Committee

Shri N. V. Iyer, Chairman—(Bombay)
Shri M. M. Chitale, Vice-Chairman—(Bombay)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri A. K. Chakraborty—(Calcutta)
Shri Y. M. Kale—(Bombay)
Shri N. Sivasubramanian—(New Delhi)
Shri Uday M. Chitale, Co-opted—(Bombay)
Shri M. M. Khanna, Co-opted—(New Delhi)
Shri P. R. Khanna, Co-opted—(New Delhi)
Shri Suresh Rao, Co-opted—(Madras)

Cotinuing Professional Education Committee

Shri N. D. Gupta, Chairman—(New Delhi)
Shri C. M. Birla, Vice-Chairman—(Kota)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri A. K. Chakraborty—(Calcutta)
Shri Sunil Gulati—(New Delhi)

Shri Y. P. Soli—(New Delhi)
Shri P. P. Gururaja Upadhyaya—(Madras)
Shri H. M. Damania, Co-opted—(Bombay)
Shri P. K. Gupte, Co-opted—(Ludhiana)
Shri Ved Jain, Co-opted—(New Delhi)

Accounting Standards Board

Shri Y. M. Kale, Chairman—(Bombay)
Shri K. S. Mehta, Vice-Chairman—(New Delhi)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri M. M. Chitale—(Bombay)
Shri Ch. G. Krishnamurthy—(New Delhi)
Mrs. Sudha Pillai—(New Delhi)
Shri G. Sitharaman—(Madras)
Shri N. Sivasubramanian—(New Delhi)
Shri V. Anantha Raman, Co-opted—(Madras)
Shri D. Seetharamaiah, Co-opted—(Hyderabad)
Shri P. N. Shah, Co-opted—(Bombay)
Dr. R. C. Vaish, Co-opted—(New Delhi) .

Professional Development Committee

Shri A. K. Chakraborty, Chairman—(Calcutta)
Shri C. M. Birla, Vice-Chairman—(Kota)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri N. D. Gupta—(New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma—(Hyderabad)
Shri Y. P. Soli—(New Delhi)
Shri I. C. Jain, Co-opted—(Bombay)
Shri Kalra, Co-opted—(New Delhi)
Shri S. K. Dasgupta, Co-opted—(Calcutta)

Board of Studies

Shri G. B. Doshi, Chairman—(Bombay)
Dr. Dharmendra Bhandari, Vice-Chairman—(Jaipur)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri Dipankar Chatterji—(Calcutta)
Shri A. C. Shah—(Ahmedabad)
Shri S. C. Vasudeva—(New Delhi)
Shri R. Balakrishnan, Co-opted—(Madras)
Shri Subroto Ghosh, Co-opted—(Calcutta)
Shri Kaushikbhai D. Shah, Co-opted—(Ahmedabad)

Fiscal Laws Committee

Shri A. C. Shah, Chairman—(Ahmedabad)
Shri G. B. Doshi, Vice-Chairman—(Bombay)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri Sunil Gulati—(New Delhi)
Shri N. D. Gupta—(New Delhi)
Ch. G. Krishnamurthy—(New Delhi)
Shri P. P. Gururaja Upadhyaya—(Madras)
Shri Harish Ghambhir, Co-opted—(New Delhi)
Shri N. C. Sundararaghavan, Co-opted—(Bangalore)
Shri Vijay L. Shah, Co-opted—(Ahmedabad)

Corporate Laws Committee

Shri T. S. Vishwanath, Chairman—(New Delhi)
Shri A. C. Shah, Vice Chairman—(Ahmedabad)
Shri R. K. Agrawal—(Calcutta)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri N. V. Iyer—(Bombay)
Mrs. Sudha Pillai—(New Delhi)
Shri R. N. Bansal, Co-opted—(New Delhi)
Shri Anil Bhalla, Co-opted—(New Delhi)
Shri S. N. Nanda, Co-opted—(New Delhi)

International Affairs Committee

Shri N. P. Sarda, Chairman—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-Chairman—(Bangalore)
Shri C. M. Birla—(Kota)
Shri A. K. Chakraborty—(Calcutta)
Shri N. C. Sundararajan—(Madras)
Shri K. M. Agrawal, Co-opted—(New Delhi)
Shri K. G. Somani, Co-opted—(New Delhi)

Expert Advisory Committee

Shri P. P. Gururaja Upadhyaya, Chairman—(Madras)
Shri S. S. R. Koteswara Rao, Vice-Chairman—(Hyderabad).
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri G. B. Doshi—(Bombay)
Shri N. K. Gupta—(Kanpur)
Shri Y. P. Soli—(New Delhi)
Shri S. K. Vikamsey—(Bombay)
Shri S. L. Daga, Co-opted—(Hyderabad)
Shri R. Krishnamoorthy, Co-opted—(Coimbatore)
Shri K. Varghese, Co-opted—(Quilon)

University & Higher Secondary Boards Liaison Committee

Shri S. S. R. Koteswara Rao, Chairman—(Hyderabad)
Shri C. M. Birla, Vice-Chairman—(Kota)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri S. P. Chhajed—(Bombay)
Shri Sunil Gulati—(New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma—(Hyderabad)
Shri R. Ananda, Co-opted—(Bangalore)
Shri Girish Ahuja, Co-opted—(New Delhi)
Shri T. S. S. N. Murthy, Co-opted—(Hyderabad)

Ethical Standards Committee & Cura

Shri S. K. Vikamsey, Chairman—(Bombay)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri S. P. Chhajed—(Bombay)
Shri N. K. Gupta—(Kanpur)
Shri Y. M. Kale—(Bombay)
Shri I. M. Ladhawala, Co-opted—(Bombay)
Shri G. Narayanaswamy, Co-opted—(Madras)
Shri C. Anand Rao, Co-opted—(Hyderabad)

Public Relations Committee

Dr. Dharmendra Bhandari, Chairman—(Jaipur)
Shri N. P. Sharda, President (Ex-Officio)—(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio)—(Bangalore)
Shri Dipankar Chatterji—(Calcutta)

Shri A. K. Gupta—(New Delhi)

Shri N C. Sundarajan—(Madras)

Shri Manu Chaddha, Co-opted—(New Delhi)

Shri Rajesh Kasera, Co-opted—(Kanpur)

Shri Aditya Lodha, Co-opted—(Calcutta)

Editorial Board

Shri N. P. Sarda, Editor-in-Chief—(Bombay)

Shri B. P. Rao, Joint-Ed tor—(Bangalore)

Shri R. K. Agrawal—(Calcutta)

Shri Dipankar Chatterji—(Calcutta)

Shri Arun Gupta—(New Delhi)

Shri T. S. Vishwanath—(New Delhi)

Shri K. B. Kapur, Co-opted—(Delhi)

Shri M. Sivakumar, Co-opted—(Mysore)

Shri S. Viji, Co-opted—(Madras)

Committee for Members in Industry

Shri N. K. Gupta, Chairman—(Kanpur)

Shri R. K. Agrawal, Vice-Chairman—(Calcutta)

Shri B. P. Rao, Vice-President (Ex-Officio) (Bangalore)

Shri A. K. Gupta—(New Delhi)

Shri K. S. Mehta—(New Delhi)

Shri S. S. R. Koteswara Rao—(Hyderabad)

Shri K. G. Gupta, Co-opted—(Kanpur)

Shri U. Narayan, Co-opted—(Ranchi)

Shri Anand Rathi, Co-opted—(Bombay)

General Purposes Committee

Shri N. P. Sharda, Chairman—(Bombay)

Shri B. P. Rao, Vice-Chairman—(Bangalore)

Shri Dipankar Chatterji—(Calcutta)

Shri M. M. Chitale—(Bombay)

Shri N. C. Sundararajan—(Madras)

ICAI-ICWAI-ICSI Coordination Committee

Shri N. P. Sarda, Leader—(Bombay)

Shri B. P. Rao, Deputy Leader—(Bangalore)

Mrs. Sudha Pilla —(New Delhi)

Shri Y. P. Soli—(New Delhi)

Shri N. C. Sundararajan—(Madras)

Shri T. S. Vishwanath—(New Delhi)

APPENDIX III

[Ref. Para 2(f) of the Report]

RESEARCH AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Given below is a brief resume of activities of various Non-Standing Commi tees of the Council :—

1. *Accounting Standards Board*

1. Dur ng the year, the Board finalised the following documents.

(a) Accounting Standards (AS) 13, Accounting for Investments.

(b) Exposure Draft of Revised Accounting Standard 4, Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date.

(c) Exposure Draft of Revised Accounting Standnard 11, Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

(d) Exposure Draft of Proposed Accounting Standard—Accounting for Retirement Benefi ts in the Financial Statements of Employers.

2. The Board has undertaken the following projects during the year for formulation of new Accounting Standards.

(a) Accounting for Financing Costs.

(b) Accounting for Current Assets and Current Liabilities.

(c) Accounting for Financial Instruments.

(d) Special accounting issues in banks and financial institutions.

3. An Accounting Standard on Accounting for Amalgamations is in the final stage of preparation.

4. The Board is reviewing the following existing Accounting Standards :

(a) Accounting Standard 5, Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Pol cies.

(b) Accounting Standard 6, Depreciation Accounting.

The Board is also reviewing the Preface to the Statements of Accounting Standards.

5. The Board has been made more broad-based, with the representation of the following :

— IDBI and other major national-level financial institutions.

— Securities and Exchange Board of India.

— Indian Institutes of Management.

— Universities.

2. *Auditing Practices Committee*

1. During the year, the Reserve Bank of India issued certain guidelines relating to income recognition, asset classification and provisioning to be followed by scheduled commercial banks. The Institute was invited by RBI to give its views thereon. The Audit ng Practices Committee considered various issues arising from these guidelines and gave its views thereon to guide and assist the auditors of banks.

2. The Committee made certain suggestions to the Reserve Bank of India for revision of the formats of long form audit reports in case of banks. The revised formats issued by the Reserve Bank of India incorporate many of these suggestions.

3. Statements on Standard Auditing Practices on the following subjects are at various stages of formulation :

(a) Using the Work of an Other Auditor.

(b) Responsibil ty of Joint Auditors.

(c) Represen tations by Management.

(d) Materiality and Audit Risk.

(e) Analytical Review.

4. Guidance Notes on the following subjects are being formulated by the Committee :

(a) Audit of Investments.

(b) Audit of Cash and Bank Balances.

(c) Audit of Liabilit es.

(d) Audit of Capi al and Reserves.

(e) Audit of Miscellaneous Expenditure.

(f) Audit of Revenues.

5. A Study on Auditing in an EDP Environment is being prepared by the Committee.

6. The following exist ng publications are being reviewed by the Committee :

(a) Guidance Note on Auditor's Certificate Pursuant to the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.

(b) Study on Audit of Banks.

3. *Research Committee*

Following publications are expected to be released shortly :—

(i) Project Appraisal—Requirements of Indian Financial Inst tu ions (Revision of the existing publication "Project Evaluation in the Context of the Requirements of Indian Financial Institutions").

(ii) Revised edition of Study on Share Valuation.

(iii) Compend um of Statemen s and Standards on Accounting (3rd Edition).

(iv) Compendium of Statements and Standards on Auditing (3rd Edition).

Apart from the above, various projects nearing completion are :—

(i) Guidelines on Internal Audit—Cement Industry.

(ii) Management Control Systems in Non-profit Organisations with special reference to Hospitals (under Research Fellowship Scheme which was granted to commemorate 40th Anniversary of India's Independence).

(iii) Revision of the publication on "Trends in Published Accounts".

(iv) Accounting for Ch't Funds.

(v) Guidelines on Internal Audit—Tyre Industry.

(vi) Accounting in Film Industry.

Projects in Progress

(i) Accountant's Guide to Foreign Exchange Regulation Act.

(ii) Guidelines on Internal Audit—Textile Industry.

(iii) Accounting and Auditing Technical Guide—Hotel Industry.

(iv) Accounting and Auditing Technical Guide : Drugs & Pharmaceuticals Industry.

(v) Study on Amalgamations and Mergers.

(vi) Accounting and Audit of Provident Funds.

(vii) Audit of LIC.

(viii) Research Project on the Accountability of Public Expenditure in Government Departments and Similar Non-profit Institutions.

New Projects being taken up :

(i) Accounting for Off-Balance-Sheet Items.

(ii) Transfer Pricing.

(iii) Demergers & Divisions.

(iv) Foreign Currency Exposure Risk Management.

(v) Financial Strategies : Working Capital Management.

(vi) Financial Strategies : Long Term Funds Management.

(vii) Winding up of Companies.

(viii) Accounting and Auditing for Non-Government Development Organisations .

(ix) Fundamental & Technical Analysis (formerly titled as Corporate Financial Analysis).

(x) Introduction of Commercial Accounting in Municipal Corporations.

(xi) Interim Financial Reporting : A Comparative Study of India and France under the P. G. Bhagwat Research Fellowship Scheme.

Existing Publications under Revision

(i) Technical Guide for Audit of Co-operative Societies.

(ii) Accountant's Guide to Law of Central Excises.

(iii) Guidance Note on Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges.

Shield Panel :

As in the past, the Institute will award at the annual meeting, prizes for the best presented accounts by (i) Public/Joint Sector Companies and Non-Financial Statutory Corporations; (ii) Non-Financial Private Sector Companies; (iii) Banks and Financial Institutions; and (iv) Other entities, for the year 1991-92.

The winners of awards in various categories are listed below :

(i) In the category of public sector/joint sector companies (i.e. companies to which sections 619 and 619B are applicable) and non-financial statutory corporations, *Indian Oil Corporation Ltd.* has been selected for the award of Silver Shield for the best presented accounts and *Cochin Refineries Ltd.* for the award of plaque for the highly commended accounts.

(ii) In the category of non-financial private sector companies, the Silver Shield will be awarded to the *Siemens Ltd.* and Plaque for highly commended accounts to *Indian Aluminium Company Ltd.*

(iii) Among Banks and Financial Institutions, the Silver will be awarded to *Housing Development Finance Coporation Ltd.*

(iv) Among entities, such as, Public Trusts, Cooperative Societies, etc., it was decided not to give award to any entity.

4. *Professional Development Committee*

1. The Committee invited applications from members for empanelment of statutory branch auditors of 28 nationalised banks and statutory central auditors and branch auditors of regional rural banks. After processing the applications, a panel was prepared and submitted to the authorities to facilitate appointment of auditors by various banks.

2. The Committee has been constantly in dialogue with the authorities concerned regarding the increase in fees for statutory audit and revenue/inspection audit of banks. As a result of these efforts, the audit fees payable to statutory central and statutory branch auditors of public sector banks have been revised effective from 1992-93 audit. Similarly, the audit fees, traveling allowance and halting allowance payable to statutory auditors of regional rural banks for the year 1992-93 have also been enhanced.

3. The Committee organised an All-India Conference on Capital Market Trends and Investments Consultancy at New Delhi on December 4 & 5, 1992. The Conference had four technical sessions, besides an inaugural and a concluding and valedictory session. About 160 delegates from all over the country attended the Conference.

4. During the year, the Committee reviewed the definition of the expression "management consultancy services", especially in the context of the recent developments in the financial services sector. Based on the recommendations of the Committee, the Council has revised the definition. The revised definition has been published in the journal of the Institute for information of members.

5. The publication titled "Professional Opportunities for Members : An Appraisal" has been updated and revised by the Committee. The revised publication would shortly be released.

5. *COMMITTEE FOR MEMBERS IN INDUSTRY*

1. The Committee organised a Conference on Management & Financial Services on 19—20th June 1993 at Ahmedabad in collaboration with the Ahmedabad Branch, for the benefit of the members in industry.

2. As per the scheme formulated by the Committee, Regional Councils have also started rendering employment assistance to members in their regions, in addition to the same being provided at present by Central office.

6. *CORPORATE LAWS COMMITTEE*

1. The Committee organised the twenty fourth All India Seminar on Fiscal and Corporate laws in collaboration with the Fiscal Laws Committee at Bombay on 19—21st November, 1922. About two hundred delegates from various private and public sector organisations participated in the seminar.

2. The Institute is in touch with the Ministry of Environment and Forests on matter regarding implementation of the mandatory environmental reporting and the role our profession can play in this respect. The views formulated by a special Study Group constituted by the Institute on a reference made by the Ministry and forwarded to the Government are under consideration of the Ministry.

3. The Committee maintained a close liaison with the Department of Company Affairs during their exercise of re-codification of the Companies Act and responded to a number of technical issues on reerence from the Department. Many of the suggestions made to the Department of Company Affairs by the Committee from time to time have found place in the Bill. The Committee is finalising a detailed memorandum containing suggestions on the various provisions of the Companies Bill, 1993.

7. *FISCAL LAWS COMMITTEE*

1. *Central Budget*

The Pre-Budget Memorandum of the Institute was submitted to the Union Finance Minister, Minister of State for Finance, CBDT and other authorities. The Post-Budget memorandum of the Institute containing comments and suggestions on Finance Bill, 1993 was also submitted to the aforesaid authorities. Discussions were held with Chairman, CBDT and other authorities with reference to the Pre-Budget memorandum and the Post-Budget Memorandum.

2. *Representations on Chelliah Committee Report*

The Final report of the Tax Reforms Committee headed by Dr. Raja Chelliah was issued in 1992. The Institute submitted its suggestions to the Government on the final report of the Tax Reforms Committee.

3. *All India Seminar on Fiscal and Corporate Laws*

The Committee jointly with Corporate Laws Committee organised the 24th All India Seminar on Fiscal and Corporate Laws from 19th November to 21st November, 1992 at Bombay. The theme of the seminar was "De-regulation and Liberalisation—Need for Change". The seminar was attended by around 200 participants from all over the country.

4. *Representations to Government*

A number of meetings were held with the Chairman, CBDT from time to time on various administrative and procedural matters under the Direct Taxes. The Committee also submitted a proposal to popularise the scheme of Presumptive Taxation. Various other representations were submitted to CBDT.

5. *Others*

The Study on "Taxation of Charitable and Religious Trusts and Institutions" is under revision. The Committee also undertook the revision of publication on "Audit under Section 80 HHB and 80HHC of the Income-tax Act" and "Monograph on Compulsory Maintenance of Accounts". A new publication on "Taxation of Firms and its Partners" is under preparation.

8. *CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION COMMITTEE*

1. *Chain Seminars*

The Chain Seminars Scheme of the Institute involves identifying thrust areas of contemporary relevance every year and organising seminars thereon through co-ordinated efforts of the Central Council, regional councils and branches. For the year 1993, two series of seminars were planned as follows :—

(a) *Chain Seminars on the Companies Bill, 1993*

On the introduction of the Companies Bill, 1993, in the Rajya Sabha, it was felt that a discussion on the various proposals of the Bill would help the profession in understanding the implications of the changes proposed to be brought about by the Bill in the existing provisions and in responding to them effectively.

Towards this end, the Technical Directorate compiled a uniform backeround material, containing a number of analytical articles by the members of the profession on various aspects of the Bill and a detailed note analysing the modifications proposed by the Bill vis-a-vis the Companies Act, 1956, for distribution to the participants at the seminars.

(b) *Chain Seminars on Financing Strategies and Investment Consultancy*

It was decided to concentrate on certain specific aspects of financial services, which was the theme of chain seminars last year, and impart an in-depth knowledge on the same. Accordingly, two such areas were identified, viz., Financing Strategies and Investment Consultancy.

A uniform background material was compiled by the Technical Directorate so as to form a basis for discussion at these seminars and also serve as a reference book to our members.

It is expected that about 90 seminars would be conducted all over the country covering more than 15,000 members.

2. *Computer Courses*

The Courses organised by Computer Training Centre at Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur have been specifically designed to cater to the needs of the members and students of the Institute. The courses are planned to form two stages. The first stage is the Orientation Course designed to provide practical orientation and use of computers for different accounting applications; the second stage consists of Computer Application Modules, which are advanced courses capsuled into various modules.

In addition to these courses for members and students, the Centres also conduct a limited number of programmes for officers and managers in government and public sector undertakings.

The following programmes, sponsored by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, were conducted during the year :—

(a) Programme on Financial Management and Management Accounting.

(b) Computer Orientation Course for Accountants.

(c) Programme on Database Management for Accountants.

During the year, more than 1800 persons were trained at the computer training centres.

3. *Other Programmes*

The following other programmes were held during the year :—

— Seminar on Aspects of FERA and Excise Duty was held at Bangalore in August, 1992. About 43 delegates participated in the seminar.

— Joint ICAL-ICWAI programme on Aspects of Finance and Law was held at Calcutta in September, 1992.

— Joint ICAL-ICWAI programme on Aspects of Management Accounting was held at Jaipur with about 60 participants, in January, 1993.

4. *Post Qualification Courses*

Examinations were held in May, 1992 for all the three Post Qualification Courses, viz., Management Accountancy Course, Corporate Management Course and Tax Management Course, and in November, 1992 for Management Accountancy Course.

The syllabi of post-qualification courses are being revised so as to make the courses effective and practical oriented. With the growing importance of financial services, more emphasis has been laid on financial services in the proposed syllabus of Post-Qualification Course in Management Accountancy.

5. *Merit Scholarships*

Under the Incentive Scheme of the Post-Qualification Courses, during the year 1992-93, the Committee awarded 7 merit scholarships for Management Accountancy Course and 1 merit scholarship for Tax Management Course.

6. *Management and Economic Digest*

The Institute published four issues of the quarterly Management and Economic Digest during the year 1992-93, which contains abstracts of important articles on contemporary issues in the disciplines of Management and Economics.

9. *EXPERT ADVISORY COMMITTEE*

During the year, the Committee considered and disposed of a large number of queries. The Compendium of Opinions Volume XI was released for sale. The Compendium of Opinions, Volume XII, containing the opinions of the Committee issued between the period January, 1992 and January, 1993 has been processed and is likely to be published shortly. Revision of the previous volumes of the Compendium of Opinions is in progress.

10. *COMMITTEE ON ETHICAL STANDARDS AND UNJUSTIFIED REMOVAL OF AUDITORS*

During the year, the Committee examined the various queries relating to professional conduct of the members and allegations concerning unjustified removal of auditors.

The Committee also considered updation of the Code of Conduct published by the Institute and made various suggestions to the Council.

11. *UNIVERSITY AND HIGHER SECONDARY BOARD LIAISON COMMITTEE*

1. *Joint Seminars with Universities*

In its efforts to strengthen coordination of the Institute with various Universities and Higher Secondary Boards in the country, the Committee organised seminars jointly with the following colleges/universities :—

(i) Badruka College of Commerce on "Commerce Education in the Changing Scenario-Perspectives" on 26th and 27th December, 1992 at Hyderabad.

(ii) L.M.S. Govt. (P.G.) College on "Emerging Profile of Business Education in India" on 13th & 14th June, 1993 at Rishikesh.

2. *Award of ICAI Prize/Gold Medal by Universities*

The Institute has created endowments in 26 universities for awarding ICAI gold medal/prize to the students securing the highest marks in Accountancy at B. Com. examination. A list of universities having endoment from the Institute is given below :

S. No. Name of University Nature of Prize

1. Allahabad University—Prize
2. Banaras Hindu University—Prize
3. Bangalore University—Gold Medal
4. Bharathidasan University, Tiruchirapalli—Prize
5. Bombay University—Gold Medal
6. Calcutta University—Prize
7. Calicut University—Prize
8. Delhi University—Prize
9. Gujarat University, Ahmedabad—Prize
10. Guru Nanak Dev University, Amritsar—Prize
11. Jammu University—Prize
12. Jodhpur University, Jodhpur—Prize
13. Kurukshetra University, Kurukshetra—Prize
14. Lucknow University—Prize
15. Madras University—Gold Medal
16. Maharshi Dayanand University, Rohtak—Prize
17. Marathwada University, Aurangabad—Prize
18. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur—Prize
19. Nagarjuna University, Guntur—Gold Medal
20. North Bengal University, Raja Rammohanpur—Prize
21. Osmania University, Hyderabad—Gold Medal
22. Poona University—Prize
23. Punjab University, Chandigarh—Prize
24. Ravishankar University, Raipur—Prize
25. Shivaji University, Kolhapur—Prize
26. Vikram University, Ujjain—Prize

3. *Recognition of CA Course*

The Institute has been in touch with the universities to get the chartered accountancy course recognised for Ph. D. programme. At present 39 universities besides the Association of Indian Universities and Indian Institutes of Management (Ahmedabad and Calcutta) recognise the C.A. Course as equivalent to M. Com. for registration for Ph. D. A list of universities which have recognised the C.A. Course for the purpose is given hereunder :—

I *Association*

1. Association of Indian Universities, New Delhi.

II. *Institutes*

1. Indian Institute of Management, Ahmedabad.
2. Indian Institute of Management, Calcutta.

III. *Universities*

1. Agra University, Agra
2. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi
3. Aligarh Muslim University, Aligarh
4. Banaras Hindu University, Varanasi
5. Bangalore University, Bangalore
6. Bharathidasan University, Tiruchirappali
7. Bombay University, Bombay
8. Calicut University, Calicut
9. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
10. Gandhiji University, Kottayam
11. Gujarat University, Ahmedabad
12. Himachal Pradesh University, Simla
13. Jiwaji University, Gwalior
14. Kanpur University, Kanpur
15. Kashmir University, Srinagar
16. Kerala University, Trivandrum (Kerala)
17. Kurukshetra University, Kurukshetra
18. Lucknow University, Lucknow
19. M. S. University of Baroda, Baroda
20. Maharshi Dayanand University, Rohtak
21. Mangalore University, Mangalore
22. Marathwada University, Aurangabad
23. Meerut University, Meerut
24. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur
25. Mysore University, Mysore
26. North Bengal University, Darjeeling
27. Osmania University, Hyderabad
28. Pondicherry University, Pondicherry
29. Poona University, Pune
30. Punjab University, Chandigarh
31. Punjabi University, Patiala
32. Ranchi University, Ranchi
33. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar
34. Saurashtra University, Rajkot
35. Shivaji University, Kolhapur
36. Sri Venkateshwara University, Tirupati
37. Vikram University, Ujjain (M.P.)
38. Kashi Vidpapith, Varanasi
39. Karnatak University, Dharwad

APPENDIX IV

(Ref. Para 2.2 of the Report)

13th All India Conference of Chartered Accountants on the theme : Profession in Changing Economic Scenario—Details of Topics Discussed.

FIRST TECHNICAL SESSION : *"Direction of Indian Economy"*

1. Mobilisation of International Finance

2. Recent Trends—Regulations in Capital Market
3. Classification and valuation under Central Excise Laws

SECOND TECHNICAL SESSION : *"Profession and Ethical Conduct"*

1. Audit approach based on risk evaluation
2. Accounting Standards—Issues and Problems
3. Code of Conduct in Changing Scenario.

THIRD TECHNICAL SESSION : *"Reforms in Tax Laws"*

1. Recent changes in Corporate Laws
2. Recent changes in Tax Laws
3. Non Residents—Indian Laws.

APPENDIX V

(Ref. Para 4 of the Report)

INTERNATIONAL RELATIONS

1. *International Federation of Accountants (IFAC)*

Since 1977 India has been a member of the International Federation of Accountants. During this period, the Institute has had the distinction of serving on the Council of IFAC and some of its Committees.

During the period under report, Shri K. G. Somani, past President of the Institute continued to represent India on the Council of IFAC upto October, 1992. Thereafter, Shri K. M. Agarwal, past President of the Institute took over as representative of the Institute on the new Council of IFAC. Shri A. H. Dalal, past President of the Institute continued to serve on the International Auditing Practices Committee as a nominee of the Institute upto December, 1992. From January, 1993 Shri N. C. Sundararajan, is the nominee of the Institute representing India on the International Auditing Practices Committee. Shri A. K. Chakraborty, a member of the Council continued as a member of the Education Committee of IFAC upto December, 1992.

The XIV World Congress of Accountants was held between 11th to 14th October, 1993 at washington D. C. (USA). 2 600 accountants from all over the world participated in the Conference. On behalf of the Institute, Shri N. P. Sarda, the then Vice-President led the delegation of 12 members. Two papers were presented at the World Congress on behalf of the Institute. Shri A. K. Chakraborty, a member of the Central Council presented a paper on "Professional Accounting Qualification and Practice—Reciprocity" and Dr. Abhijit Sen, a fellow member of the Institute presented a paper on the "Accountant's Role in Improving Business Performance".

2. *Board of International Accounting Standards Committee.*

India was invited to join the Board of International Accounting Standards Committee for the first time since its inception in 1973. Shri N. P. Sarda, President of the Institute is the nominee of the Institute representing India on the Board of International Accounting Standards Committee w.e.f. January, 1993.

3. *Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA).* (CAPA):

The Institute is also a member of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) since its inception in 1976. Shri K. M. Agarwal, past President attended the Executive Committee meetings of CAPA in his capacity as President of SAFA. The XIII CAPA Conference is scheduled to be held on 26—29th September, 1993 at Vancouver British Columbia, Canada.

4. *South Asian Federation Accountants (SAFA)* :

The Institute is one of the founder members of SAFA which was established in 1984. The 19th and 20th meetings of the SAFA Assembly were held at Lahore and Colombo respectively.

Shri K. M. Agarwal, past President of the Institute continued as President of SAFA upto 14th January, 1993. Mr. N.A.L. Cabraal, President of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka took over as President of SAFA at 20th SAFA Assembly meeting held on 14th January, 1993 at Colombo, Sri Lanka. At the said Assembly meeting, Shri K. M. Agarwal was elected as advisor of SAFA.

The permanent secretariat of SAFA with Dr. Kamal Gupta, Technical Director of the Institute as Secretary continues to be located at the Institute's premises at New Delhi. Considerable progress has been made by SAFA for getting recognition of SAARC. The application in this regard has been endorsed by the Ministry of External Affairs, Government of India and has been sent to the SAARC Secretariat.

APPENDIX VI

(Ref. Para 5.3 of the Report)

Names of Prize Winners for the Best Articles published in the Chartered Accountant.

The Editorial Board has decided to award the following prizes for the best articles out of the articles published during the period July, 1992 to June, 1993.

Main Section

First Prize (Rs. 1500)—"Direct Taxtes Reforms : An Importunate need for Pragmatism" by Dr. Om Prakash Kajipet (May, 1993)

Second Prize (Rs. 1000)—"Prospectus of Project Appraisal in a changing Economic Scenario" by Satya Prakash Singh and Manoj Anand. (October, 1992)

Third Prize (Rs. 500)—"Computer Viruses : Growing threat to Computer Users" by Ananth Seetharaman (December, 1992).

Students Section

First Prize (Rs. 750) "An Overview of Management Thought" by S. R. Srinivasan (January, 1993)

Second Prize (Rs. 500)—"The Ten Commandments for C.A. Students" by Binod Hariharan Shankar. (August, 1992).

APPENDIX VII

(Ref. Para 6.2 of the Report)

List of Deceased Members (1992-93)

S. No., M. No., Name & Date

01. 00123 S. N. Gupta—24-08-92
02. 00187 B. Guha—12-01-93
03. 00315 V. Mahalingam—26-04-92
04. 00398 D. L. Moitra—05-01-93
05. 00427 J. M. Dotiwalla—08-01-91
06. 00466 D. V. Subbachar—10-01-93
07. 00556 N. L. Narasimha Rao—31-12-92
08. 00585 B. C. Mukherjee—08-06-92
09. 00714 M. N. Bhargava—15-03-93
10. 00822 Deva Prosad Sen—21-01-93
11. 00860 R. B. Sheth—09-08-92
12. 00863 P. L. Kapadia—03-05-92
13. 01102 N. E. Merchant—04-08-92
14. 01308 De Amulyadhan—24-01-92
15. 01587 S. V. Gupte—15-09-92
16. 01667 S. Y. Mehendale—30-06-92

S. No., M. No., Name, Date—Contd.

17. 01700 R. K. Parmarthi—17-04-91
18. 01784 P. B. Patel 04-06-90
19. 01907 R. Venkataraman—17-09-92
20. 01908 Dr. N. C. Krishnan—12-12-92
21. 02040 Sarvadhar Gupta—01-11-92
22. 02095 Bal Krishana Goswami—18-12-92
23. 02195 V. Ganapathy—19-08-92
24. 02384 Raj Nandan Thakur—12-03-92
25. 02455 B. V. Ramarao—19-11-92
26. 02479 M. Brahmaiah—18-12-91
27. 02545 J. L. K. Prasad—31-12-92
28. 02666 S. N. Shipchandler—27-08-92
29. 02718 D. K. Keshav—15-07-91
30. 02802 K. V. Chandramouli—09-05-92
31. 02923 N. K. Patel—12-08-92
32. 03094 S. Krishnamoorthy—24-02-93
33. 03208 T. V. Doraiswamy—24-08-92
34. 03222 A. C. Dasgupta—04-08-92
35. 03223 S. R. Iyengar—12-02-93
36. 03332 K. G. Bhatia—05-08-92
37. 03524 Samir Dutta—01-97-92
38. 03704 G. K. Mitra—25-08-92
39. 03861 N. Manthiramurthi—05-08-92
40. 03993 M. H. Hilloowala—01-03-92
41. 04123 C. G. Shah—12-11-92
42. 04257 S. D. Patel—09-12-92
43. 04952 S. Sarkar—24-06-91
44. 05044 P. Jacob—23-04-92
45. 05429 M. G. Subramanian—20-02-92
46. 05717 S. C. Bhansali—12-07-92
47. 06246 J. K. Kapadia—04-12-92
48. 06579 Om Parkash Rustagi—22-05-92
49. 06605 B. P. Saraf—12-02-92
50. 06747 P. B. Bahl—23-01-93
51. 06859 V. Narain—19-12-92
52. 07114 P. R. Mazumder—27-03-92
53. 07310 A. Rajasekharan—25-12-91
54. 07455 K. N. Prabhu—05-04-92
55. 07699 M. C. Vyas—10-09-92
56. 08039 H. S. G. Rao—04-02-93
57. 08622 Om Prakash Bubna—01-12-92
58. 08822 D. Sarkar—25-06-92
59. 08930 Vijay Dutt—15-12-92
60. 10574 S. Narayanan—17-08-92
61. 12231 S. C. Shah—23-05-92
62. 12500 Y. N. Bhagat—29-07-92
63. 12510 S. N. Nath—02-08-92
64. 12540 J. Laxminarayana—08-05-92
65. 13687 N. K. Sethi—13-01-93
66. 13866 N. N. Ghosh—18-07-92
67. 14918 R. D. Vaish—21-11-91
68. 16375 G. B. Parekh—05-04-92
69. 16583 S. K. Bhuwania—10-12-92
70. 16615 P. C. Mehta—24-12-92
71. 16898 I. M. Gupta—21-09-92
72. 16970 D. N. Gupta—23-03-92
73. 018227 P. S. Vijay Sankar—17-10-92
74. 018793 S. Sankaranarayanan—26-03-92
75. 019129 R. Balakrishnan—10-09-92
76. 020720 M. Sivasamy—05-04-92
77. 021323 K. B. Ballullaya—29-04-91
78. 021346 S. Chandramouly—30-03-92
79. 023600 A. Suresh—08-01-92
80. 028975 R. Srisailam—08-03-93
81. 029862 S. Sridhar—20-12-92
82. 040168 R. B. Jadav—12-02-92
83. 042059 N. J. Shah—11-12-91
84. 042382 R. M. Gandhi—21-07-92
85. 052450 S. K. Balasaria—11-04-92.
86. 053340 Raj Kumar Kothari—27-10-92
87. 070171 N. A. Krishnamoorthy—29-06-92
88. 070267 R. B. S. Chauhan—23-09-92
89. 071243 Ram Lal Gatyani—29-02-92
90. 071555 K. Radhakrishnan Iyer—09-05-92
91. 071947 G. V. Varshney—30-05-92
92. 081221 G. C. Banerji—25-01-93
93. 081242 K. Shankaranarayana Rao—04-07-92
94. 081528 S. K. Chand—12-01-92
95. 085360 P. K. Jain—21-05-91
96. 085874 L. K. Juneja—26-12-91
97. 090596 Prem Kumar—11-08-92
98. 201954 V. B. Baraneedaran—11-10-92

APPENDIX VIII

(Reference Para 7.1 of the Report)

Region-wise Number of Students Registered for Foundation Course

Western India Region	11018
Southern India Region	6278
Eastern India Region	6328
Central India Region	7068
Northern India Region	9105
Total	39797

Number of Students on rolls for Intermediate & Final Course

(Ref. Para 7.4 of the Report

	Inter	Final	Total
No. of candidates who were enrolled as on 1-4-1992	71,716	16,915	88,631
Enrolled during the Year 1992-93	14,205	7,441	21,646
Total	85,921	24,356	110,277
No. of students who have passed Intermediate/Final Examination in the year (May, 1992 & Nov. 1992) (—)	6,587	4,255	10,842
Total no. of students on roll as on 31-3-1993	79,334	20,101	99,435

APPENDIX NO. IX

(Ref. Para 8 of the Report)

Statistics of students appeared, passed in the examinations of the Institute held in 1992

Entrance Examination—1992

Month and Year of Examination	No. of candidates appeared	No. of candidates passed
May, 1992	2522	397
November, 1992	4195	1332

Intermediate and Final Examinations—1992

	Intermediate		Final	
	May	Nov.	May	Nov.
GROUP I :				
No. of candidates appeared	14683	18118	5373	6249
No. of candidates declared successful	2560	4156	2120	1249
GROUP II :				
No. of candidates appeared	19405	20104	7750	7307
No. of candidates declared successful	3978	3065	2698	1785
BOTH GROUPS :				
No. of candidates appeared	6273	7520	2218	2105
No. of candidates declared successful	608	981	537	203

APPENDIX X

The names of Prize Winners in the Institute's Examinations held in May, 1992 & Nov. 1992

Final EFe,so6 CMFWY CMFWYP CMFWYP CMFWYP

FINAL EXAMINATION : MAY, 1992

The following candidates will be awarded certificates of merit : —

RANK ROLL No. NAME

I. 1233 MISS TAPADE TANUJA SURAJARAN (Total 562 marks out of 800).

II. 2973MISS SWARNA SUBDIAY PILLAI (Total 558 marks out of 800).

AND

II. 12101 BACHANESH KUMAR AGRAWAL (Total 558 marks out of 800).

III. 1138 VIMAL RELLI (total 546 marks out of 800).

AND

III. 5905 SANJAY GUPTA (Total 545 marks out of 800).

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal to the best cand date will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll No. 11233.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best candidate will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKUMAR, Roll No. 11233.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Miss TAPADE TANUJA SURAJKURAN, Roll No. 11233.

4. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to Miss Swarna Subbiah Pillai, Roll No. 2973 and Bechanesh Kumar Agrawal, Roll No. 12101.

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll No. 11233 (Total 562 marks out of 800).

6. The Kerala Verma prize for the best candidate in Group I will be awarded to BACHANER KUMAR AGRAWAL, Roll No. 12101 (299 marks out of 400).

7. The P. N. Ghosh Memorial Prize for the best condidate in Group II will be awarded to SUNIL EDWARD SOARES, Roll No. 5147 jointly with MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll. No. 11233 (294 marks out of 400).

8. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accounting (Papers1& 2) will be awarded to K. CHANDRA SEKARAN, Roll No. 9970 (166 marks out of 200).

9. The K. C. Khanna Prize for the best paper on advanced Accounting (Paper 1) will be awarded to RAJESH GUPTA, Roll No. 1993 (87 marks out of 100).

10. The J. K. Doshi Prize for the best paper on management Accounting will be awarded to RAJIV BHATI, Roll No. 1164 (82 marks out of 100).

11. The A. F. Ferguson prize and the R. Venkatesan Memorial prize for the best paper on Auditing will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll No. 11233 (76 marks out of 100).

12. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi prize to the lady candidate who secured the highest marks in the Paper on Auditing will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll No. 11233 (70 marks out of 100).

13. The U. C. Majumdar prize and the S. M. Shah prize for the best paper on Company Law will be awarded to BACHANESH KUMAR AGRAWAL, Roll No. 12101 (80 marks out of 100).

14. The N. M. Shah prize, Suri Memorial Prize and A. J. Shah-Amita memorial prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to SHAH SULODH VIJAYA KUMAR, Roll No. 11248 (83 marks out of 100).

15. The T. R. Chandha prize for the best paper on System Analysis & Data Processing will be awarded to MISS PIYA DHAWAN, Roll No. 4087 (82 marks out of 100).

16. The R .V. K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to MISS V. RENUKA, Roll No. 2869 (100 marks out of 100).

17. The Venkatachalam Mohan prize for the best paper on Managerial Economics & National Accounting will be awarded to V. CHANDRA SEKAR, Roll No. 9146 (51 marks out of 100).

INTERMEDIATE EXAMINATION - MAY, 1992

The following candidates will be awarded Certificates of Merit :—

RANK ,ROLL No., NAME

I. 14216 BHAT SUBHASH MOHAN (Total 483 marks out of 700).

II. 12179 JOSHI RAVINDRA HASMUKHRAI (Total 477 marks out of 700).

III. 12674 VOGETY MURALI MOHAN (Total 474 marks out of 700).

1. The G. P. Kapadia First President Prize to the best student will be awarded to BHAT SUBHASH MOHAN, Rol No. 14216.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best student will be awarded to BHAT SUBHASH MOHAN, Roll No. 14216.

3. Prof, T. S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to PARIKH JWALANT SATISH, Roll No. 12800 (82 marks out of 100).

4. The U. K. Bhargava prize for the best paper on Elements of Income-tax wil be awarded to JOSHI RAVINDRA HASMUKHRAI, Roll No. 12179 (42 marks out of 50).

5. The Dinesh Himatlal Shah prize and the K. C. Khanna prize for the best paper on Auditing will be awarded to MANOJ KUMAR TRIVEDI, Roll No. 3275 (75 marks out of 100).

6. The Suresh U. Mathur prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to JIMULIA DEVANG DAHYALAL, Roll No. 14543 (72 marks out of 100).

7. The Shailesh Kapadia award for the second best student will be awarded to JOSHI RAVINDRA HASMUKHRAI, Roll No. 12179 (477 marks out of 700).

FINAL EXAMINATION—NOVEMBER, 1922

The following candidates will be awarded certificates of merit :

RANK ROLL NO. NAME

I. 2398 GUPTA SANJAY KUMAR (554 marks out of 800).

II. 3500 PIROOZ PERVEZ MOVDAIALLA (550 marks out of 800).

III. 1697 DILIP KUMAR PATNI (530 marks out of 800).

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal for the best candidate will be awarded to GUPTA SANJAY KUMAR, Roll No. 2398.

2. The J. S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to GUPTA SANJAY KUMAR, Roll No. 2398.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to GUPTA SANJAY KUMAR, Roll No. 2398.

4. The G. Basu Foundation award for the best stupdent of the year 1992 will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll No. 11233, May 1922 examination (562 marks out of 800).

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to MISS REEMA SEN, Roll No. 1058.

6. The S. Viswanathan Memorial Prize for the best lady candidate of the year 1992 will be awarded to MISS TAPADE TANUJA SURAJKARAN, Roll No. 11235 May 1992 examination (562 marks out of 800).

7. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to PIROOZPERVEZ MOVDAWALLA, Roll No. 3500.

8. The Shahes Kapadia award for the best student among the second best students of the year 1992 will be awarded to MISS SWARNA SUBHIAH PILLAI, Roll No. 2973 jointly with SHRI BACHANESH KUMAR AGRAWAL, Roll No. 12101, May, 1992 examination (558 marks out of 800).

9. The Kerala Varma Memorial Prize for the best candidate in Group I will be awarded to GUPTA SANJAY KUMAR, Roll No. 2398 (278 marks out of 400).

10. The N. N. Das Prize for the best student of the year 1992 in Group I will be awarded to BACHNESH KUMAR AGRAWAL, Roll No. 12101, May, 1992 examination (299 marks out of 400).

11. The P. N. Ghosh Meromial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to MISS REEMA SEN, Roll No. 1058 (285 marks out of 400).

12. The Balachander Memorial Prize for the best student of the year 1992 in Group II will be awarded to SUNIL EDWARD SOARES, Roll No. 11233 May 1992 examination (294 marks out of 400).

13. The K. C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper I) will be awarded to APURVA RAJENDRA SHAH, Roll No. 2441 (86 marks out of 100).

14. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best papers on Accountancy (Papers 1 & 2) will be awarded to VIKRAM BHASKAR, Roll No. 5141 (159 marks out of 200).

15. The J. K. Doshi prize for the best paper on Management Accounting will be awarded to GUPTA SANJAY KUMAR, Roll No. 2398 (95 marks out of 100).

16. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesam Meromial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to AKEELA. MASTER, Roll No. 2396 (79 marks out of 100).

17. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to MISS S. SAUMYA, Roll No. 10547 (60 marks out of 100).

18. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Prize for the best paper on Company Law will be awarded to GUPTA SANJAY KUMAR, Roll No. 2398 (67 marks out of 100).

19. The N. M. Shah Prize, Suri Memoral Prize and A. J. Shah Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws wil be awarded to APURVA RAJENDRA SHAH, Roll No. 2441 (77 marks out of 100).

20. The T. R. Chadha Prize for the best paper on System Analysis and Data Processing will be awarded to PIROOZ PERVEZ MOVDAWALLA, Roll No. 3500 (84 marks out of 100).

21. The R.V.K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to SANJAY KUMAR AGARWAL Roll No. 1169 (89 marks out of 100).

22. The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Managerial Economics & National Accounting will be awarded to MISS S. SAUMYA, Roll No. 10547 (50 marks out of 100).

INTERMEDIATE EXAMINATION—NOVEMBER 1992

The following candidates will be awarded certificates of merit:

RANK ROLL No. NAME

I. 5699 MISS MEENAKSHI (533 marks out of 700).

II. 18127 NIRANJAN KUMAR GUPTA (516 marks out of 700).

III. 13309 A. D. GANESH (507 marks out of 700).

1. The G.P. Kapadia First President Prize to the best student will be awarded to MISS B. MEENAKSHI, Roll No. 5699.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best student will be awarded to MISS B. MEENAKSHI, Roll No. 5699.

3. The Suri Memorial Prize for the best student of the year 1992 will be awarded to MISS B. NEENAKSHI, Roll No. 5699, November 1922 examination (533 marks out of 700).

4. Prof. T. S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to NIRANJAN KUMAR GUPTA, Roll No. 18127, (95 marks out of 100).

5. The U. K. Bhargava Prize for the best paper on Elements of Income Tax will be awarded to MISS GUPTA SANGEETA SARUPCHAND Roll No. 24839 (49 marks out of 50.

6. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K. C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to MISS ZARA MARIA DUGALD DIAS, Roll No. 24866 (74 marks out of 100).

7. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to MISS S. DAVANYA, Roll No. 0540 and MISS PREETI BANSAL, Roll No. 15117 (76 marks out of 100).

8. The Shailesh Kapadia award for the second best student will be awarded to NIRANJAN KUMAR GUPTA, Roll No. 18127 (516 marks out of 700).

APPENDIX XI

(Ref. Para 9.1 of the Report)

LIST OF BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

W.I.R.C.

1. Ahmedabad
2. Anand
3. Aurangabad
4. Baroda
5. Goa
6. Jalgaon
7. Kolhapur
8. Nagpur
9. Nasik
10. Pune
11. Rajkot
12. Sangli
13. Sholapur
14. Surat

S.I.R.C.

1. Alleppey
2. Bangalore
3. Belgaum
4. Calicut
5. Coimbatore
6. Ernakulam
7. Erode
8. Guntur
9. Hubli
10. Hyderabad
11. Kottayam
12. Kumbakonam
13. Madurai
14. Mangalore
15. Mysore
16. Palghat
17. Pondicherry
18. Quilon
19. Salem
20. Tiruchirapalli
21. Tirunelveli
22. Tirupur
23. Trichur
24. Trivandrum
25. Tuticorin
26. Vellore
27. Visakhapatnam
28. Vijayawada

E.I.R.C.

1. Asansol
2. Bhubaneswar
3. Cuttack
4. Durgapur
5. Gauhati
6. Siliguri

C.I.R.C.

1. Agra
2. Ajmer
3. Allahabad
4. Alwar
5. Bareilley
6. Bhilwara
7. Bhopal
8. Dehradun
9. Dhanbad
10. Ghaziabad
11. Gwalior
12. Indore
13. Jaipur
14. Jamshedpur
15. Jodhpur
16. Kota
17. Lucknow
18. Meerut
19. Noida
20. Patna
21. Raipur
22. Ranchi
23. Udaipur
24. Varanasi

N.I.R.C.

1. Amritsar
2. Chandigarh
3. Faridabad
4. Hissar
5. Jalandhar
6. Jammu
7. Ludhiana
8. Simla
9. Yamunanagar

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 1993

AUDITORS' REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1993 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporationg the accounts of the Institute's Office, Regional Councils and their Branches and Students' Associations and their Branches, audited by other auditors and report that :

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3. In our opinion, the accounts are maintained in conformaity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949; and

4. In our pinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statement together with the schedules atached and read with notes give a true and fair view :

(i) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1993; and

(ii) in the case of the Income & Expenditure Account, of the Surplus for the year ended on that date.

New Delhi Dt. 30th Aug. 1993 — M. R. Venkataraman, Chartered Accountant; C. P. Mehra, Chartered Accountant

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

Accounting Polices

1. The admission fee from fellow members and a 2/3rd portion of the entrance fee from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students' activities is transferred to Education Fund to the extent this fund is utilised on fixed assets, in the preceding year, transferred to Capital Reserves.

2. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or net realisble value. For this purpose cost is ascrtained on the basis or direct cost method.

3. Investments have been valued at cost.

4. Depreciation : Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on written down value method. Library books have been depreciated on the straight-line method. Depreciation on additions is charged for full year.

5. The Accounts of Students' Association and their branches which were hitherto used to have been incorporated in the consolidated accounts are not incorporated in this year's consolidated accounts as per the decision of the Executive Committee. However, the grants and fees paid to them during the year have been charged to expenditure.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

BALANCE SHEETAS AT MARCH 31, 1993

	Schedule	Rs.	31-3-93 Rs.	Rs.	31-3-92 Rs.
SOURCES OF FUND— :					
Capital Reserves	A		56,165,693		46,183,515
Other Reserves	B		42,364,547		22,921,682
Earmarked Funds	C		10,354,446		6,292,827
TOTAL			108,884,686		75,398,024
APPLICATION OF FUNDS :					
Fixed Assets :					
Gross Block		69,139,932		63,128,204	
Less : Depreciation		(27,470,633)		(23,153,782)	
Net Block	D		41,669,299		39,974,422
Buildings under Construction			17,593,329		6,544,684
Earmarked Investments	E		10,354,446		6,292,827
Other Investments :					
(a) Fixed Deposits with Banks		29,835,980		10,278,192	
(b) Bonds of Public Sector undertakings		9,821,763		10,183,432	
(c) Units of U.T.I.		300,160		300,160	
(d) Certificate of Deposits with Banks		7,500,000			
			47,457,903		20,761,784
Current Assets, Loans & Asvances	F	43,935,011		40,002,174	
Less : Current Liabilities & Provisions		(16,324,422)		(14,089,121)	
Net Current Assets		27,610.589		25,913,053	
Less : Fees/Income Received in Advance		(35,800,880)	(8,190,291)	(24,088,746)	1,824,307
TOTAL :			108,884,686		75,398,024

NOTES : FORMING PORT OF THE ACCOUNTS AS AT MARCH 31, 1993 :

(1) Accounts of Two Branches have not been received and hence not incorporated. However. grants & fees paid to them during the year and opening balances of their assets and liabilities have been incorporated.

(2) No provision for taxation has been made in view of pending request for exemption notification from Government under section 10(23C)(iv) of the Income-tax Act, 1961 which has hitherto granted upto assessment year 1987-88.

(3) Previous year figures have been regrouped wherever considered necessary.

As per our Report of even date attached.

A. K. MAJUMDAR, Secretary — N. P. SARDA, President

M. R. VENKATARAMAN, Chartered Accountant, New Delhi, Dated : 30th August, 1993

C. P. MEHRA, Chartered Accountant

DEVENDRA KUMAR, Deputy Secretary

B. P. RAO, Vice-President

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1993

	SCHEDULE	1992-93 Rs.	1991-92 Rs.
I. INCOME	G		
(a) Members		49,821,391	43,081,003
(b) Students		77,528,188	46,860,783
TOTAL		127,349,579	89,941,786
II. EXPENDITURE	H		
(a) Members		47,201,850	41,228,575
(b) Students		57,846,116	46,440,662
TOTAL		105,047,966	87,669,237
III. SURPLUS FOR THE YEAR			
(i) Transferred to Education Fund	C	9,841,037	210,060
(ii) Transferred to General Reserve	B	12,460,576	2,062,489
TOTAL		22,301,613	2,272,549
TOTAL		127,349,579	89,941,786

As per our Report of even date to attached

A. K. MAJUMDAR, Secretary — N. P. SARDA, President

M. R. VENKATARAMAN, Chartered Accountant — C. P. MEHRA, Chartered Accountant

New Delhi

Dated : 30th August, 1993

DEVENDRA KUMAR, Deputy Secretary — B. P. RAO, Vice-President

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'A'— A CAPITAL RESERVE

(Amount in Rupees)

Particulars	31-3-1993	31-3-1992
(A) General :		
Balance as per last account	32,808,963	29,439,854
Add : Admission Fees & Allocated Entrance Fee	1,313,400	1,095,000
Add : Donations for Buildings	3,041,151	2,285,702
Add : Profit on sale of Land (Trivandrum)	—	5,126
Add : Transferred from Other Reserves	500,000	
Less : Adjustments for Entrance fee due from members whose names removed	—	(16,719)
TOTAL (A) :	37,663,514	32,808,963
(B) Education :		
Balance as per last account	13,374,552	13,077,424
Add : Transferred from Education Fund	5,127,627	297,128
TOTAL (B) :	18,502,179	13,374,552
GRAND TOTAL (A)+(B)	56,165,693	46,183,515

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'B'—OTHER RESERVES

(Amount in Rupees)

Particulars	31-3-1993	31-3-1992
(A) General Reserve :		
Balance as per last account	19,829,784	17,698,707
Add : Surplus from Income and Expenditure Account	12,460,576	2,062,489
Add : Amount transferred from Other Reserve	67,968	122,763
Less : Amount transferred to Earmarked Funds	(82,193)	(54,175)
TOTAL (A)	32,276,135	19,829,784

Particulars	31-3-93	31-3-92
(B) Research Reserve :		
Balance as per last account	—	—
Add : Transferred from Earmarked Funds	661,111	—
Add : Donations received during the year	6,543,628	—
TOTAL (B)	7,204,739	—
(C) Others (For Regional Councils & Branches only)		
Balance as per last account	3,091,898	3,057,622
Add : Net Accretion/Adjustments during the year	203,268	157,039
Add : Amount transferred from Earmarked Funds	156,475	—
	3,451,641	3,214,661
Less : Amount transferred to Capital Reserve	(500,000)	—
Less : Amount transferred to General Reserve	(67,968)	(122,763)
TOTAL (C)	2,883,673	3,091,898
GRAND TOTAL (A)+(B)+(C)	42,364,547	22,921,682

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'C'—EARMARKED FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars	31-3-1993	31-3-1992
(1) Education Fund :		
Balance as per last account	—	75,653
Transferred from Income & Expenditure Account	9,841,037	210,060
Interest earned during the year	—	7,565
	9,841,037	293,278
Recovery of Loan Scholarship against old write off	1,580	3,850
	9,842,617	297,128
Transferred to Capital Reserve	(5,127,627)	(297,128)
TOTAL (A)	4,714,990	—
(2) Research Funds :		
Balance as per last account	1,898,875	
Additions during the year	20,000	
Income earned during the year	152,844	
	2,071,719	
Expenditure during the year	(8,833)	
Transferred to Research Reserve	(661,111)	
	1,401,775	1,898,875
(3) Medals & Prizes Fund :		
Balance as per last account	968,644	857,866
Additions during the year	46,000	100,000
Income earned during the year	101,452	99,944
Adjustments	(14,160)	
	1,101,936	1,057,810
Cost of Medals & Prizes awarded	(70,714)	(89,166)
	1,031,222	968,644
(4) Others Funds :		
Balance as per last account	3,425.308	3,388,781
Additions during the year	264,599	89,187
Transferred from General Reserve	82,193	54,175
Transferred to Other Reserves	(156,475)	—
Adjustments	(37,964)	(243,198)
Income earned during the year	277,850	196,194
	3,855,511	3,485,139
Expenditure during the year	(649,052)	(59,831)
	3,206,459	3,425,308
TOTAL (B)	5,639,456	6,292,827
GRAND TOTAL (A)+(B)	10,354,446	6,292,827

14—259 GI/93

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI]

SCHEDULE 'D'—FIXED ASSETS

(Amout in Rupees)

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost as at 1-4-1992	Adjustment/ Transfers	Additions during the year	Cost as at 31-3-1993	As at 1-4-1992	Adjustment/ Transfers	During the year	As at 31-3-1993	W.D.V. as at 31-3-1993	W.D.V. as at 31-3-1992
1. Land	3,938,133		9,060	3,947,193					3,947,193	3,938,133
2. Buildings	23,884,766	177,215	2,436,441	26,498,422	5,500,374		1,049,902	6,550,276	19,948,146	18,384,392
3. Electric Instaflations & Fittings	4,670,689	(1,187)	153,238	4,822,740	1,787,988	246	314,864	2,103,098	2,719,642	2,882,701
4. Air Conditioners	2,680,431		568,682	3,249,113	1,749,567		224,931	1,974,498	1,274,615	930,864
5. Furniture & Fixtures	8,271,121	(59,833)	870,454	9,081,742	3,723,909	(38,336)	539,546	4,225,119	4,856,623	4,547,212
6. Lifts	309,911			309,911	231,370		7,854	239,224	70,687	78,541
7. Office Equipments	4,374,398	(11,983)	656,463	5,018,878	2,168,155	(10,238)	425,244	2,583,161	2,456,717	2,206,243
8. Vehicles	397,869		51,591	449,468	161,187		57,683	218,870	230,590	236,682
9. Library Books	6,596,668	(50,386)	609,202	27,155,484	5,085,965	(61,896)	634,707	5,658,776	1,496,708	1,510,703
10. Computers	8,004,218	1	602,770	8,606,989	2,745,267	1	1,172,343	3,917,611	5,689,378	5,258,951
TOTAL	63,128,204	53,827	5,957,901	69,139,932	23,153,782	(110,223)	4,427,074	27,470,633	41,669,299	39,974,422
Previous year	52,872,951	(133,577)	10,388,830	63,128,204	18,897,239	(60,460)	4,317,003	23,153,782	39,974,422	

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'E'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

Earmarked Fund Investments	Fixed Deposits with Banks/Bonds/Units		Interest Accrued		Balance in Bank Accounts		Total	
	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992
1. Education Fund . .	4,713,410				1,580		4,714,990	
TOTAL (A) . .	4,713,410	—	—	—	1,580	—	4,714,990	—
2. Reserch Funds . .	1,244,804	1,824,804	92,720		64,251	74,071	1,401,775	1,898,875
3. Medals and Prizes Fund	963,471	789,668	21,320	42,931	46,431	136,045	1,031,222	968,644
4. Other Funds . .	2,868,285	3,105,901	140,711	126,292	197,463	193,115	3,206,459	3,425,308
TOTAL (B) . .	5,076,560	5,720,373	254,751	169,223	308,145	403,231	5,639,456	6,292,827
TOTAL (A)+(B) .	9,789,970	5,720,373	254,751	169,223	309,725	403,231	10,354,446	6,292,827

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'F'—NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars			31-3-1993			31-3-1992
Current Assets						
(a) Stock of Publications, Study Materials, Stationery and Paper			5,395,325			6,780.438
(b) Amounts Receivable :						
(i) Interest Accrued on Investments .	2,951,235			2,379,891		
(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans	2,042,766			1,794,475		
(iii) Security Deposits . . .	346,919			641,829		
(iv) Other Receivables . . .	3,800,482	9,141,402		1,800,243		6,616,438
(c) Loans & Advances :						
(i) Advances to Staff . . (Housing Vehicle & Other Loans)	8.057.372			7.948.431		
(ii) Bridge Loans for Branch Bldgs.	2.722,500			72,500		
(iii) Advances & Prepayments . .	3,417,743			3,126,300		
		14,197,615				11,147,231
(d) Cash & Bank Balances . . .		15,200,669				15.458,067
TOTAL . . .		43,935,011				40,002,174
Less : Current Liabilities Provisions :						
(a) Creditors for Expenses . . .		6,732,627				8,998,169
(b) Provision for Pension Fund . .		5,000,000				2.000,000
(c) Other Liabilities		4,591,795				3,090,952
TOTAL . . .		16,324,422				14,089,121
Net Current Assets		27,610,589				25,913,053

SCHEDULE '6G

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDIT URE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1993

(Amount in Rupees)

INCOME	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development Research			
	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992
1. Entrance Fee (Allocated)	387,000	315,900	387,000	31 ,900				
2. Membership Fee	34,633,044	33,568,531	34,633,044	33,568,531				
3. Students' Registration Fee	1,753,535	1,740,360					1,753,535	1,740,360
4. Students' Association Fee	355,375	361,850					355,375	361,850
5. Coaching Fee	46,699,090	19,061,819					4,699,090	19,061,819
6. Examination Fee	19,685,644	18,989,433			22,205	20,000	19,663,439	18,969,433
7 Journal & News Letters	1,770,943	1,883,179			989,700	917,870	781,243	965,309
8. Sale of Publications	5,223,836	4,571,136		25,815	1,419,299	1,186,425	43,804,537	3,358,896
9. Nomination Fee for Election		105,000		105,000				
10. Computer Centres' Income	1,758,539	1,527,272			1,318,905	1,145,454	439,634	381,818
11. Seminars' Income	5,730,515	3,097,712			5,730,515	3,097,712		
12. Other Incomes	2,364,073	1,529,362	2,110	8,652	1.5044,016	632,722	1,317,947	887,988
13. Provisions no longer required written back	1,584,159		302,762		569,650		711,747	
SUB -TOTAL	121,945,753	86,751,554	35,324,916	34,023,898	11,094,290	7,000,183	75,526,547	45,727,473
14. Interest on Investments	5,157,702	3,190,232	2,382,465	1,330,408	903,300	726,514	1,871,937	1,133,310
SUB-TOTAL	127,103 455	89,941,786	37,707,381	35,354,306	11,997,590	7,726,697	77,398,484	46,860,783
15. Prior Period Income	246,124		2,067		114,353		129,704	
TOTAL	127,349,579	89,941,786	37,709,448	35,354,306	12,111,943	7,726,697	77,528,188	46,860,783

SCHEDULE 'H'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1993

(Amount in Rupees)

EXPENDITURE	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992	31-3-1993	31-3-1992
1. Salaries & Staff Expenses	35,411,704	30,930,993	10,777,732	9,544,596	5,051,795	3,994,881	19,582,177	17,391,516
2. Printing & Stationery	2,822,188	2,180,994	1,080,027	915,966	543,240	464,583	1,198,921	800,445
3. Publications	2,896,142	2,598,701	467,575	654,438	874,449	816,280	1,554,118	1,127,938
4. Journal & News Letters	6,704,945	6,556,419			5,363,956	5,245,135	1,340,989	1,311,284
5. Coaching&Expenses	10,191,862	5,428,166					10,191,862	5,428,166
6. Examinations&Expenses	13,161,283	11,440,288					13,161,283	11,420,288
7. Postage,&Telephones & Telegrams	3,348,898	2,778,172	1,339,559	1,111,269	334,890	277,817	1,674,449	1,389,086
8. Rent, Rates & Taxes	3,528,623	3,360,565	1,411,449	1,344,226	352,862	336,056	1,764,312	1,680,283
9. Repairs & Maintenance	1,734,320	882,602	693,728	353,041	173,432	88,260	867,160	441,301
10. Travelling & Conveyance								
(a) Council&Members	3,660,623	2,770,875	897,322	626,819	1,788,607	1,383,850	974,694	760,206
(b) Staff & Others	2,143,131	1,903,459	895,870	81 ,851	244,147	204,841	1,003,114	882,767
11. Library&Maintenance	220,112	271,119			55,028	67,780	165,084	203,339
12. Overseas & Relations	3,318,557	1,881,341			3,318,557	1,881,341		
13. Professional&Fees	662,621	711,430	207,385	208,100	342,027	419,460	113,209	83,870
14. Elections		1,861,970		1,861,970				
15. Grants & Fees to Stds. Assns.	129,450						129,450	
16. Computer&Centres' Expenses	640,381	542,955			480,286	488,660	160,095	54,295
17. Seminars' Expenses	6,274,186	3,886,871			6,274,186	3,835,094		51,777
18. Other Expenditures	2,988,234	2,988,107	691,570	1,205,361	1,065,816	924,354	1,230,848	858,392
19. Depreciation	4,427,074	4,317,003	1,770,830	1,726,801	442,207	431,700	2,213,537	2,158,502
SUB-TOTAL	104,264,334	87,292,030	20,233,047	20,368,483	26,705,485	20,860,092	57,325,302	46,063,455
20. Prior Period Expenditure	783,632	377,207	56,328		206,490		520,814	377,207
TOTAL	105,047,966	87,669,237	20,289,375	20,368,483	26,911,975	20,860,092	57,846,116	46,440,662

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1993

(Rupees in lakhs)

	1992-93	1991-92
SOURCES OF FUNDS :		
Net Income from Investments	51.58	31 94
Capital Receipts	111.84	43.01
Realisation of investments		14.17
Fees/Income Received in Advance	117.12	70.37
SUB-TOTAL	280.54	159.49
Operational Surplus	215.71	37.73
TOTAL	496.25	197.22
APPLICATION OF FUNDS :		
Increase in working capital	16.98	38. 67
Acquisition of Fixed Assets	171.70	133.01
Clearance of Secured Loan		25.54
Acquisition of Investments	307.57	
TOTAL	496.25	197.22

STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1992-93	1991-92
CURRENT ASSETS :		
(a) Publications, Papers, Study Materials & Stationery etc.	(13.85)	12.44
(b) Amount Receivable :		
(i) Interest accrued on Investments	5.71	3·74
(ii) Interest on housing loans etc.	2.48	1.97
(iii) Security Deposits	(2.95)	1.17
(iv) Others	20.01	8.86
(c) Loans & Advances :		
(i) Advance to staff	1.09	12.37
(ii) Bridge Loan for Branch Bldgs.	26.50	
(iii) Advances & Prepayments	2.92	(3.51)
(d) Cash & Bank Balances	(2.57)	42.15
TOTAL	39.34	79.19
CURRENT LIABILITIES :		
(a) Creditors for expenses	(22.65)	17.93
(b) Other Liabilities	15.01	2.59
(c) Provision for Pension Fund	30.00	20.00
TOTAL :	22.36	40.52
Net Increase in Working Capital	16.98	38.67

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 016, the 10th September 1993

No. CWR(1)/93.—Whereas the draft regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 were published as required by sub-section (3) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 3rd April, 1993 under the Order of the Institute of Cost and Works Accountants of India, No. CWR (1)/92/3/93, dated 9th March, 1993 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days of the date on which copies of the said Order as published in the Gazette of India were made available to the public.

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th April, 1993;

And whereas the objections and suggestions received have been considered by the Council;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Council with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959—

(a) for regulation 20, the following regulation shall be substituted namely :-

"20. Conditions of Registration :—Every person applying for registration as a Registered Student shall be required to apply in Form 1 and produce evidence to the satisfaction of the Council that he possesses one of the following qualifications :-

(a) He has passed the Foundation Course Examination prescribed under these regulations.

(b) He has been conferred a degree from any University or equivalent".

(b) for regulations 20A to 20C, the following regulations shall be substituted, namely :—

20A. Admission to the Foundation Course Examination : Every person applying for admission to the Foundation Course Examination shall be required to apply in the form prescribed by the Council for the purpose and produce evidence to the satisfication of the Council that he has—

(a) Completed seventeen years of age on the date of his application; and

(b) Passed the Senior Secondary School Examination under the 10+2 scheme of a recognised Board or an Examination recognised by the Central Government as equivalent thereto or has passed the National Diploma in Commerce Examination held by the All India Council of Technical Education or any State Board of Technical Education under the authority of the said All India Council, or the Diploma in Rural Service Examination conducted by the National Council of Rural Higher Education.

20B. Fee, papers and syllabus for Foundation Course Examination—No candidate shall be admitted to the Foundation Course Examination unless he applies in the prescribed form along with a fee of Rupees One Hundred Twenty-five only or such fee as may be fixed by the Council from time to time and is otherwise eligible for the examination and then he shall be examined in the following subjects :-

FOUNDATION COURSE

Paper 1 : Business Fundamentals and Economics : (100 marks)

Section 1 : Business Fundamentals : (50 marks)

Aim : To introduce the candidate to the world of business and to acquaint him with the basic principles of Economics and Commercial practices.

Level of knowledge : Basic Knowledge.

1. Type of business units : Sole proprietorship, partnership, companies, Co-operatives, Hindu Undivided Family, Joint Stock Companies : Public utility services and State Enterprises.

2. Company Organization and Management :

Type of companies : their formation, incorporation and commencement of business, Memorandum of Association and Artcles of Association, Prospectus, shares and debentures, Board of Directors and statutory and general meetings.

3. Business objectives, concept and ratonale of social responsibility, business and its environments, interface with legal, political, economic, social and cultural aspects.

4. Working systems of Stock Exchange :

Dealers and brokers, transactions, economic significance, conditions of membership, stock exchange.

5. Business Communication and Report writing :

Preparation of telegraphic message, public notices and invitations, circulars, drafting of advertisements, filing of complaints, letter writing.

Section 2 : Economics (50 marks)

1. Definition, scope and subject matter of Economics—a few fundamental concepts like utility, wealth, fectors of production demand and supply, equilibrium, Land and the laws of diminishing returns.

2. Labour and population theories, definition of capital and growth of capital, steps in capital formation.

3. Market Forms—Value under perfect competition, value under imperfect competion.

4. National income-Gross National product, Net National Product, measurement of National income, difficultics and significance of National income analysis, economic growth and fluctuations, consumption Savings and investments.

Distribution—Income determination and equilibrium relating to rent, wages, interest and profit.

5. Money—Definition and functions of money. Quantity theory of money, inflation, effects of inflation on production and distribution of wealth, control of inflation, money supply, liquidity preference and managerial efficiency, rate of interest and investment. Banking—definition, functions and utility of banking, the principles of commercial banking, multiple credit creation, essentials of a sound banking system, Central bank—Functions weapons of credit control and the money market.

6. International Trade : basic features of import-export.

7. National and International Financial Institutions like Industrial Finance Corporation of India (IFCI), Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI), Industrial Development Bank of India (IDBI). Export-Import Bank (EXIM), ASIAN DEVELOPMINT BANK, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) :

8. The theory of employment—Types of unemployment, concepts of full employment and how it can be achieved.

9. Public Finance—Direct and Indirect Taxes, Canons of Taxation, effects of Taxation on production and distribution, Taxable capacity, deficit financing, Economic systems.

Paper 2: Management and Organisation : (100 marks)

Aim : To provide working knowledge on various concepts and functions of management and organisation to the extent necessary to the work of a Cost and Management Accountant

Level of knowledge : Basic knowledge.

Section 1 : Management (50 marks)

1. Definition of Management: Different schools of management process and functions of management, principles of management. Evolution of management thoughts, Recent trends. Management as a profession.

2. The process of management covering planning, organising, staffing, directing, motivating, communicating and controlling.

3. Pattern of Management : Broad policies and functions, structural pattern of the Board of Directors, Delegation of power.

4. Public Sector management, concept of public sector, social objectives.

Section 2 : Organisation (50 marks)

1. Nature of internal organisation of business enterprise, formal and informal organisation, principles of organisation, (i) Grouping of activities (a) typical pattern of grouping by-product, services, location, customers, processes, functions and time (b) criteria for grouping activities—specialisation, control, co-ordination, attention, economy, creating a network of relationship to determining the authority, delegation, chain of command, authority and responsibility, decentralisation, span of control, (ii) level of authority-staff. Kind of staff, nature of staff work, advisory services and control, line and staff relations (iii) internal relations-committees and their roles.

2. Concepts and features : Schools of organisation theory—classical behavioural and systems. Recent trends and approaches, behaviour in organisation, nature, features, foundations and the role of behavioural science. Behaviour process in organisation.

Paper 3 : Basic Mathematics and Statistics : (100 marks)

Aim : To ensure a basic understanding of quantitative tools and their elementary application to business problems.

Level of knowledge : Basic Knowledge

Arithmetic :

Averages, mixtures, computation of interest, discounting of bills, percentages, ratios and proportions.

Algebra :

(a) Number systems—real, imaginary, rational and irrational.

(b) Elementary knowledge of sets and the operations on them. Simple applications and solution by the use of Venn diagram. Truth table and its applications to statements.

(c) Indices and surds, variation, logarithms, permutations and combinations, compound interest.

(d) Solution of system of linear simultaneous equations (3 variables only). Quadratic equations, solution of linear inequalities (by graphical method only).

Mensuration :

Area and perimeter of triangles, circles, parallelogram, regular polygon, volume and surface of cube, prism, cylinder, pyramid, core, fustrums and spheres (including zone and segments).

Plain Co-ordinate Geometry (Rectangular cartesian coordinates only). Length of a line segment, section ratio, gradiant of a line, equations of straight line, circles, paraboloasm. Ellipse and hyperbolas (sandard forms only).

Elementary Statistics :

Graphical presentation of statistical data, frequency distribution, measures of central tendency (mean, median, mode), measures of dispersion (range, mean deviation, standard variance), measures of skewness and kurtosis.

Paper 4 : Commercial Laws : (100 marks)

Aim : To ensure a grasp of fundamental business laws required for the functioning of a Cost and Management Accountant.

Level of knowledge : Basic knowledge.

1. The Contract Act, 1872 (9 of 1872)—nature of Contract, contractual terms, remedies for breach and elements of contracts.

2. The Partnership Act, 1932 (9 of 1932)—General Concepts.

3. The Sale of Goods Act, 1930 (3 of 1930)—General concepts.

4. The Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881)—General concepts.

20C. Foundation Course Examination :

(1) A candidate shall be declared to have passed in the Foundation Course Examination if he obtains at one sitting a minimum of 40 per cent of the total marks in each paper and an aggregate of 50 per cent of the total marks of all papers in that examination. The Council may, however, vary the minimum pass marks at its discretion for any or all the examinations.

(2) A list of successful candidates in an examination shall be published in the Journal of the Institute in such manner as the Council may direct. Each candidate shall be individually informed of his resut and also of the marks obtained by him in the paper or papers of the examination in which he appeared. No certificate of pass except marksheet will be issued to a candidate passing the Foundation Course Examination.

(3) Except as otherwise specifically provided in the foregoing regulations, the provisions regarding conduct of examinations in regulations 36 to 43 shall, so far as may be, apply to the Foundation Course Examination.

(4) The first Foundation Course Examination shall be held in June 1994.

(c) For regulation 25A, the following regulation shall be substituted, namely :—

"25A. Registration denovo—A person whose registration has been cancelled under regulation 25 may apply in Form I alongwith the required fee to become a Registered Student denovo and on his application being granted, he shall be deemed for all purposes to have been admitted and he shall be entitled to the exemption from individual subjects/stages of the Intermediate or Final Examination, as the case may be previously secured by him under his former registration." :

(d) for regulation 30, the following regulation shall be substituted, namely :—

"30. Admission to and fees for Intermediate Examination

(1) No candidate shall be admitted to the Intermediate Examination unless he is a Registered Student of the Institute and has paid all his dues at least sixty days prior to the commencement of the examination :

Provided that a candidate registered as a student shall not be admitted to any stage or stages (Group or Groups under old syllabus) of the Intermediate Examination as provided in regulation 31, unless he has produced a certificate from the Director of Studies or the Head of the Coaching Administration, by whatever name designated, or from the head of the institution recognised by the Council in this behalf duly approved by the Director of Studies or the Head of the Coaching Administration, as the case may be, to the effect that he has undergone satisfactorily a course or postal or oral tuition for the said Stage or Stages (Group or Groups under old syllabus) of the Intermediate Examination as provided in regulation 31.

Provided further that the Examination Committee may on receipt or being in possession, of any information against any candidate regarding guilty of misconduct in using unfair means during the examination or misbehaving in any manner in examination hall decline to admit him to any examination after giving him an opportunity to explain his conduct and after holding such enquiry for the purpose as it may consider necessary.

(2) In the Intermediate Examination a candidate can appear in Stage I (Group I under old syllabus) or Stage II (Group II under old syllabus) or both if he has completed coaching as mentioned in sub-regulation (1).

(3) Every candidates for admission to the Intermediate Examination shall pay an Examination fee at the rate of Rupees One Hundred sixty only per stage or Group (old syllabus) and Rupees three hundred twenty only for both the stages or Groups (old syllabus) or such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(e) for regulation 31, the following regulation shall be substituted, namely :

"31. Stages, Papers and Syllabus for the Intermediate Examination under the revised syllabus—(1) The first Intermediate Examination under the revised syllabus after the commencement of Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 1993 shall be held in December, 1994. Students registered on or after 1st July, 1994 shall, and students registered prior to 1st July, 1994, who may so opt., shall be examined under the revised syllabus and all other, students registered prior to 1st July, 1994 who are candidates for the Intermediate Examination to be held from December, 1996, shall also be examined under the revised syllabus. The Groups, papers and syllabus for the Intermediate Examination under old syllabus shall be the same as mentioned in this regulation before the date of commencement of the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 1993. The last Intermediate Examination under the old syllabus shall be held in June, 1996.

(2) The stages, papers and syllabus for the Intermediate Examination under the Revised syllabus shall be as follows :

INTERMEDIATE EXAMINATION—STAGE I AND II

Stage I : Paper 1 : Financial Accounting : (100 marks)

Aim : To examine candidate's ability for application of accounting principles in different situation.

Level of knowledge : Adequate.

1. Basic concepts of book-keeping and accountancy—Definition of accounting and its usefulness, book-keeping and accounting, its principles and practices, classification of accounts.

2. (a) System of book-keeping : Double Entry System, books of prime entry, subsidiary books, recording of cash and bank transactions, preparation of ledger accounts, preparation of trial balance interpretation and usefulness;

(b) Bank Reconciliation Statements—Need for reconciliation : Procedure for reconciliation between cash book and bank pass book and problems relating to the preparation of bank reconciliation statements.

3. Bill of Exchange—Definition, promissory note and bill of exchange, bills receivable, bills payable, drawing, accepting, renewal and retirement of bills, accommodation bills.

4. Concept of Capital : revenue and deferred revenue expenditure, opening entries, closing entries, adjustment entries and rectification entries. Trading, Manufacturing and Profit and Loss Account and Balance Sheet. Bad Debts and reserve for bad debts—its accounting treatment. Depreciation—its significance and accounting treatment.

5. Concept of single entry of accounting vis-a-vis double entry system of accounting, their interrelationship and conversion from single entry system to double entry system. Preparation of receipts and payments accounts and income and expenditure account. Significance of reserve and provisions. Preparation of profit and loss account and balance sheet.

6. Joint Venture and consignment Accounts. Partnership Accounts, admission, retirement and death of partner, dissolution of partnership, piecemeal distribution of assets.

7. Joint Stock Company Accounts—Issue, forfeiture and redemption of shares and debentures, profits prior to incorporation and company Profit and Loss Account and Balance Sheet as per provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Stage I : Paper 2 : Cost Accounting (100 marks)

Aim : To provide in depth knowledge of the various components of cost and their ascertainment and treatment.

Level of knowledge : Through understanding.

1. Introduction : Evolution of cost accounting and Management Accounting, Cost concepts and cost object, cost classification, cost organisation and its relationship with other departments.

2. Elements of cost and cost determination (i) Material cost—purchase procedure, store keeping and stock control, pricing issue of material and accounting thereof, identification of slow, non-moving and fast moving item, ABC analysis, policies relating to insurance spares, level of inventories and economic order quality. Analysis, investigation and corrective steps for treatment of stock discrepancies—control through other means.

(ii) Labour costs—remuneration methods, monetary and non-monetary incentive schemes, payroll procedures, labour analysis and idle time, measurement of labour efficiency and productivity, analysis of non-productive time and their cost, labour turnover and remedial measures, treatment of idle time and overtime.

(iii) Direct expenses—nature, collection and classification of Direct Expenses and its treatment.

(iv) Overhead : nature, collection and classification.

(a) Production overheads—distribution, appropriation, absorption by products, use of predetermined recovery rates, treatment of under and over-absorption, report for control of overhead cost.

(b) Administration, selling and distribution overheads—analysis, accounting and control, treatment of miscellaneous items in cost accounting.

3. Cost Accounting records : Cost ledgers, reconciliation of cost and financial accounts and integrated accounts, basis of computerisation of accounts.

4. Methods of Costing :

(i) Specific order costing—job, batch and contract, Determination of cost accounting in job, batch and contract, valuation of work in progress in job costing, features of contract cost, certification of work done, profit on incompleted contracts, cost plus contracts.

(ii) Operation costing—process and services.

Process costing—treatment of normal and abnormal losses and gains, valuation of Work-in-Progress using First-in-First-out and average methods (equivalent production), interprocess transfer and pricing, concepts, accounting for joint products, by-products, waste, scrap, spoilage and defectives.

5. Service or operating costing : Unit costing and multiple costing, application, identification of cost unit and cost determination and control.

6. Techniques of costing :

(a) Marginal costing : Basic concepts, marginal costing and absorption costing, Cost-Volume-Profit analysis, break-even analysis, limitations of Break Even (BE) analysis, differential cost analysis and relevant cost analysis, applications for management decision making (simple types).

(b) Budgetary control : Basic concepts, functional budgets, master budget, flexible budgets.

(c) Standard costing : Concepts and uses setting of standard cost accounting methods, computation of simple variances relating to material, labour and overheads, relationship of standard costing and budgetary controls.

Stage I : Paper 3 : Corporate Laws and Secretarial Practice (100 marks)

Aim : Undertaking of the basic concepts and legal principles governing the business.

Level of knowledge : Thorough understanding :

Section I : Corporate Laws (50 marks)

The Companies Act 1956 (1 of 1956)

Definition : fundamental matters and general framework of documents, meetings and proceedings, management of a company operations, mismanagement and arrangements, concept of capital, classification of shares and debentures, borrowing of a company, accounts and audit of a company,

classification and appointment of an auditor, the powers of Central Government, direct special audit, cost accounting records and cost audit, auditor's report and explanation, preparation and presentation of accounts of government companies and statutory corporations.

The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969)—The Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, unfair and restrictive trade practices.

The Industrial (Developments and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951)—Development Councils, licensing for new industrial undertakings, taking over management or control by the Central Government.

The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) : Powers of Central Government to control, effect seizure and confiscation.

The Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973)—General Concepts.

The Sick-Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) and provisions relating to Board for Industrial and Financial Reconstruction—General Concepts.

The Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948)—The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (10 of 1952), the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)—General Concepts.

Section II : Secretarial Practice (50 marks)

Definition of Secretary, his position and importance of the organisation, Directors—their qualifications and disqualifications, powers, duties and liabilities.

Meeting : Kinds of company meetings, meeting of the shareholders, statutory and annual general meetings, requisitions and other general meetings.

Preparation of notices, agenda, quorum, proxy, voting, motion, amendments, resolution, adjournment and postponement, explanatory statements and minutes, matters relating to ordinary resolution, special resolution, special notice, preservation and maintenance of registers and books, submission of returns to the Registrars of Companies to all for information and inspection procedures ascertaining profits and dividends and declare of the same to various types of shareholders including mode of payment to residents and non-residents.

Stage I : Paper 4 : Direct Taxation (100 marks)

Aim : To provide in-depth knowledge of tax laws and their impact on management decision and more particularly to emphasise the role of the tax factors in the use of management accounting techniques.

Level of knowledge : Expert.

(i) Direct Tax Laws—A comprehensive study of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), case laws governing capital and revenue expenditure, deemed income residence concept.

Special problems centering on the concept of assessees, registered firm, Hindu Undivided Family, Association of persons and trust-minors, Non-resident Indians and avoidance of double taxation.

Problems covering heads of income : Salaries, perquisites, gratuity and retirement benefits, income from house property, capital gains, income from other sources, income from business and profession, problems arising from aggregation of income and carry forward of losses.

(ii) Tax Audit

(iii) Tax Administration : Appeals, revisions, review, rectification and application to Central Board of Direct Taxes.

(iv) Acquisition proceedings : Principles of valuation, movable and immovable property.

(v) Direct Tax Planning : Tax implications in planning, the legal status of business unit, firm, private limited company and public limited company.

Tax implication in (a) receiving foreign collaboration, (b) giving collaboration abroad, subsidiaries outright sale of know-how, equity participation.

Tax aspects of mergers and amalgamations.

New industrial establishment and tax planning.

Tax considerations arising with regard to specific management decisions such as (i) make or buy; (ii) own or lease; (iii) retain or replace; (iv) repair or scrap or return; (v) export versus local sale; (vi) shut down or continue; (vii) expand or contract and (viii) new capital investment.

Tax incentives and export promotions.

Capital gains and tax planning.

Tax aspects of investments.

Tax implications in developing capitalisation structure (a) short term loans : (b) deposits from public; (c) term loans; (d) bonus issues : and (e) dividend policy.

Taxation of a company in which public are not substantially interested.

Stage II : Paper 5 : Cost and Management Accounting : (100 marks) Aim : Understanding on costing and management accounting techniques that could be utilised for decision making and control.

Level of knowledge : Through understanding.

1. Introduction : Management process and accounting. Management accounting as an extension of cost accounting to serve managerial needs. Managerial Planning and control, scope and role of management accounting, installation and operation of cost.

2. Financial analysis and control : uses of ratios for analysis of financial results—limitations of conventional accounting statement for analysis of the operating results of public enterprises in India, Utility of value-added statement and contribution approach—funds flow and cash flow analysis.

3. Capital structure : Types and sources of capital including internal source—cost of capital—selecting a desired combination of different components leverage of gearing consideration.

4. Management of liquidity and working capital : Liquiditiy and profitability relationship, concepts of working capital, need for working capital, management forcasting of working capital. The concepts and use of operating cycle management of inventory, debtors, cash and creditors.

5. Capital budgeting decisions : Objectives and problems, replacement decision, new investments, criteria used, pay back method, Discounted Cash Flow methods, effect of taxation, role of cost of capital—capital rationing—decisions under conditions of risk and uncertainty.

6. Cost analysis for decision making : Determining cost behaviour learning curve theory—relevant cots for decision—irrelevance of past cost. Decision on pricing, optimum product mix, make or buy, lease or buy, shut down, etc. Introduction to decision models and uncertainty.

7. Management control tools : Budgeting and standard costing—advanced cost and sales variances—profit variances—analysis, investigation and disposition of variances—management by exceptions—responsibility accounting—perfomance budgeting and zero-base budgeting—hebavioural aspect in budgeting and standard costing.

8. Uniform costing : Inter-firm comparison.

9. Cost reductions—concepts and techniques including value analysis.

10. Performance appraisal of public enterprises.

Stage II : Paper 6 : Auditing (100 marks)

Aim : To provide an in depth study of the techniques and methods of planning audit assignments with special emphasis on internal Auditing.

Level of Knowledge : Expert.

Section I : Principles of Auditing (50 marks)

1. Evolution of auditing—major influences of Auditing—nature and scope of Auditing—Basic concepts of Auditing—Role of Evidence in Auditing.

2. Auditing Techniques and Practices—Generally accepted auditing standards—the concept of Materiality in Auditing.

3. Verification of Assets and Liabilities, Fixed Assets, Investments, Inventories, Debtors, Loans and Advances, Cash and Bank balance, Debentures and Creditors, Provisions for Taxation, proposed Dividend and Gratuity—other items in the Balance Sheet, Verification of items in the Profit and Loss Account—Contingent Liabilities—Disclosure of accounting policies, practice. Expenditure during the period of construction. Adjustments for previous year. Provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) regarding accounts.

4. Nature of Internal Control Evaluation and Audit of Internal Control—Internal Control Questionnaires—Flow Charts—Systems Audit, Internal Control.

5. Auditing—in depth—statistical sampling in Auditing.

6. Use of ratios and percentages for comparisions and analysis of trends—interfirm and intra-firm comparison.

7. Appointment of statutory Auditors—remuneration, removal, Rights of Statutory Auditors, Duties of Statutory Auditors, Joint Auditors, Branch Audits.

8. Audit Report—Report versus Certificate, contents of the Reports—Qualifications in the Report.

9. Divisible Profits—relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

10. Interface between statutory Auditor and Internal Auditor.

Section II : Internal Auditing (50 marks)

1. Nature and scope of Internal Auditing—Financial versus operational Audit—Concepts of Efficiency Audit, Propriety Audit. Voucher Audit, compliance Audit, Pre and Post Audit.

2. Impact of the Manufacturing and other Companies (Auditors' Report) Order, 1988 on the Internal Auditing functions.

3. Organisation of the Internal Auditing function—Selection and Training of Staff—assignment of audit projects—Organisational status of the internal Auditing functions—Scope for Audit Committees.

4. Planning the Internal Audit Project : Familiarisation—Preparing check list, Internal Control Questionnaires, Audit Programmes.

5. Verification of Evidence—Detailed checking versus sampling plans, statistical sampling as used in Internal Auditing.

6. Flow Chart Techniques.

7. Internal control—Nature and scope, Internal Auditor and Internal Controls.

8. Field Work : Collecting Evidences—Interviews—Memoranda.

9. Audit Notes and Working papers.

10. Audit Reports—Techniques of Effective reporting. Fellow up of Audit Report.

11. Summary Reports to Top Managements.

12. Communications in Internal Auditing—improving auditor—audiee relationship.

13. Auditing the operations of an enterprise—such as accounting and finance, inventory control, procurement, production, marketing, maintenance, personnel, branches and depots, Research and Development.

14. Internal Auditor and the Investigation of frauds.

15. Auditing the Internal Auditing Function.

Stage II : Paper 7 : Indirect Taxation (100 marks)

Aim : To provide in depth knowledge of indirect tax laws and their impact on management decision and more particularly to emphasise the role of the tax factors in the use of management accounting techniques.

Level of knowledge : Expert.

Indirect Tax Laws and Relevant Procedures.

1. (i) The Central Excise including Modified Value Added Tax :
   (ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956);
   (iii) The Customs Act, 1962 (52 of 1962), and
   (iv) Excise Audit.

2. The Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), The Central Excise (Valuation) Rules, 1975, The Central Excise Rules, 1944 and Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1971. Familiarity with the Schedule of the Central Excise Tariff Act, 1985, (5 of 1986), licensing procedure, Statutory forms of Returns and Registers (Central Excise Series) and case law relating to determination of Manufacturing expenses.

3. Procedure for the levy and collection of Central Excise Duties for different Industrial Sections viz. (i) Physical control; (ii) Records based control; (iii) Production based control; and (iv) Compounded levy scheme.

4. Adjudication and appellate procedures, offences and penalties, provisions relating to import and export of goods, certification with reference to valuation, consumption, stock and MODVAT. Procedure relating to transportation and warehousing.

5. Tax Planning in the area of Indirect Taxes.

Stage II : Paper 8 : Quantitative Methods (100 marks)

Aim : To provide adequate knowledge for application of economic and quantitative methods in business situations.

Level of knowledge : Adequate.

Section I : Mathematical Techniques (40 marks)

(i) Algebra of vectors and matrices and determinants: Addition, substraction, multiplication and inversion of vectors and matrices, solution of systems of linear equations with the help of matrix algebra.

(ii) Calculus : Variables, constances and functions—graphs of functions—limits of algebraic functions simple differentiation of algebraic function—meaning of derivatives—evaluation of first and second order derivatives—partial differentiation-solution of problems involving maxima and minima of algebraic functions.

(iii) Integration (by substitution and by parts) : Determining indefinite and definite integrals for simple functions—application of integration to evaluate areas and volume of solids and revolution.

(iv) Optimisation of functions under constraints, Linear programming and simplex method of solution.

Section II : Statistical Techniques : (40 marks)

(i) Probabilities : Meaning and definition of probability, mutually exclusive and collectively exhausting events, repeated trials, combinatorial analysis. Addition and multiplication rules, Bayes theorem and its application.

(ii) Population and samples : Sampling methods, uses of random numbers, simulated sampling, concept of sampling distribution and standard errors, confidence intervals for means and percentages, testing hypothesis and uses of z, t, x^2 tests.

(iii) Decision making under risks and uncertainty, Decision Tree Analysis.

(iv) Simple regression and correlation.

Section III : Economic Techniques (20 marks)

(i) Demand Analysis : The basis of demand, market demand function, industry demand versus firm's demand. The demand curve. Relation between demand function and demand curve. Change and shift in demand. Demand relation and managerial

decisions. Theory of consumer behaviour. Substitution and income effects. Price, income and cross elasticities of demand, other demand elasticities. Time impact on elasticity. Price elasticity for derived products. Revenue concepts. Demand estimation.

(ii) Forecasting : Forecasting methodologies. Time series analysis, Trend projection. Barometric or leading indicator method. Index number analysis—composite and diffusion indices. Econometric models, curve fitting and least square methods, Correlation and regression analysis, multiple and partial correlation—input-output analysis, Forecasting with input-output tables, criteria for forcasting demand for existing and new products.

(iii) Empirical production function analysis, empirical cost analysis short and long-run cost estimation, factor demand, joint product and multiproduct firm, uncertainty in production function, profit planning under risk and uncertainty."

(f) for regulation 32, the following regulation shall be substituted, namely :—

"32. Exemption from the subjects for appearing in Intermediate examination :—(1) In the case of candidates registered as students on or after 1st July 1994, the Council shall decide the individual subjects from which exemption may be granted to students who have passed such examination of any University or on reciprocal basis of such professional Institutes/Bodies in India or abroad, as may be recognised by the Council in this behalf.

(2) The Council shall also decide the individual subjects/stages of the Intermediate Examination from which a candidate who is admitted as a fresh Registered Student under regulation 25A, shall be exempted on the basis of exemption from individual subjects/stages previously secured by him under his former registration.

(3) As a transitional measure the following exemptions will be allowed :

Any candidate who is registered prior to 1st July 1994 and yet to pass the Intermediate Examination but who has passed or obtained exemption from any of the following papers of Intermediate examination under old syllabus shall be exempted from the corresponding papers of Intermediate examination under revised syllabus as indicated below :

Papers of Intermediate Examination under Old Syllabus			Corresponding equivalent papers of Intermediate Examination under revised syllabus		
Group	Paper No.	Name of Paper	Stage	Paper No.	Name of Paper
I	2	Business Mathematics and Statistics	II	3	Quantitative Methods
I	3	Business and Economic Laws	I	3	Corporate Laws and Secretarial Practice
I	4	Book-Keeping and Accountancy	I	1	Financial Accounting
II	1	Cost Accountancy-Prime Cost and Overheads	I	2	Cost Accounting
II	2	Cost and Management Accountancy Methods and Techniques	II	5	Cost and Management Accounting

(4) A candidate who has passed Intermediate examination under the old syllabus shall not be required to pass the Intermediate examination under the revised syllabus.

A candidate who has obtained exemption or obtained the benefit of carry forward of marks in any of the above papers of Intermediate examination under old syllabus shall be entitled to exemption only in the corresponding equivalent papers of Intermediate Examination under the revised syllabus. However, the benefit of carry forward of marks by "virtue of the result of any examination under old syllabus shall not be available in any paper of Intermediate Examination under the revised syllabus."

(g) for regulation 33, the following regulation shall be substituted, namely :—

"33. *Admission to and fees for Final Examination*—(1) No candidate shall be admitted to the Final Examination unless he is a Registered Student and has passed the Intermediate Examination of the Institute or of the *dissolved* company and unless he has paid all his dues at least sixty days prior to the commencement of the examination :

Provided that a candidate shall not be admitted to any Stage or Stages (Group or Groups under old syllabus) of the Final Examination as provided in regulation 34, unless he has produced a certificate from the Director of Studies or the Head of the Coaching Administration or from the Head of the Institution recognised by the Council in this behalf, duly approved by the Director of Studies or the Head of the Coaching Administration, as the case may be, to the effect that subsequent to his passing the Intermediate Examination, he has satisfactorily undergone a course of postal or oral tution for the said Stage or Stages (Group or Groups under old syllabus) of the Final Examination as Provided in regulation 34.

(2) In the Final Examination a candidate can appear in Stage III (Group I under old syllabus) or Stage IV (Group II under old syllabus) or both if he has completed coaching as mentioned in sub-regulation (1).

(3) Every candidate for admission to the Final Examination shall pay an Examination Fee at the rate of Rupees Two Hundred Forty only per Stage or Group (old syllabus) and Rupees Four Hundred Eighty only for both the Stages or Group (old syllabus) or such fees as may be fixed by the Council from time to time."

(h) for regulation 34, the following regulation shall be substituted namely :—

"34. *Groups, Papers and Syllabus for the Final Examination under the revised syllabus*—

(1) The first Final Examination under the revised syllabus after the commencement of the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 1993 shall be held in December, 1994. Students who may pass the Intermediate Examination to be held in June, 1994 or later shall, and students who have passed the Intermediate Examination prior to June, 1994, who may so opt, shall and all other students appearing at the Final Examination to be held from December, 1996 shall be examined under the revised syllabus. The groups, papers and syllabus for the Final Examination under old syllabus shall be the same as mentioned in this regulation before the

date of commencement of the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 1993. The last Final Examination under the old syllabus shall be held in June, 1996.

(2) The stages, papers and syllabus for Final Examination under the revised syllabus under this regulation shall be as follows :—

FINAL EXAMINATION : Stage III and IV

Stage III : Paper 9 : Advanced Financial Accounting (100 marks)

Aim : To provide a detailed insight into accounting principles and their application to complex business and non-business situations.

Level of knowledge : Expert.

1. Accounting principles, concepts and conventions—measurement of business income—accouting standards—national and international.

2. Valuation of enterprise—valuation of inventories, good will and shares.

3. Preparation of ompany accounts amalgamation, absorption, reconstruction and capital reduction, holding companies, Merger Accounts.

4. Branch and Departmental Accounts—Hire purchase and Instalment Payments—Royalty Accounts—Contract Accounts—Investment Accounts.

5. Preparation of Accounts from incomplete records—Self Balancing Ledger.

6. Accounting in organisations : Farm accounting, hotel accounting—Accounting for non-profit making organisations, e.g. accounting for hospital and educational organisations, accounting for local self government—rural and urban.

7. Accounting for bank and insurance companies—accounting for loss of stock, loss of profit and other compensations including marine insurance claims—Electricity company Accounts.

8. Government Accounting in India : General Principles—comparison with commercial accounting—role of the Comptroller and Auditor General of India and Public Accounts Committee—review of accounts.

Stage III : Paper 10 : Information Teachnology and Computer Applications (100 marks)

Aim : To exercise control and communicate effectively for the exposure of professional accountants to the growing field of computerised information technology and their applications.

Level of knowledge : Basic concepts but not details of technology.

1. Basic concepts of a system : Definition of a system—open and closed system, sub-system, system integration—horizontal and vertical integration. Use of Computer in the process of integration. Input-output and process feedback control, the design of controls concept of boundary, preparation of checklist and analysis of the prerequisities for a proposed system.

2. System design : Input and output design layout make up and forms for output, identification for source documents, file design and codification procedures, verification, validation and manual control over input-data, preparation and identification of file and its controls, the physical security and pass words, output controls, data transmission control, physical security of data within the office life cycle and stages of a system design, recording and communicating techniques including flow charts, decision, table and other diagrams.

3. Information and its Processing : Data and information storage and retrieval, characteristics and qualities of good information, value and sources of information, classification of information as strategic, tactical and operational organisation of file security and maintenance, internal storage in computer—RAM, ROM, PROM, Processing capabilities and size of internal storage in a computer, output devices of computer in the form of mircro film, graph plotters, line printers, visual display, external storage, media and its uses, uses of electronic mail, telex.

4. Distributed data processing : Local area network, time sharing and multiuser system, linkage of main frame to micro computer links, advantages and disadvantages of distributed data processing, distributed processing and system design, future prospects of Local Areas Network (LAN) and Wide Areas Network (WAN).

5. Planning, designing and implementation of management information systems : Hardware, software and communication technology. A computer system; data presentation for computers, micro-electronics (Memory chips), human machin productivity trade-off, integrated management information system covering marketing, manufacturing, financial and personnel, implementation, evaluation and maintenance of Management Information System (MIS).

Section II : Computer Applications : (50 marks)

1. Computer Hardware : Computer and its basic components—input, main store, external storage, processing output and control, Central Processing Unit (CPU) and Arithmeti and Logic Unit (ALU) and their elements and functions. Internal storage and representation of date. Random Access Memory (RAM). Read only memory (ROM) and Programmable ROM (PROM and EPROM). Processing capabilities and internal storage, Binary Operations.

2. Computer generations : Mainframes, mini-computers and micro computers, Characteristics of 8 bit, 16 bit and 32 bit computers and their processing capabilities. Future trend of computer developments.

3. Input and output devices. Different types of input devices and their characteristics (magnetic tape, magnetic disk. Winchester disk, cassette, floppy disk, magnetic ink recognition, optical character recognition, voice data entry), Divert data entry, OCR (Optical character recognition), Printers (Line, laser, dot matric, daisy wheel), VDU (Visual dsplay unit), microfilm, graph plotter, graphic terminal.

4. Preparation and maintenance of files : Concepts of files, records files and characters, temporary and permanent file organisation, file-transfer, updating, security and maintenance. Form filling and formatted screen, menus, window, Variable and fixed length records and fields, methods of access-sequential, direct and dynamic—their characteristics and uses. Magnetic type layout, inter-record gaps, block and inter-block gap, blocking factor.

5. Computer processing methods : Types of processing methods—(i) batch input and batch processing of all data : (ii) batch input and batch processing of transactions but on line file enquiries; (iii) on-line input, batch processing and on-line enquiries; (iv) on-line input updating and enquiries, real time system and response time.

6. Computer software and Programming : Principles of programming stores instructions, application of computer languages FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, C, Level of software, software package, utility softwares and operating system (OS), Bootstrap programme, Assembler compiler and interpretors, spreadsheet packages, data base management system (DBMS), word processing software packages, graphic software. Simple programme writing on BASIC only for application in pay roll, inventory and sales analysis.

7. Control and audit aspects of Management Information System : Edit check, error listing, control of system security, audit trial, control of operating efficiency, Auditing in a computerised environment.

8. Computer aided technology : Computer aided design (CAD). Computer aided manufacturing (CAM), Flexible Manufacturing system.

Stage III : Paper 11 : Operations Management and Control (100 marks)

Objective : To provide a basic understanding of the methods and teachniques of production—the economics of effective utilisation of resources and the teachniques employed to ensure optimum use of resources.

Level of knowledge : Expert.

1. Technology of production techniques : Meaning and implication of technology, different concepts like relevant technology or appropriate technology, high-tech versus low-tech, capital-intensive versus labour—intensive, batch process. Technology forcasting—shape of things to come in the 21st Century. Basic ideas regarding manufacturing techniques includ-

ing machine tools, process teachnology, productive facilities, productive utilities and manufacturing policies, some broad ideas about the technological aspects involved in the industries covered under the cost audit.

2. Production planning, scheduling and monitoring system : The concept of integrated production planning system, linkage between production planning and sales forecasting, procurement planning and finished goods inventory policy. Actual scheduling of jobs-optimisation concept in terms of productive facilities utilisation and cost minimisation through start-up, change over, etc. Production monitoring system and management Information System for this purpose, regular review of production planning and monitoring.

3. Production Economics : Analysis of problems involving location, layout multishifts product mix, material handling facilities, utilisation of multi-purpose plants, utilisation of preventive maintenance, utilisation of capacity rectification of unbalanced capacity, off-loading of products, stages of production, product plant, process planning, scheduled production stages controlling quality level, controlling of output costs, products usages and its obsolescence, technological usage and its obsolescence. control of output costs on the basis of its cost of factors of production and utilisation of capacities, scaling of capacities with the help of rationlisation, modernisation, revamping and renovation.

4. Productivity : Meaning and significance of productivity, productivity vis-a-vis absolute production, measurement of productivity—both overall and separately for each factor like man, machine, materials, Productivity and cost productivity improvement techniques, time study, work sampling and other techniques for productivity monitoring, productivity bargaining, tools and techniques, productivity and work ethos as well as quality of work life, job evaluation and merit rating and use of these in productivity of human resources. Cost reduction and value analysis in the context of productivity. Learning curve concepts in the context of productivity.

5. Cost implications of multi-shift operations plant shutdown, plant location and expansion, retracting of defectives, automation in productive system, utilities management, replacement of machinery and financial impact of technology upgradation and absorption.

Stage III : Paper 12 : Project Management and Control (100 marks)

Objectives : To provide expert knowledge on formulation, appraisal, financing, administration and control of projects.

Level of knowledge : Expert.

1. Project identification and Formulation : Different types of needs leading to different types of projects under BMRED (Balancing, Modernisation, Replacement, Expansion and Diversification) Considerations involved in decisions under each of these types.

Macro and Micro parameters in project selection, different considerations for project under private, public and joint sectors. Project formulation—preparation of project profile, project report and detailed project report. Broad criteria for pre-investment decisions.

2. Project appraisal : Different types of appraisal—technical, economic, organisation and managerial, commercial and financial—financial techniques for project appraisal and feasibility. Discounted Cash Flow and non-discounted cash flow methods, social cost benefit analysis and economic rate of return. Non-financial justification of projects.

3. Project financing : Pattern of financing, sources of finance, impact of taxation, public loans, small savings, surplus of public enterprises, deficit financing, foreign aid, Public sector project financing, Role of Tax Planning in Project Financing.

4. Project Cost Systems : Project cost accounting and monitoring, contractor and its cost system, labour and equipment costs, accounting, codification, development of cost data, labour time, reporting, direct measurement of work quantities, labour cost analysis, equipment accounting, activity based cost accounting, production rates for estimates, control of cost computer application to cost control.

5. Project Administration : Progress payments, expenditure planning, project scheduling and network planning, use of Critical Path Method (CPM) activities for pay requests, schedule of payments and physical progress, time cost trade off, cash flow preparing, cash forcast and monitoring of fund and other resources, control of groups of projects under one administration and associated problems in sharing resources.

6. Concepts and uses of Project Evaluation and Review Techniques (PERT) cost and PERT-time : Cost as a function of time, Project Evaluation and Review Techniques/Cost mechanisms, Accountant's role in Project Evaluation and review Techniques/Cost budgeting. Determination of least cost duration.

7. Post project evaluation.

Stage IV : Paper 13 : Advanced Management Accounting-Techniques and Applications (100 *marks*)

Aim : To provide adequate knowledge on cost accounting techniques with quantitative bias to be applied for effective planning and control of operation and for improvement of decision making process.

decision making process.

Level of knowledge : Advanced knowledge for formulation of problem and solution of the same.

1. Introduction : Evaluation of management accounting—fullcost allocation, corporate objectives, profitability and other objectives, product services and market mix, information and decision process, quantitative and qualitative factors, reporting for decision making, performance evaluation and its synchronisation with various decision models.

2. Cost allocation : Cost accumulation and allocation, general process of cost allocation and various criteria for decision making, allocation of service department cost interactions amongst service departments-reciprocal methods, allocating cost from one department to other. Joint and by-products cost-joint product problem, treatment of byproduct costs, traditional joint cost allocation methods, decision making with joint products, a non linear programming model for joint cost allocation, decision significance of the joint cost allocation procedures, identifying byproducts with mathematical programming methods and accounting methods and accounting for byproducts.

3. Quantitative Techniques : Business modelling using linear programming, simplex method of solution and sensitivity analysis. Formation of effective matrix and its application to allocation problems (assignments, transportation and travelling salesman), Games theory and its application to marketing problems. Determination of Service levels with the help of queueing theory, business modelling using simulation techniques, Replacement models including, Discounted Cash Flow-Project planning using network analysis.

4. Cost behaviour and regression analysis : Classification and analysis of data for estimation and cost behaviour, standard analysis of cost behaviour using regression analysis, goodness of fit and economic possibility, significance of independent variables, statistical inference in regression. Learning curve estimating learning curve with cummulative effects of learning on productivity, cummulative average time learning model and incremental unit time on learning model, learning curve and non-linear cost estimation.

5. Cost-volume-Profit Analysis : Cost Volume Profit assumptions and interrelationship of cost, volume and profit.

(a) Deterministic models—models on Cost-Volume-Profit analysis, determination of Break-even-point including multi-product situations, Cost-Volume-Profit analysis under multiple products, multiple production constraints, Cost-Volume-Profit models and its uses in decision process.

(b) Models under uncertainty : Building of uncertainty models—probability distribution of sale, determination of Breakeven, parametric estimates for normal and non-normal dstribution. Multi-product Cost—Volume—Profit analysis under uncertainty in prices and costs parameters, expected value of perfect information and sample information.

6. Pricing and decision Process : Opportunity cost, relevance and contribution approach, irrelevance of past cost, profit maximising pricing model, full cost pricing, incremental

cost and Return on Investment (ROI) pricing, strategic pricing on new product, Full cost pricing-advantages and disadvantages. Measuring the cost of product quality-appraisal cost, prevention cost, internal failure cost, external failure cost, optimal price out decision, expected opportunity losses, policies related to optimum inventory model and apportunity losses. Statistical quality control.

7. Variance for sales, profit and cost analysis : Sales and Profit analysis—production mix and yeild variances—a decomposition approach to variances—planning and control variances. Cost variance investigation models—materiality insignificance—statistical significance, non-normal probabilities—control charts—formal models for multiple observations—decision models with costs and benefits of investigation, difficulties in analysis of variances.

8. Decentralisation and transfer pricing : Choice of responsibility centre and decentralisation including its merits and demerits, general criteria for transfer pricing outlay cost and opportunity cost under different market situations, multinational and global tax minimisation, transfer pricing, different methods of evaluating transfer pricing—absorption cost, marginal cost, cost plus profit and standard cost including the limitations of these techniques in choosing a profit index, return on investment, concept of residential income and human problems with control of divisional performance.

9. Current issues in management accounting : Inflation and its effect on managerial decision making—social dimensions of business decisions. Human resources accounting—models and their applications. Programme and performance budgeting, zero base budgeting, social accounting and social reporting and human resource planning and optimisation of employees costs.

Stage—IV : Paper 14 : *Advanced Financial Management*
(100 marks)

Aim : To provide a detailed insight into accounting processes and their applications in complex business management.

Level of knowledge : Expert.

1. Planning Environment : Financial objectives, policies on financing investments and dividents. Financial forecasting, planning and uncertainties, interest rates, inflation, capital gains and losses, exchange control regulation, government credit policies and incentives, statistics on production, price indices, labour, capital market based on published statistical data.

2. Sources of finance (national): (a) Medium and long term : Venture Capital, seed capital, equity preference, convertible and cumulative preference shares, debentures, convertible debentures, hire purchase, leasing, public deposits and institutional finance—Life Insurance Corporation, Unit Trust of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, National Industrial Development Corporation, Industrial Development Bank of India, Small Scale Industrial Development Bank of India (SIDBI), State Finance Corporation (SFC), Industrial Rehabilitation Bank of India (IRBI).

Internal sources, retained earnings, provisions etc. Issues in raising finance, legal form of organisation provisions of the Companies Act, control of capital issues. (b) Short term sources : Trade credit, factoring, Bill of exchange, Bank Loan, Cash credit overdraft.

3. Sources of Finance (International): raising funds in foreign markets and investment in foreign projects, exchange rate—risk agencies involved and procedures followed in international financial operations—concepts of balance of trade and balance of payment.

4. Analysis of operating and financial leverages : Concept and nature of leverages—operating risk and financial risk, operating leaverages, financial leverage and combined leverages concepts, measures and their interpretations. Operating leverage and Cost Volume Profit analysis—Earning Before Interest and Tax (EBIT) and Earning Per Share (EPS) analysis—indifference point.

5. Capital structure theories and planning : Concept of capital structure and its perimeters, financial structure and capital structure—simple and complex. Theories of capital structure—net income approach, net operating income approach, traditional and Miller and Modigillani approaches and their criticism. Factors for capital structure planning. Capital structure trend in private and public sectors trend in private and public sectors in India.

6. Cost of Capital : Its nature and meaning, relevance of cost of capital in financial decisions, computation of specific cost, selection of weights, overall cost and marginal cost of capital, corporate tax and its impact on cost of capital.

7. Capital budgeting and Impact of time lag in analysis of capital utilisation and availability—pay back period, present value and internal rate of return including sensitivity analysis, limitations on capital budgeting. Determination of the cost of capital—risk of uncertainty, risk and return in a portfolio context, capital and pricing model (CAPM), inflation, leasing versus buying income taxes, benefits of accelerated cost recovery system (higher rate of depreciation), investment credits.

8. Working capital management : Operating cycle concept, forecasting, working capital requirement, strategies of financing current assets. Working capital and term loans recommendations of the Tandon Study Group, Monitoring advance management of different components. Working capital management under inflation, new projects and working capital management.

9. Financial services—Leasing, Merchant Banking, Higher Purchase, Cash Purchase, factory.

10. Advance Financial analysis and planning : Financial statements, financial ratio analysis, fund flow and cash flow analysis, levarages, Cost—Volume—Profit analysis financial forecasting, interfirm comparison, financial analysis and aspects of inflation.

11. Dividend and retention policies : Formulating a dividend policy, factors for consideration. Dividend theories—Walter's model, Gordon's model, residual theory of dividend, Miller and Modigliani hypothesis. Indian position in private and public sector in general.

12. Financial management in public sector : Management of accounts receivable and inventories in public sector units, source of fund of public sector units—cost of loans, cost of equity, cost of retained earning and debt-equity ratio. Evaluation and control of capital expenditure—determination of cash flows and cost benefit analysis. Pricing policy of public enterprises, project formulation and implementation, Social cost benefit analysis.

Stage IV : Paper 15 : *Advanced Management Accounting Strategic Management*
(100 marks)

Aim : To cover adequate knowledge of organisation and its environment, formulation and importance of strategic planning in achieving organisational objectives and role of Management Accountant in the control of marketing and strategic planning.

Level of knowledge : Expert.

1. *Strategic Planning* :

(i) Planning Environment Economics—forecasts, trend and changes—social, political, legal and technological impacts. Distribution channels and competitive forces. Government policies, economic growth and government expenditure. Public and Private sector investment. International trade-prices and government policies for capacity expansion, new industries, subsidiaries and substitutes. Government role in controlling inflation.

(ii) Strategies : Meaning and implications of corporate planning, long range planning, business policy planning, strategic planning and strategic management. Processes of developing strategic plan—definition of mission, corporate objectives—(Profit gap, sales gap, risk gap and other strategies SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities & Threats) analysis target selling strategy formulation and implementation, monitoring mechanism, strategies for stagnation versus growth, strategies for growth through expansion versus diversification, Acquisition and merger strategy. Strategy of joint venture—both in India and abroad. Marketing strategy as a part of corporate strategy. growth under inflation and protection of shareholders, real capital. Financial objectives, non-financial objectives, resources analysis and evaluation.

(iii) Model Building : Strategies in the development of models, Delphi Model, econometric, mathematical programming, budgetary and Heuristic model. Sensitivity analysis and the characteristics of this model. Limitations in model building vis-a-vis simulation techniques.

2. *Marketing*

(i) Concept-Production orientation versus market orientation, marketing objectives, framework and management of marketing-mix, (ii) Linkage between strategic planning and marketing strategy—both forward and backward, (iii) research and intelligence—sources for and techniques for acquiring information necessary for marketing decision-making, (iv) control or application of management accounting in marketing—analysis of marketing costs and profitability, pricing policies and strategies, budgetary control in marketing, evaluation and control of sales activities.

Evaluation of sales promotion and advertisement. Distribution costs analysis and control. Evaluation of marketing research and marketing planning.

Contribution analysis and product-line profitability analysis, Product rationalisation including product revamping, product range extension, product elimination and also new product introduction, Evaluation of research information—perfect, imperfect and Bayes' Theorem.

Stage IV : Paper 16 : Cost Audit (100 marks)

Aim : To provide an in-depth study of the body of knowledge comprising of the techniques and methods of planning and executing a Cost and Management Audit assignment.

Level of knowledge : Expert.

Section I : Cost and Management Audit. (50 marks)

1.Nature, objects and scope of Cost Audit : The concepts of efficiency audit, propriety audit, management audit, social audit.

2. Appointment of Cost Auditor—His rights, responsibilities, status, relationship and liabilities—professional and legal under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959).

3. Planning the Audit—Familiarisation with the Industry, the organisation, the production process systems and procedures, list of records and reports, preparation of the audit programme.

4. Verification of records and reports—Utilisation of statistical sampling methods—verification of performance and statements maintained under the Cost Accounting (Records) Rules.

5. Evaluation of Internal Control System : Budgetary Control, capacity utilisation, inventory control, management information system.

6. Assessment of the adequacy of the internal audit function.

7. Audit notes and working papers—audit reports to management.

8. The Cost Audit Reports—contents of the Report, distinction between "Notes and Qualifications" to the Report. Cost Auditor's observations and conclusions.

9. Professional Ethics and Code of Conduct.

10. Relationship between the Statutory Financial Auditor, the Internal Auditor and the Statutory Cost Auditor.

11. Cost Accounting (Records) Rules under clause (d) of sub-section (1) of Section 209 (issued one year before the examination) and Cost Audit (Reports) Rules issued under section 233(B) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956). Critical study of the rules including the prescribed Annexure and Proforma applicable to the industries covered.

12. Review of Cost Audit Report by the Government : Objectives, methods, follow-up actions and disposal of Cost Audit Reports by the Government company and other end-users of the Cost Audit Reports.

13. Comparative Studies between cost audit and financial audit with special reference to disclosure of information to members, Parliament and the general public.

14. Special Penal provisions for Cost Auditors.

SECTION II : COST AUDIT LEADING TO OTHER SERVICES (50 Marks)

A. MANAGEMENT AUDIT :

1. Meaning, nature and scope organisational needs for Management Audit and its coverage over and above other audit procedures.

2. Audit of the Management Processes and functions such as Planning, Organisation, Staffing, Coordination, Communication, Direction and Control.

3. Evaluation of Management Information and Control Systems with special emphasis in Corporate Image and Behavioural Problems.

4. Corporate service audit (Customer services) : Product (Research and Development) and import substitution, customers channels (export).

5. Corporate Development and Management Audit, including operational and propriety aspects.

6. Social Cost and Benefit of business enterprises with particular reference to developing countries.

7. Audit of Social responsibility of management.

B. OTHER SERVICES :

8. (a) Other service to the Management, Certification for various purposes—the records to be verified and the safeguard to be taken—the form and content of the certificates.

(b) Cost Audit as an aid to management, Government, shareholders, other external agencies and the public voluntary Cost Audit.

(c) Productivity Audit—labour, material and capital.

(d) Audit of Energy Conservation and Environmental Protection.

(e) Efficiency Audit—audit of sub-systems of an enterprise.

(f) Assessment and quantification of losses under marine, fire and accident policies.

(g) Inventory Audits for Banks and other agencies.

(i) for regulation 35, the following regulation shall be substituted namely :—

"35. EXEMPTION FROM THE SUBJECTS FOR APPEARING IN FINAL EXAMINATION

(1) In the case of candidates registered as students on or after 1st July, 1994, the Council shall decide from time to time, the individual subjects from which exemption may be granted to students who have passed such examinations of any University or on reciprocal basis of such Professional Institutes/Bodies in India or abroad, as may be recognised by the Council in this behalf.

(2) The Council shall also have the power to decide and shall decide the individual subjects/stages of the Final examination from which a candidate who is admitted as a fresh Registered Student under regulation 25A shall be exempted on the basis of exemption from individual subjects/stages previously secured by him under his former registration.

(3) Any candidate who has passed or obtained exemption from any of the following papers of Final Examination under old syllabaus shall be exempted from the corresponding papers of Final Examination under the revised syllabus as indicated below :

Papers of Final Examination under old syllabus			Corresponding equivalent papers of final Examination under revised syllabus		
Group	Paper No.	Name of Paper	Stage	Paper No.	Name of Paper
I	1	Financial Management and Corporate Planning and Policy	IV	14	Advanced Financial Management
I	3	Advanced Accountancy	III	9	Advanced Financial Accounting
II	2	Cost Audit and Management Audit	IV	16	Cost Audit
II	4	Advanced Cost and Management Accountancy—Methods, Techniques and Applications	IV	13	Advanced Management Accounting—Techniques and Applications.

A candidate who has obtained exemption or obtained the benifit of carry forward of marks in any of the above papers of the Final Examination under old syllabus shall be entitled to exemption only in the corresponding equivalent papers of Final Examination under the revised syllabus. However, the benefit of carry forward of marks by virtue of the result of any examination under old syllabus shall not be available in any paper of Final Examination under revised syllabus." :

(j) for regulation 41, the following regulation shall be substituted namely :

"41. Examination results—(1) A candidate shall be declared to have passed in an examination if he has passed in all the Stages or Groups (under old syllabus) comprised in that examination from which he has not been exempted. A candidate shall be declared to have passed in a Stage or Group (under old syllabus) of an examination if he gets at one sitting the minimum per cent of the total marks in each paper from which he has not obtained exemption as specified in colum II below and an aggregate of 50 per cent of the total marks of all such papers in that Stage or Group (under old syllabus) :

Column I	Column II
Group I or Group II of the Intermediate Examination under old syllabus held under regulation 31 or Group I or Group II of the Final Examination under old syllabus held under regulation 34.	35 per cent
Stage I or Stage II of the Intermediate Examination under revised syllabus held under regulation 31 or State III on Stage IV of the final Examination under revised syllabus held under regulation 34.	40 per cent

(2) A candidate who is not declared successful in a Stage or Group (under old syllabus) of any examination but—

(i) obtains 60 per cent or more of the total marks in any paper or papers shall be exempted in subsequent examinations from that or those papers in which he secured 60 per cent or more marks : or

(ii) obtains 60 per cent or more of the total marks in any paper and a minimum of 40 per cent of the total marks (under revised syllabus) or 35 per cent of the total marks (under old syllabus) in each of the remaining papers of that Stage or Group (under old syllabus), shall be allowed the benefit of carry forward of the actual marks so obtained by him in the papers in which he had obtained 60 per cent, or more marks, for the purpose of computing his result in the subsequent examinations :

Provided that if the benefit of exemption or carry forward mentioned in clause (i) and (ii) above is voluntarily withdrawn by a candidate, he shall not be entitled to such benefit in his future attempts.

(3) A list of successful candidates in an examination shall be published in the Journal of the Institute in such manner as the Council may direct. The names of candidates obtaining distinction in the examination shall be indicated in the list. Each candidate shall be individually informed of his results and also of the marks obtained by him in the paper or papers of the examination in which he appeared :

Provided that in any case where it is found that the result of an examination has been affected by error or fraud or using unfair means during the examination, the Examination Committee shall have the power to amend the result suitably.

(4) A candidate who passes the examination obtaining 70 per cent of the total marks of all the papers of the examination at one sitting shall be deemed to have passed the examination with distinction.

(5) Information as to whether a candidate's answers in any particular paper of any examination have been examined and valued will be supplied to the candidate on his application within a period of thirty days from the declaration of the result accompanied by a fee of rupees fifty only per

paper or such fee as may be fixed by the Council from time to time. The fee is only for verifying whether a candidate's answers in any particular paper have been examined and valued and not for the revaluation of answers. The marks obtained by the candidates in individual questions or in sections of a paper cannot, in any circumstances, be supplied. If, as a result of such verification, it is found that there has been either an omission to examine or value any answer or there has been mistake in the totalling of the marks, the fee for verification shall be refunded in full to the applicant.

(6) After a period of six months from the date of declaration of the result of an examination if a candidate requires a duplicate copy of his marksheet in respect of that examination, he shall be supplied with a duplicate copy of marksheet on receipt of an application from him in that behalf on payment of a fee of rupees twenty five only or such fee as may be fixed by the Council from time to time."

(k) for regulation 108, the following regulation shall be substituted, namely :—

"108. *Prior approval of the Council to use own name or trade name or firm name—*

(1) Every Cost Accountant in practice in his own name or trade name and every firm of such Cost Accountants shall, before commencement of practice or formation of the firm, as the case may be, whichever is earlier, submit to the Council in Form 'L' appended with these regulations the particulars of his office or the firm for approval to use own name or a trade name or firm name.

(2) A trade name or firm name shall be restricted to the names or the proprietor or partners or a name which is already in use and may include, and conform to, the names of the members as may appear in the Register of Members.

(3) A trade name or firm name may be used in the following manners namely :—

(a) Full surname of the members or full name indicating their surname; or

(b) Full first name of the members or initials of full name or first name; or

(c) Combination of first name, middle name, initials and surname of the members or expension thereof; or

(d) Distinguishing part of the name as is commonly known; or

(e) Combination of names or surnames of the partners; or

(f) Part of the name of the proprietor or partners; or

(g) suffix "& Co." or "& Associates" for their equivalents; or

(h) Any other name or surname by which a member is also known subject to the production of an affidavit or other evidence to the satisfaction of the Council.

(4) A trade name or firm name shall not be allowed to be used where—

(a) A member seeks to use a part of his surname; or

(b) Suffixes are used like "& Partners" "& Fellows", "& Others", and "& Sons" ; or

(c) It bears the name of God, Goddes or diety which has no relationship with the names or surnames of members; or

(d) It is a descriptive trade name or firm name; or

(e) It indicates or aims at publicity;

(f) Similar or nearly similar name is already being used and is entered in the Register of Offices and firms; or

(g) It is not desirable, in the opinion of the Council, to allow the use of such name.

(5) The Council may approve a trade name or firm name and shall maintain a Register of offices and firms for entering therein the trade name or firm name so approved and the particulars furnished in Form 'L' appended with these regulations.

(6) Any subsequent change in the particulars submitted in Form 'L' (appended with these regulations) shall be informed to the Council by the Cost Accountant or the firm of Cost Accountants so as to reach the Council within thirty days from the date on which the change is effected.

(7) Where the same trade name or firm name has been registered by the Council in the case of two or more members or firms, the Council may allow the use of such name by that member or firm alone who or which was registered first in the Register of offices and firms and may direct all other to alter the name in such a manner as the Council may consider proper and to inform the Council about the alteration within one hundred eighty days from the date of issue of direction.

(8) No member shall practise under a trade name or firm name—

(a) unless such name is approved by the Council under sub-regulation (5) ; or

(b) in respect of which a direction is issued by the Council under sub-regulation (7), after the expiry of one hundred eighty days from the date of issue of the direction.

(l) regulation 112 shall be omitted.

(m) in regulation 113, —

(i) in the marginal heading the word "Government" shall be omitted.

(ii) in sub-regulation (1) or words "the Central Government" the words "the Council" shall be substituted.

(iii) in sub-regulation (2), for the words "The Central Government", the words "The Council" shall be substituted.

(n) in form 'I' in paragraph III, for word and figures Rs. 125", the word "Rupees....." shall be substituted.

S. R. ACHARYYA
Secretary

Foot note : Principal regulations were published in the Gezette of India vide No. GSR 611 dated 25th May 1959 and amended vide :

1. Notification No. CWR (2) 69 dated 8th May 1969
2. Notification No. CWR (2)/70 dated 25th May 1970
3. Notification No. CWR (2)/70 dated 22nd January 1972
4. Notification No. CWR (1)/81 dated 6th January 1981
5. Notification No. CWR (1)/88 dated 31st January 1989.

THE BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 001, the 6th September 1993

The Bar Council of India at its meeting dated 22-8-1993 amended the Bar Council of India Rules as given in the following Resolution :—

RESOLUTION NO. 64/1993

RESOLVED that the following Rule be added as Rule 9, Chapter III, Part VI—

"A person who has completed the age of 45 years on the date on which he submits an application for his enrolment as an advocate to the State Bar Council shall not be enrolled as an advocate."

C. M. BALARAMAN
Officiating Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993